बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

आशाएँ हों साकार
CONNECTING ASPIRATIONS

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2016-17

निदेशक मंडल BOARD OF DIRCETORS

श्री एन दामोदरन (कार्यपालक निदेशक), श्री नीरज भाटिया, श्री संजीव अरोड़ा, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, श्री दीनबंधु मोहापात्रा, (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ), श्री ए. के. दास (कार्यपालक निदेशक), श्री जी. पद्मनाभन (अध्यक्ष), श्री आर. ए. शंकर नारायणन (कार्यपालक निदेशक), श्रीमती वेनी थापर, श्रीमती आर. सेबास्टियन

Shri N Damodharan (ED), Shri Neeraj Bhatia, Shri Sanjiv Arora, Shri Girish Chandra Murmu, Shri Dinabandhu Mohapatra (MD & CEO), Shri A K Das (ED), Shri G Padmanabhan (Chairman), Shri R A Sankara Narayanan (ED), Ms. Veni Thapar, Ms. R Sebastian

बैंक ऑफ इंडिया / Bank of India

(भारत सरकार का उपक्रम),
(A Government of India undertaking),

प्रधान कार्यालय:
स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व),
मुंबई - 400 051.
फोनः 022 - 6668 44 44
ई-मेल: headoffice.share@bankofindia.co.in
वेबसाइटः www.bankofindia.co.in

HEAD OFFICE:
Star House, C-5, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400 051.
Phone: 022 - 6668 44 44
E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in
Website: www.bankofindia.co.in

महत्वपूर्ण सूचनाएँ		Important Information	
ई-वोटिंग तिथियां	8 जुलाई, 2017 सुबह 10:00 बजे से 10 जुलाई, 2017 शाम 05:00 बजे तक	E- Voting dates	8th July, 2017 10 a.m. to 10th July, 2017 Till 05:00 p.m.
लेखाबंदी तिथि	8 जुलाई, 2017 से 11 जुलाई, 2017	Book Closure	8th July, 2017 to 11th July, 2017
वार्षिक आम बैठक तिथि एवं समय	मंगळवार, 11 जुलाई, 2017 सुबह 10:30 बजे	Date & Time of Annual General Meeting	Tuesday 11th July, 2017 at 10:30 a.m.
वार्षिक आम बैठक का स्थान	बैंक ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.	AGM Venue	Bank of India Auditorium, Star House, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

विषय सूची

Contents

अवलोकन Overview

2	सांविधिक लेखा परीक्षक	2	Statutory Auditors
2	महाप्रबंधक	2	General Managers
3	अध्यक्ष का संबोधन	3	Chairman's Statement
6	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संबोधन	6	Managing Director & CEO's Statement

सांविधिक रिपोर्ट Statutory Reports

10	निदेशक रिपोर्ट	12	Directors' Report
14	प्रबंधन विचार - विमर्श एवं विश्लेषण	23	Management Discussion & Analysis
31	कार्पोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट	31	Corporate Social Responsibility Report
32	कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट	32	Corporate Governance Report
50	सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण	50	CEO/CFO Certificate
50	मुख्य कार्यपालक अधिकारी की घोषणा	50	Declaration by CEO
156	बासेल-III (स्तंभ 3) - प्रकटन	191	Basel-III (Pillar 3) - Disclosures
224	आम बैठक की सूचना	224	Notice of Annual General Meeting

वित्तीय विवरण Financial Statements

52	तुलनपत्र	52	Balance Sheet
53	लाभ एवं हानि खाता	53	Profit & Loss Account
54	नकदी प्रवाह विवरण	54	Cash Flow Statement
62	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	62	Significant Accounting Policies
73	लेखे पर टिप्पणियां	73	Notes Forming Part of Accounts
111	स्वतंत्र लेखा परीक्षको की रिपोर्ट	111	Independent Auditor's Report
115	समेकित वित्तीय विवरण	115	Consolidated Financial Statements

सांविधिक लेखा परीक्षक Statutory Auditors

मेसर्स ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता	M/s. Grover Lalla & Mehta
मेसर्स बी रतन एण्ड एसोशिएट्स	M/s. B Rattan & Associates
मेसर्स जी डी आपटे एण्ड कंपनी	M/s. G D Apte & Co.

महाप्रबंधक General Managers

के. सेल्वराज (सीवीओ)	K. SELVARAJ (CVO)
पी. के. पट्टनाइक	P. K. PATTANAIK
संजय पवार	SANJAY PAWAR
शंकरदास गुप्ता	SHANKARDAS GUPTA
एस. आर. मीणा	S. R. MEENA
के. बी. जैन	K. B. JAIN
टी. सुधाकर	T. SUDHAKAR
एस. के. कासलीवाल	S. K. KASLIWAL
एस. सी. मोदी	S. C. MODI
एस पलनिवेल	S. PALANIVEL
बी. के. मोहन्ती	B. K. MOHANTY
आई. एम. मलिक	I.M. MALIK
ए. के. आज़ाद	A.K. AZAD
डी. के. गर्ग	D.K. GARG
सी. जी. चैतन्य	C. G. CHAITANYA
आर. एस. चौहान	R.S. CHOUHAN
एस. सी. षडंगी	S.C. SARANGI
रमन के. शर्मा	RAMAN K. SHARMA
एम. के. गुप्ता	M.K. GUPTA
एस. सी. बनिक	S.S. BANIK
के. आर. नायर	K.R. NAIR
आर. सी. ठाकुर	R.C. THAKUR
एस. के. अग्रवाल	S.K. AGGARWAL
पी. ए. जोशी	P.A. JOSHI
आर. के. मित्रा	R.K. MITRA
डी. पी. मिश्रा	D.P.MISHRA
शीला सैल	SHEELA SAIL
एस. के. मुखर्जी	S.K. MUKHERJEE
आर. पी. गुप्ता	R.P. GUPTA
आर. एम. कदम	R.M. KADAM
आर. गणेशन	R. GANESAN
एम. के. श्रीवास्तव	M. K. SRIVASTAVA
अरविंद वर्मा	ARVIND VERMA
सुधाकर कैमल	SUDHAKAR KAIMAL
मनोज कपूर	MANOJ KAPOOR
शंकर अय्यर	SHANKER IYER
विश्वनाथ गुंटा	VISWANATH GUNTA
स्वरूप दासगुप्ता	SWARUP DASGUPTA
ए. के. अरोरा	A.K. ARORA
एस. रवि कुमार जोयसुला	S. RAVI KUMAR JOSYULA
एस. के. स्वाईं	S. K. SWAIN
जे. के. श्रीवास्तव	J. K. SRIVASTAVA
ए. के. पुन	A.K. PUNN

अध्यक्ष का संबोधन
Chairman's Statement

प्रिय शेयरधारकों और पणधारकों,

1. विगत वित्तीय वर्ष में घरेलू एवं वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में कई गतिविधियाँ हुई हैं। नि:संदेह जिन प्रमुख गतिविधियों ने विश्वभर का ध्यान आकर्षित किया वे हैं 1) संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 2) ब्रेक्सिट वोट जो यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच वित्तीय और कूटनीतिक रिश्तों को बदलने की क्षमता रखता है। 2016 की अंतिम तिमाही में यूएस अर्थ व्यवस्था ने 3 प्रतिशत जीडीपी बढ़ोत्तरी के साथ प्रभावी वृद्धि दर्ज की है। हालाँकि वार्षिकीकृत आधार पर जनवरी-मार्च 2017 में इसमें 0.7 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई है। तथापि बेरोजगारी की दर घटकर 4.5 प्रतिशत हुई है और यूएस फेडरल रिजर्व में 25 बीपीएस की वृद्धि हुई है। ईयू में धीमे सुधार का वातावरण है जबकि जापान में मुद्रा अपस्फीति का दौर जारी है। चीन में 6.5-7 प्रतिशत वृद्धि अपेक्षित है। यूएस जिसने दरों में वृद्धि की इच्छा के संकेत दिए हैं, को छोड़कर अधिकतर केन्द्रीय बैंक अभी भी विस्तारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रहे हैं।

2. जहाँ तक घरेलू मोर्चे का संबंध है, यह अपेक्षित है कि भारत की विकास दर 7 प्रतिशत से अधिक रहेगी और इस प्रकार वह विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। मैक्रो इकॉनॉमिक मानदंड सुदृढ़ हुए हैं, एफडीआई का अंत:प्रवाह रिकार्ड स्तर पर डॉलर 43 बिलियन रहा, चालू खाता घाटा 1.5 प्रतिशत से कुछ नीचे रहा और केन्द्र तथा राज्यों दोनों के राजकोषीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन एक्ट सहित राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का 3.5 प्रतिशत रहा। सीपीआई मुद्रा स्फीति 3 प्रतिशत से कम रही और तेल की घटती कीमतों के कारण यह 2 प्रतिशत भी हो सकती है। संशोधित आधार वर्ष में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि 2.7 प्रतिशत रही जो गत वर्ष से अधिक है, फारेक्स रिजर्व रिकार्ड स्तर पर $ 370 बिलियन रहे जो करीब एक वर्ष के आयात कवर हेतु पर्याप्त है। कारोबार करने में सहजता के अन्तर्गत रैंकिंग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संकेत गत वर्षों से लगातार बेहतर हो रहे हैं। वार्षिक आधार पर 1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रोजगार निर्माण का क्षेत्र अभी भी एक बड़ी

Dear Shareholders and Stakeholders,

1. Over the past financial year, a slew of developments have defined the domestic and global financial landscape. Undoubtedly, the major developments which caught attention at a global level were 1) the U.S. Presidential elections and 2) the Brexit vote which has the potential to alter the contours of financial and diplomatic relations between the U.K and European Union. U.S economy posted impressive growth during the last quarter of 2016, with a GDP growth of more than 3% which, however, nosedived to 0.7% on an annualized basis during January-March 2017. However, unemployment rate declined to 4.5% and prompted a 25 bps rate hike by the U.S. Federal Reserve. EU meanwhile, is nudging along with growth a shade into positive territory while Japan continues to be in deflation zone. China is expected to grow between 6.5-7%. Most central banks are still pursuing an expansionist monetary policy with the exception of U.S which has indicated its willingness for further rate hikes.

2. On the domestic front, India is expected to post a growth rate of more than 7%, thus retaining the tag of the fastest growing economy in the world. Macroeconomic parameters are on a sound footing: FDI inflows are at a record $43 billion, Current Account Deficit is just a shade below 1.5% and fiscal deficit is contained at 3.5% of GDP with the Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM) also in place for both the Centre and the states. CPI inflation is below 3% and may even reach 2% due to sliding oil prices. The revamped base year has shown industrial production growth at 2.7%, higher than previous years; Forex reserves are at a record $ 370 billion, enough for almost a year of import cover. Rankings under 'ease of doing business' and competitiveness indices are continuously showing an improvement over the previous years, to name a few. A big challenge is on the job creation

चुनौती है। उद्यमिता के वातावरण का निर्माण करने के लिए स्टार्टअप हेतु फंड ऑफ फंड का सृजन किया गया।

3. अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग होने के कारण बैंकिंग क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। यह स्वीकार करना होगा कि इस क्षेत्र हेतु कई चुनौतियाँ हैं। मार्च 2017 में वर्ष दर वर्ष बैंक क्रेडिट 8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगातार कमजोर बनी रही। विशेषरूप से उद्योगों को ऋण देना कुछ ज्यादा ही प्रभावित हुआ। जबकि गत वर्ष की तुलना में बैंकों के एमसीएलआर में लगभग 100 बीपीएस की कमी हुई है। कम मांग के कारण सुस्त औद्योगिक क्षमता और आस्ति गुणवत्ता के कारण बैंकों के प्रभावित होना ये इस प्रवृत्ति के प्रमुख कारण रहे हैं। मुख्य क्षेत्र जैसे स्टील, बिजली और टेक्सटाइल में अभी तेजी आना शेष है जबकि टेलीकॉम ऐसा नया क्षेत्र है जहाँ जोखिम बढ़ा है। नोटबंदी के कारण उत्पन्न चलनिधि आधिक्य से ऋण एवं जमा दोनों की दरों को कम करने में मदद मिली है और बांड का प्रतिफल भी कम हुआ जिससे बैंक के कोषागारों को अप्रत्याशित लाभ हुआ है। बैंकिंग प्रणाली में सकल एनपीए बढ़कर ₹ 7 लाख करोड तक पहुँच गया है जिसमें से अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है। भारत सरकार ने रुग्ण बैंकों को सहायता देने के उद्देश्य से ₹ 10,000 करोड़ बजट में रखे हैं परन्तु वर्तमान परिवेश में ऐसा प्रतीत होता है कि इन बैंकों को उबारने के लिए और पूँजी देने की आवश्यकता होगी।

4. हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख परिवर्तनकारी तथ्य डिजिटल ट्रांसफारमेशन की ओर बढ़ना रहा है जो अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग परिदृश्य पर छा गया। इसमें नोटबंदी का अभियान भी जुड़ गया। इसका उद्देश्य है कि एक दशक के अंदर नकदी रहित लेन-देन 10 प्रतिशत के आसपास पहुँच जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई पहल की गई हैं जैसे कुछ इस प्रकार हैं - एमडीआर चार्ज न लेना, ₹ 2 लाख से अधिक नकद भुगतान न करना, चुनाव निधि हेतु ₹ 2000 से अधिक नकद राशि देने पर रोक, इलेक्टॉरल बॉड्स जारी करना आदि। बैंकिंग क्षेत्र में इन सबका असर निश्चित ही देखने को मिलेगा और अधिक से अधिक ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक चेनल को अपनाएंगे जिससे शाखओं में आने वाले लोगों की संख्या कम होगी। डिजिटल अभियान के बाद भुगतान बैंक एवं लघु वित्त बैंक पहले ही मार्केट में पकड़ बनाने के लिए आ गए हैं। इस परिदृश्य में विभिन्न पदधारियों को अपने कार्यक्षेत्र में बने रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और प्रतियोगिता में बने रहने के लिए नवोन्मेषी बनना होगा।

5 विगत कुछ वर्षों में 5/25 योजना एसडीआर योजना एवं एस 4 ए संबंधी पहल निश्चित ही अभिनव कार्य हैं। यद्यपि आस्ति गुणवत्ता की गिरावट संबंधी मामलों में इन साधनों की सफलता सीमित है तथापि एक्यूआर संबंधी कार्रवाई में अपचार से लड़ने में इनसे बैंकों को मदद मिलती हो। हालाँकि भारत सरकार आस्ति गुणवत्ता संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए पूरक प्रयास के रुप में एनपीए अध्यादेश लाई है इसके अलावा जेएलएफ निर्णयों को लागू करने में पहलेके 75% के स्थान पर ऋणदाता के 60% द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता की शर्त लगाते ही समय को कम करने हेतु कदम उठाए गए है। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता को लागू करना त्वरित हो गया है और विनियामक स्तर पर एक निरीक्षण समिति का गठन भी किया गया है ताकि बैंकर दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान निडरता से कर सकें।

6. दो प्रमुख ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार सरकार का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाए, वे हैं बैंकों में मानव संसाधन की स्थिति एवं बोर्ड तथा प्रबंधन का वृत्ति दक्षताकरण (प्रोफेसनाइलेशन), दिवाला एवं शोधन अक्षमता बैंकिंग एक ऐसा

front with employment generation growing at 1% on a yearly basis. A Fund of Fund (FoF) for startups has been created to form an entrepreneurial climate.

3. Being an integral part of the economy, banking sector has been given a major thrust. To start with, it has to be admitted that the scenario is a bit challenging. Bank credit growth continues to be anaemic with growth being 8% year-on-year for the year ended March 2017. Credit to industries has been particularly hit hard. This is despite the fact that MCLRs of banks have come down by around 100 bps over the past year. Idle industrial capacity due to sluggish demand and banks being hit by asset quality woes are the major reasons for this trend. Major sectors like steel, power and textiles are yet to gain traction while telecom segment has emerged as a new source of risk. Demonetization induced liquidity surge has helped lower both lending and deposit rates and lowered bond yields thus facilitating windfall gains to bank treasuries. Gross NPAs in the system has touched Rs.7 Lakh Crores with the bulk of them being accounted for by PSBs. GOI has budgeted Rs.10,000 Cr to support ailing banks but given the scenario, it seems more capital infusion would be required to salvage these banks.

4. A major game changer during the just concluded financial is the shift towards digital transformation that has enveloped the economy and banking landscape. This coincided with the demonetization drive. The objective is to bring the cashless transactions to around 10% within a decade. A number of steps towards this end have been initiated such as waiver of MDR charges, no cash payments above Rs.2 Lakh, bar on election funding of more than Rs.2000 in cash, issuance of electoral bonds etc to name a few. Banking sector would surely feel the impact of such changes with more and more customers expected to switch to electronic banking channels, significantly reducing the footfalls in branches over a period of time. Payments banks and small finance banks ae already there to grab market share post the digital drive. In this scenario, incumbents must strive hard and innovate to stay competitive and protect their turf.

5. The 5/25 scheme, the SDR scheme and the S4A initiatives are certain novel developments during the past couple of years. Though the success of these instruments in reducing the asset quality issues have been limited, it has nevertheless equipped banks with more tools to fight delinquency post the commencement of AQR exercise. However, GOI has brought forth the NPA Ordinance to complement efforts to reduce asset quality troubles. Moreover, steps have also been taken to reduce time to implement JLF decisions by stipulating the necessity of approval by only 60% of creditors by value as opposed to the earlier 75%. The Insolvency and Bankruptcy Code is becoming operational fast and an Oversight Committee has also been formed at the regulatory level to aid fearless resolution of stressed assets by bankers

6. Two major issues which have somehow escaped attention of successive governments but which merits a look are the state of human resources in banks and professionalization of Boards and management. Banking is an evergreen

(सदाबहार) क्षेत्र है जो गतिशील वातावरण में कार्य करता है। बैंकरों को विशेषकर वरिष्ठ स्तरों पर उचित रुप से प्रतिपूर्ति करना एक प्रमुख ध्यान दिऐ जाने योग्य क्षेत्र है जिसका निराकरण होना चाहिए।

अनुभवी व्यक्ति की सेवानिवत्ति पर उसके स्थान - पर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति भी एक अन्य चुनौती है। बैंकों को नए उत्पाद जारी करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए। हालाँकि बैंकों को ब्याज दर विकल्प शुरु करने की अनुमति देते हुए इस दिशा में शुरुआत हो चुकी है।

7. इन सब चुनौतियाँ के बीच यह वास्तव में प्रशंसनीय है कि भारत में बैंक एक संतुलित तरीके से सामाजिक दायित्व के निर्वहन और प्रतिस्पर्धी बने रहने में सफल हुए हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि वित्त वर्ष 2017 में किसी भी बैंक ने परिचालन हानि दर्ज नहीं की है। हमने दो गंभीर वित्तीय संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया हैं, जिनकी वजह से अमोध प्रतीत होनेवाली अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित हुई। वर्तमान चुनौतियों केवल सिलिड्रिकल प्रकृति की हैं और यह अपेक्षा की जाती है कि हम इस परिस्थिति से बिना किसी क्षति के शीघ्र ही उभर कर आएंगे।

जी. पद्मनाभन

area which operates under a dynamic environment. Compensating bankers properly should be a major focus area which needs to be addressed, especially at senior levels. Another challenge is replacement of experienced superannuating personnel. Banks must also be permitted to introduce new products. A beginning has, however, been made in this regard by permitting banks to introduce interest rate options.

7. However, amidst all these challenges, it is indeed commendable that banks in India have been able to perform a fine balancing act between their social obligations and staying competitive. It is noteworthy that no bank has posted operational loss during FY 2017. We have successfully weathered two major financial crises as well which, however, gripped seemingly infallible economies. The present challenges are only of a cyclical nature and we are expected to emerge unscathed from this scenario as well sooner than later.

G. Padmanabhan

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य
Managing Director & CEO's Statement

प्रिय शेयरधारी और हितधारक,

1. आपके बैंक की 21 वीं वार्षिक आम बैठक में आप सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ. आप जानते ही हैं कि हाल ही में मैंने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। हमने पिछले वर्ष में हानि को काफी कम किया है। विनियामक और सरकार द्वारा की जा रही पहल और हमारे समर्पित स्टाफ सदस्यों द्वारा किए जा रहे प्रयास से शीघ्र ही कायापलट अवश्य होगी। मैं सहर्ष आप के समक्ष 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. मेरा यह मानना है कि यदि कोई बात नियत है, तो वह है परिवर्तन। हम यदि अपने चारों ओर के वातावरण पर नज़र डालें तो यह स्पष्ट होगा। विदेशों में भी हमारा अस्तित्व है, अत: हम विश्व के परिदृश्य से ही शुरुआत करते हैं। दो वित्तीय केन्द्रों में बड़े परिवर्तन हुए हैं यथा यू. एस और यू. के; पूर्ववर्ती मामले में राष्ट्रपति के निर्वाचन में आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए और दूसरा ब्रेकसिट के परिणामों से घिरा हुआ था। इसके दूरगामी प्रभाव भिन्न देशों तक हुए हैं और हम भी इससे अछूते नहीं रहे। भिन्न क्षेत्रों में नीतियों के साथ-साथ, सभी अर्थव्यवस्थाओं में विकास का परिदृश्य एक समान नहीं है। यू.एस ने जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद में 0.7% की कमी दर्शायी है और ई.यू किसी प्रकार सकारात्मक स्थिति बनाए रखने में सफल रही। जापान में अपस्फीति है और चीन में विकास दर धीमी रही और वह 7% से कम हुई है, जो व्यापक शैडो बैंकिंग से ग्रस्त है जो 220 अरब डॉलर है। यू.एस फेडरल रिजर्व ने प्रधान नीतिगत दर 25 बीपीएस बढ़ाई है, जबकि ईयू और जापान में सेंट्रल बैंक इस हेतु अनिच्छुक हैं क्योंकि जो विकास उन्होने भिन्न प्रोत्साहनों से प्राप्त की है उसे खोना नहीं चाहते। इस परिदृश्य में भारत के निवेशकों को सर्वाधिक ब्याज दर प्राप्त हो रही है, 10 वर्ष के बेंचमार्क, 6.76% प्रतिफल दे रहा है।

3. **घरेलू अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है ...**

भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले तीन वर्षों में लंबी छलांग लगायी है। किसी भी

Dear Shareholders & Stakeholders,

1. At the very outset, I extend a very warm welcome to each one of you to the 21st Annual General Meeting of your Bank. As you are all aware, I have only recently taken over as the MD & CEO of your Bank. We have significantly erased our losses over the past year. Various initiatives by the Regulator and GOI as well as by our own dedicated staff will ensure a turnaround as soon as possible. It gives me great pleasure to place before you the annual report of your Bank for the year ended March 31, 2017.

2. I believe that if there is a constant, it is only change. It will be amply clear just by a cursory glance at the environment around us. Since we have overseas presence as well, let us start by observing at the global landscape. Massive changes have swept two leading financial centres - the U.S. and the U.K.; the former due to the surprising outcome of her Presidential elections and the latter engulfed by the Brexit result. This has had far reaching ramifications across several countries and we are not immune to those. Apart from policies on various sectoral fronts, growth outlook is not uniform across economies. While the US has shown a decline to 0.7% annualized rate of GDP growth for January-March period, EU just manages to stay in the positive territory. Japan continues to face deflation while China has slowed down to below 7%, plagued as it is by a massive shadow banking system worth $ 220 billion. While the US Federal Reserve has raised the key policy rate by 25 bps, central banks in EU and Japan are reluctant for fear of losing whatever growth they have managed through stimulus measures. In this backdrop, India earns investors the highest rate of interest with our 10 year benchmark yielding 6.76%.

3. **Domestic economy gathers momentum.....**

Indian economy has undoubtedly leapfrogged over the past

मैक्रो मानदंड पर नज़र डालें और यह दृष्टिगोचर होता है। सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर वित्तीय वर्ष 18 में 7.5% छूने को तैयार है और चालू खाते की घाटा 1.5% से कुछ कम किया गया है, जो 2014 के पूर्व 4% के उच्च स्तर पर था। वित्तीय घाटा 3.5% से नीचे है : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) की आवक सबसे अधिक देखी गई हैं जो 43 अरब डॉलर हैं : विदेशी मुद्रा रिजर्व सर्वाधिक देखी गई हैं, 370 अरब डॉलर हैं। कारोबार करने में आसानी संबंधी श्रेणी में हमारा स्थान बेहतर हुआ है और प्रतिस्पर्धात्मक मानदंड का उल्लेख अक्सर किया गया है और यहाँ उसका जिक्र करना निरर्थक है। सफलता का एक प्रमुख कारण है राजनयिक संबंधों में सुधार हेतु किए गए अतिबृहत प्रयास जिसके फलस्वरूप हमने आर्थिक लाभ प्राप्त किए हैं। इन सबके बीच हमने जिन प्रमुख समस्याओं का सामना भी किया वे हैं धीमा पूंजी निर्माण, उद्योग द्वारा क्षमता का कम उपयोग, रोज़गार सृजन और दोहरी तुलन पत्र समस्या (बैंक एवं कॉरपोरेट)। इन समस्याओं का समाधान ढूंढने हेतु युद्ध स्तर पर भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

4. **बैंकिंग क्षेत्र में बड़ी संभावनाये हैं** ....

बैंकिंग क्षेत्र का परिदृश्य पूर्व वर्षों की अपेक्षा काफी भिन्न है। बैंक ऋण विकास दर 8.7% के ऐतिहासिक निचली दर पर है और उत्पाद क्षेत्र को ऋण में 1.9% की कमी आयी है जबकि वित्तीय वर्ष 16 में 2.2% की वृद्धि थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण क्षेत्र में हिस्सेदारी काफी घट गई है, उनकी हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 17 में 71.8% थी जबकि वित्तीय वर्ष 15 में यह 77.8% थी। यह उद्योग स्तर पर कम क्षमता का उपयोग और त्रुटिपूर्ण आस्तियों के कारण भी है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात औसतन बैंक स्तर पर बढ़े हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पिछले वर्ष की तुलना में हानि काफी कम हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक समूह के रूप में इस वर्ष भी हानि दर्शाई है।

5. विमुद्रीकरण पर विचार करना यहाँ प्रासंगिक होगा। इससे तरलता अधिक हो गई, बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि हुई और एमसीएलआर कम हुई है। वर्ष के दौरान एक वर्ष की बैंक जमा दर 7-7.5% की दर से 6.5-7% हुई है। एमसीएलआर 100-110 बी पी एस कम हुई है। कम ब्याज दरों के कारण खुदरा ऋण में तेज़ी से वृद्धि हुई है जबकि ब्याज की आय में वृद्धि औद्योगिक स्तर पर नगण्य थी।

6. में यहाँ इस तथ्य पर ज़ोर देना चाहूँगा कि बैंक के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करते वक्त हमें निवल लाभ से जुड़े जुनून को त्यागना होगा और परिचालन लाभ को मूल मापदंड मानना होगा। औद्योगिक स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों सहित सभी बैंकों ने मिलकर सभी ने परिचालन लाभ में अच्छी वृद्धि दर्शाई है। यह बैंक के मामले में भी सही है। निवल हानि का संबंध उच्च प्रावधान से है जो चक्रीय क्षेत्रों से सम्बद्ध होने के कारण है जिनके भविष्य में बदलने की क्षमता है। यह उल्लेखनीय है कि व्यापक मध्यस्थता संबंधी लागत जो सामाजिक बाध्याताओं के कारण है, इसके बावजूद बैंक परिचालन स्तर पर लाभ दर्शा रहे हैं। यह ऐसा तथ्य है जिसे भिन्न मंचों पर उजागर नहीं किया गया है। यह केवल कुछ समय की बात है जिसके पश्चात हमारा सम्पूर्ण कायाकल्प होगा। जब यह संकटग्रस्त क्षेत्र संकट से उबरकर निकलेगा।

7. यह मूलत: भिन्न पहलों द्वारा पूरित किया जाएगा। दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता अपने व्यावहारिक स्वरूप में तेज़ी से बदला जा रहा है। इसे पूरी क्षमता तक उपयोग में लाने के लिए कुछ समय लगेगा, इसमें प्रशिक्षित कार्मिक, संभार तंत्र, और आसूचना उपयोगिताओं को स्थापित करना आवश्यक है। इस दौरान आरबीआई कुछ कदमों के साथ आया है जिससे जे एल एफ के मामलों का निपटान तेज़ी से किया जा सके और निरीक्षण समिति

three years. Look at any macro parameter and it is visible. GDP growth is set to touch 7.5% for FY 18; Current Account Deficit has been brought down to a shade below 1.5% from the highs of 4% seen before 2014: Fiscal deficit is below 3.5%: Foreign Direct Investments (FDI) inflows are one of the highest recorded ever at $ 43 billion: Foreign reserves are at an all-time high of $370 billion. The improvements in rankings under 'ease of doing business' and Competitiveness Indices have been cited often and it would be redundant to dwell upon that here. A key success factor is the tremendous strides that have been achieved in diplomatic outreach which in turn translates into economic gains. Amidst all this, slow capital formation, low capacity utilization by industry, employment generation and the twin balance sheet problem (banks and corporates) are the major sticking points. Efforts are earnestly underway to address these issues on a war footing.

4. **Banking sector holds great promise….**

Coming to the banking sector, the macro scenario is somewhat different from what it used to be a couple of years before. Bank credit growth is at a historic low of 8.7% with credit to manufacturing segment showing a decline of 1.9% vis-à-vis a growth of 2.2% during FY 16. Public Sector Banks have lost significant market share with their share in credit at 71.8% during FY 17 compared to 77.8% during FY 2015. This may be attributed to low capacity utilization at the industry level and also to delinquency in assets. Gross NPA ratios have increased though at the aggregate bank level and across public sector banks losses have declined significantly over the previous year. PSBs as a group, however, continued to post losses this year as well.

5. It would be pertinent to dwell upon the demonetization issue. This led to a liquidity surplus scenario and bond yields as well as MCLRs declined. During the year one-year bank deposit rate declined from the range of 7-7.5% to 6.5-7%. MCLRs declined by 100-110 bps. Moderation in lending rates translated into faster growth in retail lending though interest income showed only muted growth at the industry level.

6. I wish to state here that while assessing bank performance, we must shed our obsession with net profit and watch operating profit as the key metric. Needless to mention, at the industry level, all banks including PSBs have showed good growth in operating profit. The same holds true for Bank as well. The net loss is attributable to higher provisioning necessitated on account of exposure to cyclical sectors which has the potential for a turnaround in the future. It is remarkable that despite incurring huge intermediation costs on account of our social obligations, banks continue to post profits at the operating level. This is something which is not adequately highlighted at various fora. It is only a matter of time before which we post an absolute turnaround when the troubled sectors come out of the woods.

7. This will be complemented by various initiatives on the ground. The Insolvency and Bankruptcy Code is evolving into its practical application at a very fast pace. However, its full potential is still a few years away due to the need for trained personnel, logistics and the need to set up information utilities .Meanwhile, the RBI has come out with

प्रणाली जो बैंकरों को निडर होकर दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान करने में सहायता करती है। इसे हाल में संसद द्वारा पारित एनपीए अध्यादेश को परिचालन में लाने हेतु किए गए त्वरित उपाय के रुप में देखा जाना चाहिए।

8. आपके बैंक के कार्यनिष्पादन को उपरोक्त उभरते परिदृश्य के संदर्भ में देखना चाहिए। समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय तथ्य आशाजनक थे.आपके बैंक की निवल हानि तीन गुना कम हुई है। आस्तियों की गुणवत्ता स्थिर हुई है और घरेलू स्तर पर मार्जिन में सुधार हुआ है। आपके बैंक ने परिचालन लाभ में 61.25% की वृद्धि दर्शाई है जो वर्तमान परिवर्तनशील परिस्थियों में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

9. इस परिदृश्य में 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष की विस्तृत वित्तीय स्थिति सहर्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपके बैंक ने कई प्रमुख पैमानों पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

10. **बैंक का कार्यनिष्पादन**

- आपके बैंक का वैश्विक कारोबार यथा 31.03.2017 को ₹ 933,820 करोड़ रहा ।
- आपके बैंक की कम लागत की जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष 30.24% की वृद्धि हुई है और घरेलू जमाराशियों में उसकी हिस्सेदार जो मार्च 2016 में 34.18% थी बढ़ कर मार्च, 2017 में 39.84% हो गई।
- सकल अग्रिम वर्ष-दर-वर्ष 3.18% एवं तिमाही-दर-तिमाही 1.75% वृद्धि के साथ ₹ 393,788 करोड़ पर हैं।
- रिटेल योजनाबद्ध ऋण वर्ष-दर-वर्ष 10.63% वृद्धि के साथ यथा 31 मार्च, 2017 को ₹ 41,793 करोड़ पर रहे। कुल घरेलू अग्रिमों में रिटेल ऋणों की हिस्सेदारी जो मार्च, 2016 में 14% थी बढ़कर मार्च, 2017 में 15% हो गई।
- प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹ 113,027 करोड़ पर रहे जो एएनबीसी का 40.47% है, कृषि अग्रिम ₹ 54,303 करोड़ पर रहे जो एएनबीसी का 19% है।
- बैंक की कुल मीयादी जमाराशियों में ₹ 1 करोड एवं उससे कम की रिटेल मीयादी जमाराशियों की हिस्सेदारी 76% है।
- बैंक का वैश्विक सकल एनपीए अनुपात जो दिसंबर 2016 में 13.38% था क्रमिक रुप से घट कर यथा 31 मार्च, 2017 को 13.22% हो गया. वैश्विक निवल एनपीए अनुपात जो 31 दिसंबर, 2016 को 7.09% या घटकर अब 6.90% हो गया है।
- प्रावधान कवरेज अनुपात जो मार्च, 2016 मे 51.14% था सुधरकर मार्च, 2017 में 61.47% हो गया।
- बैंक का परिचालन लाभ जो 31 मार्च, 2016 को ₹ 6,036 करोड था वर्ष-दर-वर्ष 61.25% वृद्धि के साथ के ₹ 9,733 करोड हो गया।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ₹ -1558 करोड़ के कर पश्चात लाभ की घोषणा की है, जबकि विगत वर्ष इसी अवधि के लिए कर पश्चात लाभ ₹ -6,089 करोड था। इस प्रकार बैंक ने हानि को 74.41% कम किया है।
- निवल ब्याज आय (NII) जो वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 11,725 करोड़ था वर्ष-दर-वर्ष 0.87% वृद्धि के साथ ₹ 11,826 करोड़ हो गया है।
- घरेलू परिचालनों पर निवल ब्याज मार्जिन (NIM) जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2.50% था, सुधरकर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2.60% हो गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विदेशी परिचालनों पर निवल ब्याज मार्जिन 1.25% था। समग्र रुप में वैश्विक एनआईएम जो वित्तीय वर्ष 2015-16 मे 2.11% था सुधरकर वित्तीय वर्ष 2016-17 मे 2.20% हो गया।

measures aimed at faster resolution of JLF cases and the Oversight Committee mechanism which aids bankers in fearless resolution of stressed assets. This has to be seen as a swift measure to operationalize the NPA Ordinance enacted recently by the Parliament.

8. The performance of your bank also has to be viewed against the above unfolding landscape. The financials for the just concluded year were promising. Your bank has shown a three fold reduction in net loss. Asset quality has stabilized and margins at the domestic level have improved. Your bank has shown a growth of 61.25% in operating profit which is not a mean achievement during these volatile times.

9. With this backdrop I have great pleasure in presenting before you the detailed financials for the year ended 31 March 2017. Your Bank has achieved impressive strides under several key parameters.

10. **BANK'S PERFORMANCE**

- Your Bank posted an overall Global Business of the Bank stood at ₹ 933, 820 crore as on March 31, 2017.
- Your Banks Low Cost Deposits (CASA) grew by 30.24% YoY and its share in Domestic deposits improved from 34.18% in March 2016 to 39.84% in March 2017.
- The Gross Advances at ₹ 393,788 crore, grew by 3.18% YoY and 1.75% QoQ.
- Retail schematic Loans increased by 10.63% YoY and stood at Rs 41,793 crore as on March 31, 2017. Retail Loans share in Total Domestic Advances increased YoY, from 14% in March 2016 to 15% in March 2017.
- Priority Sector advances stood at ₹ 113,027 crore which constitutes 40.47% of ANBC. Agriculture advances were Rs 54,303 crore forming 19% of ANBC.
- The share of Retail Time Deposits of ₹ 1 crore and less constitutes 76% of Bank's total time deposits.
- Bank's Global Gross NPA ratio declined sequentially and was 13.22% as on March 31, 2017 as against 13.38% as on December 2016. Global Net NPA ratio declined to 6.90% as against 7.09% on December 31, 2016.
- The Provision Coverage Ratio improved from 51.14% in March 2016 to 61.47% in March 2017.
- The Bank's Operating Profit as on March 31, 2017 is ₹ 9,733 crore as against ₹ 6,036 crore as on March 31, 2016 showing YoY growth of 61.25%.
- The Bank declared PAT of ₹ -1,558 crore in FY2016-17 as against ₹ -6,089 crore PAT for corresponding period last year, reduced the loss by 74.41%.
- NII during FY 2016-17 has improved to ₹ 11,826 crore as compared to ₹ 11,725 crore in FY 2015-16, an increase of 0.87% YoY.
- Net Interest Margin (NIM) on domestic operations has improved from 2.50% in FY 2015-16 to 2.60% in FY 2016-17. NIM on overseas operations was 1.25% for FY 2016-17. Overall the global NIM has improved to 2.20% in FY 2016-17 from 2.11% in FY 2015-16.
- Non-Interest Income during FY 2016-17 has improved

- गैर ब्याज आय जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 3,653 करोड था सुधरकर वर्ष-दर-वर्ष 85% की वृद्धि के साथ ₹ 6,772 करोड हो गया।
- बैंक का परिचालन लाभ जो वित्तीय वर्ष 2015-16 की चौथी तिमाही में ₹ 1464 करोड था वर्ष-दर-वर्ष 113% वृद्धि के साथ ₹ 3,127 करोड हो गया।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही के लिए ₹ -1,046 करोड का कर पश्चात लाभ (PAT) घोषित किया है जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए ₹ -3,587 करोड़ था। इस प्रकार बैंक ने हानि को 71% कम किया है।
- निवल ब्याज आय (NII) जो वित्तीय वर्ष 2015-16 की चौथी तिमाही में ₹ 3,187 करोड़ थी सुधरकर वर्ष-दर-वर्ष 9% वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में ₹ 3,469 करोड़ हो गयी।
- घरेलू परिचालनों पर निवल ब्याज मार्जिन (NIM) जो वित्तीय वर्ष 2015-16 की चौथी तिमाही में 2.43% था सुधरकर वित्तीय वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में 2.80% हो गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही हेतु विदेशी परिचालनों पर निवल ब्याज मार्जिन 1.31% था। समग्र रुप में वैश्विक एनआईएम जो वित्तीय वर्ष 2015-16 की चौथी तिमाही में 2.06% था सुधरकर वित्तीय वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में 2.39% हो गया है।
- गैर ब्याज आय जो वित्तीय वर्ष 2015-16 की चौथी तिमाही में ₹ 884 करोड़ थी वर्ष-दर-वर्ष 98% की वृद्धि के साथ सुधरकर वित्तीय वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में ₹ 1,754 करोड़ हो गई।
- सोलो आधार (बासेल III) पर सीआरएआर जो यथा 31 मार्च, 2016 को 12.01% था सुधरकर यथा 31 मार्च, 2017 को 12.14% हो गया, इसमें टियर-I पूंजी 8.90% और टियर-II पूंजी 3.24% है।
- डेबिट कार्ड आधार जो यथा 31 मार्च, 2016 को 352.72 लाख था बढ़कर यथा 31 मार्च, 2017 को 471.49 लाख हो गया।
- इन्टरनेट बैंकिंग यूजर (रिटेल) की संख्या जो यथा 31 मार्च, 2016 को 33.81 लाख की बढ़कर यथा 31 मार्च, 2017 को 40.68 लाख हो गई।
- मोबाइल बैंकिंग यूजरों की संख्या जो यथा 31 मार्च, 2016 को 1.22 लाख थी बढ़कर यथा 31 मार्च, 2017 को 1.51 लाख हो गई।

11. मैं आपके बैंक के निदेशक मंडल के उन सभी निदेशकों के बहुमूल्य योगदान हेतु उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ जो वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान पद से निवृत्त हुए, यथा - श्री एस.एस. बारीक-आरबीआई नामिती निदेशक, श्रीमती ऐना रॉय- सरकारी नामिती निदेशक, श्री बि.पी. शर्मा, कार्यपालक निदेशक, श्री आर.पी.मराठे, कार्यपालक निदेशक, डॉ आर.एल. बिश्नोई - अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक। बैंक को भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और अन्य विनियामक प्राधिकरणों से उत्तम सहयोग और मूल्यावान योगदान मिलता रहा है जिसके लिए बैंक उनके प्रति आभारी है। मैं, बैंक की ओर से तथा अपनी ओर से अपने कारोबारी सहयोगियों, ग्राहकों, शेयरधारकों और स्टेकधारकों, वित्तीय संस्थाओं और प्रतिनिधि बैंकों के हमारे प्रति विश्वास, भरोसे और सक्रिय सहयोग हेतु उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और उनके सतत संरक्षण, मार्गदर्शन एवं सहयोग की कामना करता हूँ। अंत में मैं अपने प्रतिबद्ध स्टाफ सदस्यों के ईमानदार और निष्ठाकपूर्ण प्रयासों की सराहना करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

दीनबंधु मोहापात्रा
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

- The Bank's Operating Profit for Q4 2016-17 is ₹ 3,127 crore as against ₹ 1,464 crore as on Q4 2015-16 showing YoY growth of 113%.
- The Bank declared PAT of ₹ -1,046 crore in Q4-FY2016-17 as against ₹ -3,587 crore PAT for corresponding period last year, reduced loss by 71%.
- NII in Q4FY 2016-17 has improved to ₹ 3,469 crore as compared to ₹ 3,187 crore in Q4FY 2015-16, an increase of 9% YoY.
- Net Interest Margin (NIM) on domestic operations has improved to 2.80% in Q4-FY 2016-17 from 2.43% in Q4-FY 2016-17. NIM on overseas operations was 1.31% for Q4 FY 2016-17. Overall the global NIM has improved to 2.39% in Q4 FY 2016-17 from 2.06% in Q4 FY 2015-16.
- Non-Interest Income in Q4-FY 2016-17 has improved to ₹ 1,754 crore as compared to ₹ 884 crore in Q4-FY 2015-16 increase of 98% YoY.
- The CRAR on solo basis (Basel III) is 12.14% as on March 31, 2017 and improved from 12.01% as on March 31, 2016. The Tier-I Capital forms 8.90% and Tier -II Capital is 3.24%.
- Debit cards base increased to 471.49 lakh as on March 31, 2017 from 352.72 lakh as on March 31, 2016.
- Internet Banking users (Retail) increased to 40.68 lakh as on March 31, 2017 from 33.81 lakh as on March 31, 2016.
- Mobile Banking users increased to 1.51 lakh as on March 31, 2017 from 1.22 lakh as on March 31, 2016.

11. I wish to place on record the valuable contribution made by the directors on your Bank's Board including those who have demitted office during FY2017 viz. Shri S S Barik – RBI Nominee Director, Ms Anna Roy – Government Nominee Director, Shri B P Sharma – Executive Director, Shri R P Marathe – Executive Director, Shri R L Bishnoi – Part time Non Official Director. The Bank also thanks the Government of India, Reserve Bank of India, SEBI and other regulatory authorities, who have provided excellent support and valuable guidance. On behalf of the Bank and on my personal behalf I would like to thank our Business Associates, Customers, Shareholders and Stakeholders, Financial Institutions and Correspondent Banks for their trust, faith and active association and look forward for their continued patronage, guidance and support. Last, but not the least, I also place on record my appreciation for the sincere and unstinted efforts put in by our committed staff members.

With warm regards,

Dinabandu Mohapatra
Managing Director & CEO

निदेशक रिपोर्ट

निदेशक मण्डल 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की लेखापरीक्षित लेखा विवरण और नकद प्रवाह विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

कार्यनिष्पादन

घरेलू कारोबार

- कासा जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 30.24% की वृद्धि हुई, एसबी जमाराशियों में 31.92% और सीडी जमाराशियों में 20.86% की वृद्धि हुई। घरेलू जामाराशियों में कम लागत की जमाराशियों (कासा) की हिस्सेदारी जो यथा 31.03.2016 को 34.18% थी, सुधरकर 31.03.2017 को 39.84% हो गई।
- घरेलू जमाराशियां 12.23% वृद्धि के साथ ₹ 3,77,309 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,23,457 करोड़ हो गई।
- अग्रिम 6.38% वृद्धि के साथ ₹ 2,68,579 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,85,725 करोड़ हो गए।
- प्राथमिकता क्षेत्र उधार, समायोजित निवल बैंक ऋण का 40.47% है और समायोजित निवल बैंक ऋण में कृषि ऋण की हिस्सेदारी 19.44% है।
- योजनाबद्ध रिटेल ऋणों में 10.63% वृद्धि हुई और वह ₹ 37,777 करोड़ से बढ़कर ₹ 41,793 करोड़ हो गए।
- समग्र रूप में, घेरलू कारोबार में 9.80% की वृद्धि हुई है और वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 6,45,888 करोड़ से बढ़कर ₹ 7,09,183 करोड़ पर पहुँच गया है।

विदेशी कारोबार :

- पिछले वर्ष के 2.87% की कमी की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान विदेशी कारोबार में 9.70% की कमी आई है।

वैश्विक कारोबार :

- वैश्विक कारोबार में पिछले वर्ष की 5.19% की कमी आई थी उसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान उसमें 4.38% की वृद्धि हुई है। कुल कारोबार मिश्र (जमा+अग्रिम) ₹ 39,153 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 9,33,820 करोड़ पर पहुँच गई है।
- कुल जमाराशियां 5.27% वृद्धि के साथ ₹ 5,40,032 करोड़ पर रहीं।
- अग्रिम 3.18% वृद्धि के साथ ₹ 3,93,788 करोड़ पर रहे।

वित्तीय मानदण्ड :

- परिचालन लाभ ₹ 9,733 करोड़ और निवल हानि ₹ 1,558 करोड़।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात, आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट (बासेल III के तहत) 10.25% की तुलना में 12.14% रहा।
- निवल मालियत मार्च 2016 की तुलना में 1.31% घटकर ₹ 19,907 करोड़ पर रही ।
- प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 188.62 है ।
- यथा 31.03.2017 को सकल एनपीए अनुपात 13.22% रहा।
- यथा 31.03.2017 को निवल एनपीए अनुपात 6.90% रहा।
- वर्ष 2016-17 के लिए बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन का संक्षेप में आगे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17 वृद्धि (%)	वृद्धि (%)
निवल ब्याज आय	11,724	11,826	0.87
गैर-ब्याज आय	3,653	6,772	85.38
परिचालन व्यय	9,341	8,866	-5.09
परिचालन लाभ	6,036	9,733	61.25
प्रावधान / आकस्मिकताएं	12,125	11,291	-6.88
निवल लाभ	-6089	-1558	74.41
प्रति शेयर आय (₹)	-83.01	-15.72	81.06
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	246.82	188.62	-23.58
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	-26.10	-7.78	
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%)	-0.94	-0.24	

प्रमुख वित्तीय अनुपात नीचे प्रस्तुत किए गए हैं

(प्रतिशत) (%)

मानदण्ड	2015-16	2016-17
अग्रिम पर प्रतिफल	8.28	7.98
निवेश पर प्रतिफल	7.81	7.58
निधियों पर प्रतिफल	6.87	6.41
जमा राशियों की लागत	5.25	4.84
निधियों की लागत	4.95	4.48
निवल ब्याज मार्जिन	2.11	2.20
परिचालन व्ययों की तुलना में गैर ब्याज आय	39.10	76.38
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य आय	0.57	1.03
औसत कार्यशील निधि की तुलना में परिचालन व्यय	1.54	1.45
औसत कार्यशील निधि की तुलना में स्टाफ व्यय	0.88	0.88
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य परिचालन व्यय	0.66	0.57
आस्ति उपयोग अनुपात	0.99	1.59
कुल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	8.04	14.70
निवल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	23.75	36.41
निवल आय अनुपात पर लागत	55.72	47.67

कारोबार पहल:

- इकॉनॉमिक टाइम्स द्वारा पीएसयू वर्ग में बैंक ऑफ़ इंडिया को दूसरा सबसे विश्वसनीय ब्रांड घोषित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आईडीआरबीटी बैंकिंग टेक्नालॉजी एक्सलेंस एवार्ड में बड़े बैंकों में आई.टी. इको सिस्टम प्रबंधन के लिए बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

- वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आईडीआरबीटी बैंकिंग टेक्नालॉजी एक्सलेंस एवार्ड में बड़े बैंकों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए बैंक ने सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार प्राप्त किया।
- सिंगापुर में सातवें सीएमओ एशिया एवार्ड में सर्वश्रेष्ठ आंतरिक पत्रिका के लिए हमारी आंतरिक पत्रिका ''तारांगण को सर्वश्रेष्ठ पत्रिका का पुरस्कार।
- भारत सरकार का राष्ट्रपति सम्मान ''राजभाषा कीर्ति पुरस्कार'' - ख क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय।

पूँजी

वर्ष के दौरान प्रति शेयर ₹ 110.89 के मूल्य पर 12,06,60,113 नये इक्विटी शेयर भारत सरकार को जारी कर बैंक ने रु.1338 करोड़ प्राप्त किये।

बैंक ने अधिमानी आधार पर इक्विटी शेयर के अभिदान के लिए शेयर आवेदन धन के मद में भारतीय जीवन बीमा से रु.221.92 करोड़ तथा भारत सरकार से से रु.1500 करोड़ भी प्राप्त किये।

वर्ष के दौरान बैंक ने रु.2500 करोड़ की अतिरिक्त राशि टियर 1 पूँजी बॉण्ड के माध्यम से तथा रु. 2500 करोड़ की राशि टियर 2 बॉण्ड के माध्यम से उगाही की। ये बॉण्ड स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं।

पूँजी पर्याप्तता

- बासेल III फ्रेमवर्क के अनुसार बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 12.14% है जो 10.25% की विनियामक आवश्यकताओं से ज्यादा है।
- पूँजी पर्याप्तता का विवरण इस प्रकार है (बासेल III) :-

(रु. करोड़ में)

विवरण	बासेल - III			
	31.03.2016		31.03.2017	
	राशिसीआरएआर (%)	सीआरएआर (%)	राशिसीआरएआर (%)	सीआरएआर (%)
सीईटी 1 पूँजी	27,385	7.97	24,857	7.17
अतिरिक्त टियर - 1 पूँजी	3,662	1.06	6,009	1.73
टियर - 1 पूँजी	31,047	9.03	30,866	8.90
टियर - 2 पूँजी	10,242	2.98	11,216	3.24
कुल पूँजी	41,289	12.01	42,082	12.14
जोखिम भारित आस्तियाँ	3,43,754		3,46,611	

निदेशक जिम्मेदारी बयान

निदेशक पुष्टि करते हैं कि मार्च 31, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को तैयार करने में;

1) लागू लेखा मानकों का पालन किया गया और महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो तो उसके लिए उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

2) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई लेखांकन नीति का सदैव पालन किया जाता है। उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति के संबंध में तथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि खाते के बारे में सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;

3) बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उन्हें रोकने के लिए भारत में कार्यरत बैंकों पर लागू कानूनों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रखरखाव के लिए उचित एवं उपयुक्त सावधानी रखी जाती है;

4) वार्षिक लेखा, निरन्तरता के आधार पर तैयार किए गए हैं;

5) बैंक द्वारा अनुसरण की जानेवाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया गया है और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से परिचालन में हैं;

6) समस्त लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था बनायी गयी है और यह कि ऐसी व्यवस्था पर्याप्त है और प्रभावी रूप से परिचालन में है।

DIRECTOR'S REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the audited statement of accounts and the cash flow statement for the year ended 31st March 2017.

Performance:

Domestic Business:

- CASA deposits increased by 30.24% on Y-O-Y, SB deposits grew by 31.92% and CD by 20.86%. Share of low cost deposits (CASA), in domestic deposits improved from 34.18% as on 31-03-2016 to 39.84% as on 31.03.2017.
- Domestic deposits increased by 12.23% from ₹ 3,77,309 crore to ₹ 4,23,457 crore.
- Advances registered a growth of 6.38% from ₹ 2,68,579 crore to ₹ 2,85,725 crore.
- Priority Sector lending constituted 40.47% of Adjusted Net Bank Credit and the share of Agricultural Credit to Adjusted Net Bank Credit was 19.44%.
- Schematic Retail Credit grew by 10.63% from Rs 37,777 crore to Rs 41,793 crore.
- Overall, Domestic business has grown by 9.80% from ₹ 6,45,888 crore to ₹ 7,09,183 crore during FY 2016-17.

Overseas Business:

- Overseas business has de-grown by 9.70% during FY 2016-17 compared to last year de-growth of 2.87%.

Global Business:

- Global business has grown by 4.38% during FY 2016-17 compared to last year de-growth of 5.19%. Total Business mix (Deposits + Advances) reached at ₹ 9,33,820 crore, a growth of ₹ 39,153 crore.
- Total deposits increased by 5.27% to ₹ 5,40,032 crore.
- Advances increased by 3.18% to ₹ 3,93,788 crore.

Financial Parameters:

- Operating profit ₹ 9,733 crore and Net loss ₹ 1,558 crore.
- Capital Adequacy Ratio at 12.14% as against 10.25% prescribed by RBI (under Basel III).
- Net Worth at ₹ 19,907 crore, declined by (1.31%) over March 2016.
- Book value per share ₹ 188.62.
- Gross NPA ratio at 13.22% as on 31.03.2017.
- Net NPA ratio at 6.90% as on 31.03.2017.
- The Financial performance of the Bank for the year 2016-17 is summarised below:

(Amount in crore)

Particulars	2015-16	2016-17	Growth (%)
Net Interest Income	11,724	11,826	0.87
Non-Interest Income	3,653	6,772	85.38
Operating Expenses	9,341	8,866	-5.09
Operating Profit	6,036	9,733	61.25
Provisions / Contingencies	12,125	11,291	-6.88
Net Profit	-6089	-1558	74.41
Earnings per share (₹)	-83.01	-15.72	-81.06
Book Value per share (₹)	246.82	188.62	-23.58
Return on Equity (%)	-26.10	-7.78	
Return on Average Assets (%)	-0.94	-0.24	

Key Financial Ratios are presented below

(Percentage) (%)

Parameters	2015-16	2016-17
Yield on Advances	8.28	7.98
Yield on Investment	7.81	7.58
Yield on funds	6.87	6.41
Cost of Deposits	5.25	4.84
Cost of funds	4.95	4.48
Net Interest Margin	2.11	2.20
Non-Interest Income to Operating Expenses	39.10	76.38
Other Income to Average Working Fund	0.57	1.03
Operating Expenses to Average Working Fund	1.54	1.45
Staff Expenses to Average Working Fund	0.88	0.88
Other Operating Exp. to Average working Fund	0.66	0.57
Asset Utilization Ratio	0.99	1.59
Non-Interest Income to Total Income	8.04	14.70
Non-Interest Income to Net Income	23.75	36.41
Cost to Net Income Ratio	55.72	47.67

Business Initiatives:

- Bank of India has been ranked as the 2nd Most Trusted Bank in the PSU Bank category by Economic Times.
- Bank awarded as **Best Bank for Managing IT Ecosystem**

among Large Banks in IDRBT Banking Technology Excellence Awards for FY 2015-16

- Bank received **the Best Bank Award for Electronic Payments** among Large Banks from IDRBT Banking Technology Excellence Awards for FY 2015-16,
- In-house Magazine 'Taarangan' conferred with International award for Best In-house Magazine – 7th CMO Asia Award at Singapore.
- राजभाषा - गृहमंत्रालय भारत सरकार का राष्ट्रपति सम्मान - राजभाषा किर्ति प्रथम पुरस्कार - 'ख' क्षेत्र.

Capital

During the year Bank has reised ₹ 1338 crore by issue of 12,06,60,113 fresh equity shares to Government of India at the price ₹ 110.89 per share.

The Bank has also received ₹ 1500 crore from Government of India and ₹ 221.92 crore from Life Insurance Corporation of India towards share application money for subscription of equity share on preferential basis. The same is treated as CET-1 Capital for CRAR purpose on 31.03.2017 in accordance with RBI circulars.

During the year Bank has also received additional Tier-I capital Bonds for an amount of ₹ 2500 crore and Tier-II Bonds for an amount of ₹ 2500 crore. These bonds are listed on the stock Exchanges.

Capital Adequacy:

- As per Basel III framework, the Bank's Capital Adequacy Ratio was 12.14% which is higher than the regulatory requirement of 10.25%
- Details of Capital Adequacy (BASEL-III) are :

(₹ in crore)

Particulars	BASEL – III			
	31.03.2016		31.03.2017	
	Amount	CRAR (%)	Amount	CRAR (%)
CET 1 Capital	27,385	7.97	**24,857**	**7.17**
Additional Tier I Capital	3,662	1.06	**6,009**	**1.73**
Tier I Capital	31,047	9.03	**30,866**	**8.90**
Tier II Capital	10,242	2.98	**11,216**	**3.24**
Total Capital	41,289	12.01	**42,082**	**12.14**
Risk Weighted Assets	3,43,754		3,46,611	

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2017:

a) The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any,

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied. Reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for the year ended March 31, 2017,

c) Proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities,

d) Annual accounts have been prepared on a going concern basis,

e) Internal financial controls system to be followed by the Bank were laid down and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively,

f) Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

वैश्विक परिदृश्य

विकास की दृष्टि से वैश्विक अर्थव्यवस्था का मार्ग विषमता से भरा है। आर्थिक विकास के लिए अपनाई गई कार्यनीतियाँ भी विभिन्न प्रकार की है। उदाहरण के लिए यूएस ने हाल ही में संरक्षणात्मक विचार की नीति को अपनाया है जबकि अन्य विकासशील एवं उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने खुलेपन और अधिक व्यापक की नीति को स्वीकार किया है। वैश्विक परिदृश्य में दो प्रमुख गतिविधियां उल्लेखनीय रही हैं - यूएस में राष्ट्रपति का चुनाव एवं ब्रेक्सिट वोट। अपनी-अपनी विचारधारा के अनुरूप प्रमुख केन्द्रीय बैंकों की द्वारा अनुसरण की गई मौद्रिक एवं राज्यस्तरीय नीतियाँ भी अलग-अलग रहीं। यूएस फेडरल रिज़र्व ने 4.5% तक पहुँची बेरोजगारी दर के प्रतिक्रिया स्वरूप फेड फंड दर को 25 बीपीएस से और सख्त किया है। जबकि यूरोपियन यूनियन (ईयू) के बहुत कम विकास दर के चलते अभी भी दर में वृद्धि करने हेतु अनिच्छुक है और जापान अभी भी अपस्फिति की स्थिति में बना हुआ है। यूएस को छोड़कर, जिसने आगे भी दर बढ़ाने की अपनी इच्छा जाहिर की है, ज्यादातर केन्द्रीय बैंक, विस्तारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रहे हैं। विकास के मामले में चीन ने जनवरी-मार्च 2017 के दौरान 6.9% वृद्धि दर्ज की है और केलेंडर वर्ष 2017 में 6.5-7% की वृद्धि होना अनुमानित है।

घरेलू आर्थिक परिदृश्य

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा प्रस्तुत अनंतिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.1% वृद्धि होना अपेक्षित है (द्वितीय पूर्वनुमान के अनुरुप ही), परन्तु वह वित्त वर्ष 2016 में दर्ज 8% की तुलना में कम रहेगी। वित्त वर्ष 2017 में 11% वृद्धि के साथ सामान्य जीडीपी रु.151.84 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। आधारभूत कीमतों में जोड़ा गया सकल मूल्य (वास्तविक जीडीपी) वित्त वर्ष 2017 में 6.6% रहा, जो वित्त वर्ष 2016 के 7.9% की तुलना में कम है। आधार वर्ष 2011-12 के साथ औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) एवं थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यूपीआई) के संशोधित सूचकांक के प्रभाव को प्रग्रहण करने के कारण वित्त वर्ष 2016 के उच्चतर वृद्धि आंकड़े को आधार वर्ष में परिवर्तित किया गया है। इसी प्रकार त्रैमासिक जीडीपी के आंकड़े भी संशोधित हुए है। वित्त वर्ष 2017 की चौथी तिमाही में वृद्धि 6.1% रही।

2011-12 कीमतों पर क्षेत्रवार वृद्धि की प्रवृत्ति

विवरण	वित्त वर्ष 15#	वित्त वर्ष 16*	वित्त वर्ष 17$
जीडीपी	7.5	8.0	7.1
जोड़ा गया सकल मूल्य	6.9	7.9	6.6
कृषि	-0.3	0.7	4.9
खनन एवं उत्खनन	14.74	10.5	1.8
विनिर्माण	7.5	10.8	7.9
विद्युत, गैस जल आपूर्ति	7.2	5.0	7.2
संरचना निर्माण (कंस्ट्रक्शन)	3.0	5.0	1.7
व्यापार, होटल्स, परिवहन	8.6	10.5	7.8
वित्तीय सेवाएं, रियल इस्टेट, प्रोफेशनल सेवाएं	11.1	10.8	5.7
लोक प्रशासन, रक्षा	8.1	6.9	11.3

श्रोत: एमओएसपीआई; # द्वितीय परिशोधित अनुमान * प्रथम परिशोधित अनुमान $ अनन्तिम अनुमान

समष्टि अर्थव्यवस्था मानक (मैक्रोइकोनॉमिक पैरामीटर्स) सुदृढ़ स्थिति में हैं : एफडीआई आगमन रिकॉर्ड $ 43 बिलियन है, करंट एकाउंट डेफिसिट 1.5% से थोड़ा कम है और राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) को जीडीपी के 3.5% पर नियंत्रित कर रखा है तथा केन्द्र वं राज्यों में फिस्कल जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM) क्रियांवित किए गए हैं। सीपीआई मुद्रास्फीति 3% से कम है और तेल के गिरते दामों की वजह से यह 2% तक भी पहुँच सकता है। नवनिर्मित आधार वर्ष में 2.7% औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि-दर 2.7% रही जो कि पिछले वर्षों से अधिक है; फॉरेक्स रिज़र्व $ 370 बिलियन पर है जो एक कीर्तिमान है और एक वर्ष के आयात-कवर हेतु पर्याप्त है। विगत वर्षों की तुलना में ''कारोबार करनी की सुगमता'' और प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकों में निरंतर सुधार देखने को मिला है। रोजगार सृजन की दिशा में बड़ी चुनौतियाँ है। वार्षिक आधार पर रोजगार सृजन 1% प्रतिवर्ष है। उद्यमिता का वातावरण तैयार करने के लिए स्टार्टअप हेतु निधियों की निधि (एफ.ओ.एफ) सृजित की गयी है।

वस्तु एवं सेवा कर एक अन्य सुधार है जिसका अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव होगा। भारत में स्वीकृत दोहरे जीएसटी मॉडल में केन्द्र के द्वारा वसूली जानेवाली जीएसटी, जिसे सेन्ट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) कहा जायेगा, राज्य (केन्द्र शासित प्रदेशों सहित) द्वारा वसूली जानेवाली राज्य जीएसटी (सीजीएसटी) है तथा आंतर राज्य वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) होगी। जिन केन्द्र शासित प्रदेशों में विधान मण्डल नहीं है, वे यूटीजीएसटी वसूल सकते हैं। 1211 वस्तुओं तथा 36 बड़ी श्रेणियों की सेवाओं के लिए जीएसटी की दरें तय कर दी गयी हैं। लगभग 50 प्रतिशत वस्तुएं 18% कर दर के अंदर, 14% वस्तुएं 5% कर दर के अंदर, 17% वस्तुएं 12% कर दर के अंदर तथा 19% वस्तुएं 28% कर दर के अंतर्गत आती हैं। अत: जीएसटी अनेक स्तरों पर करों से बचने का लक्ष्य रखता है तथा साथ ही साथ केन्द्र एवं राज्यों के राजस्व को बढ़ाता है। जीएसटी के कारण जिन राज्यों को राजस्व की हानि होगी, उन्हें पाँच वर्ष की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति दी जायेगी ।

बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधि

नवीनतम आँकड़ों के अनुसार बैंक ऋण में 5.7% तथा जमा में 12.1% की वृद्धि दर्ज की गयी। इसके कारण बैंकिंग प्रणाली में अत्यधिक चलनिधि हो गयी। परन्तु पुराने रु.500 तथा रु.1000 के नोटों का विमुद्रीकरण, जमाओं में अत्यधिक बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण रहा। तथापि चल-निधि में अत्यधिक बढ़ोतरी के कारण पिछले एक वर्ष के दौरान बैंकों का एमसीएलआर 100-110 आधार बिन्दु तक कम हो गया। हालाँकि उद्योग को ऋण वृद्धि नकारात्मक रही है। सुस्त मांग के कारण औद्योगिक क्षमता में स्थिरता तथा बैंकों का आस्ति गुणवत्ता संकट से प्रभावित होना, इस प्रवृत्ति के प्रमुख कारण हैं। प्रमुख क्षेत्र जैसे इस्पात, ऊर्जा तथा वस्त्र अभी भी आगे नही बढ़ पा रहे है। जबकि दूरसंचार क्षेत्र नये जोखिम के स्रोत के रूप में सामने आया है। प्रणाली में सकल एन.पी.ए. ₹ 7 लाख करोड़ हो गया है। बैंकों की पूँजी आवश्यकताओं को कम करने के लिए गैर-स्थायी आस्तियों की बिक्री तथा पूँजी उगाही के अतिरिक्त बैंकिंग क्षेत्र में समेकन के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (ए.क्यू.बी.) के बाद आर.बी.आई. तथा सरकार ने कुछ न्यूनतम मानदण्डों को न पूरा करने वाले बैंकों की कड़ाईपूर्वक निगरानी के लिए त्वरित सुधार कार्रवाई (पीसीए) योजना आरंभ की है।

अभी हाल में समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान डिजीटल क्रान्ति की दिशा में अनेक परिवर्तन हुए हैं। इसने अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग उद्योग को पूरे तरह से प्रभावित किया है। यह विमुद्रीकरण की मुहिम के साथ हुआ है। इसका लक्ष्य यह है कि एक दशक के दौरान नगद रहित संव्यवहार को 10 प्रतिशत तक लाया जाय। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं जैसे एमडीआर शुल्क में छूट, रु.2 लाख से ऊपर कोई नकद भुगतान नहीं, नकद में रु.2000 से ऊपर चुनाव हेतु धन देने पर प्रतिबन्ध, चुनावी बॉण्ड जारी करना आदि। बैंकिंग क्षेत्र पर निश्चत रूप से ऐसे परिवर्तनों का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह आशा है कि ज्यादा ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग माध्यमों का प्रयोग करेंगे जिससे आगे आने वाले समय में शाखाओं में आने वाले ग्राहकों की संख्या कम होगी। डिजीटल क्रान्ति के बाद भुगतान बैंक तथा लघु वित्त बैंक बाजार का बड़ा हिस्सा अपने नियंत्रण में करने के लिए तैयार हैं। ऐसी परिस्थिति में पदाधिकारियों को कठोर श्रम करना चाहिए तथा प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए नये रास्ते निकलने चाहिए एवं अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करनी चाहिए।

बैंकिंग क्षेत्र के लिए अन्य प्रकार से भी डिजीटल क्रान्ति के निहितार्थ हैं। पिछले कुछ समय से फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) नया मंत्र है। अन्य प्रतिस्पर्धियों के साथ भुगतान बैंक तथा लघु बैंक, बैंकिंग उद्योग में कदम रख रहे हैं जो वर्तमान सार्वभौमिक बैंकिंग को कड़ी प्रतियोगिता दे रहे हैं। बैंक को तेजी से विदारी प्रौद्योगिकी (डिस्रप्टिव टेक्नालॉजी) अपनाने की आवश्यकता है तथा ज्ञानार्जन कर्व पर भी आगे रहना है। इसके अतिरिक्त बैंकों को ग्राहकों के व्यवहार का अध्ययन अवश्य करना चाहिए तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर जोखिम तथा धोखाधड़ी विश्लेषण जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में दक्षता और कौशल अवश्य विकसित करना चाहिए।

कारपोरेटों की सदा बढ़ने वाली धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को सुविकसित कारपोरेट बॉण्ड मार्केट चाहिए। नवीनतम आँकड़ा दिखाता है कि पाँच वर्षों की अवधि के दौरान पूँजी निर्माण की दर 32 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत हो गयी है। यद्यपि बैंकिंग उद्योग में एकीकरण कारपोरेट फंडिंग के वित्तपोषण हेतु आवश्यक आकार तथा मात्रा वाले बैंक सृजित करेगा परन्तु तब भी बैंक आस्ति एवं देयताओं के असंतुलन से ग्रस्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त अंतरण वित्तपोषण भारत में सफल नहीं हुई है। कारपोरेट फंडिंग आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से पूरा करने में ये चुनौतियाँ हैं।

विगत कुछ वर्षों में 5/25 योजना, एसडीआर योजना तथा एस4ए पहल कुछ नये कदम हैं। यद्यपि आस्ति गुणवत्ता मामलों को कम करने में इन कदमों की भूमिका सीमित रही है परन्तु फिर भी एक्यूआर कवायद के आरंभ होने के बाद इनके माध्यम से अनियमितताओं से मुकाबला करने में बैंकों को अधिक रास्ते प्राप्त हुए है। आस्ति गुणवत्ता समस्या को कम करने में सहायता देने के लिए भारत सरकार एन.पी.ए. अध्यादेश लायी है। यह व्यवस्था की गयी है कि जेएलएफ के निर्णय को लागू करने के लिए 60% ऋण दाताओं के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, जो पहले 75% थी। इससे निर्णय के कार्यान्वयन में कम समय लगेगा। दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड को तेजी से परिचालन में लाया जा रह है तथा बैंकरों के द्वारा दबावग्रस्त आस्तिओं के भयरहित समाधान में मदद करने के लिए विनियामक स्तर पर निगरानी समिति बनाई गयी है।

यदि अर्थव्यवस्था को 8% के वांछित दर से वृद्धि करनी है तो वित्तीय मध्यस्थता का कार्य कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए यह पूर्व आवश्यक है कि भारत में बैंक पर्याप्त रूप से सक्षम किये जायें।

इण्ड ए एस कार्यान्वयन के लिए रणनीति तथा उसकी प्रगति

भारत में बैंक वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों तथा 'भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों' (भारतीय जीएएपी) के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरणियाँ तैयार करता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड एएस) जारी किया है। यह संशोधित लेखांकन मानक है जो बहुत हद तक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) के समक्ष भारतीय लेखांकन मानक को स्थापित करता है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कार्यान्वयन के लिए इन लेखांकन मानकों (इण्ड ए एस) को स्वीकार किया है।

जनवरी 2016 में नई भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड एएस) के कार्यान्वयन के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने भविष्य के लिए योजना जारी की। 1 अप्रैल 2017 को आरंभ हुए वर्ष की तुलना के साथ 1 अप्रैल 2018 से भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड ए एस) का कार्यान्वयन बैंकिंग कंपनियों के लिए आरंभ होगा। भारतीय लेखांकन मानक इण्ड ए एस के अनुसार जून 2018 के बाद वर्ष-दर-वर्ष तुलना के रूप में वित्तीय वर्ष 2017-18 के वित्तीय आँकड़े प्रकाशित करने आवश्यक हैं। यह रोडमैप बैंक के अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम तथा सहायक कंपनियों के लिए भी लागू है।

तदनुसार बैंक ने इण्ड ए एस पर आधारित वित्तीय विवरणियाँ तैयार करना आरंभ किया है। बैंक के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल है वित्तीय लिखतों का लेखांकन, लेखांकन का समेकन, आस्थगित कर तथा प्रौद्योगिकी प्रणालियों का कार्यान्वयन। इनमें से वित्तीय आस्तियों का लेखांकन अनेक क्षेत्रों में भारतीय जीएएपी से अत्यधिक भिन्न है, जिसमें वर्गीकरण, उचित मूल्यांकन, संभावित क्रेडिट हानि, प्रभावी ब्याज दर लेखांकन तथा अस्वीकरण शामिल है। बैंक की इण्ड ए एस कार्यान्वयन परियोजना जीएएपी के अंतर का तकनीकी मूल्यांकन, लेखांकन नीति तथा विकल्पों का चयन, प्रणाली में परिवर्तन का मूल्यांकन एवं डाटा आवश्यकताएं, व्यापार प्रभाव विश्लेषण तथा नियमित प्रशिक्षणों तथा कार्यशालाओं के माध्यम से बैंक में कौशल के विकास पर भी ध्यान केन्द्रित करती है।

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक के द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं:

- जैसा कि आवश्यक था 30 सितंबर 2016 को समाप्त अर्ध वर्ष के लिए रिज़र्व बैंक को प्रोफार्मा इण्ड ए एस वित्तीय विवरणियों को जमा करना।
- इण्ड ए एस के कार्यान्वयन के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में स्टीयरिंग समिति बनाई है जिसमें विभिन्न कार्यशील विभागों के सदस्य हैं। समिति बैंक में इण्ड ए एस कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी करती है तथा इण्ड ए एस तकनीकी आवश्यकताओं, प्रणाली एवं प्रक्रियाओं, व्यापार प्रभाव, लोग तथा परियोजना प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण पक्षों के लिए मार्गदर्शन देती है। तिमाही आधार पर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को भी कार्यान्वयन स्थिति का अपडेट जमा किया जाता है।

कारोबारी समीक्षा

1. संसाधन संग्रहण:

वित्तीय वर्ष 2016-17 में बचत जमाओं में 32% तथा चालू जमाओं में 21% की वृद्धि हुई है। कासा जमाओं में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 31% की वृद्धि दर्ज की गयी है। एच.एन.आई. बचत सेगमेंट में 39% तथा चालू खाता जमा में 25% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गयी। मार्च 2017 में कासा अनुपात वर्ष-दर-वर्ष 34.18% से बढ़कर 39.84% हो गया। ₹ 1 करोड़ से कम खुदरा मीयादी जमा का हिस्सा वर्ष-दर-वर्ष 10.28% बढ़ा तथा यह कुल मीयादी जमाओं का 76% है।

2. अग्रिम :

बैंक का सकल अग्रिम 3.18% प्रतिशत की वृद्धि सहित 3,81,662 करोड़ से बढ़कर 3,93,788 करोड़ हो गया। सकल घरेलू ऋण 6.38% प्रतिशत

की वृद्धि से 31.03.2016 को 2,68,579 करोड़ से 31.03.2017 को 2,85,725 करोड़ हो गया। वर्तमान वर्ष के दौरान जोखिम को बाँटने के लिए बैंक ने उच्च प्रतिफल वाले रिटेल और एसएमई अग्रिम पर ध्यान केन्द्रित किया है। बैंक कॉरपोरेट/मिड कॉरपोरेट की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति 10 लार्ज कॉरपोरेट तथा 32 मिड कॉरपोरेट शाखाओं के माध्यम से करता है। रिटेल, एसएमई तथा कृषि क्षेत्र के अन्य ग्राहकों की आवश्यकताएँ 5,123 शाखाएं तथा विशेषज्ञ प्रसंस्करण केन्द्रों से पूरी की जाती हैं। बैंक के 29 विदेशी केन्द्र निर्यातकों तथा विदेशी ग्राहकों की आवश्यकताएँ पूरी करते हैं।

3. रिटेल :

वर्ष के दौरान आवास ऋण सेगमेन्ट ₹ 19,658 करोड़ से बढ़कर ₹ 22,248 करोड़ हो गया और उसमें 13.18% की वृद्धि दर्ज की गयी। 2015-2022 के दौरान कार्यान्वित किये जाने वाले ''सभी के लिए आवास (शहरी)'' मिशन पहल के अंतर्गत भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का आरंभ बैंक ने किया है। कम ब्याज दर, लम्बी चुकौती अवधि तथा लचीले चुकौती विकल्प वाले संपत्ति पर ऋण (एल.ए.पी.) पोर्टफोलियो की राशि ₹ 5054 करोड़ से ₹ 5881 करोड़ हो गयी। यह 16.36% की वृद्धि थी। शिक्षा ऋण क्षेत्र 4.04% की वृद्धि के साथ ₹ 3143 करोड़ से ₹ 3270 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गयी। पढ़ो परदेश योजना (विदेश में अध्ययन के लिए अल्प संख्यक वर्ग के छात्रों के लिए ब्याज सब्सिडी) के अंतर्गत भी वित्तपोषण किया गया। वाहन ऋण क्षेत्र में भी 21.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। यह वर्ष के दौरान ₹ 2892 करोड़ से बढ़कर ₹ 3504 करोड़ हो गयी। बैंक ने मारूति-सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुन्डई मोटर्स तथा महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा के साथ तालमेल किया है। बैंक तालमेल करके पीएसयू/पीएसई/प्रतिष्ठित कॉरपोरेट के कर्मचारियों को व्यक्तिगत ऋण देता है ताकि ऋण की वसूली में सरलता हो सके।

4. लघु एवं मध्यम उद्यम :

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान एमएसएमई ऋण ₹ 51,083 करोड़ रहा तथा इस क्षेत्र ने वर्षानुवर्ष 4 प्रतिशत का विकास दर्ज किया। एमएसई विनिर्माण क्षेत्र ₹ 19,939 करोड़ से घटकर ₹ 19,736 करोड़ हो गया। सेवा क्षेत्र बढ़कर ₹ 2,037 करोड़ हो गया। इन दोनों क्षेत्रों ने क्रमश: 7.20 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की। अतिलघु क्षेत्र की हिस्सेदारी 42.73% तक बढ गई । 2016-17 के दौरान सूक्ष्म क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत नये खातों में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जो 10% के अनिवार्य लक्ष्य के समक्ष है।

₹ 2,693.62 करोड़ के एक्सपोज़र के साथ सीजीटीएमएसई के अंतर्गत बैंक ने 42,849 नये खाते तथा ₹ 4,895 करोड़ के एक्सपोज़र के साथ पीएमएमवाई के अंतर्गत 2,24,703 खाते जोड़े। 4,087 लाभार्थियों को स्टैंड अप इंडिया ऋण दिया गया।

5. कृषि वित्त :

प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम:

बैंक अपने ग्रामीण तथा अर्ध शहरी शाखाओं एवं 43 ग्रामीण सीपीसी के नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिक तथा कृषि क्षेत्र की सेवा कर रहा है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ने ₹ 1,13,027 करोड़ का बकाया ऋण स्तर दर्ज किया है जिसमें कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 54,302 करोड़, एसएमई क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 42,768 करोड़, शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 3,188 करोड़, आवास क्षेत्र के अंतर्गत ₹ 11,584 करोड़ तथा ग्रामीण संरचना विकास निधि (आर. आई.डी.एफ.) सहित अन्य क्षेत्रों में ₹ 118 करोड़ है। कृषि ऋण योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान बैंक की शाखाओं ने ₹ 25,337 करोड़ संवितरित किया। ऋण के लचीले उपयोग के लिए बैंक ने ₹ 2823.60 करोड़ की ऋण सीमा के साथ 2,38,248 के.सी.सी. खाते खोले। बैंक विभेदक ब्याज (डी. आर.आई.) दर के अंतर्गत निम्न आय वर्ग को 4% की ब्याज दर पर वित्तीय सहायता देता है। वर्ष के दौरान डी.आर.आई. योजना के अंतर्गत 292 मामले स्वीकृत किये गये हैं जिसमें ₹ 1.93 करोड़ शामिल है। मार्च 2017 में अल्प संख्यक समुदाय का ऋण एक्सपोज़र ₹ 14,717.25 करोड़ है। कृषि के मशीनीकरण क्षेत्र में वर्ष के दौरान कुल ऋण 4776 खातों में ₹ 143.56 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान खाद्य एवं एग्रो उद्योग तथा चावल एवं दाल मिल, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, मछली प्रसंस्करण, दूध एवं दूध उत्पादों और खाद्यान्न क्षेत्र को बैंक का वित्तपोषण ₹ 510.57 करोड़ रहा।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.): गाँव के गरीबों के लिए गरीबी को दूर करने हेतु यह एक महत्वपूर्ण योजना है। वर्ष के दौरान बैंक ने 9946 उधारकर्ताओं को ₹ 162.21 करोड़ संवितरित किया।

स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.): वर्ष 2017 के दौरान बैंक का 2,57,099 स्वयं सहायता समूहों का ग्राहक आधार है जिसमें 83,261 स्वयं सहायता समूह ऋण से जुड़े हुए हैं तथा इसके अंतर्गत 48,464 महिला स्वयं सहायता समूह हैं। एस.एच.जी. की निगरानी के लिए ऑफसाइट संव्यवहार, वित्तीय तथा डाटा डिजीटलीकरण हेतु बैंक ने दोहरी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व्यवस्था आरम्भ की है। पांच राज्यों यथा झारखंड (15), महाराष्ट्र (14), मध्य प्रदेश (13), उत्तर प्रदेश (7) तथा ओडिशा (2) के 51 जिलों में बैंक के पास अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है। बैंक के पास झारखंड राज्य में एसएलबीसी ''अग्रणी बैंक संयोजक'' की जिम्मेदारी है।

6. वित्तीय समावेशन :

बैंक यह मानता है कि वित्तीय समावेशन के माध्यम से व्यवसाय करना व्यावहारिक है तथा इस दिशा में बैंक ने अपना दृष्टिकोण ''सीएसआर'' से ''आर्थिक व्यवहार्यता'' की ओर मोड़ दिया है। न्यूनतम लागत पर संव्यवहार को संभव बनाने हेतु सहयोग देने एवं सुरक्षित बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र को आई.सी.टी. पर आधारित समाधान की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) से वित्तीय समावेशन अभियान को गति प्राप्त हुई है। व्यापार संपर्की मॉडल के नेतृत्व में आई.सी.टी. के माध्यम से उन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ने ये सेवाएं दी हैं जहाँ बैंकिंग सेवाएं नहीं हैं।

स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी): बैंक झारखंड, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में 42 आरसेटी परिचालित कर रहा है। वर्ष के दौरान आरसेटी ने 5168 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये तथा 91956 अभ्यर्थियों के क्रेडिट लिंकेज के साथ 145411 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि लाभकारी रोजगार के लिए उनकी मदद की जा सके।

वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श केन्द्र (एफ.एल.सीसी.): भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी केन्द्रों में उन जिला स्थानों पर एफएलसीसी/एफएलसी स्थापित किया है जहाँ बैंक के पास अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है। बैंक की 51 एफ.एल.सी. सभी 51 जिलों में कार्यरत हैं। प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त एफएलसी मामला-दर-मामला आधार पर दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए उपचारात्मक परामर्श तथा मीडिया, कार्यशाला एवं संगोष्ठी के माध्यम से निवारक परामर्श भी देते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: बैंक ने आर्यवर्त ग्रामीण बैंक (उत्तर प्रदेश), नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक - एन.जे.जी.बी. (मध्य प्रदेश), विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक - वी.के.जी.बी. (महाराष्ट्र) तथा झारखंड ग्रामीण बैंक - जे.जी.बी. (झारखंड)

को प्रायोजित किया है। सभी आर.आर.बी. लाभ अर्जित कर रहे हैं तथा ग्रामीण बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय सीबीएस प्लेटफार्म पर हैं। आर.आर.बी. से आर.टी.जी.एस., एन.ई.एफ.टी. आदि किया जा सकता है तथा ये एटीएम प्लेटफार्म पर हैं। ये 1663 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 61 जिलों को कवर करते हैं। उनका कुल कारोबार मिश्र ₹ 45,772 करोड़ है।

7. अंतरराष्ट्रीय :

सभी समय मंडलों के 22 देशों में बैंक की 29 शाखाएं, 04 प्रतिनिधि कार्यालय, 05 अनुषंगी तथा 01 सहयोगी/संयुक्त उद्यम फैले हुए हैं। बैंक के वैश्विक कारोबार तथा लाभ में विदेशी परिचालन का अंश 31.03.2017 को 24% रहा है। एसईईपीजेड तथा अहमदाबाद शाखा में बुलियन बैंकिंग व्यापार किया गया तथा बाद में अन्य शाखाओं को भी इस कार्य में शामिल किया गया। बैंक की 09 शाखाएं बुलियन कारोबार करने के लिए प्राधिकृत हैं। घरेलू जौहरियों तथा निर्यात करने वाले जौहरियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परेषण आधार पर सोना खरीदा जाता है।

विदेशों में बैंक की अनुषंगियां एवं सहायक कंपनियां:

1. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया (इंडोनेशिया) टीबीके
2. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लिमिटेड
3. बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि.
4. बैंक ऑफ़ इंडिया (बोतस्वाना) लि.
5. बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.
6. इंडो ज़ाम्बिया बैंक लि. (आईजेडबी)

विदेशी व्यापार :

निर्यातकर्ताओं तथा आयातकर्ताओं का व्यापार वित्तपोषण तथा विदेशी विनिमय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना बैंक का प्रमुख एवं प्राथमिक क्षेत्र है। पूरे भारत में बैंक की 217 ऑथराइज्ड डीलर (ए.डी.) शाखाएं हैं। ये शाखाएं विदेशी विनिमय व्यापार संभालती हैं तथा निर्यातकर्ताओं एवं आयातकर्ताओं की आवश्यकता को पूरा करती हैं। पूरे विश्व में 200 बैंकों के साथ बैंक का संपर्की बैंकिंग संबंध भी है। आवक धन-प्रेषण में सहायता के लिए खाड़ी के निजी विनिमय प्रतिष्ठानों के साथ बैंक की रुपया आधारित आहरण व्यवस्था है।

8. ऋण निगरानी :

ऋण आस्ति में बैंक के एक्सपोजर की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षा, क्रेड़िट एक्सपोजर लेते समय चिन्हित और स्वीकृत किए गए जोखिमों पर निर्भर है। मजबूत आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने हेतु ऋण निगरानी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विभिन्न स्तरों पर खातों की निगरानी करने के उपाय और सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। प्रारंभिक संकेतों के आधार पर दबावग्रस्त खातों में रेड फ्लैगिंग करने हेतु और फॉरेन्सिक ऑडिट करवाने और सुधारात्मक उपाय करने हेतु सिस्टम स्थापित किए गए हैं। क्रेडिट प्रोसेस ऑडिट और स्टॉक और रिसीवेबल का निश्चित अवधि के अंदर ऑडिट सुनिश्चित किया जाता है। क्विक मोर्टेलिटी डीफॉल्ट के लिए गंभीर विश्लेषण किया जाता है और इनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उच्च मूल्य खातों की और रियल टाइम आधार पर निगरानी के लिए बॉरोअर हेल्थ प्रोफाइल (बीएचपी) सिस्टम लाया गया।

9. एनपीए प्रबंधन :

बैंक ने एनपीए और बट्टे खाते डाले गये खातों में वसूली के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यनीतियों को आत्मसात करते हुए और आस्ति वसूली शाखाओं की शुरूआत करके तथा जमीनी स्तर पर स्टॉफ के साथ मिलकर काम करके लगातार अथक प्रयास किये हैं। किये गये प्रयासों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित कार्यनीतियों में से कुछ के माध्यम से वसूली में सुधार आया है :

अस्थाई नकदी प्रवाह असंतुलन से एनपीए हुए खातों को कम से कम समय में अपग्रेड करने के उद्देश्य से उनमें परिचालन रोकना; कुल अतिदेय की वसूली के पश्चात पूरे खाते का अपग्रेडेशन करना, उस खाते की पुर्नरचना करना जिसे दीर्घावधि सहयोग की आवश्यकता हो, 5/25 के अंतर्गत नये उपाय, दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एस4ए, बैंक के लाभ व हानि खाते में सकारात्मक प्रभाव वाले खातों मे ओटीएस, तुरन्त सरफेसी (SARFAESI) एक्ट के प्रावधान लागू करना; मुकदमा दायर करना और 'वैकेशन ऑफ स्टे' के लिए प्रयास (follow) करना, और डीआरटी के जरिए जल्दी-जल्दी निपटान के लिए, उन सभी पात्र मामलों में उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता घोषित करना जहाँ इदारतन चूक के स्पष्ट मामले हों। प्रक्रिया को और तेज बनाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विशाल ई-नीलामी करना, राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेना विभिन्न स्तरों पर सफ़ल रहा। जिन मामलों में मुकदमा/डिक्री फाइल कर दिया गया है अब उनकी ऑनलाइन निगरानी की जाती है। बैंक स्तर पर आयोजित की गई उन जेएलएफ़ बैठकों में अग्रसक्रिय रूप से भाग लिया जाता है जहाँ बैंक अग्रणी बैंक है या सहायता संघ (consortium) का सदस्य है।

10. ट्रेज़री :

विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) कारोबार : वर्ष 2016-17 के दौरान, व्यापार बैंक और अंतर बैंक का कुल कारोबार क्रमश: ₹ 1.28 लाख करोड़ और ₹ 24.24 लाख करोड़ था। वर्ष के दौरान बैंक के फोरेक्स कारोबार का कुल समेकित टर्नओवर ₹ 25.52 लाख करोड़ था।

ट्रेज़री परिचालन व निवेश: बैंक ने 2016-17 के दौरान बाज़ार-निधियों, विदेशी मुद्रा और बोण्ड्स के सभी क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका अदा करना जारी रखा, ब्याज आय और बाज़ार जोखिम के मध्य संतुलन बनाये रखकर बैंक ने निवेश का उच्चतर स्तर बनाये रखा। रेपो/सीबीएलओ विण्डोज़ से उधार लेने हेतु अतिरिक्त एसएलआर का उपयोग करने के लिए बैंक ने समय-समय पर एसएलआर निवेशों को विनियामक आवश्यकता के 20.50% से अधिक पर बनाये रखा। सकल एसएलआर निवेश ₹ 1,10,951 करोड़ (कुल निवेश का 88.90%) था और गैर-एसएलआर निवेश ₹ 13,857 करोड़ (कुल निवेश का 11.10%) रहा। निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति के अनुसार किये जाते हैं और बाज़ार में होने वाले बदलावों/विनियामक आवश्यकताओं से तालमेल बनाए रखने हेतु समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है।

11. सूचना प्राद्योगिकी:

ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए बैंक ने आई.टी. उत्पाद और सेवाओं की शुरूआत की है, निम्नलिखित के परिचालन का डिजिटीकरण और सरलीकरण किया है:

- इंटरनेट बैंकिंग : इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से फॉर्म 15जी/15एच प्रस्तुत करना, जमा और ऋण खातों के लिए ब्याज प्रमाण-पत्र उत्पादित करना, आय घोषित करने की योजना आरंभ (हेंत) करना, ऑनलाइन सावधि जमा पॉलिसी और नये यूज़र की नामांकन प्रक्रिया में सुधार करना।

- कॉरपोरेट वेबसाइट पर नये मॉड्यूल - वेबसाइट से प्रीपेड कार्ड की शेष राशि की पूछताछ (Balance Enquiry) की सुविधा आरंभ करना, पीओएस/एटीएम के असफल होने पर रिफंड के लिए ऑनलाइन अनुरोध स्वीकार करने की सुविधा की शुरूआत, ई-कॉमर्स लेन-देन के लिए रिफंड का अनुरोध शुरू करना, एमएसएमई - I और II के लिए ₹ 25 करोड़ तक के आवेदन जमा और स्वीकार करने हेतु अप्लिकेशन।
- निधि अंतरण और यूटिलिटी बिल भुगतानों के लिए स्मार्ट फोन आधारित अप्लिकेशन।
- निधि अंतरण और यूटिलिटी बिल भुगतानों के लिए स्मार्ट फोन आधारित अप्लिकेशन "Chillr" का शुभारंभ।
- ग्राहकों के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम ऐप का कार्यान्वयन।
- स्टार टोकन एनजी में रिचार्ज मॉड्यूल की शुरूआत - यह बैंक के ग्राहकों को मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज की सुविधा प्रदान करता है।

12. जोखिम प्रबंधन :

जोखिम तथा नियंत्रण :

बैंक ने एकल और समेकित आधार पर संगत जोखिमों का अनवरत मूल्यांकन सुनिश्चित करने हेतु तंत्र स्थापित किए हैं। जोखिम प्रबंधन बोर्ड द्वारा संचालित कार्य है, जिसमें उच्चतम स्तर पर बोर्ड की एक जोखिम प्रबंधन समिति होती है जिसको विभिन्न जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए उच्च कार्यपालकों की परिचालन स्तर की समितियों से सहयोग प्राप्त होता है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण शामिल है। ये प्रक्रियाएं यथा, उद्यम क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालन जोखिम प्रबंधन, मार्केट जोखिम प्रबंधन, व्युत्पन्न, एएलएम, विदेशी मुद्रा और डीलिंग रूम परिचालन नीतियों के अंतर्गत समाविष्ट है। सभी कार्यों और उत्पादों में परिचालन जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी व संभावित खतरे को कम करने का काम परिचालन स्तर की जोखिम समितियों और कार्यबलों के द्वारा उनके विस्तृत विश्लेषण और जाँच के जरिए किया जा सकता है। चिह्नित जोखिमों के मूल्यांकन/मापन के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं वाले यंत्रों व प्रणालियों, नये बेसिल आधारित क्रेडिट रेटिंग मॉडल, क्रेडिट लेखा परीक्षा, बाजार जोखिम हेतु VAR मॉडल, परिचालन जोखिम के मुख्य जोखिम सूचकों की निगरानी में साथ-साथ स्वंय मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रस्तावित किया गया है।

31.03.2008 से प्रभावी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने ऋण और बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण और परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण के आधार पर नये पूंजी प्रर्याप्तता ढाँचे (बेसिल II) के अंतर्गत पूंजी प्रर्याप्तता की गणना करना आरंभ कर दिया है। बैंक विभिन्न जोखिमों, इसकी जोखिम वहन करने की क्षमता की सीमा और जोखिमों व जोखिम वहन क्षमता के संबंध में आतंरिक पूंजी के समुचित स्तर के मूल्यांकन/मापन, के लिए वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी प्रर्याप्तता (मूल्यांकन) प्रक्रिया (ICAAP) संपन्न करता है। अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में भी बैंक को संभावित प्रभाव के बारे में बेहतर जानकारी उपलब्ध करके जोखिम मूल्यांकन को और बेहतर बनाने के लिए स्ट्रेस परीक्षा प्रक्रिया मौजूद है।

बैंक के बढ़ते हुए कारोबार को देखते हुए आंतरिक नियंत्रकों को सुदृढ़ बनाकर बैंक के ब्रैन्ड, साख और आस्तियों की सुरक्षा हेतु साइबर सुरक्षा खतरों से बचना बैंक के सूचना जोखिम प्रबंधन सिस्टम का स्पष्ट उद्देश्य है। बैंक ने तत्काल सूचना सुरक्षा प्रयासों/घटनाओं/वारदातों की 24x7 निगरानी के लिए विभिन्न सूचना सुरक्षा परियोजनाएं आरंभ की हैं। बैंक अपने ग्राहकों और खाता धारकों से संबंधित डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर सतर्क है और इसे साइबर हमले से सुरक्षित करने का अत्यधिक ध्यान रखता है। बैंक ने विपरीत परिस्थितियों में अनवरत सेवाएं उपलब्ध करने के लिए एक तर्कसंगत लचीलापन विकसित किया है। बैंक ने डेटा सेंटर में आबद्ध (captive) सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित किया है। बैंक आईएसओ 27001 (आईएसएमएस) और आईएसओ 22301 प्रमाणपत्र धारक है और PCI – DSSV3 प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। अन्य उन्नत सुरक्षा यंत्रों जैसे विशेषाधिकार (privilege) यूजर प्रबंधन, डेटाबेस गतिविधि निगरानी को क्रियान्वित कर दिया गया है। सुरक्षा उपाय, जैसे कि एन्टी - एपीटी और एन्टी - DDoS यंत्रों के संस्थापन (installation) की प्रक्रिया जारी है। सभी संवेदनशील अनुप्रयोगों (Applications) और सेवाओं के लिए नियमित जोखिम व भेद्यता (vulnerability) मूल्यांकन प्रक्रिया समयबद्ध उपचारात्मक गतिविधियों सहित पूरी की जाती है ।

13. वैकल्पिक डिलिवरी चैनल:

बैंकिंग उद्योग तेजी से बढ़ने वाला बन गया है। नोटबंदी के बाद के समय में कम नकदी वाले समाज की ओर बढ़ने की जरूरत है और इसलिए डिजिटलाइजेशन पर विशेष जोर है। बैंक ऑफ़ इंडिया न केवल विभिन्न डिजिटल उत्पाद जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भुगतान एवं स्वाइप करने के सभी प्रकार के पीओएस, क्लिक एंड पे, टच एंड पे, इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग के वितरण में शानदार निष्पादन के लिए प्रतिबद्ध है बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि इन उत्पादों को सक्रिय किया जाए और उपयोग किया जाए। बैंक ऑफ़ इंडिया ने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए यूपीआई/भीम, भारत क्यूआर एवं आधार-पे को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। पीओएस का वितरण भी बढ़ा है और वे 5000 से बढ़कर दिनांक 31/3/2017 को 17793 हो गए हैं। नोटबंदी से पहले सक्रिय डेबिट कार्ड जहां केवल 18% थे वे बढ़कर 37% हो गए जो डिजिटलाइजेशन की दिशा में हमारी तेज गति को दर्शाता है। बैंक ने कार्डों के लिए बीओआई स्टार लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू किया है। बैंकिंग उद्योग में अधिग्राहक के रूप में भारत क्यूआर शुरू करने में हम सर्वप्रथम हैं। कार्ड प्रयोक्ताओं को कपटपूर्ण लेनदेन से बचाने के लिए हमने एक अलग ही एफआरएम समाधान शुरू किया है जो क्रेडिट एवं डेबिट दोनों कार्डों के लिए है। बैंक ने धनराशि के सहज अंतरण और विभिन्न सेवाओं के भुगतान हेतु ''चिल्लर'' मोबाइल एप शुरू किया है। बैंक ने पीओएस की उपयोगिता बढ़ाने हेतु गतिशील मुद्रा परिवर्तन के लिए कोब्रांडेड प्रीपेड कार्ड शुरू किए हैं और पूरे भारत में 89 डिजिटल गाँव बनाने हेतु पहल की है।

14. संव्यवहार बैंकिंग :

डिजिटल बैंकिंग के जरिए ग्राहकों, विशेष रूप से लार्ज कॉरपोरेट, सरकारी संगठन और उच्च निवल मालियत वाले व्यक्तियों के "नकदीप्रवाह" का प्रबंधन करके थोक आय और फ्लोट सृजित करने के लिए बैंक ने एक अलग संव्यवहार बैंकिंग विभाग स्थापित किया है। स्टार नकदी प्रबंधन सेवा (सीएमएस) हब में चेक वसूली, पीडीसी वसूली और प्रत्यक्ष ऋण अधिदेश, अन्य सेवायें जैसे नकदी प्रबंधन सेवायें (घर-घर बैंकिंग), ऑनलाइन शेयर व्यापार - (1 में 3 खाते, (1 में 3 खाते, ASBA व SYND-ASBA), पेमेंट गेटवेज़, एनपीसीआई प्लैटफॉर्म पर NACH क्रियाकलाप और स्टार चैनल वित्त का परिचालन शामिल हैं। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान विभाग ने ₹ 31.73 करोड़ की आय सृजित की है।

15. थर्ड पार्टी उत्पाद :

जीवन बीमा :

बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए बैंक की संयुक्त उद्यम जीवन बीमा कंपनी, स्टार यूनियन दाई-इचि जीवन बीमा कं.लि. के साथ अपना कॉरपोरेट एजेंसी समझौता जारी रखा है। जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए बैंक के पास शाखाओं में 5700 आईआरडीएआई अर्हता प्राप्त विशेषज्ञ व्यक्ति उपलब्ध हैं। बैंक, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत अपने रिटेल, आवास और शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं को कम प्रीमियम पर वैकल्पिक जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। बैंक अपने एसबी/सीडी ग्राहकों को ₹ 1 लाख से ₹ 5 लाख तक की बीमाकृत राशि के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर सुड-लाइफ (SUD-Life) ग्रुप सावधि बीमा पॉलिसी भी प्रदान करता है। बैंक ने ₹ 738 करोड़ का प्रीमियम संग्रहित किया, इस प्रकार ₹ 70.13 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की। बैंक ने स्टार हेल्थ एण्ड एलाइड एश्योनेंस कं. लि. के साथ समझौते के माध्यम से ₹ 0.46 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की ।

सामान्य बीमा - नॉन-लाइफ :

गैर जीवन बीमा उत्पादों की बीमा सुरक्षा के लिए बैंक का नेशनल इन्शोरेंस कं.लि. (एनआईसीएल) के साथ भी कॉरपोरेट एजेंसी समझौता है। बैंक ने स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा श्रेणी के अंतर्गत स्टार हेल्थ एंड एलाइड अस्योरेंस कं.लि. तथा रिलायंस जनरल अस्योरेंस कंपनी लि. के साथ समझौता किया है। बैंक का को-ब्रैण्ड्ड स्वास्थ्य बीमा उत्पाद - बीओआई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, एक फैमिली फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा है जो कम प्रीमियम पर बैंक ऑफ़ इंडिया खाता धारकों के लिए उपलब्ध है। बैंक द्वारा सामान्य बीमा कारोबार से संग्रहित प्रीमियम ₹ 203 करोड़ था जिससे ₹ 21.31 करोड़ का कमीशन अर्जित किया गया।

म्यूचुअल फंड उत्पाद :

बैंक हमारे ग्राहकों की सभी वित्तीय जरूरतों के लिए हमारे बैंक की अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी BOI-AXA म्यूचुअल फंड के साथ-साथ 10 आस्ति प्रबंधन कंपनियों के विभिन्न म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए लागतार एक बिक्री केन्द्र का कार्य कर रहा है। बैंक ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान म्यूचुअल फंड कारोबार से ₹ 5.36 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है।

16. बाजार व जनसंपर्क :

बैंक की छवि की दृश्यता को बढ़ाने के लिए बैंक का जनसंपर्क और जन संबंध विभाग मल्टी मीडिया कारपोरेट अभियान का कार्यान्वयन करता है और देश भर में बैंक के विभिन्न उत्पादों का प्रचार-प्रसार करता है। मीडिया संबंधी योजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में बैंक की टैग लाइन और थीम "रिश्तों की जमापूँजी" को पूर्ववत ही रखा गया है। रेडियो चैनलों और डिजिटल माध्यमों से बैंक के उत्पादों का प्रचार-प्रसार जोरदार ढंग से किया गया है। प्रिंट मीडिया में बडे राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और विभिन्न प्रमुख पत्रिकाओं तथा OOH गतिविधियों यथा होर्डिंग/बिल बोर्ड/गैट्रीज के जरिए बैंक के उत्पादों का प्रचार किया जाता है।

17. कारोबार प्रक्रिया पुन-र्विन्यास :

बीपीआर विभाग ने बैंक में मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ चेंज मैनेजमेंट के अन्य पहलुओं में सुधार लाने के लिए कार्य किया है। उठाये गये कदम निम्नानुसार हैं :-

स्टार परामर्श :

परिचालन और कारोबार प्रगति में बेहतरी के लिए कर्मचारियों को अपने विचार साझा करने हेतु विकसित संरचित स्टाफ परामर्श योजना "स्टार परामर्शह्न नाम से आरंभ की गई। प्राप्त सुझावों की फंक्शनल विभागों के साथ जांच की जाती है तथा उनके साथ मिलकर इनका विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात उनका क्रियान्वयन हेतु चयन किया जाता है।

उत्पाद चैंपियन्स :

''प्रोडक्ट चैंपियन्स'' वे उत्पाद हैं जिन्हें मौजूदा उत्पादों और सेवाओं में सुधार लाने तथा बाजार प्रचलन और ग्राहकों की मांग के अनुरूप नये उत्पादों/सेवाओं के विकास के लिए परिष्कृत करने हेतु चुना गया है। विदेशी वित्त कारोबार/व्यापार वित्तपोषण हेतु ऑनलाइन ट्रेड फिनान्सिंग सिस्टम (टीएफ ऑनलाइन) मोबाइल वॅलैट एप - बीओआई पे, ई रिटेलर्स और ई-स्टेटमेंट के आपूर्तिकर्ताओं के वित्तपोषण हेतु ई-स्मार्ट फिनैंस प्रक्रियाधीन हैं।

गो-ग्रीन पहल:

वह प्लैटफॉर्म जो सभी बैंकों के आईटी और वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों को एक साथ लाता है और ग्राहकों तक कहीं भी कभी भी बैंकिंग की सुविधा पहुंचाता है, का उपयोग करते हुए विभाग ने वर्ष के दौरान ई-स्टेटमेंट की एक सुरक्षित प्रणाली विकसित की है। इससे ग्राहकों को बार-बार शाखा में आने-जाने से मुक्ति मिलती है।

खातों को केंद्रीकृत रूप से खोलना:

यह पहल खाते खोलने, सी-केवाईसी (केंद्रीकृत केवाईसी) के लिए नए खातों के केंद्रीकृत सत्यापन हेतु है तथा यूसीआईसी (UCIC) ने मुंबई क्षेत्राधिकार में एनबीजी (पश्चिम-I) में प्रायोगिक परियोजना निर्धारत की है।

18. निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा :

बैंक के पास जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, जोखिम आधारित प्रबंधन लेखापरीक्षा (घरेलू), संगामी लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा तथा विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा पर बोर्ड अनुमोदित नीति है। इन नीतियों को, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन करने तथा आरबीआई एएफआई रिपोर्ट में उल्लिखित क्षेत्रों को कवर करने तथा साथ ही बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के निर्देशों के अनुसार समीक्षा/संशोधित किया गया। 2016-17 के दौरान, विभाग ने 3,246 शाखाओं की लेखापरीक्षा आयोजित की। संगामी लेखापरीक्षा ने एफसीए द्वारा 728 शाखाओं, ट्रेजरी शाखा, डाटा सेंटर तथा प्रधान कार्यालय के विभागों को कवर किया तथा बैंक के आंतरिक अधिकारियों द्वारा 29 विदेशी शाखाओं को कवर किया गया। संगामी लेखापरीक्षकों ने 63.42% की वैश्विक जमा तथा 82.56% की वैश्विक अग्रिम को कवर किया।

बैंक ने अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु समय-समय पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

- उच्च जोखिम तथा अधिक रेटिंग वाली शाखाओं में विवेकाधीन लेखापरीक्षा आयोजित की गई।
- लेखापरीक्षाधीन शाखाओं में निवारक सतर्कता उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन।
- आयात संव्यवहारों/निर्यात अग्रिम विप्रेषण से संबंधित संव्यवहारों की जांच/सत्यापन के लिए चयनित प्राधिकृत डीलर शाखाओं की विशेष लेखापरीक्षा।

- बैंक के आंतरिक सूचना सिस्टम लेखापरीक्षकों द्वारा डाटा सेंटर तथा आपदा रिकवरी साइट की आईएस लेखापरीक्षा।
- ब्याज मानदंडों के सत्यापन, ब्याज प्रक्रिया को लागू करने तथा नमूना खातों में ब्याज की जाँच को सुनिश्चित करने हेतु डाटा सेंटर की संगामी लेखापरीक्षा।
- निर्देशों के अनुसार शीर्ष प्रबंधन, कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को सभी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की नियमित रिपोर्टिंग।

19. विधि एवं सूचना का अधिकार :

बैंक का विधि विभाग एक मददकर्ता के रूप में कार्य करता है तथा प्रधान कार्यालय तथा अंचल के कार्यात्मक विभागों से उभरे मामलों पर सलाह, प्रलेखीकरण, मुकदमों के लिए प्लेटफार्म प्रदान करता है। एनबीजी/अंचल, घरेलू शाखाओं/विदेशी शाखाओं तथा बैंक के अनुषंगियों के निर्दिष्ट मामलों के कार्य करने के साथ, यह विभाग विभिन्न संविदाओं के प्रलेखों का प्रारूपण/संवीक्षा/ सेवा स्तरीय करार (एसएलए), सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की खरीद, टाईअप व्यवस्थाएं/ नए उत्पाद, वित्त मंत्रालय, आरबाई, आईबीए की प्रश्नों का उत्तर देने, सांझे संचार मामलों पर राय तथा बैंक के विरूद्ध दावे से संबंधित मामलों पर भी कार्य करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदनों का अधिनियम के अनुरूप उत्तर दिया जाता है। अंचलों/एनबीजी में केंद्रीय जनसूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। उपमहाप्रबंधक (विधि) बैंक के सीपीआईओ हैं। महाप्रबंधक, विधि अपीलीय अधिकारी हैं। विभाग ने संविधियों पर संशोधनों के बारे में एनबीजी/अंचलों को दिशानिर्देश जारी किया है।

20. अनुपालन:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक की अनुपालन कार्यनीति बैंक के बोर्ड (बोर्ड की बैठक दिनांक 26.02.2016) द्वारा अपनाई गई है। बैंक की सांविधिक, विनियामक एवं आतंरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, बैंक के घरेलू और विदेशी शाखाओं में अनुपालन कार्य का परिचालन कार्यक्षेत्र है। बैंक ने घरेलू शाखा बैंकिंग के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में क्रियान्वयन/ निगरानी के लिए, अनुपालन नियम तथा बैंकिंग गतिविधि तैयार की है :

- अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध;
- जमाराशियाँ व सेवाएं/ अग्रिम व फेमा

आरबीआई द्वारा निर्धारित ट्रांच III अनुपालन नियम हेतु तथा ओवरसीज़ केंद्रों पर लागू विनियामक अपेक्षाओं के लिए बैंक के अधिकारियों द्वारा आरबीआई द्वारा निर्धारित अनुपालन परीक्षण अभ्यास (नमूना आधार पर) हर छह महीने में किया जाता है।

केवाईसी/एएमएल/सीएफटी: विभाग को अपने ग्राहक को जानिए/ धनशोधन निवारण उपाय/आतंकवाद को वित्तपोषण का प्रतिरोध करने संबंधी दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन/निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आरबीआई के द्वारा यथानिर्देशित सभी मौजूदा खातों में यथानिर्देशित केवाईसी कसौटियों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

विभाग, आरबीआई तथा सभी विनियामक अभिकरणों के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) का संपर्क बिंदु है। आरबीएस रिपोर्टों की जांच की जाती है और अनुपालन रिपोर्ट आरबीआई को सौंपी जाती है।

21. राजभाषा:

बैंक की राजभाषा विभाग की एक सुस्थापित संरचना है जो बैंक में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित प्रावधानों, भारत सरकार के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। विभाग के पहलों और उपलब्धियों में राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए विभिन्न प्राधिकरणों से कुल 28 पुरस्कार/ अवार्ड सहित 'ख' क्षेत्र में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार - प्रथम पुरस्कार, 'ख' क्षेत्र में 'नराकास' श्रेणी में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार शामिल हैं। बैंक ने 122 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया तथा कुल 2904 स्टाफ को उनकी हिंदी भाषा के कौशल को सुधारने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विश्व हिंदी दिवस (10.01.2017) को पूरे देश भर में 226 विद्यालय से 2588 विद्यार्थियों ने वादविवाद और भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

22. मानव संसाधन, अध्ययन एवं विकास और आंतरिक गृह पत्रिका

मानव संसाधन की परिवर्तनकारी नीति, क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है, उचित कौशल के साथ जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, मौजूदा जनशक्ति का इष्टतम उपयोग करती है तथा कौशल संबंधी कमियों को दूर करती है। कारोबार नीति योजना के अनुरूप वर्तमान और भावी मानव संसाधन, आने वाले समय के साथ तालमेल बनाते हुए सतत आधार पर मानव संसाधन रूपांतरण पर ध्यान केंद्रित करता है। बैंक ने वर्ष के दौरान 299 सामान्य बैंकिंग, 80 विशेषज्ञ अधिकारी तथा 958 लिपिकों की भर्ती की है। इसमें नियमित आधार पर कॉरपोरेट क्रेडिट, जोखिम प्रबंधन, कोषागार, सूचना तकनीक तथा मार्केटिंग के क्षेत्र में कौशल अंतरों की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।

आरक्षण नीति का अनुपालन:

बैंक भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहा है। प्रधान कार्यालय/आंचलिक कार्यालयों में स्थित भर्ती एवं एससी/एसटी कक्ष, आरक्षण नीति के अनुपालन तथा एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों का निवारण करना सुनिश्चित करता है।

प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक ओबीसी तथा एससी/एसटी हेतु मुख्य संपर्क अधिकारी हैं। एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के अधिकारी, आंचलिक कार्यालय में पदनामित संपर्क/कक्ष अधिकारी हैं। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पद आधारित आरक्षण रोस्टर का रखरखाव किया जाता है।

एससी/एसटी/ओबीसी स्टाफ (भारतीय) का प्रतिनिधित्व :

मार्च 2017	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ स्टाफ	कुल
कुल	21257	18720	7773	47750
एससी	3794	3073	2607	9474
कुल स्टाफ का %	17.85	16.42	33.54	19.84
एसटी	1786	1957	863	4606
कुल स्टाफ का %	8.40	10.45	11.10	9.65
ओबीसी	4386	4109	1674	10169
कुल स्टाफ का %	20.63	21.95	21.54	21.30

अध्ययन एवं विकास: प्रशिक्षण प्रदान करने तथा प्रतिभा विकास कार्यक्रम, के लिए अध्ययन एवं विकास हेतु एक पृथक कक्ष कार्यरत है। ई-लर्निंग मोड्यूलों के जरिए कर्मचारियों की क्षमता संवर्द्धित करने तथा विभिन्न खंडों में बदलती

कारोबारी गतिकी, स्टाफ को उपयुक्त कौशल तथा ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए बैंक ने ई-लर्निंग मॉड्यूल शुरू किए हैं। बैंक के प्रशिक्षण महाविद्यालयों ने वर्ष भर में कुल 24,000 स्टाफ सदस्यों तथा आरआरबी सहित अन्य संस्थानों के 500 प्रशिक्षुओ को प्रशिक्षण प्रदान किया है। कुल 4428 स्टाफ को सहायक महाप्रबंधकों के लिए कार्यपालक विकास कार्यक्रम, कोषगार परिचालन तथा डीलरों के लिए बोर्ड कार्यक्रम, आंतरिक पदोन्नति प्रक्रिया के लिए पदोन्नति-पूर्व कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष के दौरान संकाय सदस्यों के लिए विशेष सत्र तथा 300 विद्यार्थियों को ग्रीष्म कालीन इंटर्नशिप का आयोजन किया गया।

तारांगण तथा बीओआई वार्ता (हिंदी) :

बैंक की आंतरिक गृह पत्रिका 'तारांगण' अपने प्रारंभ वर्ष 1964 से बैंक में आंतरिक संपर्क की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। यह बैंक में कर्मचारियों की संबद्धता को प्रोत्साहित करने के माध्यमों में से एक है। यह कर्मचारियों के लिए उनकी सृजनात्मकता और ज्ञान को अभिव्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म है। गृहपत्रिका पूरे भारत और विदेश में अंचल/शाखा/कार्यालय में आयोजित होने वाली सामाजिक, प्रचारात्मक, स्टाफ की उपलब्धियों तथा अन्य गतिविधियों का क्रियान्वयन करती है। बैंक की पत्रिका ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 18 पुरस्कार जीते हैं तथा प्रतिष्ठित संस्थाओं से सराहना प्राप्त की है जिसमें ब्रांड उत्कृष्टता गृहपत्रिका हेतु दो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं।

कर्मचारियों को अपने सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, बैंक ने हिंदी प्रचार-प्रसार बढ़ाने हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है जैसे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, कार्यशाला, प्रतियोगिता तथा अन्य कार्यक्रम। हिंदी गृह पत्रिका भी कर्मचारियों को उनके दैनिक सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने हेतु एक महत्वपूर्ण माध्यम है। बैंक ने इस वर्ष हिंदी पत्रिका का नाम बदलकर 'बीओआई वार्ता' (पहले मेघतारा) कर दिया है। बीओआई वार्ता ने, 18 फरवरी 2017 को एर्नाकुलम, केरल के प्रैस क्लब द्वारा सर्वश्रेष्ठ हिंदी प्रोत्साहन का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

23. ग्राहक श्रेष्ठता शाखा बैंकिंग :

ग्राहक उन्मुखता तथा पारदर्शी तरीके से उच्च स्तरीय सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता हेतु, विवेकशील निर्णय लेने के लिए ग्राहकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु बैंक प्रारंभ से ही भारतीय बैंकिंग कोड तथा मानक बोर्ड का स्वैच्छिक सदस्य है। बैंक ने ग्राहकों को सेवा प्रदान करने हेतु ग्राहक अधिकार नीति, ग्राहक स्वीकार्यता, देखरेख तथा निवारण नीति तथा शिकायत निवारण नीति पर विभिन्न नीतियों को अपनाया तथा संशोधित किया है। प्रचालनात्मक ग्राहक संबंध प्रबंधन (ओसीआरएम) ने वेब/मेल आधारित ग्राहक सुझावों और समस्याओं को दर्ज करना आरंभ किया है। बैंक ने तोमर के अधिकार को सचित्र पुस्तिका के रूप में वेबसाइट पर हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में प्रकाशित किया है। चयनित शाखाओं में बैंक के एटीएम स्क्रीन/ डिजीटल साइनिक में ग्राहक जागरूकता अभियान को प्रदर्शित करते हैं।

24. शाखा नेटवर्क और विस्तार :

बैंक के पास वैश्विक स्तर पर सभी टाइम ज़ोन में 5016 शाखाओं के स्वदेशी शाखा नेटवर्क तथा 29 ओवरसीज़ शाखाओं सहित 32 प्रतिनिधि कार्यालय है। वर्ष के दौरान, घरेलू शाखा नेटवर्क में कुल 115 नई शाखाएं जोडी गई। बैंक की ग्रामीण और अर्द्धशहरी शाखाएं, घरेलू शाखाओं के 66.15% का निर्माण करती है जबकि विशेषीकृत शाखाएं 5.29% का।

25. बैंक की अनुषंगियां/सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम

बैंक ने 1989 में बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. (BOISL), बीएससी के साथ संयुक्त उद्यम में ₹ 6.64 करोड़ निवेश किए हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान बैंक ने 49% के बीएससी शेयरों का अर्जन किया। फलस्वरूप यह अब बैंक की 100% पूर्णत: स्वामित्व की अनुषंगी है। बीओआईएसएल राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (NSDL) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लि. (CDSL) दोनों निक्षेपागारों हेतु निक्षेपागार सहभागी के रूप में कार्य करता है। कंपनी महाराष्ट्र, गुजरात, नई दिल्ली, तामिलनाडु, तेलंगना, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और कर्नाटक सरकार की ओर से ब्रोकर आवर्त स्टाम्प शुल्क के संग्रहण का कारोबार करता है।

बीओआई एक्सा निवेशप्रबंधक प्रा.लि. तथा बीओआई एक्सा ट्रस्टी सेवा प्रा.लि. :

ये अनुषंगी, म्यूचुअल फंड और पोर्टपोलियो प्रबंधन के कारोबार में है। बैंक ऑफ़ इंडिया ने ₹ 56.32 करोड़ के निवेश के साथ इन दोनों कंपनियों में 51% शेयर का धारण किया हुआ है।

बीओआई मर्चेंट बैंकर लि. (BOIMB) :

BOIMB को 31.10.2014 को सामूहिक ऋण, बॉन्ड तथा डिबेंचर की व्यवस्था करने सहित मर्चेंट बैंकिंग कारोबार करने हेतु संस्थापित किया गया था। ₹ 10 करोड़ की प्राप्त पूंजी के साथ यह बैंक की पूर्णत: स्वामित्व वाली अनुषंगी है।

STCI फाइनेंस लि.

STCI फाइनेंस लि. एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसकी स्थापना 1994 को हुई। 29.96% की शेष पूंजी के साथ बैंक ऑफ़ इंडिया STCI में ₹ 380 करोड़ की प्रदत्त पूंजी सहित सबसे बड़ा हितधारक है। एऊण्ध् प्राइमरी डीलर लि. (STCIPD) STCI वित्तीय लिमिटेड की पूर्णकालिक स्वामित्व की अनुषंगी है। STCIPD ने 25 जून 2007से प्रचालन शुरू किया तथा यह देश की अग्रणी कंपनियों में से एक है।

स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (सुड लाइफ)

अपने ग्राहकों को आश्वासित लाइफ इंश्योरेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया तथा दाई-इची लाइफ इन्शोरेन्स कंपनी, जापान ने "स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का गठन किया है। कंपनी ने फरवरी 2009 से बीमा कारोबार आरंभ किया। ₹ 75 करोड़ के निवेश के साथ कंपनी की प्रदत्त पूंजी में बीओआई ने 28.96%, यूबीआई ने 25.10% तथा दाई-इची लाइफ इन्शोरेन्स कंपनी ने 45.94% धारण किया है।

निवेश/गठबंधन:

केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (इंडिया) लि. को बीएसई द्वारा अन्य बैंकों के साथ 1997 में संस्थापित किया गया। CDSL के ₹ 104.50 करोड़ की प्रदत्त पूंजी में बैंक की हिस्सेदारी 5.57% है।

ASREC (इंडिया) लि. को जांच तथा आस्ति पुनर्गठन गतिविधियां करने के लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया के विनिर्दिष्ट उपक्रम के रुप में शुरू किया गया था। बैंक के पास कंपनी के ₹ 98 करोड़ की इक्विटी पूंजी में 26.2% की भागीदारी है।

नैशनल कोलेट्रल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. (NCML) को नैशनल कमॉ डिटि एण्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. (NCDEX) द्वारा स्थापित किया गया। यह प्रतिभूतियों तथा वस्तुओं को सुरक्षित प्रबंधन तथा नियंत्रण रखने के लिए संपार्श्विक प्रबंधन सेवाओं को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध कराने हेतु 28.09.2004

को निगमित हुआ। बैंक ने ₹ 3 करोड़ की प्रदत्त पूंजी निवेशों के साथ कंपनी की इक्विटी पूंजी में 10.17% के शेयरको धारित किया है।

स्विफ्ट इंडिया जेनेस्टिक सर्विस प्रा.लि. संयुक्त उद्यम कंपनी को स्विफ्ट और बैंक ऑफ़ इंडिया सहित 9 प्रमुख बैंकों द्वारा प्रोन्नत किया गया है। स्विफ्ट के पास इक्विटी की 55% धारिता है और शेष 45% धारित 9 प्रमुख बैंकों के पास है। कंपनी में ₹ 7.71 करोड़ के निवेश के साथ बैंक ऑफ़ इंडिया की इक्विटी स्टेक 5% है।

एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ़ इंडिया लि. (SMERA) एक प्रमुख ऋण रेटिंग एजेंसी डन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट के सहयोग से सिडबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान एर्ईं की स्थापना की गई। SMERA का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय रेटिंग प्रदान करता है जिससे SME क्षेत्र को बड़ी मात्रा में और आसानी से ऋण की उपलब्धता होगी। बैंक की ₹ 0.40 करोड़ के निवेश के साथ इक्विटी पूंजी में नाममात्र स्टेक 4% निर्धारित है।

अन्य महत्वपूर्ण निवेश :

बैंक की बीएसई लि. (₹ 49.97 करोड़) CERSAI (₹ 2.15 करोड़) इक्वीफैक्स क्रेडिट इन्फार्मेशन सर्विसेस लि. (₹ 4.73 करोड़), यू.वी.एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कं.लि. (₹ 0.15 करोड़), क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया (₹ 0.50 करोड़), अग्रीकल्चरल फायनांस कारपोरेशन लि. (₹ 1.26 करोड़) सिड्बी (SIDBI) (₹ 45.30 करोड़), टूरिज़म फिनैन्स कारपोरेशन लि. (₹ 8.59 करोड़) सेन्ट्रल वायर हाउसिंग कारपोरेशन लि. (₹ 1.11 करोड़), लॉस डाटा (कंसोर्सियम) CORDEX (₹ 1 करोड़) SBIDFHI (₹ 6.34 करोड़, NPCI (₹ 10 करोड़), MCX स्टॉक एक्सचेंज लि. (₹ 27.50 करोड़) CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लि. (₹ 1 करोड़) इन्वेस्ट एसेट सिक्यूरीटी स्टेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. (₹ 10 करोड़) में भी महत्वपूर्ण निवेश है।

26. सतर्कता/धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन :

बैंक की सतर्कता प्रणाली का नेतृत्व मुख्य सतर्कताअधिकारी (सीवीओ) करते हैं, जिन्हें भारत सरकार, वित्त मंत्रालय तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है। सभी सतर्कता मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारियों को सूचना प्रदान करने में सीवीओ की सहायता के लिए ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जिनके पास जांच एवं अनुशासनिक कार्रवाई के मामलों में ज्ञान/पृष्ठभूमि होने के साथ-साथ बैंकिंग की भी जानकारी है। सुरक्षात्मक सतर्कता उपायों की पहल करने में एवं उनका प्रचार-प्रसार करने में भी सतर्कता विभाग ध्यान केंद्रित करता है। बैंक के पास सभी एनबीजी कार्यालयों में आठ पृथक "सतर्कता इकाई" हैं। बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा भेजे गए सतर्कता मामलों में भी सतर्कता विभाग सीवीओ द्वारा दी गई सूचना प्रदान करता है।

धोखाधडियों को खत्म नहीं किया जा सकता परंतु धोखाधड़ी जोखिम को अन्य कारोबार जोखिमों के साथ अग्रसक्रिय फ्रेमवर्क व दृष्टिकोण के साथ कम, प्रबंध, नियंत्रित किया जा सकता है। धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन विभाग निम्न क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से सभी धोखाधड़ी संबंधी मामलों की देखरेख करता है - बैंक हेतु एफआरएम नीति के निर्माण व प्रशासन, धोखाधडियों की रिपोर्टिंग और निगरानी, धोखाधडियों पर केंद्रीकृत डाटा का रखरखाव, की गई धोखाधडियों तथा धोखाधडियों के प्रयासों के मूल कारण का विश्लेषण तथा निदान तथा किसी भी उत्पाद की कमियों हेतु उपचारी उपायों का कार्यान्वयन, सिस्टम में कमियों को दूर करना, परिपत्रों/अनुदेशों के जरिए धोखाधड़ी की कार्य प्रणाली और धोखाधड़ी के कारणों की जानकारी देना ताकि उस प्रकार की धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। स्टाफ को धोखाधड़ी निवारण पर शॉर्ट अलर्ट संदेशों, टिकरों/आवधिक संदेशों एमएमएस/प्रशिक्षण/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूक करना, धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए जांच के बिंदु आवधिक परिचालन, पुलिस मामलों और एफआईआर पर अनुवर्ती कार्रवाई करना, बैंक फिनेकल सिस्टम में धोखाधड़ी के रूप में खातों से संबंधित अग्रिमों की फ्लैगिंग, धोखाधड़ी में शामिल राशि का प्रावधान और लेखाकरण, बीमा कंपनियों के बीमा दावों हेतु पंजीकरण और अनुवर्ती कार्रवाई करना।

27. कारोबार दायित्व रिपोर्टिंग 2016-17

सेबी सूचीकरण विनियमन - 2016 का क्लॉज 34(2) (एफ)। इसका विवरण हमारी वेबसाइट www.bankofindia.com में उपलब्ध है।

28. बासेल III (स्तंभ3)-प्रकटन(समेकित)मार्च 2017

बासेल-III पूंजी विनियमन पर आरबीआई परिपत्रसं.DBOD.No.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 जिसे पूंजी पर्याप्तता और चलनिधि मानक - संशोधनों पर आरबीआई परिपत्र सं.DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च,2015 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार बैंकों को बासेल-III के तहत लागू स्तम्भ 3 प्रकटन करना ज़रूरी है जिसमें लीवरेज अनुपात और चलनिधि कवरेज अनुपात शामिल हैं। ये प्रकटन हमारी वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:- http://www.bankofindia.co.in/english/Regdisclosuresec.aspx.

आभार

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रति उनके यथोचित मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थाओं एवं संपर्ककर्ता बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। बोर्ड ग्राहकों, कारोबार सहयोगियों एवं शोयरधारकों की असीमित सहायता हेतु आभार व्यक्त करता है। साथ ही बोर्ड बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों के प्रति भी उनकी समर्पित सेवाओं और सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

बोर्ड के निदेशकों के लिए एवं उनकी ओर से

दीनबंधु मोहापात्रा
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थल : मुंबई
दिनांक : 9 जून, 2017

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

GLOBAL SCENARIO

From the growth point of view, global economy is on an uneven path. The strategies adopted for economic development is also varied. For instance, while the U.S has lately adopted a protectionist policy stance, other developing and emerging market economies clamour for greater degree of openness and more trade. The two major developments which marked the global landscape during the year gone by were the U.S. Presidential elections and the Brexit vote. Monetary and fiscal policies pursued by leading central banks also differed in their stance. The U.S Federal Reserve tightened the Fed Fund rate by 25 bps in response to unemployment rate touching 4.5%. EU meanwhile, is still reluctant to hike rate due to very low growth rate while Japan continues to be in deflation zone. Most central banks are still pursuing an expansionist monetary policy with the exception of U.S which has indicated its willingness for further rate hikes. On the growth front, China grew 6.9% during January-March 2017 and is expected to grow between 6.5-7% for calendar 2017.

DOMESTIC ECONOMIC SCENARIO

As per the provisional estimates put forward by the Central Statistical Organisation (CSO), the Indian economy is estimated to have grown at 7.1% (same as per second advance estimate) during FY 17, but lower than 8.0% recorded in FY16. The nominal GDP for FY17 is estimated at Rs. 151.84 lakh crore, a growth of 11%. Gross Value Added at basic prices (real GDP) grew 6.6% in FY17, lower than 7.9% in FY16. The GDP numbers for FY16 has undergone revision since the effect of the revised Index of Industrial Production (IIP) and Wholesale Price Index (WPI) with base year 2011-12 has been captuired. The higher growth number for FY 16 is attributed to the base year change. Likewise, the quarterly GDP numbers have also undergone revision. During Q4-FY17, growth was just 6.1%.

Sectoral growth trends at 2011-12 prices

Particulars	FY 15#	FY 16*	FY 17$
GDP	7.5	8.0	7.1
Gross Value Added	6.9	7.9	6.6
Agriculture	-0.3	0.7	4.9
Mining & quarrying	14.74	10.5	1.8
Manufacturing	7.5	10.8	7.9
Electricity, gas water supply	7.2	5.0	7.2
Construction	3.0	5.0	1.7
Trade, hotels, transport	8.6	10.5	7.8
Financial svcs, real estate, professional services	11.1	10.8	5.7
Public administration, defence	8.1	6.9	11.3

*Source: MOSPI; # Second revised estimate *first revised estimate $ provisional estimates*

Macroeconomic parameters are on a sound footing: FDI inflows are at a record $ 43 billion, Current Account Deficit is just a shade below 1.5% and fiscal deficit is contained at 3.5% of GDP with the Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM) also in place for both the Centre and the states. CPI inflation is below 3% and may even reach 2% due to sliding oil prices. The revamped base year has shown industrial production growth at 2.7%, higher than previous years; Forex reserves are at a record $ 370 billion, enough for almost a year of import cover. Rankings under 'ease of doing business' and competitiveness indices are continuously showing an improvement over the previous years, to name a few. A big challenge is on the job creation front with employment generation growing at 1% on a yearly basis. A Fund of Fund (FoF) for startups has been created to form an entrepreneurial climate.

The Goods and Services Tax is another reform initiative which would have far reaching impact on the economy. The dual GST model adopted by India includes GST levied by Centre, called Central GST (CGST), levies by the State (including Union Territories) that would be State GST (SGST) and for inter-State supply of goods and services, there would be an Integrated GST (IGST). Union Territories without legislature can levy Union Territory GST (UTGST).GST rates have been finalized for 1211 goods and 36 broad categories of services. Nearly 50% of goods fall under the 18% tax rate, 14% of goods fall under 5% tax rate, 17% under 12% tax rate and 19% under 28% tax rate. In case of services, the majority of services come within the 18% tax rate. Thus GST aims to avoid cascading of taxes and simultaneously augment revenue to the Centre as well as the states. States which lost revenue on account of GST would be compensated for a period of five years.

BANKING SECTOR DEVELOPMENTS

Latest data pegs y-o-y growth in bank credit at 5.7% and deposit growth at 12.1%. This has resulted in excess liquidity in the banking system. However the demonetization of old Rs.500 and Rs.1000 notes is a major contributor this surge in deposits. The liquidity surge, however, has enabled banks to reduce their MCLRs by as much as 100-110 bps over the past one year. However, credit growth to industry has turned negative. Idle industrial capacity due to sluggish demand and banks being hit by asset quality woes are the major reasons for this trend. Major sectors like steel, power and textiles are yet to gain traction while telecom segment has emerged as a new source of risk. Gross NPAs in the system has touched Rs.7 Lakh. Apart from sale of non-core assets and raising capital from the consolidation in the banking sector is being explored as an option to minimize capital requirement of banks. Moreover, post Asset Quality Review (AQR), RBI and GOI has initiated Prompt Corrective Action (PCA) plans to tightly monitor banks breaching certain threshold parameters.

A major game changer during the just concluded financial year has been the shift towards digital transformation that has enveloped the economy and banking landscape. This coincided with the demonetization drive. The objective is to bring the cashless transactions to around 10% within a decade. A number of steps towards this end have been initiated such as waiver of MDR charges, no cash payments above Rs.2 Lakh, bar on election funding of more than Rs.2000 in cash, issuance of electoral bonds etc to name a few. Banking sector would surely feel the impact of such changes with more and more customers expected to switch to electronic banking channels, significantly reducing the footfalls in branches over a period of time. Payments banks and small finance banks ae already

there to grab market share post the digital drive. In this scenario, incumbents must strive hard and innovate to stay competitive and protect their turf.

Digital transormtion has implications for the banking sector in other ways as well. Fintech has been the new mantra for quite some time. Pyment banks and small finance banks apart from other players are entering this space which poses stiff competition to existing universal banks. Banks needs to embrace disruptive technologies at a very fast pace and also be ahead of the learning curve. Moreover, banks must develop competencies and skill sets in emerging areas such as risk and fraud analytics using latest technology to prevent a drag on their profitability and study customer behavior.

India needs a vibrant corporate bond market to meet the ever growing funding requirements of corporates. Latest data shows the rate of capital formation slowing down to 27% from 32% over a five year time frame. Though consolidation in the banking industry would create banks with the much needed size and scale to finance corporate funding, banks would still suffer from asset liability mismatch issues. Moreover, take out financing has not really taken off in India. These are deterrents to effectively meet corporate funding requirements.

The 5/25 scheme, the SDR scheme and the S4A initiatives are certain novel developments during the past couple of years. Though the success of these instruments in reducing the asset quality issues have been limited, it has nevertheless equipped banks with more tools to fight delinquency post the commencement of AQR exercise. However, GOI has brought forth the NPA Ordinance to complement efforts to reduce asset quality troubles. Moreover, steps have also been taken to reduce time to implement JLF decisions by stipulating the necessity of approval by only 60% of creditors by value as opposed to the earlier 75%. The Insolvency and Bankruptcy Code is becoming operational fast and an Oversight Committee has also been formed at the regulatory level to aid fearless resolution of stressed assets by bankers.

It is a pre requisite that banks in India are adequately equipped to efficiently perform the function of financial intermediation if the economy is to grow at the desired rate of 8%.

STRATEGY FOR IND AS IMPLEMENTATION AND ITS PROGRESS

Banks in India currently prepare the financial statements as per the extant guidelines of Reserve Bank of India, the Accounting Standards notified under section 133 of the Companies Act, 2013 and Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP).The Institute of Chartered Accountants of India has issued Indian Accounting Standards (Ind AS), a revised set of accounting standards, which largely converges the Indian accounting standards with International Financial Reporting Standards (IFRS). The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has notified these accounting standards (Ind AS) for adoption.

In January 2016, the Ministry of Corporate Affairs issued the roadmap for implementation of new Indian Accounting Standards (Ind AS). For banking companies, the implementation of Ind AS will begin from April 1, 2018 onwards, with comparatives for the year beginning April 1, 2017. The Ind AS quarterly financials of FY 2017-18 will need to be published as YoY comparison from June 2018 onwards. This roadmap is applicable for the subsidiaries, joint ventures and associate companies of banks also.

The Bank has accordingly started the process of migrating to Ind AS based financial statements. The key impact areas for the Bank include accounting of financial instruments, consolidation accounting, deferred tax and implementation of technology systems. Of these, the accounting of financial assets differs significantly from Indian GAAP in many areas, which include classification, fair valuation, expected credit losses, effective interest rate accounting and derecognition. The Bank's Ind AS implementation project also focuses on technical evaluation of GAAP differences, selection of accounting policies and choices, evaluation of system changes and data requirements, business impact analysis and skill development in the Bank through regular trainings and workshops.

As per the directions of RBI, following steps have been taken by the Bank:

– Submission of Proforma Ind AS financial statements to the RBI for the half-year ended September 30, 2016, as required.

– For implementation of Ind AS, the Bank has formed a Steering Committee headed by the Executive Director and has members from various functional departments. The Committee is overseeing the progress of Ind AS implementation in the Bank, and provides guidance on critical aspects of the implementation such as Ind AS technical requirements, systems and processes, business impact, people and project management. An update on the implementation status is also submitted to the Audit Committee of Board at quarterly intervals.

BUSINESS REVIEW

1. RESOURCE MOBILISATION:

Saving deposits have grown by 32% and Current deposits by 21% in FY 2016-17. The CASA deposits registered y-o-y growth of 31%. The Savings HNI segment, registered y-o-y 39% and for Current account Deposits, registered 25 % y-o-y growth. CASA ratio increased from 34.18% to 39.84% y-o-y in March, 2017. The share of Retail Term Deposits, ₹ 1 crore and below has grown by 10.28% Y-o-Y and constitutes 76% of Total Term Deposits.

2. ADVANCES :

Bank's gross advances increased from ₹ 3,81,662 crore to ₹ 3,93,788 crore with a growth of 3.18%. Gross Domestic Credit registered a growth of 6.38% from ₹ 2,68,579 crore on 31.03.2016 to ₹ 2,85,725 crore on 31.03.2017. Bank has focused on Retail and SME advances during current year with high yield to diversify the risk. Bank caters to specialised needs of Corporates/Mid Corporates through 10 Large Corporate Bank Branches and 32 Mid Corporate Branches. The requirements of other clients from Retail, SME and Agriculture are met through the Network of 5123 branches and the Specilised Processing Centers. Bank's 29 Overseas Centres cater to credit requirement of exporters and overseas clients.

3. RETAIL :

The Home Loan segment during the year recorded a growth of 13.18% from ₹ 19658 crore to ₹ 22,248 crore. Bank has introduced Prime Minister Awas Yojana of Government of India(GOI) initiative for "Housing for All(Urban)" Mission, being implemented during 2015-2022. Loan Against Property (LAP) portfolio with a low rate of interest, longer repayment period and flexible

repayment options registered a growth of 16.36% from ₹ 5054 crore to ₹ 5881. Education Loan portfolio recorded a growth of 4.04% from ₹ 3143 crore to ₹ 3270 crore. Finance was also granted for Padho Paradesh Scheme(Interest subsidy for students Minority communities for pursuing studies abroad). The Vehicle Loan segment recorded growth of 21.16% from ₹ 2892 crore to ₹ 3504 crore during the year. Bank has tie-up arrangement with Maruti Suzuki, Tata Motors, Hyundai Motors and Mahindra and Mahindra. Bank also extends Personal Loans to employees of PSUs/PSEs/Reputed Corporates/Institutions under tie up arrangement with employer for loan recovery.

4. SMALL & MEDIUM ENTERPRISE :

During FY 2016-17 MSME advances at ₹ 51,083 crore registered y-o-y growth of 4%. The MSME Manufacturing sector has de-grown from ₹ 19,939 crore to ₹ 19,736 core and the Service sector has grown by ₹ 2,037 crore registering y-o-y growth of 7.20% respectively. The Share of Micro sector increased to 42.73%. The New Accounts sanctioned under Micro segment during 2016-17 registered growth of 12% against the mandatory target of 10%.

Bank added 42,842 new accounts under CGTMSE scheme with exposure of ₹ 2,693.62 crore and 2,24,703 accounts under PMMY with exposure of ₹ 4,895 crore. The Stand-up India loans were extended to 4,087 beneficiaries.

5. AGRICULTURE FINANCE :

Priority Sector Advances:

The Bank is servicing to the priority and agriculture sectors, through its network of rural and semi-urban branches and 43 Rural CPC set up by the Bank. The Bank has registered an outstanding level of ₹ 1,13,027 crore under Priority Sector consisting of Agriculture ₹ 54,302 crore, SME ₹ 42,768 crore, Education ₹ 3,188 crore, Housing ₹ 11,584 crore & others ₹ 1,185 crore, including Rural Infrastructure Development Fund (RIDF). Under Agricultural Credit Plan., Bank branches disbursed ₹ 25,337 crore during the year. Bank has issued 2,38,248 KCC with credit limits of ₹ 2,823.60 crore for flexible credit utilisation. The Bank also extends financial assistance under Differential Rate of Interest at concessional rate of interest 4% to low income group. The bank has sanctioned 300 cases under DRI Scheme during the year involving ₹ 1.93 crore. Bank's credit exposure to Minority Communities is ₹ 14,717.25 crore as on March 2017. The loans to Farm Mechanization sector during the year amounted to ₹ 143.56 crore in 4776 accounts. Bank's finance to Food & Agro Industries and Rice & Dal Mills, Fruits & Vegetable processing, Fish processing, Milk & Milk products, Food grains during the FY 2016-17 is ₹ 510.57 crore.

National Rural Livelihood Mission (NRLM): is an important poverty eradication progamme for rural poor. During the year Bank has disbursed ₹ 162.21crore to 9946 borrowers.

Self Help Groups (SHGs) :
Bank has a customer base of 257099 Self Help Groups (SHGs) of which 83261 SHGs are credit linked including 48464 women SHGs during the year 2017. Bank has introduced Dual Biometric authentication for offsite transactions, financial and Data Digitalization for monitoring of SHGs.The Bank has Lead Bank responsibility in 51 districts spread across five states of Jharkhand (15), Maharashtra (14), Madhya Pradesh (13), Uttar Pradesh (7) and Orissa. (2) Bank has SLBC "Lead Bank Convener" responsibility in the State of Jharkhand.

6. FINANCIAL INCLUSION :

Bank considers Financial Inclusion as a viable business proposition and has shifted outlook from "CSR" to "economic viability". ICT based solution to support and secure sufficiently low cost transactions required by the financial sector. Financial inclusion drive gained momentum with Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) programme. Bank has provided banking services in unbanked rural areas through ICT led Business Correspondents model.

Star Swarojgar Prashikshan Sansthan(RSETIs): Bank is operating 42 RSETIs in the States of Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal. During the year the RSETIs have conducted 5168 training programs and imparted training to 145411 candidates with credit linkage of 91956 candidates to enable help them for gainful employment.

Financial Literacy and credit Counseling Centres (FLCC)

FLCC/FLCs are established as per Reserve Bank of India guidelines at Rural and Urban Centers at district locations where Bank is having Lead Bank responsibility. Bank's 51 FLCs are functional in all 51 Lead districts. The FLCs in addition to imparting training also undertake remedial counselling on case to case basis for the distressed borrowers, preventive counselling through media, workshops and seminars. To date 12,95,736 needy distressed people were given counselling

Regional Rural Banks :

Bank has sponsored Gramin Bank of Aryavart-GBA (Uttar Pradesh State), Narmada Jhabua Gramin Bank -NJGB(Madhya Pradesh State) , Vidarbha Konkan Gramin Bank –VKGB (Maharashtra State) and Jharkhand Gramin Bank-JGB (Jharkhand State). All RRBs are profit making and the Branches and administrative offices of the Gramin Banks are on CBS platform. These RRBs are enabled on RTGS ,NEFT and ATM platform and cover 61 districts with a network of 1663 branches. They have a combined business mix of ₹ 45,772 Crore.

7. INTERNATIONAL :

The Bank has 29 Branches, 4 Representative Offices, 5 Subsidiaries and 1 Associate/Joint Venture spread across 22 countries of all time zones. The contribution of foreign operations in Bank's global business mix has been 24% as on 31.03.2017.

Bullion Banking business was conducted at SEEPZ and Ahmedabad branches and was later extended at other branches. Bank's nine branches are authorized to undertake bullion business. Gold is procured on consignment basis for catering to the needs of jewelry exporters and domestic jewelers.

Overseas Subsidiaries and Associates:

1. PT Bank of India Indonesia Tbk
2. Bank of India (Tanzania) Ltd
3. Bank of India (New Zealand) Ltd
4. Bank of India (Botswana) Ltd
5. Bank of India (Uganda) Ltd
6. Indo Zambia Bank Ltd. (IZB)

FOREIGN BUSINESS :

Bank's key priority areas include meeting trade finance and forex requirements of exporters and importers. Bank has 217 Authorised Dealer Branches Pan India. These Branches handle foreign exchange business and cater to the need of exporters and importers. Bank also has correspondent banking relationship with 200 banks across the globe. Bank has Rupee Drawing Arrangements with Gulf based private exchange houses to facilitate inward remittances.

8. CREDIT MONITORING :

Safety of Bank's exposure in credit asset is of paramount importance. The safety is dependent upon risk factors, which are identified and accepted while taking credit exposure Credit Monitoring is a critical area for the Bank to maintain sound asset quality. Various tools and methods are used to monitor the accounts at various levels and corrective steps are being taken.

Special Stress Management Cell is set up to monitor high value SMA 2 borrowal accounts. Based on the Early Warning Signals, system has been established for Red Flagging of accounts and get forensic Audit done and take corrective action in the stressed accounts. Implementation of Credit Process Audit and timely conduct of stock and receivable audit is ensured. Critical analysis is done for quick mortality default cases and steps are taken to mitigate reoccurrence. Borrower Health Profile (BHP) system is introduced through on-line portal for high value accounts, for monitoring on real time basis.

9. NPA MANAGEMENT:

The Bank made sustained relentless efforts for NPA and Written Off recovery by adopting Board approved strategies with activation of Asset Recovery Branches, staff at grass root levels. The measures initiated resulted in improved recovery through some of the following strategies:

Holding on operations in NPA accounts arising out of temporary Cash Flow mismatch for up-gradation within short span of time; Up-gradation of the entire account after recovery of the total overdue; Restructuring in accounts, which needs a long term support; measures under 5/25, SDR, S4A for resolution of the stressed assets; OTS in accounts with positive impact in Bank's profits & loss A/c; Invoke promptly the provisions of SARFAESI act; Filing of suit and follow for vacation of stay and for speedy resolution through the DRT; Declaring Borrowers as wilful defaulters in all eligible cases, Mega E-auctions on Pan-India basis to fast forward the process; Participation in the National Lok Adalat at various levels; suit filed/decreed cases are now monitored online. Proactive participation in JLF meetings conducted at Bank level in all cases where Bank is Leader and also a member of consortium.

10. TREASURY:

Forex Business: During the year 2016-17, Merchant and interbank turnover was ₹ 1.28 lakh crore and ₹ 24.24 lakh crore respectively. The aggregate turnover of Bank's Forex Business during the year was ₹ 25.52 lakh crore.

Treasury Operations & Investments: Bank continued to play an active role in all segments of the market- Funds, Forex and Bonds during 2016-17. Bank has maintained a higher level of investments keeping balance between interest income and market risk. The Bank has maintained SLR investments in excess of 20.50% of the regulatory requirement from time to time to utilize excess SLR for borrowing from Repo /CBLO windows. The gross SLR investments were ₹ 1,10,951 crore (88.90% of total investments) and Non SLR stood at ₹ 13,857 crore (11.10% of total investments). The investments are made in accordance with the Board approved comprehensive policy which is reviewed periodically to respond to market developments/regulatory requirements.

11. INFORMATION TECHNOLOGY :

The Bank has launched IT products and services to enhanced customer experience, digitization and simplification of operations on:

- Internet Banking - Enabling submission of 15G/ 15H through Internet Banking, generation of interest certificate for deposits and loan account, enabling income declaration scheme, enhancement of online term deposit facility and in new user enrollment process
- New modules on Corporate website - Enabling Balance Enquiry for Prepaid Card from website, enabling acceptance of online request for POS/ ATM failure refund, enabling refund request for e-com transactions, application for MSME I and II for submission and acceptance of loan applications up to ₹ 25 crore.
- Launch of smartphone based application 'Chillr' for facility of funds transfer and utility bill payments.
- Implementation of Bharat Bill Payment System APP for customers.
- Enabling Recharge module in Star Token NG – this provides the facility of mobile and DTH recharges to Bank's customers.

12. RISK MANAGEMENT :

Risk and Control :

Bank has established mechanisms to ensure ongoing assessment of relevant risks on an individual as well as consolidated basis. Risk Management is a Board driven function with the Risk Management Committee of the Board at apex level supported by operational level committees of Top Executives for managing various risks. The process of Risk Management consists of identification, measurement, monitoring and control. These processes are covered in policies viz., Enterprise Wide Risk Management, Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Derivatives, ALM, Foreign Exchange and Dealing room operations. The identification, measuring, monitoring & mitigation of potential risks, in all activities and products is done through detailed analysis and vetting of the same by the operational level risk committees and task forces. Tools and systems of prudential limits, new Basel Compliant Credit Rating Models, Credit Audit, VaR models for Market Risks, Self-assessment exercise coupled with tracking of Key Risk Indicators for Operational Risk have been introduced for assessing/measuring the identified risks.

Bank has migrated to computation of Capital Adequacy under New Capital Adequacy Framework (Basel II) based on

Standardised Approach for Credit and Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk as per RBI guidelines effective 31.03.2008. The Bank undertakes Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) on a yearly basis for assessment/measurement of various risks, the limits of its risk-bearing capacity and appropriate level of internal capital in relation to the risks and the Risk Appetite. Stress Testing Process is in place for enhancing risk assessment by providing the bank a better understanding of the likely impact even in extreme circumstances.

Bank's Information Risk Management System has clear objectives to obviate cyber-security risks in the face of acceleration in Bank's business by strengthening internal controls to protect brand, reputation and assets of the Bank. Bank has implemented various information security projects for monitoring of Real-Time Information Security attempts/incidents/ events on 24x7 basis. Bank is vigilant of the security and privacy of the data related to its patrons and account holders and takes utmost care to protect it from cyber-attacks. Bank has developed reasonable resiliency to provide uninterrupted services in adverse situations. Bank has put in place Captive Security Operation Centre (SOC) at Data Center. The Bank is ISO 27001 (ISMS) and ISO 22301 (BCMS) certified and the PCI-DSS V3 certification is under process. Other advanced security tools like Privilege User Management, Database Activity Monitoring have been operationalized. Security solutions like Anti-APT and anti-DDoS tools are under installation process. Risk and vulnerability assessment exercises are routinely carried out for all critical application and services with in-time remedial activities.

13. ALTERNATE DELIVERY CHANNEL :

The Banking industry has become fast paced. Post demonetization era needs moving towards less cash society and thus, the emphasis is on digitalization.Bank of India is committed to give a stellar performance not only in distribution of various digital products viz. Debit cards, Credit cards, POS in all varieties of Swipe & Pay, Click & Pay,Touch & Pay, Internet Banking/ Mobile Banking but also in ensuring that these products are activated and used. BOI has successfully implemented Government of India launched UPI/BHIM, BHARAT QR and AADHAAR PAY. POS distribution has gone up from 5000 to 17793 as on 31.03.2017.Debit card activation has gone up from 18% before demonetization to 37% which shows our fast pace in digitalization. Bank has launched BOI Star Loyalty programme for introducing 'Chillr' Mobile App for easy money transfer and utility payments. Bank cobranded Prepaid cards, added value to POS for dynamic currency conversion launched and have taken lead to have 89 Digital Villages Pan India.

14. TRANSACTION BANKING :

Bank set up separate Transaction Banking Department to generate bulk income and float for the Bank by providing management of "cash flows" of customers especially large corporates, government institutions and high net worth individuals through digital banking. The Star Cash Management Services (CMS) Hub comprising of Cheque collections, PDC collections and Direct Debit mandates, other services viz. Cash Management Services (Doorstep Banking), On–line Share Trading – (3 in 1 A/cs, ASBA & SYND-ASBA), Payment Gateways, NACH activities on NPCI platform and operational aspect of Star Channel Finance. During the FY 2016-17, the Department has generated income of ₹ 31.73 crore.

15. THIRD PARTY PRODUCT :

Life Insurance:

Bank has continued its Corporate Agency arrangement with Bank's Joint Venture life Insurance Company Star Union Dai-ichi Life Insurance Co Ltd. for sale of life insurance products. Bank has 5700 IRDAI qualified Specified Person employees at the branches. Bank offers optional life insurance cover to Bank's Retail Home and Education Loan borrowers under Group Insurance Policy at a discounted premium. Bank also offers SUD Life Group Term Insurance plan for Sum Assured from ₹ 1 lakh to ₹ 5 lakh at competitive rates to Bank's SB/ CD customers. Bank collected premium of ₹ 738 crore thus earning ₹ 70.13 crore of commission income. The Bank earned commission income of ₹ 0.46 crore through tieup with Star Health & Alied Insurance Co. Ltd.

General Insurance- Non-life :

Bank also has Corporate Agency agreement with National Insurance Co. Ltd. (NICL) for insurance cover of non life products. Bank has tie-up with New India Assurance Co. Ltd. and Reliance General Insurance Co. Ltd. for General Insurance category Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. under Standalone Health Insurance category. Bank's co-branded health insurance product - BOI National Swasthya Bima, is a Family Floater Mediclaim Insurance Cover available for Bank of India account holders, at a low premium. Premium collected by the Bank from General Insurance Business was ₹ 203 crore with commission earning of ₹ 21.31 crore.

Mutual Funds Products :

Bank continues to be a shop for all financial needs to the customers for distribution various Mutual Fund products of 10 Asset Management Companies including BOI-AXA Mutual Fund, our Bank own joint venture company. Bank has earned a commission of ₹ 5.36 crore from distribution of Mutual Fund business during FY 2016-17.

16. MARKETING & PUBLICITY :

Banks's Publicity and Public Relation Department executes multi-media corporate campaigns to enhance the visibility of Bank's Image and promotes bank's various products down the line across the country in order to execute the media plan, foundation of Bank's tagline and theme "Relationships beyond banking" has been continued. Advertisement of Bank's Products through Radio channels and digital platform has been undertaken in a big way. The promotion of Bank's product through print media in major national / regional dailies and various top magazines and OOH activities i.e. Hoarding/Bill Boards/Gantries is undertaken.

17. BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING :

BPR Department has worked on improving the existing systems and processes in the Bank as also on other aspects of change management. The initiatives taken are:

Star Paramarsh:

Developed structured Staff Suggestion Scheme Christiansted "Star Paramarsh" to encourage employees to contribute ideas for betterment in functioning and business growth. Suggestions are screened analyzed in consultation with the functional departments and then selected for implementation.

Product Champions:

To bring out improvement in existing products/services and development of new products/services in line with the market trends and customer demands, concept of "Product Champions" was introduced. Product Champions are assigned Products for their refinement. Online Trade Finance System (TF Online) for foreign bill business/Trade Financing; Mobile Wallet App – BOI Pay; E Smart Finance for financing suppliers of e- retailers and E-statement are in process.

Go Green Initiative:

Harnessing the digital platform that brings together all Bank's IT and alternate delivery channels under one umbrella and delivers to the customers the convenience of banking anytime anywhere The department devised a safe system of e-statement during the year. This eliminates the customers the need for physical travel to branches.

Centralised Account Opening:

The initatives for Centralised Operations Department at NBG level for account opening, centralised validation of new accounts for C-KYC (Centralised KYC) and UCIC is assigned pilot project in NBG (West-I) jurisdiction Mumbai.

18. INSPECTION & AUDIT :

Bank has board approved policy on Risk Based Internal Audit, Risk Based Management Audit (Domestic), Concurrent Audit, Information System Audit and Audit of Foreign Branches. The policies were reviewed/revised to comply with the Guidelines issued by the Department of Financial Services, MOF, GOI and covers the areas mentioned in the RBI AFI report, MOF guidelines and also as per the directions of Audit Committee of the Board. During the year 2016-17, the Department conducted audit of 3,246 branches and offices. Concurrent Audit covers 728 Branches, Treasury Branch, Data Centre and HO Departments by FCAs and the 29 Foreign Branches are covered by Bank's In-house officers. Concurrent Auditors covered 63.42% of Global Deposits and 82.56% of Global Advances.

Bank also conducts special assignments to meet requirements of the Bank from time to time in areas of:

- Discretionary Audit conducted at branches with 'High Risk and above' rating.
- Assessment of impact of preventive vigilance measures at branches under audit.
- Special Audit of select Authorised Dealer (AD) branches for checking/verification of transactions relating to Export transactions / Import Advance Remittances.
- IS Audit of Data Centre & Disaster Recovery site by Bank's Internal Information System Auditors.
- Concurrent audit of Data Centre to ensure verification of interest parameters, application of interest process and checking of interest in sample accounts.
- Regular reporting on all important Audit findings are made to Top Management, Audit Committee of Executives and Audit Committee of the Board as per the directions.

19 LEGAL & RIGHT TO INFORMATION ACT :

Legal Department of the Bank is a support department and provides platform on matters of Opinion, Documentation, Litigation and emanating from functional departments at Head Office and Zones. In addition to attending to referral matters of NBGs/Zones, Domestic Branches/Foreign Branches and Bank's subsidiaries, the Department undertakes Drafting / Vetting of documents of various contracts/ Service Level Agreements (SLAs), Software/Hardware procurement, tie-up arrangements /new products, approval of Plaints for suits filed by the bank, responds to MOF , RBI, IBA query, opinion on Share transmission matters and cases relating to Claims against the Bank . Under the Right to Information Act applications are responded as per the Act. Central Public Information Officer and Appellate Authority across Zones / NBGs are placed. Deputy General Manager (Law) is the CPIO of the Bank, General Manager, Legal, is the Appellate Authority. Department issues guidance to NBGs/Zones on the amendments on Statues

20. COMPLIANCE :

Board approved Compliance Function Policy (Board Meeting dated 26.2.2016) is in place on the Reserve Bank of India guidelines. Compliance of statutory, regulatory and Bank's internal guidelines is the scope of operations of the compliance function of the Bank, for Domestic and Overseas operations. Bank has framed Compliance Rules for Banking activity applicable to domestic branch banking, for implementation / monitoring in areas of :

- Know Your Customer/Anti-Money Laundering/ Combating of Financing of Terrorism;
- Deposits & Services; Advances and FEMA.

Compliance testing exercise (on sample basis) every half year as stipulated by RBI, for Tranche III compliance rules prescribed by RBI and for the regulatory requirements applicable at Overseas Centers is undertaken by the Bank's officials.

KYC /AML / CFT : The department is also vested with the responsibility for implementation/ monitoring; Know Your Customer /Anti Money Laundering Measures/ Combating Financing of Terrorism guidelines. Compliance with KYC norms in all the new as well as existing accounts, as directed by RBI is ensured.

The department also is the nodal point of contact of Risk Based Supervision (RBS) audit of RBI and for all Regulatory Agencies. The RBS reports are scrutinised and compliance is submitted to the RBI.

21. OFFICIAL LANGUAGE :

. There is a well established set-up of official language department which ensures the implementation of Govt. of India policy related provisions regarding progressive use of Hindi. The Initiatives and achievement include -Rajbhasha Kirti Purskar First prize in 'B' region; Rajbhasha Kirti Puraskar First prize in TOLIC category 'B' region in addition to 28 prizes/awards from various authorities for excellent implementation of Official Language Hindi. Bank conducted 133 Hindi work-shops and 3137 staff were imparted training to improve their Hindi language skills. On Vishwa Hindi Diwas (10.01.2017) 2588 students participated in debate and speech competitions from 226 schools across the country.

22. HUMAN RESOURCES , LEARNING & DEVELOPMENT AND IN HOUSE JOURNALS :

The HR transformational strategy, focus is on Capacity

Building, ensuring availability of manpower with right sets of skills, optimum utilization of existing manpower and by bridging skill gaps. The current and future human resources in consonance with business strategic plan, focus on HR transformation on a continuous basis to keep pace with emerging time. Bank has during the year recruited 299 General Banking, 86 Specialist officers and 958 clerks. Endeavour is to bridge the human skill gaps in areas of Corporate Credit, Risk Management, Treasury, IT and Marketing on an on going basis.

Compliance with Reservation Policy :

The Bank is complying with the reservation policy of Government of India. Recruitment and SC/ST Cells at Head Office / Zonal Offices ensure to implement the reservation policy and redressal grievances relating to SC/ST/OBC Employees. General Manager at Head Office is Chief Liaison Officers for OBCs and SCs/STs. Officers from SC/ST/OBC category are designated Liaison / Cell Officers at Zonal Offices. Post-based Reservation Rosters are maintained as per Government guidelines.

Representation of SC/ST/OBCs Staff (Indian) :

March 2017	Officers	Clerks	Sub-Staff	Total
Total	21257	18720	7773	47750
SC	3794	3073	2607	9474
% to total Staff	17.85	16.42	33.54	19.84
ST	1786	1957	863	4606
% to total Staff	8.40	10.45	11.10	9.65
OBC	4386	4109	1674	10169
% to total Staff	20.63	21.95	21.54	21.30

Learning and Development: A separate Cell for Learning and Development is functioning for imparting training and talent development programmes. Bank has introduced E-Learning modules in enhancing the competencies of employees and equip the staff with right skills and knowledge for meeting ever changing business dynamics across different segments. The Bank's Training Colleges have imparted training to 24,000 Staff members and 500 trainees from other Institutes including RRBs during the year. The Executive Development Programmes for AGMs, Bourse Programmes for Treasury Operations and Dealers. Pre-promotion skills training for internal promotion process was provided to 4428 staff. Special session for faculty staff and summer internship to 300 students was conducted during the year.

TAARANGAN (Bilingual) & BOI VAARTA (Hindi) :

Bank's in-house Journal 'Taarangan' has been playing a significant role of internal communication in the Bank since inception 1964. It is also one of the mediums of promoting employee engagement in the bank. It has developed as platform for employees to express there views, creativity & intellect. The house journal carries social, promotional, staff achievements and other activities organised at Zones/ Branches/ offices across India and abroad. The department has nominated zonal representative across zones for reporting of activities undertaken. Banks House Journal won 18 awards and accolades from reputed organizations during FY 2016 - 17 in including two International Award for Brand Excellence in House Magazine.

To motivate employees to use Hindi in their official work, Bank is conducting various activities to promote Hindi viz. training, workshop, competitions and other programmes for the employees. The Hindi In-House Journal is also an important media to motivate and encourage employees to use Hindi in their routine official work. The Bank changed name of the Hindi magazine this year with 'BOI Vaarta' (earlier MEGHTARA). BOI VAARTA **received its first award for 'Best Hindi Promotion' by Press club of Ernakulum, Kerala on 18th February 2017.**

23. CUSTOMER EXCELLENCE BRANCH BANKING :

Bank is a voluntary member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) since inception for customer orientation and commitment to provide service of a high order in a transparent manner, providing the customer with necessary information to take an informed decision. The Bank has adopted and revised various policies on Customer Rights Policy, Customer Acceptance, Care and Severance Policy and Grievance Redressal Policy for rendering services to the customers. Operational Customer Relationship Management (OCRM) is introduced to lodge Web/ Mail based Customer suggestions and issues. Bank has published the tomer's rights on the website in Hindi, English and Marathi as a pictorial booklet. Bank ATM screens/ Digital signage system at select branches, also display the Customer awareness campaign.

24. BRANCH NETWORK & EXPANSION:

Bank has a geographically well spread Domestic branch network of 5016 branches and 29 overseas branches plus 32 Representative Offices across all time Zones of the Globe. During the year 115 new branches were added to the domestic branch network. Bank's Rural and Semi-urban branches constitute 66.15% of domestic branches while specialized branches are 5.29%.

25. BANK'S SUBSIDIARY/ASSOCIATES/JOINT VENTURES:

BOI Shareholding Ltd.

Bank has investments of ₹ 6.64 crore in BOI Shareholding Ltd. (BOISL) , joint venture with BSE, in 1989. Bank during FY 2016 has acquired the BSE stake of 49% is now a 100% wholly owned subsidiary of the Bank. BOISL acts as Depository Participant (DP) of both the Depositories, National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL). The company undertakes collection of Broker Turnover Stamp Duty business on behalf of Governments of Maharashtra, Gujarat, New Delhi, Tamil Nadu, Telangana, West Bengal, Haryana and Karnataka.

BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. and BOI AXA Trustee Services Pvt. Ltd. :

These subsidiaries are in the business of Mutual Fund and Portfolio Management. Bank of India is holding 51% Stake in both the Companies with Investment of ₹ 56.32 crore.

BOI Merchant Bankers LTD. (BOIMB):

BOIMB was promoted to undertake merchant banking business including arranging of Syndicated Loans, Bonds and Debentures on 31.10.2014. It is a wholly owned subsidiary of the Bank with paid up capital of ₹ 10 crore.

STCI Finance Limited :

STCI Finance Ltd. is a NBFC, established in 1994. Bank of India with 29.96% holding is the largest stakeholder in STCI, with a Paid up Capital of ₹ 380 crore. STCI Primary Dealer Ltd. (STCIPD) is a wholly owned subsidiary of STCI Finance Limited. STCIPD commenced its operations from 25th June

2007 and is one of the leading primary dealers in the country.

Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. (SUDLife):

Bank of India, Union Bank of India and Dai-ichi Life Insurance Company, Japan have formed "Star Union Dai-ichi Life Insurance Company" to provide assured life insurance services to its clients. The company commenced insurance business in February 2009. BOI holds 28.96%, UBI holds 25.10%, and Dai-ichi Life Insurance Company holds 45.94% of the company paid up capital with Investment of ₹ 75 crore.

INVESTMENT / ALLIANCES :

Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) was promoted in 1997 by BSE and Bank of India along with other Banks. Bank holds 5.57% stake in the paid up capital of ₹ 104.50 crore of CDSL.

ASREC (India) Ltd. was floated by the Specified Undertaking of the Unit Trust of India (SUUTI) to undertake securitization and asset reconstruction activities. Bank holds 26.02% stake, in the equity capital of the company of ₹ 98 crore.

National Collateral Management Services Ltd. (NCML) is promoted by the National Commodity and Derivates Exchange Ltd. (NCDEX). It was incorporated on 28.09.2004 to promote and provide collateral management services for securing, managing and controlling securities and commodities. Bank holds stake of 10.17% in the equity capital of the company with Paid Up Capital Investments ₹ 3 crore.

SWIFT India Domestic Service Pvt. Ltd. joint venture company is promoted by SWIFT and 9 major Banks including Bank of India. SWIFT is holding 55 % equity and remaining 45% is held by 9 major Banks. Bank of India has an equity stake of 5% in the company with ₹ 7.71 crore Investment.

SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA) was set up during FY 2005-06 by SIDBI in association with Dun & Bradstreet, one of the leading credit rating agencies. The Company objective is to provide comprehensive, transparent and reliable ratings which would facilitate greater and easy flow of credit to SME sector. Bank has a nominal stake of 4% in the equity capital with investment of ₹ 0.40 crore.

OTHER STRATEGIC INVESTMENTS:

Bank also has strategic investments in BSE Ltd. (₹ 49.97 crore), CERSAI (₹ 2.15 crore), Equifax Credit Information Services Ltd. (₹ 4.73 crore), U.V. Asset Reconstruction Co. Ltd. (₹ 0.15 cr) Clearing Corporation of India (₹ 0.50 crore), Agricultural Finance Corporation Ltd. (₹ 1.26 crore), SIDBI (₹ 45.30 crore), Tourism Finance Corporation Limited (₹ 8.59 crore), Central Ware Housing Corporation Ltd. (₹ 1.11 crore), Loss Data Consortium CORDEX (₹ 1 crore), SBIDFHI (Rs 6.34 crore.), NPCI (₹ 10 crore), MCX Stock Exchange Ltd. (₹ 27.50 crore), CSC e-Governance Services India Ltd. (₹ 1 crore), Invent Assets Securitisation and Reconstruction Pvt. Ltd. (₹ 10 crore).

26. VIGILANCE /FRAUD RISK MANAGEMENT :

Vigilance machinery is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO) appointed by Government of India, Ministry of Finance and the Central Vigilance Commission. The CVO is assisted by General Banking officers with knowledge/ background of investigation and disciplinary matters for rendering advice and support on matters relating to vigilance cases. Vigilance Department also focuses on initiation and dissemination of preventive vigilance measures. Bank has eight separate "Vigilance Units" across NBG offices. The Vigilance Department also renders advice of the CVO in Vigilance cases referred by the Bank's sponsored Regional Rural Banks (RRB).

Fraud cannot be eliminated but fraud risk can be mitigated, managed and controlled like other business risks with a proactive framework and approach. Fraud Risk Management Department handles all fraud related matters independently in areas of : Devising and Administration of FRM Policy for the Bank, Reporting and Monitoring of Frauds, Maintenance of Centralized data on frauds, Analysis and diagnostic root cause of Perpetrated and Attempted Frauds and implementing remedial measures for any product deficiencies, Plugging the loopholes in the systems, procedures & practices leading to perpetration of fraud, Dissemination of modus operandi & reasons for occurrence of fraud shared through Circulars/instructions to avoid the risk of recurrence of frauds of similar nature, sensitizing staff through short alerts messages through tickers/periodical messages through MMS/ training/Video Conferencing on Fraud prevention/ mitigation, Periodical circulation of checklist on prevention of frauds, Follow up of police cases and FIR, Flagging of advance related accounts as fraud in Bank's finacle system, Provisioning and accounting of amount involved in frauds, Registering and Follow up for Insurance Claim with the Insurance Company.

27. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORTING 2016-17

Clause 34(2) (f) of SEBI Listing Regulation – 2016. The text of the same is available on our Website – www.bankofindia.com

28. BASEL-III (PILLAR 3) DISCLOSURE (CONSOLIDATED) MARCH 2017

In terms of RBI Circular DBOD.No.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 dated July 1, 2015 on Basel III Capital Regulations read together with RBI Circular DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015 on Prudential Guidelines on Capital adequacy and Liquidity Standard – Amendments, requires Banks to make applicable Pillar 3 disclosures including Leverage Ratio and Liquidity Coverage Ratio under the Basel III framework. These disclosures are available on Bank's website at the link http://www.bankofindia.co.in/english/Regdisclosuresec.aspx.

ACKNOWLEDGEMENT:

The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchange Board of India and other regulatory authorities for their valuable guidance and support. The Board also thanks financial Institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers, business associates and shareholders. The Board also wishes to place on record its appreciation of staff members for their dedicated service and contribution for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Dinabandu Mohapatra
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 9th June, 2017

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

देश के अग्रणी वित्तीय संस्था होने के नाते बैंक ऑफ़ इंडिया प्रतिष्ठित राष्ट्र निर्माताओं की तरह यह स्वप्न देखता है कि प्रत्येक भारतीय भूख, कुपोषण आदि से मुक्त हो और उसकी मूलभूत ज़रूरतें पूरी हों तथा उसे वहनयोग्य दरों पर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों और समान अवसर उपलग्ध हों ताकि सामाजिक एवं आर्थिक असमानता कम हो। बैंक आफॅ इंडिया का विश्वास है कि जिस समाज ने इतने वर्षों में इतना बड़ा बैंक बनने में उसकी सहायता की, उसके विकास के लिए कुछ करना तो न्याय संगत है। बैंक ने विगत वर्षों में देशभर में सीएसआर गतिविधियों के लिए बढ़-चढ़ कर योगदान किया है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत गठित कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में सीएसआर के तहत व्यय करना अनिवार्य किया गया है। हालांकि बैंक ऑफ़ इंडिया इस प्रवर्ग के अंतर्गत नहीं आता फिर भी नेक कारणों के लिए स्वेच्छा से बीएसआर गतिविधियों में सहभागी हो रहा है। बैंक उपयोगी सीएसआर गतिविधियों में सहभागिता करता रहा है और वर्ष 2016-17 के दौरान उसने कुल रु.6.42 करोड़ की विभिन्न सीएसआर परियोजनाएं अनुमोदित की हैं।

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान बैंक ने निम्नानुसार सीएसआर परियोजनाओं को सहायता प्रदान की।

- स्वच्छ भारत अभियान के तहत सहभागिता
- पर्यावरण सुरक्षा हेतु पहल
- प्रशिक्षण एवं कौशल संबंधी पहल
- गरीब/अल्प सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधा
- कैन्सर पीडितों की सहायता
- विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों एवं वृद्धाश्रमों को सहायता
- मानसिक रूप से कम विकसित व्यक्तियों की सहायता
- नेत्रहीन व्यक्तियों की सहायता
- AIDS से संक्रामित बच्चों की सहायता
- मृदा एवं जल संरक्षण परियोजनाओं हेतु सहायता
- ग्रामीण विकास हेतु पहल और ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा सशक्त बनाना एवं उनके स्व-रोजगार हेतु बेहतर अवसरों का सृजन करना
- एससी/एसटी/ओबीसी और समाज के पिछड़े वर्ग का कल्याण

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Bank of India being a premier financial institution of the country shares the dream of eminent statesmen in a positive manner that every Indian should be free from hunger, malnutrition, and should have the basic necessities and be entitled to affordable education, healthcare facilities and equal opportunities in an enabling environment thereby resulting in reduction of social and economic disparity. Bank of India believes that society, which has helped the Bank to grow to such an enormous size over the years, deserves to get back something in return for its development. The Bank has generously contributed to CSR activities over the last few years throughout the length and breadth of the country. A new provision in Companies Act 2013 has mandated expenditure under CSR for the companies formed under the Act. Even though Bank does not come under this category, as a responsible corporate citizen, the Bank has been participating in CSR activities for worthy causes. Bank of India has approved various CSR projects during the year 2016-17 aggregating ₹ 6.42 crore.

During the FY 2017 Bank has assisted CSR projects as under

- Participation under Swachha Bharat Mission
- Initiative to protect environment
- Initiatives on Training and Skill Development
- Extending health care to poor / under privileged
- Assistance to Cancer Patients
- Extending assistance to differently abled persons & old age homes
- Assistance to mentally retarded children
- Assistance for welfare of blind
- Assistance for providing solar water pumps in tribal areas
- Assistance to children of AIDS infected
- Assistance for soil and water conservation projects
- Initiatives for rural development and empowering rural youth by providing skill training in order to create better employment opportunities for self-employment and
- Welfare of SC/ST/OBC and the backward strata of the society.

कार्पोरेट शासन प्रणाली

शासन प्रणाली कूट पर बैंक का दर्शन :

बैंक की कार्पोरेट शासन प्रणाली का दर्शन शेयरधारक मूल्य में वृद्धि करते हुए अपने कारोबार संचालन में नैतिक परिपाटी के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता पर संरचित है। बोर्ड, कार्यपालकों तथा अन्य पदाधिकारियों का पारस्परिक संबंध इस तरह गठित है कि उनकी विशिष्ट भूमिकाएं स्पष्टतया चिन्हित हो जाती हैं तथा कार्पोरेट कार्यनिष्पादन में सुधार आता है। बैंक उच्च प्रकटन मानकों तथा पारदर्शिता के अनुसरण हेतु भी प्रतिबद्ध है। बेहतर परिपाटी के अनुसरण में बैंक ने कारोबार के प्रत्येक पक्ष की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

बोर्ड के निदेशक :

समय-समय पर संशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत बैंक का गठन किया गया है। सामान्य पर्यवेक्षण, बैंक का कारोबार तथा कामकाज का प्रबंधन तथा निदेशन, निदेशक मंडल के पास है जिसके अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष हैं। अगस्त 2015 से, बैंक में एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपलब्ध है।

समीक्षाधीन वर्ष (2016-17) व अब तक बोर्ड का गठन निम्नानुसार था:

श्री जी. पद्मनाभन	अध्यक्ष
श्री दीनबंधु मोहापात्रा (05.05.2017 से)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
श्री मेलविन ओ. रेगो (05.05.2017 तक)	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
श्री आर.ए. शंकर नारायणन	कार्यपालक निदेशक
श्री एन. दामोदरन (16.02.2017 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री ए.के. दास (17.02.2017 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री बी.पी. शर्मा (31.07.2016 तक)	कार्यपालक निदेशक
श्री आर.पी. मराठे (26.09.2016 तक)	कार्यपालक निदेशक
श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू (14.06.2016 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्रीमती ऐना रॉय (14.06.2016 तक)	केन्द्रीय सरकार की नामिती
श्रीमती आर. सेबास्टियन (26.04.2016 से)	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
श्री एस.एस. बारिक (26.04.2016 तक)	भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती
श्री हरविंदर सिंह (30.04.2017 तक)	अधिकारी कर्मचारी निदेशक
श्री नीरज भाटिया	शेयरधारक निदेशक
श्री संजीव कुमार अरोड़ा	शेयरधारक निदेशक
श्रीमती वेनी थापर (21.06.2016 से)	सनदी लेखाकार
डॉ आर.एल.बिश्नोई (18.10.2016 तक)	अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर शेष सभी निदेशकगण बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों के अलावा शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक सेबी (लिस्टिंग ऑबलिगेशन एण्ड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट रेगुलेशन-2015 (सेबी-एलओडीआर) के विनिमय 16 (बी) के अनुरूप स्वतंत्र निदेशक हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पहचान कार्यक्रम का ब्योरा हमारी वेबसाइट अर्थात् www.bankofindia.co.in में उपलब्ध है। हमारा कोई भी निदेशक दूसरे किसी निदेशक का रिश्तेदार नहीं है।

वर्ष 2016-17 के दौरान और अब तक बैंक में कार्यग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री दीनबंधु मोहापात्रा

श्री दीनबंधु मोहापात्रा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और विधि विषय में उन्हें डिग्री प्राप्त है। उन्होंने वर्ष 1984 में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ इंडिया में कार्य आरंभ किया।

CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy on code of Governance :

The Bank's corporate governance philosophy is woven around its total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while striving to enhance shareholders' value. The interrelation between the Board, the executives and other functionaries is so configured as to have distinctly demarcated roles and improved corporate performance. The Bank is also committed to following high disclosure standards and transparency. In line with the best practices, the Bank has formed various committees of the Board to monitor every aspect of business.

Board of Directors :

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended from time to time. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman. Since August 2015, the Bank has a Non-Executive Chairman and a full time Managing Director & Chief Executive Officer.

During the year under review (2016-17) and as on date the Composition of the Board was as under:-

Shri G. Padmanabhan	Chairman
Shri Dinabandhu Mohapatra (from 05.05.2017)	Managing Director & CEO
Shri Melwyn O. Rego (Upto 05.05.2017)	Managing Director & CEO
Shri R. A. Sankara Narayanan	Executive Director
Shri N. Damodharan (from 16.02.2017)	Executive Director
Shri A. K. Das (from 17.02.2017)	Executive Director
Shri B. P. Sharma (upto 31.07.2016)	Executive Director
Shri R. P. Marathe (upto 26.09.2016)	Executive Director
Shri Girish Chandra Murmu (From 14.06.2016)	Govt. Nominee Director
Smt. Anna Roy (upto 14.06.2016)	Nominee of the Central Government
Smt. R. Sebastian (From 26.04.2016)	RBI Nominee Director
Shri S. S. Barik (upto 26.04.2016)	Nominee of Reserve Bank of India
Shri Harvinder Singh (Upto 30.04.2017)	Officer Employee Director
Shri Neeraj Bhatia	Shareholder Director
Shri Sanjiv Kumar Arora	Shareholder Director
Smt. Veni Thapar (From 21.06.2016)	Chartered Accountant
Dr. R. L. Bishnoi (upto 18.10.2016)	Part-Time Non-Official Director

All directors, other than the Managing Director & CEO and the Executive Directors, are non-executive Directors on the Board. The Directors representing shareholders of the Bank other than the Central Government are independent directors within the meaning of Regulation 16 (b) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulations- 2015 (SEBI-LODR).

Details of familiarization programmes imparted to independent directors are available on our website i.e. www.bankofindia.co.in

None of the Directors is a relative of other Director.

Brief Profile of the Directors who joined the Bank during the year - 2016-17 and till date

Shri Dinabandhu Mohapatra,

Mr Dinabandhu Mohapatra, a post-graduate in Economics and holding a degree in Law, joined Bank of India as a Direct Recruit Officer in the year 1984.

व्यापक ज्ञान होने के साथ-साथ उन्हें बहु-आयामी बैंकिंग का तीस वर्षों का अनुभव है जिसमें ट्रेज़री परिचालन, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, कॉर्पोरेट ऋण, विपणन, वसूली, मानव संसाधन शामिल है। इस दौरान वे बैंक ऑफ इंडिया के हाँग-काँग और सिंगापुर केन्द्रों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी रहे।

वे 23 जनवरी 2016 को कार्यपालक निदेशक के रूप में केनरा बैंक से जुड़े, जहाँ उन्होने अंतरराष्ट्रीय परिचालन, ओवरसीज क्रेडिट, कार्यनीतिक योजना व विकास, रिटेल संसाधन, विपणन और विक्रय आदि का कार्यभार संभाला। वे केनरा बैंक की समनुषंगी कंपनियों - चॉइस (CHOICe), कैनबैंक फ़ैक्टर्स व कैनबैंक कम्प्यूटर सर्विसेस लिमिटेड. के बोर्ड में निदेशक भी रहे।

श्री एन. दामोदरन, कार्यपालक निदेशक

श्री एन. दामोदरन ने 16 फ़रवरी 2017 को बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में उनकी पदोन्नति से पूर्व वे बैंक ऑफ बड़ौदा में यूएस परिचालन के मुख्य कार्यपालक थे।

श्री दामोदरन विज्ञान में स्नातक हैं, सीएआईआईबी और वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा धारक हैं। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में सन् 1983 में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और महाप्रबंधक के पद तक पहुंचे जहाँ उन्होने अंतरराष्ट्रीय परिचालन और अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रभारी का कार्यभार संभाला। वे बैंक ऑ फ बड़ौदा के विदेशी केन्द्रों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उनके पास 34 वर्षों का बैंकिंग अनुभव है जिसमें विभिन्न स्तरों पर नीति और परिचालन एक्स्पोज़र दोनों शामिल है।

श्री ए. के. दास, कार्यपालक निदेशक

श्री ए.के. दास अप्लाईड अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और यूजीसी से एनईटी धारक हैं। आईआईटी, खड़गपुर में डॉक्टरल डिग्री के लिए अध्ययनरत रहते हुए वर्ष 1994 में श्री दास बैंकिंग उद्योग से अर्थशास्त्री के रूप में जुड़े।

अपने 23 वर्षों के बैंकिंग अनुभव में, वे नीति और परिचालन दोनों स्तरों पर सक्रिय रहे। जनवरी 2015, में दिल्ली क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पूर्व वे 3 वर्षों से अधिक समय के लिए विजया बैंक के लखनऊ क्षेत्र के प्रमुख रहे। विजया बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस में कार्य करते समय श्री दास ने महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व किया जैसे आयोजना एवं विकास और अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के कार्यपालक सचिव के रूप में भी 2 वर्षों से अधिक कार्य किया।

वे वृहत संस्थानों जैसे आईआईएम (कोझिकोड), आईआईएम (अहमदाबाद), एएससीआई, एनआईबीएम, बीटीसी और फ्रेंकफर्ट स्कूल ऑफ बिज़नस में आयोजित किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का हिस्सा रहे।

उन्होंने 17.02.2017 को बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

श्रीमती आर. सेबास्टियन

श्रीमती आर. सेबास्टियन भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय मुंबई में मुख्य महाप्रबन्धक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में अपने तीन दशकों के कार्यकाल में उन्होंने बैंकिंग पर्यवेक्षण, आंतरिक ऋण प्रबंधन, विदेशी विनिमय विनियमन, ग्रामीण ऋण, सरकारी तथा बैंक खाते और उपभोक्ता संरक्षण के प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर काम किया है। वे भारतीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न समितियों की सदस्य थीं। उन्होंने मई 2012 से फ़रवरी 2016 तक महाराष्ट्र और गोवा के लिए बैंकिंग लोकपाल के रूप में कार्य किया।

श्रीमती आर. सेबास्टियन ओसमानिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर हैं और ट्रेज़री निवेश और जोखिम प्रबंधन (डीटीआईआरएम) में डिप्लोमा धारक हैं। वे भारतीय बैंकिंग संस्थान के प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं।

श्रीमती आर. सेबास्टियन को 26 अप्रैल 2016 से बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में आरबीआई द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू

श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू 56 वर्ष के हैं, वे एमए व एमबीए डिग्री धारक हैं। वे गुजरात कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और गुजरात के मुख्य मंत्री के मुख्य सचिव थे। श्री मुर्मू ने गुजरात राज्य में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर कार्य

He carries with him vast knowledge and multi-dimensional banking experience including Treasury Operations, International Banking, Priority Sector Lending, Corporate Lending, Marketing, Recovery, Human Resources, spanning over thirty three years, including his stint as Chief Executive Officer of Hong Kong and Singapore Centres of Bank of India.

He joined Canara Bank as Executive Director on January 23, 2016 where he was overseeing International Operations, Overseas Credit, Strategic Planning & Development, Retail Resources, Marketing and Selling etc. He was also a Director on the Board of Canara Bank's Subsidiaries- CHOICe, Canbank Factors & Canbank Computer Services Limited.

Shri N Damodharan, Executive Director

Shri N Damodharan, has taken over charge as Executive Director of Bank of India on 16th February, 2017.

Prior to his elevation as Executive Director of Bank of India, he was Chief Executive, US Operations, Bank of Baroda.

Shri Damodharan is a Science graduate, CAIIB and Diploma holder in Financial Management. He joined Bank of Baroda as Direct Recruit Officer in the Year 1983 and rose to the position of General Manager, overseeing International operations and in-charge of international projects. He has been a part of several important positions at foreign centers of Bank of Baroda. He has 34 years of banking experience which involves both policy and operational exposure at various levels.

Shri A K Das, Executive Director

Shri A. K. Das, is a post graduate in Applied Economics and NET holder from UGC. While pursuing a doctoral degree at IIT, Kharagpur, Shri Das joined the Banking Industry as Economist in the year 1994.

In his 23 years of banking experience, he has been involved at both policy and operational levels. Prior to assuming charge as Delhi Regional Head in January 2015, he was heading Vijaya Bank's Lucknow Region for more than 3 years. While at a Vijaya Bank's Corporate Office, Shri Das has handled key Departments as Planning & Development & also was posted as Executive Secretary to C&MD for more than 2 years.

He has been part of several important training programs/ workshops conducted at premier institutions like IIM (Kozhikode), IIM (Ahmedabad), ASCI, NIBM, BTC and Frankfurt School of Business Management.

He has taken charge as Executive Director of Bank of India on 17.02.2017.

Smt. R. Sebastian

Smt. R. Sebastian is the Chief General Manager of the Reserve Bank of India at its Central Office in Mumbai. In her career with the Reserve Bank of India, spanning over three decades, she has worked in various capacities in the functional areas of Banking Supervision, Internal Debt Management, Foreign Exchange regulation, Rural Credit, Government and Bank Accounts and Consumer Protection. She was a member of several Committees appointed by the Government of India and the Reserve Bank of India. She served as the Banking Ombudsman for Maharashtra and Goa from May 2012 to February 2016.

Smt. R. Sebastian is a post graduate from Osmania University and has a Diploma in Treasury Investment and Risk Management (DTIRM). She is also a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers (CAIIB).

Smt. R. Sebastian has been appointed as RBI Nominee Director on the Board of Bank of India w.e.f. 26th April, 2016

Shri Girish Chandra Murmu

Shri Girish Chandra Murmu, 56 years, is an MA and MBA. He is a 1985 batch Indian Administrative Service Officer of Gujarat cadre and was Principal Secretary to CM of Gujarat. Shri Murmu held key administrative positions in the State Government. Subsequently, with his posting in Central Government, he was appointed Joint Secretary in Department of Expenditure in

किया। तत्पश्चात, केंद्र सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान वे वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में, श्री मुर्मू वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में अपर सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू को अगले आदेश तक 14 जून 2016 से बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्रीमती वेनी थापर

श्रीमति वेनी थापर 45 वर्ष की हैं, वे आईसीएआई से सनदी लेखाकार हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कॉस्ट अकाउंटेंट डिग्री धारक भी हैं। वे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट एंड कंट्रोल असोसिएशन से प्रमाणपत्र धारक हैं। उनकी रुचि आरबीआई व फेमा, बैंक अंतरराष्ट्रीय कराधान, आय कर, कंपनी कानून और उससे संबंधित क्षेत्रों में है।

श्रीमती वेनी थापर दिनांक 21 जून 2016 को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तीन वर्षों के लिए सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में अंश-कालिक गैर कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं।

Ministry of Finance. Presently, Shri Murmu is holding the charge as Additional Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

Shri Girish Murmu has been appointed as Government Nominee Director on the Board of Bank of India w.e.f. 14th June, 2016 or until further orders.

Smt. Veni Thapar

Smt. Veni Thapar, 45 years, is a Chartered Accountant from ICAI and also holds the degree of a Cost Accountant from Institute of Cost and Works Accountants of India. She is a Certificate holder from Information Systems Audit and Control Association. Her areas of interest are RBI & FEMA matters, Banking matters, International Taxation, Income Tax, Company Law and Associated fields.

Smt. Veni Thapar has been appointed as Part-time Non-official Director under Chartered Accountant category on the Board of Bank of India w.e.f. 21st June, 2016 for a period of three years from the date of notification of her appointment or until further orders, whichever is earlier.

निदेशकों के अन्य विवरण (यथा दिनांक 31.03.2017)

OTHER PARTICULARS OF DIRECTORS (As on 31.03.2017)

क्र सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of Directors	श्रेणी (अध्यक्ष / कार्यपालक / गैरकार्यपालक / स्वतंत्र / नामिती) Category (Chair- person/ Executive / Non-Executive/ independent/ Nominee)	बैंक के ईक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समितियों के सदस्य Member of Board Committees*	
							सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
1	श्री जी. पद्मनाभन Shri G. Padmanabhan	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष Non-Executive Chairman	–	14.08.2015	बैंकिंग Banking	सदस्य, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट समिति, सदस्य विनियमन, एनएसईआईएइ Member, Independent Oversight Committee-Member Regulations, NSEIL	–	–
2	श्री मेलविन ओ. रेगो Shri Melwyn O. Rego	कार्यपालक Executive	–	14.08.2015	बैंकिंग Banking	1. बीओआई मर्चन्ट बैंकर्स लि. 2. एसटीसीआई फायनान्स लि. 3. स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ़ इन्श्योरेंस कं.लि. 4. एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. 5. बीओआईएएक्सए इनवेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा. लि. 6. इंडो ज़ाम्बिया बैंक 1. BOI Merchant Bankers Ltd. 2. STCI Finance Ltd 3. Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd. 4. STCI Primary Dealer Ltd. 5. BOIAXA Investment Managers Pvt. Ltd. 6. Indo Zambia Bank	–	–
3	श्री आर. ए. शंकर नारायणन Shri R. A. Sankara Narayanan	कार्यपालक Executive	1000	15.05.2015	बैंकिंग Banking	1. बीओआई (तंज़ानिया) लि 2. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके 3. बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. 1. BOI (Tanzania) Ltd. 2. PT Bank of India Indonesia Tbk 3. BOI Shareholding Ltd.	1	–
4	श्री एन दामोदरन Shri N Damodharan	कार्यपालक Executive	–	16.02.2017	बैंकिंग Banking	शून्य None	1	–
5	श्री ऐ के दास Shri A K Das	कार्यपालक Executive	–	17.02.2017	बैंकिंग Banking	शून्य None	2	–

क्र सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of Directors	श्रेणी (अध्यक्ष / कार्यपालक / गैरकार्यपालक / स्वतंत्र / नामिती) Category (Chair- person/ Executive / Non-Executive/ independent/ Nominee)	बैंक के ईक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समितियों के सदस्य Member of Board Committees*	
							सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
6	श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू Mr Girish Chandra Murmu	नामिती Nominee	–	14.06.2016	प्रशासन Administration	भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	1	–
7	श्रीमती आर. सेबास्टियन Ms R Sebastian	नामिती Nominee	–	26.04.2016	बैंकिंग Banking	शून्य Nil	1	–
8	श्री हरविंदर सिंह Shri Harvinder Singh	नामिती Nominee	200	18.09.2014	बैंकिंग Banking	शून्य Nil	–	–
9	श्री नीरज भाटिया Shri Neeraj Bhatia	स्वतंत्र Independent	100	25.10.2014	लेखा Accounting	ओजस मेडिकल सर्विसेस (प्रा.) लि. Ojas Medical Services (P) Ltd.	–	1
10	श्री संजीव कुमार अरोरा Shri Sanjiv Kumar Arora	स्वतंत्र Independent	150	25.10.2014	लेखा Accounting	1. नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉर्प. लि. 2. रैडो टायर्स लि. 1. National Jute Manufactures Corporation Ltd. 2. Rado Tyres Ltd	2	–
11	श्रीमति वेनी थापर Ms Veni Thapar	गैर कार्यपालक Non Executive	–	21.06.2016	लेखा Accounting	शून्य None	–	1

* सेबी एलओडीआर विनियम 2015 की अनुसूची 26 के खण्ड बी के अनुपालन में, बैंक ने केवल लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक संबंध समिति की अध्यक्षता/ सदस्यता पर विचार किया है।

* In compliance of Sub-Clause B of Clause 26 of SEBI LODR Regulations 2015, the Bank has considered the Chairmanship/ Membership of the Audit Committee and the Stakeholders' Relationship committee only.

बोर्ड की बैठकों का संचालन :

वित्त-वर्ष 2017 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की कुल 17 बैठकें आयोजित की गईं:

Conduct of Board Meetings :

During the FY 2017, 17 Board Meetings were held on the following dates:

28-04-2016	12-05-2016	23-05-2016	24-05-2016	14-06-2016	14-07-2016
12-08-2016	7-09-2016	27-09-2016	03-11-2016	10-11-2016	13-12-2016
24-01-2017	09-02-2017	02-03-2017	08-03-2017	30-03-2017	

वित्त-वर्ष 2017 में बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings in FY 2017 are as follows::

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Recorded	अवधि (से - तक) Period (From - To)
श्री जी. पद्मनाभन	Shri G. Padmanabhan	17	17	01.04.2016 से 31.03.2017
श्री मेलविन रेगो	Shri Melwyn O. Rego	17	16	01.04.2016 से 31.03.2017
श्री आर. ए. शंकर नारायणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	17	15	01.04.2016 से 31.03.2017
श्री एन दामोदरन	Shri N Damodharan	3	3	16.02.2017 से 31.03.2017
श्री ऐ के दास	Shri A K Das	3	3	17.02.2017 से 31.03.2017
श्री बी.पी शर्मा	Shri B. P. Sharma	6	4	01.04.2016 से 31.07.2016
श्री आर.पी मराठे	Shri R. P. Marathe	8	8	01.04.2016 से 26.09.2016
श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू	Shri Girish Chandra Murmu	12	4	14.06.2016 से 31.03.2017
श्रीमती ऐना रॉय	Ms. Anna Roy	5	0	01.04.2016 से 13.06.2016
श्रीमती आर. सेबास्टियन	Ms R Sebastian	16	14	26.04.2016 से 31.03.2017

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Recorded	अवधि (से - तक) Period (From - To)
श्री एस.एस बारिक	Shri S. S. Barik	0	0	01.04.2016 से 25.04.2016
श्री हरविंदर सिंह	Shri Harvinder Singh	17	17	01.04.2016 से 31.03.2017
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	17	17	01.04.2016 से 31.03.2017
श्री संजीव कुमार अरोड़ा	Shri Sanjiv Kumar Arora	17	17	01.04.2016 से 31.03.2017
श्रीमती वेनी थापर	Ms Veni Thapar	12	12	21.06.2016 से 31.03.2017
श्री आर.एल बिश्नोई	Shri R. L. Bishnoi	9	8	01.04.2016 से 17.10.2016

बोर्ड समितियां

कॉर्पोरेट शासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यनीतिक महत्व वाले विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड समितियां निम्नानुसार हैं :-

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति
2. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति
3. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
4. शेयर धारक संबंध समिति
5. शेयर अंतरण समिति
6. जोखिम प्रबंधन हेतु निदेशकों की समिति
7. ग्राहक सेवाओं हेतु निदेशकों की समिति
8. निदेशकों की पारिश्रमिक समिति
9. निदेशकों की नामांकन समिति
10. कारोबार समीक्षा समिति
11. निवेश अनुमोदन समिति
12. बडे मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु समिति
13. आईटी कार्यनीति समिति
14. निदेशकों की पदोन्नति समिति
15. एचआर पर बोर्ड की संचालन समिति
16. इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति
17. उच्च मूल्य एनपीए और हानि परिसंपत्तियों की निगरानी समिति
18. बोर्ड की स्वतंत्र निदेशकों की समिति

बोर्ड की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है. प्रबंधन समिति वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टे खाते लिखने संबंधी प्रस्तावों, वाद/अपील दायर करने आदि के संबंध में बोर्ड को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करती है। दिनांक 31.03.2017 तक इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, 3 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक और 3 अन्य निदेशकों सहित 8 सदस्य शामिल हैं।

वित्तीय-वर्ष 2017 के दौरान बोर्ड प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 26 बैठकें हुई :

Board Committees

The Board of Directors of the Bank has constituted various committees of directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India Guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Board Committees are as under:

1. Management Committee of the Board
2. Credit Approval Committee of the Board
3. Audit Committee of the Board
4. Stakeholders' Relationship Committee
5. Share Transfer Committee
6. Committee of Directors for Risk Management
7. Committee of Directors for Customer Services
8. Remuneration Committee of Directors
9. Nomination Committee of Directors
10. Business Review Committee
11. Investment Approval Committee
12. Committee for Monitoring on Large Value Frauds
13. IT Strategy Committee
14. Directors Promotion Committee
15. Steering Committee of the Board on HR
16. Review Committee for Wilful Defaulters
17. Committee for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets
18. Independent Directors' Committee of the Board

Management Committee of the Board :

The Management Committee of the Board is constituted as per the provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme, 1970. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals etc. As on 31.3.2017, it comprised of 8 members consisting of the Managing Director and CEO, 3 Executive Directors, RBI Nominee Director and 3 other Directors.

The Management Committee of the Board met 26 times during the FY 2017 on the following dates:

13-04-2016	27-04-2016	13-05-2016	07-06-2016	20-06-2016	28-06-2016	13-07-2016
30-07-2016	16-08-2016	30-08-2016	19-09-2016	28-09-2016	14-10-2016	26-10-2016
11-11-2016	24-11-2016	14-12-2016	22-12-2016	29-12-2016	11-01-2017	25-01-2017
14-02-2017	01-03-2017	14-03-2017	23-03-2017	29-03-2017		

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति की रिपोर्ट निम्नानुसार है:

Attendance record of the members in the above meetings are shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	अवधि Period (From - To)
श्री मेलविन ओ. रेगो	Shri Melwyn O. Rego	26	25	01.04.2016 से 31.03.2017
श्री. आर. ए. शंकर नारायणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	26	25	01.04.2016 से 31.03.2017
श्री एन दामोदरन	Shri N Damodharan	4	4	16.02.2017 से 31.03.2017
श्री ए के दास	Shri A K Das	4	4	17.02.2017 से 31.03.2017
श्री बी.पी शर्मा	Shri B. P. Sharma	8	2	01.04.2016 से 31.07.2016
श्री आर.पी.मराठे	Shri R. P. Marathe	11	11	01.04.2016 से 26.09.2016
श्रीमती आर. सेबास्टियन	Ms R Sebastian	25	21	26.04.2016 से 31.03.2017
श्री एस.एस बारिक	Shri S. S. Barik	2	0	01.04.2016 से 25.04.2016
श्री हरविंदर सिंह	Shri Harvinder Singh	20	15	01.04.2016 से 28.04.2016 18.07.2016 से 17.01.2017 09.02.2017 से 31.03.2017
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	24	24	25.04.2016 से 24.10.2016 29.10.2016 से 31.03.2017
श्री संजीव कुमार अरोड़ा	Shri Sanjiv Kumar Arora	24	24	25.10.2015 से 24.04.2016 29.04.2016 से 28.10.2016 12.11.2016 से 11.05.2017
श्री आर.एल बिश्नोई	Shri R. L. Bishnoi	7	7	01.04.2016 से 17.07.2016

बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति:

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नयी दिल्ली की संसूचना संदर्भ सं.13/1/2006-बीओ.1 दिनांकित 31 जनवरी, 2012, द्वारा जारी निदेशों के अनुसार बैंक ने बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया है। यह ऋण अनुमोदन समिति हमारे बैंक के मामले में रु.400 करोड़ तक के किसी एकल ऋण प्रस्ताव के बारे में बोर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करेगी और ऐसी सीमाओं से अधिक के प्रस्तावों पर प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, वित्त के प्रभारी महाप्रबंधक और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी महाप्रबंधक और संबंधित ऋण के प्रभारी महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता बैंक की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ करते हैं। वित्तीय-वर्ष के दौरान बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 33 बैठकें हुई :

Credit Approval Committee of the Board:

In terms of the directions of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their communication reference No.13/1/2006-BO.1 dated 31st January 2012, the Bank has constituted the Credit Approval Committee of the Board. The Credit Approval Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto Rs. 400 crore in case of our Bank and in case of exposure exceeding such limits shall be considered by the Management Committee.

The members of the committee are the Managing Director & CEO, the Executive Directors, The General Manager in-charge of Finance and the General Manager in-charge of Risk Management and the General Manager in charge of Credit concerned. The committee meetings are being chaired by the Managing Director & CEO of the Bank. Credit Approval Committee of the Board met 33 times during the FY 2017 on the following dates:

18-04-2016	05-05-2016	17-05-2016	10-06-2016	20-06-2016	28-06-2016	15-07-2016
01-08-2016	24-08-2016	02-09-2016	09-09-2016	19-09-2016	21-09-2016	27-09-2016
29-09-2016	04-10-2016	10-10-2016	21-10-2016	01-11-2016	16-11-2016	23-11-2016
20-12-2016	28-12-2016	31-12-2016	09-01-2017	27-01-2017	03-02-2017	13-02-2017
27-02-2017	10-03-2017	16-03-2017	27-3-2017	30-03-2017		

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	अवधि Period (From - To)
श्री मेलविन.ओ. रेगो	Shri Melwyn O. Rego	33	33	01.04.2016 से 31.03.2017
श्री. आर. ए. शंकर नारायणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	33	30	01.04.2016 से 31.03.2017
श्री एन दामोदरन	Shri N Damodaran	5	5	16.02.2017 से 31.03.2017
श्री ऐ के दास	Shri A K Das	5	5	17.02.2017 से 31.03.2017
श्री बी.पी.शर्मा	Shri B. P. Sharma	7	3	01.04.2016 से 31.07.2016
श्री आर.पी.मराठे	Shri R. P. Marathe	13	13	01.04.2016 से 26.09.2016

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति :

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। यह एसीबी दिशानिर्देश देती है तथा बैंक के संपूर्ण लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन का निरीक्षण भी करती है।

लेखा परीक्षा समिति में 5 सदस्य हैं, अर्थात निरीक्षण और लेखा परीक्षा के प्रभारी कार्यपालक निदेशक, सरकार नामिती निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक और 2 अन्य निदेशक। वर्तमान में श्रीमती वेनी थापर, सनदी लेखाकर निदेशक बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षा हैं। वित्तीय-वर्ष 2017 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को लेखा परीक्षा समिति की 11 बैठकें हुई :

Audit Committee of the Board :

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

The Audit Committee comprises of 5 members viz. Executive Director in charge of Inspection & Audit, Government Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and 2 other directors. Mrs. Veni Thapar, Chartered Accountant Director is the present Chairman of the Audit Committee of the Board. During the FY 2017, the Audit Committee met 11 times on the following dates:

13-04-2016	24-05-2016	13-06-2016	12-08-2016	31-08-2016	14-10-2016
10-11-2016	13-12-2016	05-01-2017	09-02-2017	09-03-2017	

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

The attendance record of the members in the above meetings are shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	अवधि Period (From - To)
श्रीमती वेनी थापर	Ms Veni Thapar	8	8	21.06.2016 से 31.03.2017
श्री. आर. ए. शंकर नारायणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	11	11	01.04.2016 से 31.03.2017
श्री एन दामोदरन	Shri N Damodaran	5	5	16.02.2017 से 31.03.2017
श्री ऐ के दास	Shri Atanu Kumar Das	5	5	17.02.2017 से 31.03.2017
श्री बी.पी शर्मा	Shri B. P. Sharma	2	1	01.04.2016 से 31.07.2016
श्री आर.पी.मराठे	Shri R. P. Marathe	5	5	01.04.2016 से 26.09.2016
श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू	Shri Girish Chandra Murmu	8	2	14.06.2016 से 31.03.2017
श्रीमति ऐना रॉय	Ms. Anna Roy	3	0	01.04.2016 से 13.06.2016
श्रीमति आर. सेबास्टियन	Ms. R Sebastian	10	10	26.04.2016 से 31.03.2017
श्री एस.एस बारिक	Shri S. S. Barik	1	0	01.04.2016 से 25.04.2016
श्री संजीव कुमार अरोड़ा	Shri Sanjiv Kumar Arora	3	3	01.04.2016 से 13.07.2016
श्री आर.एल बिश्नोई	Dr. R L Bishnoi	3	3	01.04.2016 से 17.10.2016

बोर्ड के निदेशकों के समक्ष स्वीकार किए जाने हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व बैंक के गैर-लेखा परीक्षित तिमाही परिणामों और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board prior to the placing before the Board of Directors for approval.

स्टेक होल्डर संबंधी समिति

सेबी-एलओडीआर विनियमन 2015 के विनियम 20 के प्रावधान के अनुरूप कॉर्पोरेट शासन पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त न होने इत्यादि के संबंध में शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु स्टेकहोल्डर संबंध समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान निवेशकों से अब तक प्राप्त सभी शिकायतों/सदंर्भों का उत्तर दिया गया/निपटाया गया। संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद प्राय:सात दिनों के अंदर निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई की जाती हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशकगण और दो स्वतंत्र शेयरधारक निदेशक हैं। श्री नीरज भाटिया, शेयरधारक निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

श्री राजीव भाटिया, कंपनी सचिव, इस उद्देश्य के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक ने 24 शिकायतें प्राप्त की। इन सभी शिकायतों का निपटान किया गया है और यथा 31.03.2017 को स्कोरस में कोई शिकायत लंबित नहीं है।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर समिति की 5 बैठकें आयोजित की गई:

Stakeholders Relationship Committee :

In compliance of Regulation 20 of SEBI-LODR Regulations–2015, Stakeholders' Relationship Committee, has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Balance Sheet, non-receipt of dividends etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied / redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Executive Directors and two independent Directors. It is headed by Shri Neeraj Bhatia, Shareholder Director of the Bank.

Shri Rajeev Bhatia, Company Secretary, is the Compliance Officer of the Bank for this purpose.

During the year 2016-17, Bank has received 24 Complaints. All of these have been resolved and there is no pending complaints at SCORES as on 31.03.2017.

The Committee met 5 times during the FY 2017 on the following dates:

27-04-2016	13-07-2016	31-08-2016	24-11-2016	01-03-2017

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित है:

The attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	उपस्थिति का अभिलेख Attendance Record	अवधि Period (From - To)
श्री नीरज भाटिया	Shri Neeraj Bhatia	5	5	01.04.2016 से 24.10.2017
श्री. आर. ए. शंकर नारायणन	Shri R. A. Sankara Narayanan	5	5	01.04.2016 से 31.03.2017
श्री एन दामोदरन	Shri N Damodharan	1	1	16.02.2017 से 31.03.2017
श्री ऐ के दास	Shri A K Das	1	1	17.02.2017 से 31.03.2017
श्री बी.पी.शर्मा	Shri B. P. Sharma	2	1	01.04.2016 से 31.07.2016
श्री आर.पी.मराठे	Shri R. P. Marathe	3	3	01.04.2016 से 26.09.2016
श्री संजीव कुमार अरोड़ा	Shri Sanjiv Kumar Arora	5	5	01.04.2016 से 31.03.2017

शेयर अंतरण समिति

इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और दो अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 5 बैठकें हुई :

Share Transfer Committee

It comprises of Managing Director & CEO, Executive Directors and two other Directors. The Committee met 5 times during the FY 2017 on the following dates:

27-04-2016	13-07-2016	31-08-2016	24-11-2016	14-02-2017

जोखिम प्रबंधन के लिए निदेशकों की समिति

इस समिति का गठन बैंक द्वारा लिए गए समस्त जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और दो अन्य निदेशक हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुई :

Committee of Directors for Risk Management

This committee was formed to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. It comprises of Chairman, Managing Director & CEO, Executives Directors and two other directors. The committee met 4 times during the FY 2017 on the following dates:

28-04-2016	07-09-2016	13-12-2016	02-03-2017

ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप सितंबर 2004 में ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति का गठन किया गया था। समिति का कार्य बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता अनवरत रूप से सुधार लाने की है और ग्राहक सेवा हेतु गठित संचालन समिति (प्रधान कार्यालय में) के प्रदर्शन की समीक्षा करना है। इसमें प्रबंध निदेशक व सीईओ, तीन कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और दो अन्य निदेशक शामिल होते हैं। वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुईं:

Committee of Directors for Customer Service

As per the RBI guidelines, the Customer Service Committee of the Board was formed in September 2004. The functions of the committee are to bring about improvement in the quality of customer service provided by the Bank on an ongoing basis and to review the performance of the Standing Committee on Customer Service (at the head office). It comprises of Managing Director & CEO, three Executive Directors, GOI Nominee Director and two other directors. The committee met 4 times during the FY 2017 on the following dates:

14-06-2016	31-08-2016	14-12-2016	01-03-2017

निदेशकों की नामांकन समिति

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के चयन के लिए व्यक्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रखे गए 'फिट एंड प्रोपर' मानदंड को पूरा करना होगा। नामांकन समिति में अध्यक्ष, सरकार द्वारा नामित निदेशक और 2 अन्य गैर कार्यपालक निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान समिति ने शेयरधारक निदेशकों की 'फिट एंड प्रोपर'स्थिति का पता लगाने के लिए 14.06.2016 को बैठक की।

Nomination Committee of Directors

Under the provisions of Section 9 (3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Reserve Bank of India has laid down `Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalised Banks. The Nomination Committee consists Chairman, Govt. Nominee Director and 2 other Non-Executive Directors. During the FY 2016 the committee met on 14-06-2016 to ascertain the `Fit & Proper" status of Shareholders Directors.

कारोबार समीक्षा समिति

नियामक कैलेण्डर मदों की आवधिक समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया था। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और दो अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर इसकी बैठकें हुई।

Business Review Committee

The Committee was formed to review the regulatory calendar items periodically. This committee consist of the Chairman, Managing Director & CEO, Executive Directors and two other Directors. During the FY 2017, it met on following dates

28-04-2016	14-06-2016	30-07-2016	27-09-2016
13-12-2016	02-03-2017		

निवेश अनुमोदन समिति

निवेश संबंधित निर्णय लेने के लिए निवेश अनुमोदन समिति का गठन किया गया। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, महाप्रबंधक जोखिम प्रबंधन और महाप्रबंधक वित्त शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर इसकी बैठकें हुई।

Investment Approval Committee

The Investment Approval Committee was formed to take investment decisions. It consists of the Managing Director & CEO, Executive Directors, General Manager – Risk Management and General Manager – Finance. During the FY 2017 it met on the following dates:

01-07-2016	15-07-2016	09-08-2016	02-09-2016	07-09-2016	07-10-2016
21-10-2016	26-10-2016	05-11-2016	23-11-2016	06-12-2016	10-02-2017
07-03-2017					

आई.टी. कार्यनीति समिति

आई.टी. कार्यनीतियों पर निर्णय लेने के लिए तथा आई.टी. परियोजनाओं के क्षेत्र में हुए विकास की निगरानी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में यह समिति गठित की गई। इसमें अध्यक्ष, एमडी व सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा दो अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं। इसकी तिमाही अंतराल में बैठक होती है। वित्तीय-वर्ष 2017 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई -

IT Strategy Committee

The committee was formed in compliance of guidelines issued by Reserve Bank of India to take decision on IT Strategies and to monitor the development in the area of IT Projects. IT Strategy Committee consists of Chairman, MD and CEO, Executive Directors, Govt. Nominee Director and two other Non-Executive Directors. It meets on quarterly interval. During the FY 2017 it met on the following dates:

14-06-2016	27-09-2016	13-12-2016	02-03-2017

निदेशकों की पदोन्नति समिति

इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और आरबीआई नामिती निदेशक शामिल होते हैं । वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान समिति की 07.03.2017 को बैठक हुई-

Directors Promotion Committee

The Members of this committee are the Chairman, Managing Director & CEO and RBI Nominee Director. During the year FY 2017 it met on 07.03.2017

विगत वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

श्री जी पद्मनाभन, अध्यक्ष, श्री मेलविन रेगो, एमडी व सीईओ, श्री आर.ए. शंकर नारायणन, श्रीमती वेनी थापर, श्री नीरज भाटिया, श्री हरविंदर सिंह और श्री एस. एस अरोड़ा ने दिनांक 14.07.2016 को हुई बैंक की पिछली अर्थात बीसवीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

Attendance of the Directors at the last Annual General Meeting

Shri G Padmanabhan, Chairman, Shri Melwyn O Rego, MD & CEO, Shri R. A. Sankara Narayanan, Smt. Veni Thapar, Shri Harvinder Singh, Shri Neeraj Bhatia Shri S K Arora and attended the last i.e., Twentieth Annual General Meeting of the Bank held on 14-07-2016

शेयर अंतरण और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

शेयर अंतरण, लाभांश/ ब्याज का भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी कार्यकलापों पर कार्रवाई हमारे पंजीयक एवं अंतरण एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायत/ कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्नलिखित पते पर संपर्क करने का अनुरोध है :

Share Transfers and Redressal of Shareholders`/Investors` Grievances :

Share Transfers, Dividend / interest payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgement of any of these documents and for queries/ complaints /grievances, shareholders and investors are requested to contact

इक्विटी शेयर और बॉन्ड/ डिबेंचर के लिए
बिगशेयर सर्विसेस प्रा.लि
ई-2, अनसा इंडस्ट्रियल एस्टेट, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व)
मुंबई- 400072 फोन -022-4043200,
ई मेल : investor@bigshareonline.com

For Equity Shares and Debentures/ Bonds
Bigshare Services Pvt. Ltd.,
E-2, Ansa Industrial Estate, Sakinaka, Andheri (E),
Mumbai 400 072 Phone 022-40430200,
Email: investor@bigshareonline.com

उपर्युक्त के अलावा, निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक के शेयर विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं:

Apart from the above, investors may also contact the Bank at its Investor Relations Department at

स्टार हाउस, 8 वीं मंजिल, पूर्वी खण्ड, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051,
फोन 022-66684444, फैक्स- 022-66684491,
ई-मेल: headoffice.share@bankofindia.co.in

Star House, 8th Floor, East Wing, C-5, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051,
Phone 022-66684444, Fax- 022-66684491,
E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in

आम सभा की बैठकें : General Body Meetings

	बैठक का स्वरूप	Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	विशेष संकल्प Special Resolution
1	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	30.03.2017 पूर्वाह्न 10.30 बजे 30.03.2017 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। Issue of Shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis
2	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	30.08.2016 पूर्वाह्न 10.30 बजे 30.08.2016 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	भारत सरकार को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। Issue of Shares to Government of India on preferential basis
3	बीसवीं वार्षिक आम बैठक	Twentieth Annual General Meeting	14.07.2016 अपराहन 3.00 बजे 14.07.2016 3.00 P.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	साधारण संकल्प Ordinary Resolution
4	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	29.04.2016 पूर्वाह्न 10.15 बजे 29.04.2016 10.15 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	1. भारत सरकार को अधिमानी आधार पर नये शेयर जारी करना। 2. भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। 1. Issue of Fresh Shares to Government of India on Preference basis 2. Issue of Shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis
5	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	29.03.2016 पूर्वाह्न 10.30 बजे 29.03.2016 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	1. प्राधिकृत पूंजी में बढ़ोतरी। 2. नए शेयर और टियर-1/ टियर-2 बॉण्ड्स/ अधिमानी शेयर जारी करना 3. भारतीय जीवन बीमा निगम को शेयर जारी करना। 1. Increase in Authorised Capital 2. Issue of Fresh Shares and Tier-1 and Tier-2 Bonds/Preference Shares 3. Issue of Shares to General Insurance Corporation of India
6	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	21.12.2015 पूर्वाह्न 10.30 बजे 21.12.2015 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। Issue of Shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis
7	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	28.09.2015 पूर्वाह्न 10.30 बजे 28.09.2015 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	भारत सरकार को अधिमानी आधार पर नये शेयर जारी करना। Issue of Shares to Government of India on preferential basis
8	उन्नीसवीं वार्षिक आम बैठक	Nineteenth Annual General Meeting	20.07.2015 पूर्वाह्न 11.00 बजे 20.07.2015 11.00 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	नए शेयर और टियर-1 एवं टियर-2 बॉण्ड्स/ अधिमानी शेयर जारी करना Issue of Fresh Shares and Tier-1 and Tier-2 Bonds/Preference Shares
9	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	07.03.2015 पूर्वाह्न 11.00 बजे 07.03.2015 11.00 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	भारतीय जीवन बीमा निगम और न्यू इंडिया एश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। Issue of Shares to Life Insurance Corporation of India and New India Assurance Corporation of India on preferential basis
10	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	17.10.2014 पूर्वाह्न 10.30 बजे 17.10.2014 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	शेयरधारकों में से निदेशकों का चुनाव। Election of Directors amongst Shareholders
11	अठारहवीं वार्षिक आम बैठक	Eighteenth Annual General Meeting	10.07.2014 3.00 बजे 10.07.2014 3.00 P.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	नए शेयर और टियर-1 एवं टियर-2 बॉण्ड्स/ अधिमानी शेयर जारी करना। Issue of Fresh Shares and Tier-1 and Tier-2 Bonds/Preference Shares

प्रकटन:

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत बैंक शासित है। सेबी ने यह स्पष्ट किया है कि विनियम 15(2) के अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाएं जो कंपनियां नहीं किंतु कार्पोरेट निकाय हैं या कारपोरेट शासन प्रणाली के प्रावधानों के अन्य संविधियों के विनियम के अधीन है, जैसा कि कुछ विनियमों के तहत स्पष्ट किया गया है यह उस सीमा तक लागू होगा जहां उनके संबन्धित प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा संबंधित संविधि का उल्लंघन न हो रहा हो।

i) निदेशकों का पारिश्रमिक:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक अशासकीय निदेशकों को बैठक शुल्क, जो कि निम्नलिखित है, के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता:

बोर्ड बैठकों के लिए : ₹ 20,000/- प्रति बैठक

समिति बैठकों के लिए : ₹ 10,000/- प्रति बैठक

ii) महत्वपूर्ण संव्यवहारों और आर्थिक संबंधों का प्रकटन

बैंक कारोबार की सामान्य प्रकृति के अलावा बैंक ने कोई महत्वपूर्ण भौतिक संव्यवहार इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों आदि से नहीं किया है जिसका बैंक के हितों से कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास हो सकता हो। बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशक के बीच वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुए हैं।

बैंकिंग में यह सुस्थापित प्रथा है कि निदेशक, और बोर्ड की उप समितियों की उन चर्चाओं में भाग नहीं लेते जिनमें उनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता हो।

iii) सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि की आगम राशियाँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पूंजी को बढ़ाने के लिए बैंक ने निम्न इक्विटी शेयर और टियर-II बॉन्ड जारी किए हैं :-

आवंटन की तारीख	विवरण (इनवेस्टर)	शेयरों/बॉन्डों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉन्ड निर्गम मूल्य	राशि (₹ करोड़ में)
08.09.2016	भारत सरकार	120660113	110.89	1338.00
*	भारतीय जीवन बीमा निगम (आवेदन राशि 31.03.2017 को प्राप्त की गई)	17500000	126.81	221.92
*	भारत सरकार (आवेदन राशि 31.03.2017 को प्राप्त की गई)	112351134	133.51	1500.00
22.06.2016	11.50% अतिरिक्त टियर I बॉन्ड	10000	10,00,000	1000.00
23.06.2016	11.50% अतिरिक्त टियर I बॉन्ड	5000	10,00,000	500.00
15.03.2017	9.95% अतिरिक्त टियर I बॉन्ड	10000	10,00,000	1000.00
07.07.2016	8.57% टियर-II बॉन्ड -2016	15000	10,00,000	1500.00
27.03.2017	8% टियर-II बॉन्ड - 2017	10000	10,00,000	1000.00

पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सशक्त करने के लिए तथा बैंक की लंबी अवधि के स्रोतों को विकसित करने के लिए संवर्धित टियर I तथा II के प्राथमिक उद्देश्य सहित निधि बढ़ाई गई तथा इस उद्देश्य हेतु उसका उपयोग किया गया।

iv. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक पर पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

v. सेबी एलओडीआर विनियमन-2015 के विनियम 40 (9) के अनुसार अंतरण करने, प्रेषण, उप विभाजन, समेकन, नवीनीकरण एवं प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर इक्विटी शेयर्स के विनिमय के संबंध में जानकारी के साथ-साथ व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्रत्येक छः माह में एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया

Disclosures :

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. SEBI has clarified under Regulation 15 (2) that for listed entities which are not companies, but body corporates, or are subject to regulations under other statues the provisions of Corporate Governance, as specified under certain regulations shall apply to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

i) Remuneration of Directors :

The remuneration of the Managing Director & CEO and the Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the other directors excepting sitting fees which is as under:

For Board Meeting : ₹ 20,000/- per meeting

For Committee Meeting : ₹ 10,000/- per meeting

ii) Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-a-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

iii) Proceeds From Public issues, Right issues, Preferential issues etc.

During the year under review, the Bank has raised the following capital by issue of Equity Shares and Tier-II Bonds

Date of Allotment	Particulars (Investors)	Number of Shares/ Bonds	Price per Share/bond	Amount (₹ In Crore)
08.09.2016	Government of India	120660113	110.89	1338.00
*	Life Insurance Corporation of India (Application money received on 31.03.2017)	17500000	126.81	221.92
*	Government of India (Application money received on 31.03.2017)	112351134	133.51	1500.00
22.06.2016	11.50% Additional Tier I Bond	10000	10,00,000	1000.00
23.06.2016	11.50% Additional Tier I Bond	5000	10,00,000	500.00
15.03.2017	9.95% Additional Tier I Bond	10000	10,00,000	1000.00
07.07.2016	8.57% Tier II Bonds-2026	15000	10,00,000	1500.00
27.03.2017	8% Tier II Bonds - 2027	10000	10,00,000	1000.00

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier-I&II Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long- term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

iv. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the year under review.

v. As required under regulation 40(9) of the SEBI LODR Regulations-2015, a certificate is obtained every six months from a practising Company Secretary, with regard to, inter alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within

जाता है। ये प्रमाण पत्र जारी किए जाने के 30 दिनों के भीतर बीएसई और एनएसई के वेब-पोर्टल, जहां शेयर सूचीबद्ध हैं, पर लोड किए जाते हैं।

vi. सेबी के परिपत्र सं. डी एवं सीसी/एफआईटीटीसी/सीआइआर-16 दिनांक 31 दिसंबर, 2002 की शर्तों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ कुल प्रविष्ट इक्विटी शेयर पूंजी के समाधान एवं बैंक ऑफ़ इंडिया की कुल जारी/प्रदत्त इक्विटी पूंजी सहित प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजन के साथ-साथ अभ्यासी कंपनी सचिव की फर्म के द्वारा तिमाही आधार पर एक कैपिटल रिपोर्ट का समाधान (reconciliation) किया जाता है। इस संबंध में जारी प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं एवं बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाते हैं जहां बैंक ऑफ़ इंडिया के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं।

vii. वर्तमान में बैंक का कोई भौतिक अनुषंगी नहीं है।

viii. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक - स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक 23.12.2016 को आयोजित की गयी।

ix. गैर-कार्यपालक निदेशकों का प्रशिक्षण:- वर्ष 2016-17 के दौरान बैंक के कारोबारी मॉडल तथा उद्योग की प्रकृति से परिचय कराने के लिए निदेशकों को निम्नलिखित प्रशिक्षण प्रदान किया गया -

क्र. सं.	तारीख	निदेशकों के नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम
1	26.04.2016	डॉ आर.एल. बिश्नोई	जोखिम प्रबंधन विभाग प्रधान कार्यालय	i) ऋण जोखिम, जोखिम मॉडल्स ii) परिचालन जोखिम, आरसीएसए, केआरआई लॉस डाटा iii) एएलएम व एमसीएलआर iv) बाज़ार जोखिम v) बासेल II व III तैयारी व कैपिटल ऑप्टिमाईजेशन vi) सूचना सुरक्षा
2	26.04.2016	श्री नीरज भाटिया		
3	26.04.2016	श्री संजीव कुमार अरोड़ा		
4	11.11.2016	श्रीमती वेनी थापर	एनएसई मुंबई	एनएसई में महिला निदेशकों का ----- '11 नवम्बर 2016 को नामांकन के लिए अनुरोध'
5	29/30.11.2016	श्रीमति वेनी थापर	सीएए. फआरएएल बेंगलुरु	29 व 30 नवम्बर 2016 को वाणिज्यिक बैंकों के बोर्डों के गैर-कार्यपालक निदेशक
6	29/30.11.2016	श्री संजीव कुमार अरोड़ा		
7	06.01.2017	श्री हरविन्दर सिंह	जोखिम प्रबंधन विभाग	06.01.2017 को जोखिम प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर बैंक के निदेशकों के समक्ष प्रस्तुतीकरण।
8	06.01.2017	श्री संजीव कुमार अरोड़ा		
9	06.01.2017	श्रीमती वेनी थापर		

x. बैंक की वेबसाइट - http://www.bankofindia.co.in/english/codeconduct.aspx पर निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता प्रदर्शित की गई है ।

xi. सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पर्दाफाश करनेवाली (व्हिसल ब्लोअर) नीति बनाई गई है। इसे बैंक के बेवसाइट http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx पर प्रदर्शित किया गया है।

xii. संबंधित नीति का लेनदेन : संबंधित पक्ष के लेनदेन को लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट की जाती है। संबंधित पक्ष के लेनदेन पर बैंक की नीति को बैंक के वेबसाइट http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx पर पोस्ट किया गया है। संबंधित पक्ष के लेनदेन का विस्तृत वर्णन एएस-18 के अंतर्गत है।

xiii. पारिश्रमिक नीति - प्रबंध निदेशक व सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अन्य स्टाफ सदस्यों के वेतन का निर्धारण भारतीय बैंक संघ के साथ त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार होता है।

one month of the lodgement. The certificates are uploaded on the web portals of BSE and NSE, where the equity shares are listed, within 30 days of issuance.

vi. In terms of SEBI's circular No.D&CC/FITTC/CIR-16 dated December 31, 2002 a Reconciliation of capital Report is conducted on a quarterly basis by a firm of practising company secretaries, for the purpose of, inter alia, reconciliation of the total admitted equity share capital with the depositaries and in the physical form with the total issued/paid up equity capital of Bank of India. Certificate issued in this regard is placed before the Board of Directors and forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of Bank of India are listed.

vii. At present the Bank does not have any material subsidiary.

viii. Independent Directors Meeting – The separate meeting of Independent Directors was held on 23.12.2016.

ix. Training of Non-Executive Directors – During the year 2016-17 the Bank has provided the following training to Directors to familiarize them with the nature of industry and business mode of the Bank –

Sr. No.	Date	Name of Directors	Name of Institute	Name of Course
1	26.04.2016	Dr. R.L. Bishnoi	Risk Management Department, Head Office	i) Credit Risks, Risk Models ii) Operational Risks, RCSA, KRI Loss Data iii) ALM & MCLR iv) Market Risks v) Basel II & III Preparedness & Capital Optimisation vi) Information Security
2	26.04.2016	Shri Neeraj Bhatia		
3	26.04.2016	Shri S.K. Arora		
4	11.11.2016	Smt. Veni Thapar	NSE, Mumbai	Women Directors Training at NSE
5	29/30.11.2016	Smt. Veni Thapar	CAFRAL, Bengaluru	Non Executive Directors on the Boards of Commercial Banks
6	29/30.11.2016	Shri S.K. Arora		
7	06.01.2017	Shri Harvinder Singh	Risk Management Department	Presentation to Directors of the Bank on Risk Management Practices
8	06.01.2017	Shri S.K. Arora		
9	06.01.2017	Smt. Veni Thapar		

x. Code of Conduct for Directors and Senior Management is posted on Bank's website – http://www.bankofindia.co.in/english/codeconduct.aspx

xi. Whistle Blower Policy in terms of CVC guidelines has been formulated. The same is posted Bank's website – http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx

xii. Related Policy transaction – The Related party transactions are reported to Audit Committee. The Bank's policy on Related Party transaction is posted Bank's website – http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx. The details of related party transactions are as detailed under AS-18.

xiii. Remuneration Policy - The remuneration of the Managing Director & CEO, Executive Directors is fixed by the Government of India. Salary of the other staff members is as per the tripartite agreement of the IBA.

संचार के साधन :

तथा अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम (अलेखापरीक्षित किंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अध्यधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम इकॉनोमिक टाइम्स/ बिज़नेस स्टैंडर्ड/फाइनेन्शियल एक्सप्रेस/बिज़नेस लाइन में अंग्रेजी में, नवशक्ति/आपला महानगर में मराठी (क्षेत्रीय भाषा) में तथा बिज़नस स्टण्डर्ड/नवभारत टाइम्स/नवभारत में हिन्दी में प्रकाशित हुए। परिणाम को बैंक के वेबसाइट www.bankofindia.co.in. पर भी प्रदर्शित किया गया है। संस्थागत निवेशकों को की गई प्रस्तुतियां भी बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

जैसा कि सेबी द्वारा अपेक्षित है तथा सूचीबद्ध करारनामे के अनुसार, बैंक ऑफ़ इंडिया स्टॉक एक्सचेंज के अपने वेब पोर्टलों पर ऑनलाइन वित्तीय तथा अन्य सूचनाएं फ़ाइल करता है।

वित्तीय कलेंडर : 1 अप्रैल, 2017 से

बैंक ऑफ़ इंडिया के वार्षिक लेखापरीक्षित खातों पर चर्चा हेतु बोर्ड की बैठक	22 मई, 2017
21वीं वार्षिक आम-सभा का दिनांक, समय, स्थल	11 जुलाई, 2017 पूर्वाह्न 10:30 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडोटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई-400 051
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	15 जून, 2017 तक
बही बंद करने की तिथि	8 जुलाई, 2017 से 11 जुलाई 2017 तक
परोक्षी फार्म प्राप्ति की अंतिम तिथी	7 जुलाई, 2017
प्रथम तीन तिमाहियों के अलेखापरीक्षित परिणाम पर विचार करने हेतु बोर्ड की बैठक	संबंधित तिमाही के 45 दिनों के भीतर।

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण :

बैंक के शेयरों का मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लि., नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया है। स्टॉक स्क्रिप कोड निम्नानुसार है:

दि बीएसई लि. (बीएसई)	532149/BANKINDIA
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. (एनएसई)	BANKINDIA EQ
आईएसआईएन क्रमांक	INE084A01016

उक्त दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर वचनपत्रों/डिबेंचर्स के रूप में अपरिवर्तनीय बॉंड (टियर I एवं II पूंजी) जारी किये हैं। तत्संबंधित ब्योरा निम्नानुसार है:

Means of Communication :

The quarterly and half-yearly financial results (unaudited but subject to limited review by the Statutory Auditors) and audited Annual results were published in the Economic Times/Business Standard/ Financial Express /Business Line in English, Navshakti/ Apla Mahanagar in Marathi (Regional language) and Business Standard/ Navbharat Times/ Navbharat in Hindi. The results were also displayed on the Bank's website at www.bankofindia.co.in. The presentations made to institutional investors are also available on Bank's website

As required by SEBI and in the Listing Agreements, Bank of India, files its financial and other information online on their web portals of the stock exchange.

Financial Calendar : From 1st April, 2017 :

Board Meeting for considering Annual Audited Accounts of Bank of India	22nd May, 2017
Date, Time, Venue of 21st AGM	11th July, 2017. At 10.30 A.M. Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.
Posting of Annual Report	By 15th June, 2017
Book Closure dates	8th July, 2017 to 11th July, 2017
Last Date for receipt of proxy forms	7th July, 2017
Board Meeting for considering Un-audited result for first 3 quarters	Within 45 days of the relevant quarter.

Listing on Stock Exchanges

The shares of the Bank are listed on The BSE Ltd. and The National Stock Exchange of India Limited. The stock scrip codes are as follows:

The BSE Ltd. (BSE)	532149/BANKINDIA
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	BANKINDIA EQ
ISIN Number	INE084A01016

Annual listing fee for 2017-18 has been paid to both of the stock exchanges.

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes / Debentures (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof are as under:

बैंक ऑफ़ इंडिया बॉंड - टियर I एवं टियर II पूंजी स्थिति यथा 31.03.2016

BANK OF INDIA BOND – TIER I and TIER II CAPITAL POSITION AS ON 31.03.2017

क्र.सं. Sr.No	निर्गम का विवरण	PARTICULARS OF THE ISSUE	कुल मूल्य (₹ करोड़ में) TOTAL VALUE (₹ in Crores)	आईएसआईएन नं. ISIN NO.
1	11.00% अतिरिक्त टियर I श्रृंखला I	11.00% Additional Tier I Series I	2500.00	INE084A08052
2	11.50% अतिरिक्त टियर I श्रृंखला II	11.50% Additional Tier I Series II	1000.00	INE084A08078
3	11.50% अतिरिक्त टियर I श्रृंखला III	11.50% Additional Tier I Series III	500.00	INE084A08086
4	9.95% अतिरिक्त टियर I श्रृंखला IV	9.95% Additional Tier I Series IV	1000.00	INE084A08102
5	10.55% आईपीडीआई बॉंड - श्रृंखला I	10.55% IPDI Bonds-Series I	400.00	INE084A09126
6	10.45% आईपीडीआई बॉंड - श्रृंखला II	10.45% IPDI Bonds-Series II	100.00	INE084A09134
7	10.40% आईपीडीआई बॉंड - श्रृंखला III	10.40% IPDI Bonds-Series III	155.00	INE084A09142
8	8.90% आईपीडीआई बॉंड - श्रृंखला IV	8.90% IPDI Bonds-Series IV	400.00	INE084A09167
9	9.00% आईपीडीआई बॉंड - श्रृंखला V	9.00% IPDI Bonds-Series V	325.00	INE084A09191
10	9.05% आईपीडीआई बॉंड - श्रृंखला VI	9.05% IPDI Bonds-Series VI	300.00	INE084A09225
11	11.15% अपर टियर II श्रृंखला –II-2023	11.15% Upper Tier II Series–II- 2023	500.00	INE084A09159
12	8.45% अपर टियर II श्रृंखला –III-2024	8.45% Upper Tier II Series –III-2024	500.00	INE084A09175
13	8.50% अपर टियर II श्रृंखला –IV-2024	8.50% Upper Tier II Series –IV-2024	500.00	INE084A09183
14	8.54% अपर टियर II श्रृंखला –V-2025	8.54% Upper Tier II Series –V-2025	1000.00	INE084A09209
15	8.48% अपर टियर II श्रृंखला –VI-2025	8.48% Upper Tier II Series –VI-2025	1000.00	INE084A09217
16	9.80% टियर II श्रृंखला X	9.80% Tier II Series X	1000.00	INE084A08037
17	9.80% टियर II श्रृंखला XI	9.80% Tier II Series XI	500.00	INE084A08045
18	8.52% टियर II श्रृंखला XII	8.52% Tier II Series XII	3000.00	INE084A08060
19	8.57% टियर II श्रृंखला XIII	8.57% Tier II Series XIII	1500.00	INE084A08094
20	8.00% टियर II श्रृंखला XIV	8.00% Tier-II Series XIV	1000.00	INE084A08110
	कुल	**TOTAL**	**17,180.00**	

इन सभी बॉंडों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया है तथा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2016-17 का वार्षिक शुल्क अदा किया है।

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd and the Bank has paid the Annual listing fee for 2016-2017 to the Stock Exchange.

ऋण श्रेणी निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग)

एजेंसी	दी गई रेटिंग
आईसीआरए द्वारा कॉर्पोरेट शासन प्रणाली हेतु रेटिंग	सीजीआर - 2
मूडीस इन्वेस्टर सर्विस (मूडीस)	बीएए3 / पी-3
स्टैंडर्ड एंड पूअर (एस एंड पी)	बीबी(+)/बी
क्रेडिट ऐनालिसिस एंड रिसर्च लि.(सीएआरई)	सीएआरई एए-
सावधि जमा कार्यक्रम हेतु इन्वेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए)	एमएए+
बॉन्ड हेतु निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (आईसीआरए)	आईसीआरए एए-
सीआरआईएसआईएल (क्रिसिल)लि.- बॉंड्स हेतु	एए+
ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्रा.लि.- बॉंड्स हेतु	बीड्ब्ल्यूआर एए-
इंडिया रेटिंग - बॉंड्स के लिए	आईएनडी एए +
सीआरआईएसआईएल (क्रिसिल) लि. - जमाराशियों के प्रमाण पत्र हेतु	ए1+

शेयरों का अमूर्तिकरण:

बैंक के शेयरों का लेन-देन अनिवार्य रूप से केवल अमूर्त (डीमैट) रूप में किया जाता है। बैंक ने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए दोनों निक्षेपागारों यथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडील) एवं केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (भारत) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है।

यथा 31/03/2017 को शेयरधारकों द्वारा प्रत्यक्ष एवं अमूर्त रूप से धारित शेयरों का ब्योरा निम्नानुसार है :

Credit Ratings

Agency	Rating Assigned
Corporate Governance Rating by ICRA	CGR-2
Moody's Investor Service (Moody's)	Baa3 / P3
Standard & Poor's (S&P)	BB(+)/B
Fitch Ratings	BBB-/F3
Credit Analysis & Research Limited (CARE)	CARE AA-
Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) for Term Deposit Programme	MAA+
Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) for Bonds	ICRA AA-
CRISIL Limited – For Bonds	AA+
Brickwork Ratings India Pvt Limited-For Bonds	BWR AA-
India Rating – For Bonds	Ind AA+
CRISIL Limited – For Certificate of Deposits	A1+

Dematerialisation of Shares

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31/03/2017 are as under:

		शेयरधारकों की संख्या No. of share holders	शेयरो की संख्या No. of shares	शेयरधारिता का % % shareholding
सीडीएसएल	**CDSL**	67715	796042003	75.48
एनएसडीएल	**NSDL**	117161	243308667	23.07
मूर्त	**Physical**	101138	15344434	1.45
कुल	**Total**	286014	1054695104	100.00

शेयरधारिता का पैटर्न यथा 31.03.2017

Shareholding Pattern as on 31.03.2017

शेकारधारकों का प्रवर्ग	Category of Shareholder	शेयरधारकों की संख्या Number of Shareholders	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding	लॉक इन के तहत शेयर Shares under Lock in	लॉक इन के तहत शेयरों का % % of Shares under lock in
केन्द्रीय सरकार (प्रवर्तक)	Central Government (Promoters)	1	777514808	73.72	777514808	100.00
म्यूचुअल फंड/यूटीआई	Mutual Funds / UTI	24	12535286	1.18	–	–
वित्तीय संस्थाएं/बैंक	Financial Institutions / Banks	36	14504368	1.38	–	–
बीमा कंपनियां	Insurance Companies	37	145248971	13.77	20639294	14.21
कारपोरेट निकाय	Bodies Corporate	1913	12413178	1.17	–	–
एकल व्यक्ति	Individuals	281489	61875142	5.86	–	–
अनिवासी भारतीय/ओसीबी	Non Resident Indians/ OCB	2415	3299635	0.34	–	–
विदेशी संस्थागत निवेशक	Foreign Institutional Investors	41	9990809	0.94	–	–
विदेशी पोर्टफोलिओ निवेशक	Foreign Portfolio Investors	47	16862547	1.6	–	–
विदेशी बैंक	Foreign Banks				–	–
ट्रस्ट	Trust	11	450360	0.04	–	–
कुल	**Total**	**286014**	**1054695104**	**100**	**798154102**	**75.68**

एकल व्यक्तियों (जन सामान्य) की शेयरधारिता जिनके पास कुल शेयरों की संख्या का 1% से अधिक है।

Shareholding of persons (Public) holding more than 1% of the total number of shares

शेयरधारक का नाम	Name of the Shareholder	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding
भारतीय जीवन बीमा निगम *	Life Insurance Corporation of India *	135281603	12.83

30.03.2017 को शेयर धारकों की बैठक में 1,75,00,000 के नए इक्विटि शेयर अनुमोदित किए गए।

1,75,00,000 fresh equity shares were approved in the Shareholders meeting held on 30.03.2017.

शेयरधारिता का संवितरण यथा दिनांक 31 मार्च, 2017 :-

Distribution of Shareholdings as on 31st March, 2017

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	No of Equity Shares held	फोलियों Folio		शेयर Shares	
		संख्या Nos.	प्रतिशत % age	संख्या Nos.	प्रतिशत % age
500 तक	Upto 500	269005	94.05	33339248	3.16
501 से 1000 तक	501 to 1000	10217	3.57	7748997	0.73
1001 से 5000 तक	1001 to 5000	5672	1.98	11937216	1.13
5001 से 10000 तक	5001 to 10000	567	0.20	4135641	0.39
10001 एवं इससे अधिक	10001 & above	553	0.20	997534002	94.58
कुल	**Total**	**286014**	**100**	**1054695104**	**100.00**

शेयर मूल्य/मात्रा :

एनएसई में मासिक रूप से उच्च एवं निम्न भाव (कोटेशन) एवं शेयरों के लेन-देन की मात्रा निम्नानुसार है:-

Share Price/Volume :

The monthly high and low quotation and the volume of Shares traded on NSE are as under:-

अवधि	Period	अधिकतम ₹ Highest ₹	न्यूनतम ₹ Lowest ₹	शेयरों के लेन-देन की मात्रा Volume of Share Traded
अप्रैल, 2016	April, 2016	101.80	89.35	69862513
मई, 2016	May, 2016	92.00	78.40	79855172
जून, 2016	June, 2016	101.95	83.60	105901082
जुलाई, 2016	July, 2016	117.70	101.10	136433344
अगस्त, 2016	August, 2016	119.30	101.30	137594492
सितंबर, 2016	September, 2016	126.10	108.00	104991207
अक्तूबर, 2016	October, 2016	121.85	109.45	67671515
नवंबर, 2016	November, 2016	128.75	99.65	120165070
दिसंबर, 2016	December, 2016	120.80	102.75	56532686
जनवरी, 2017	January, 2017	123.60	105.75	48409953
फरवरी, 2017	February, 2017	138.50	117.40	94142365
मार्च, 2017	March, 2017	142.40	122.85	84012546
31.03.2017 को लेखा बंदी मूल्य	Closing Price as on 31.03.2017			₹ 139.25 (एनएसई)(NSE)
बाजार पूंजीकरण	Market Capitalisation			₹ 14686.63

व्यापक आधारित सूचियों की तुलना में कार्यनिष्पादन
Performance in comparison to Broad Based Indices

एनएसई में बैंक ऑफ इंडिया का शेयर
Bank of India Share Price on NSE

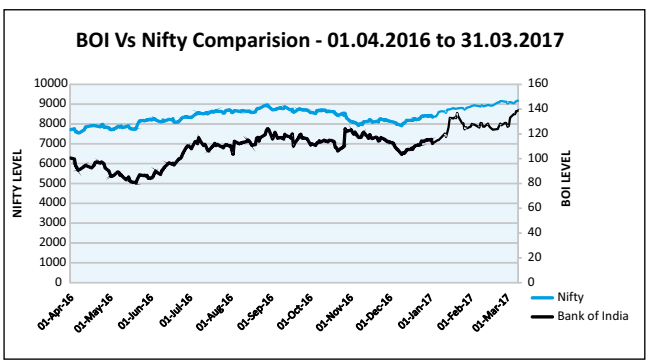

बीएसई में बैंक ऑफ इंडिया का शेयर मूल्य
Bank of India Share Prise on BSE

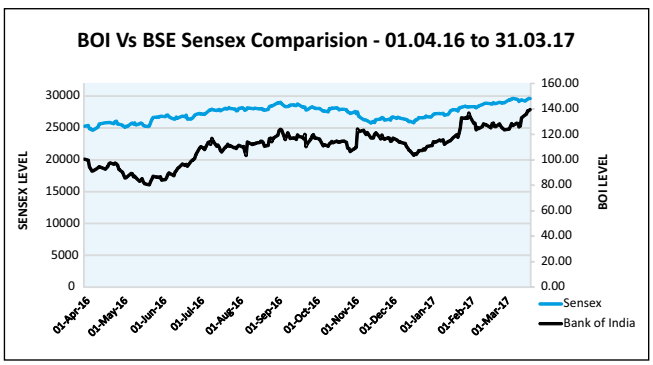

कार्पोरेट शासन के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्स्चेंज के साथ सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट शासन प्रणाली के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन में कारोबारी कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

अनिवार्य/ गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन

बैंक ने सेबी सूचीकरण करार-2015 की अनुसूची ष्ठ के भाग-ई की निम्नलिखित विवकाधीन अपेक्षाओं (Discretionary Requirement) का अनुपालन किया है।

Certificate of compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance

The certificate issued by the practising company secretary, regarding compliance of mandatory stipulations of corporate governance in terms of the listing agreement with the Stock Exchange is attached.

Compliance of Mandatory / Non Mandatory Requirements.

The Bank has complied with the following Discretionary Requirement as mentioned under Part-E of Schedule II of SEBI Listing Regulations- 2015.

क्र. सं. Sr. No.	गैर अनिवार्य अपेक्षाएं Non Mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of implementation
1	**बोर्ड** - एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए हकदार **The Board** - A non executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expense.	अध्यक्ष का पद गैर-कार्यपालक का है और बैंक में उनका पृथक कार्यालय है। The Chairman's Position is a Non- Executive and he is having a separate office in the Bank.
2	**शेयरधारकों का अधिकार**- विगत छः महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को भेजी जा सकती है। **Shareholder's Rights**- A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six- months, may be sent to shareholders.	तिमाही/वर्ष में आज तक/वार्षिक वित्तीय विवरण एवं प्रमुख विशेषताएं एनएसई और बीएसई को भेजी जाती है और अखबारों में प्रकाशित की जाती है तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। अत: शेयरधारकों को सूचना व्यक्तिश: नहीं भेजी जाती है। The quarterly/year to date/ Annual Financial Results are sent to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website including highlights. As such, information to Shareholders is not sent individually.
3	**लेखा परीक्षा रिपोर्ट में आशोधित राय (एस)** - सूचीबद्ध संस्था असंशोधित लेखा परीक्षा मत वाली वित्तीय विवरण की व्यवस्था का चयन कर सकती है। **Modified Opinion (s) in Audit Report** –The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण असंशोधित लेखा-परीक्षा मत के साथ हैं। The bank's Annual Financial Statements are with unmodified audit opinion.
4	**अध्यक्ष एवं सीईओ के पृथक पद** - सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक औरमुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। **Separate Posts of Chairperson and Chief Executive Officer.** The listed entity may appoint Separate persons to the post of Chairperson and Managing Director or Chief executive officer	बैंक के पास यह पद है। The Bank is having this position.

बोर्ड के निदेशकों के लिए एवं उनकी ओर से

(दीनबंधु मोहापात्रा)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक: 09.06.2017

For and on behalf of the Board of Directors

(Dinabandhu Mohapatra)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 09.06.2017

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली पर प्रमाणपत्र

सदस्यगण
बैंक ऑफ इंडिया
स्टार हाउस,सी-5,जी ब्लॉक
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व)
मुंबई-400 051

हमने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड (स्टॉक एक्स्चेंज) के साथ हुए सूचीकरण करार के तहत कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों, जिनका उल्लेख सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17-27, 46 एवं अनुसूची V के प्रावधानों में किया गया है, के अनुपालन के प्रमाणीकरण के प्रयोजन से बैंक ऑफ इंडिया (''दि बैंक/कंपनी'') के सभी संगत अभिलेखों की जांच की है।

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली तथा उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह प्रमाणपत्र न तो भविष्य में बैंक की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक की दक्षता या प्रभावशीलता के संचालन से संबन्धित है।

हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने ऊपर उल्लेख किए गए सेबी (एलओडीआर) 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों को पूरा किया है।

कृते आर. एस. पडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड एस2007एमएच094000)

हस्ता./-

राजश्री पडिया
एफएससी : 6804
सीपी: 7488

स्थान: मुंबई
दिनांक: 18.04.2017

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

The Members
Bank of India
Star House, C-5, 'G' Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai 400 051

We have examined all relevant records of Bank of India ("the Bank/Company") for the purpose of certifying compliances of conditions of Corporate Governance under the Regulation 17 to 27, 46 and Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 entered into with National Stock Exchange of India Ltd and BSE Limited (Stock Exchanges) for the Financial Year ended 31st March, 2017.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliances of conditions of Corporate governance. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above mentioned SEBI (LODR) 2015.

For R.S. Padia & Associates
Company Secretaries
(ICSI Unique Code S2007MH094000)

Sd/-

Rajshree Padia
FCS:6804
CP: 7488

Place: Mumbai
Date: 18.04.2017

सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल
बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई
महोदय,

विषय : वर्ष 2016-17 सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची 11 के भाग बी के साथ पढें विनियम 17 (8) के अनुसार हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि :-

क. हमने वर्ष 2016-17 हेतु वित्तीय वितरण और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में कोई तात्विक रूप से गलत विवरण नहीं है या इनमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड़ा गया है या इसमें कोई ऐसे कथन नहीं हैं तो भ्रम की स्थिति पैदा करती हों।

ii. ये सभी विवरण मिलाकर बैंक की गतिविधियों का सही और उचित स्थिति दर्शाती है और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

ख हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है जो धोखाधड़ी पूर्ण हो, अवैध हो अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियम की स्थापना एवं रखरखाव की जिम्मेदारी और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक के आंतरिक नियंत्रण सिस्टम की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना स्वीकार करते हैं और ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन अथवा डिजाइन में कमियों का प्रकटन, यदि कोई हो, लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष किया है जिसके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को सुधारने के प्रयोजन से हमने कदम उठाए हैं या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है।

घ हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समितियों को यह सूचित किया है:-

i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका प्रकटन वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में किया गया है।

iii. ऐसी किसी बड़ी धोखाधड़ी की हमें जानकारी मिली हो और जिसमें प्रबंधन अथवा वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला कोई कर्मचारी शामिल हो।

कृते बैंक ऑफ इंडिया

ह/	ह/
(शंकर अय्यर)	**(दीनबंधु मोहापात्रा)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
स्थान : मुंबई	दिनांक 22.05.2017

CEO / CFO Certification

Board of Directors,
Bank of India,
Mumbai
Dear Sir,

Re: CEO/CFO Certification for the year 2016-17

Pursuant to Regulation 17 (8) read with Part B, Schedule II of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a. We have reviewed financial statement and the cash flow statement for the year 2016-17 and that to the best of our knowledge and belief:
   i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:
   ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosedto the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.
   i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.
   ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and
   iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Bank of India

Sd/-	**Sd/-**
(Shanker Iyer)	**(Dinabandhu Mohapatra)**
Chief Financial Officer	Managing Director & CEO
Place: Mumbai	Date: 22.05.2017

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

बैंक ने सभी निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचरण संहिता निर्धारित की है, जिसका सार बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। निदेशक और कोर प्रबंधन ने 31 मार्च 2017 की समाप्ति के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/	ह/
(शंकर अय्यर)	**(दीनबंधु मोहापात्रा)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान: मुंबई
दिनांक: 22.05.2017

DECLARATION BY CEO

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the directors and Core Management of the Bank, the text of which is posted on the Bank's website. The Directors and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31st March, 2017.

Sd/-	**Sd/-**
(Shanker Iyer)	**(Dinabandhu Mohapatra)**
Chief Financial Officer	Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 22.05.2017

बैंक ऑफ़ इंडिया

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2017

एवं

लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु

BANK OF INDIA

BALANCE SHEET

As at 31st March, 2017

&

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

For the Year Ended 31st March, 2017

तुलन-पत्र यथा 31 मार्च, 2017
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2017

(000' छोड़े गए हैं Omitted)

	विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	यथा As at 31-03-2017 ₹	यथा As at 31-03-2016 ₹
I.	पूँजी एवं देयताएं	CAPITAL AND LIABILITIES			
	पूंजी	Capital	1	10,554,342	8,172,916
	आरक्षितियाँ एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	297,097,234	301,962,806
	आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन रकम	Share Application Money, pending allotment		17,219,175	13,036,480
	जमाराशियां	Deposits	3	5,400,320,078	5,130,045,218
	उधार	Borrowings	4	394,056,651	510,831,442
	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities and provisions	5	143,845,186	135,090,405
	कुल	**TOTAL**		**6,263,092,666**	**6,099,139,267**
II.	आस्तियां	ASSETS			
	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	273,476,621	339,616,148
	बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	Balances with Banks and money at call and short notice	7	685,402,911	651,796,846
	निवेश	Investments	8	1,278,268,631	1,188,489,120
	अग्रिम	Advances	9	3,664,816,671	3,591,889,592
	अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	84,618,581	84,803,113
	अन्य आस्तियां	Other Assets	11	276,509,251	242,544,448
	कुल	**TOTAL**		**6,263,092,666**	**6,099,139,267**
	आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	3,597,794,264	3,538,093,236
	वसूली के लिए बिल	Bills for collection		316,218,745	268,975,129

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-तत्र का अभिन्न अंग है।
The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.
बैंकिंग विनिमयन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'ए' के अनुसार तुलन-पत्र तैयार किया गया है।
The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form 'A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

जी पद्मनाभन	दीनबन्धु मोहापात्रा	आर ए शंकर नारायणन	एन. दामोदरन	ए. के. दास	शंकर अय्यर
G Padmanabhan	**Dinabandhu Mohapatra**	**R A Sankara Narayanan**	**N. Damodharan**	**A. K. Das**	**Shanker Iyer**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairman	Managing Director & CEO	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

गिरीश चंद्र मुर्मू Girish Chandra Murmu
आर सेबास्टियन R Sebastian
वेनी थापर Veni Thapar
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia
संजीव कुमार अरोड़ा Sanjiv Kumar Arora

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता	कृते बी रत्तन एण्ड एसोशिएट्स	कृते जी डी आप्टे एण्ड कंपनी
For Grover Lalla & Mehta	For B Rattan & Associates	For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)	(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)	(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)
आलोक गोयल Alok Goyal	भारत रत्तन Bharat Rattan	सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
(एम. नं. 510529) M. No. 510529	(एम. नं. 090682) M. No. 090682	(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 22 मई, 2017 / Date : 22nd May 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2017 ₹	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2016 ₹
I. आय	INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	392,908,523	417,964,698
अन्य आय	Other income	14	67,723,304	36,525,389
कुल	**TOTAL**		**460,631,827**	454,490,087
II. व्यय	EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	274,647,356	300,718,471
परिचालनगत व्यय	Operating expenses	16	88,657,966	93,415,418
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies		112,909,653	121,248,331
कुल	**TOTAL**		**476,214,975**	515,382,220
III. लाभ	PROFIT			
अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/(Loss) for the period		(15,583,148)	(60,892,133)
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ / (हानि)	Add: Profit/(Loss) brought forward		(62,486,813)	–
कुल	**TOTAL**		**(78,069,961)**	(60,892,133)
IV. विनियोजन	APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		0	0
निवेश घट-बढ आरक्षिति से अंतरण	Transfer from Investment Fluctuation Reserve		0	0
राजस्व आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Revenue Reserve		0	0
पूंजी आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		7,498,473	1,594,680
राजस्व और अन्य आरक्षितियों से अंतरण	Transfer from Revenue and other Reserves		0	0
लाभ और हानि खाते में शेष	Balance in Profit and Loss Account		(85,568,434)	(62,486,813)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	Significant accounting policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes to Accounts	18		
प्रति शेयर आय (मूल) (₹)	Earnings Per Share (Basic) (₹)		(15.72)	(83.01)
प्रति शेयर आय (तनुकृत) (₹)	Earnings Per Share (Diluted) (₹)		(15.72)	(83.01)

ऊपर बताई गई अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न अंग है।
The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.
बैंकिंग विनिमयन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'बी' के अनुसार तुलन-पत्र तैयार किया गया है।
The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form `B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

जी पद्मनाभन	दीनबन्धु मोहापात्रा	आर ए शंकर नारायणन	एन. दामोदरन	ए. के. दास	शंकर अय्यर
G Padmanabhan	**Dinabandhu Mohapatra**	**R A Sankara Narayanan**	**N. Damodharan**	**A. K. Das**	**Shanker Iyer**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairman	Managing Director & CEO	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

गिरीश चंद्र मुर्मू Girish Chandra Murmu
आर सेबास्टियन R Sebastian
वेनी थापर Veni Thapar
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia
संजीव कुमार अरोड़ा Sanjiv Kumar Arora

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता	कृते बी रत्तन एण्ड एसोशिएट्स	कृते जी डी आप्टे एण्ड कंपनी
For Grover Lalla & Mehta	For B Rattan & Associates	For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)	(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)	(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)
आलोक गोयल Alok Goyal	भारत रत्तन Bharat Rattan	सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
(एम. नं. 510529) M. No. 510529	(एम. नं. 090682) M. No. 090682	(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 22 मई, 2017 / Date : 22nd May 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2017

(000 छोड़े गए है) / (000's Omitted)

	विवरण		Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2017 ₹	वर्षान्त Year ended 31-03-2016 ₹
क.	**परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**	A.	**Cash Flow from Operating Activities:**		
	कर के पहले निवल लाभ		**Net Profit before taxes**	(23,725,264)	(77,907,669)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		**Adjustments for:**		
	निवेशों पर परिशोधन/मूल्यह्रास		Amortisation / Depreciation on Investments	5,647,508	5,825,212
	संयुक्त उद्यम में निवेशों के विक्रय/विमोचन पर लाभ		Profit on sale / Redemption of investments in Joint venture	(5,008,400)	0
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on Fixed Assets	(124,661)	2,862,628
	अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि)		Profit / (Loss) on sale of Fixed Assets	6,119	5,239
	एनपीए के लिए प्रावधान		Provision for NPA	116,720,045	141,019,214
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Standard Assets	1,540,634	(1,283,996)
	अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Other Assets	(383,233)	(4,978,695)
	गौण बॉण्ड्स/आईपीडीआई, अपर टियर II बॉण्ड्स पर ब्याज के लिए भुगतान / प्रावधान		Payment / Provision for Interest on Subordinated Bonds, IPDI, Upper Tier II Bonds	9,665,405	11,873,338
	प्राप्त लाभांश		Dividend received	(339,350)	(174,372)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		**Adjustments for:**		
	जमाराशियों में बढ़/(घट)		Increase /(Decrease) in Deposits	270,274,860	(189,021,128)
	उधार में बढ़/(घट)		Increase /(Decrease) in Borrowings	(141,340,641)	86,380,257
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/(घट)		Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	3,853,060	4,201,829
	निवेशों में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Investments	(95,629,745)	3,752,380
	अग्रिमों में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Advances	(189,647,124)	287,346,658
	अन्य आस्तियों में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Other Assets	(37,860,787)	(46,591,328)
	प्रत्यक्ष कर (प्रदत्त)/प्रतिदान		Direct Taxes (Paid)/Refund	11,575,801	(3,064,417)
	परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**(74,775,773)**	**220,245,150**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**	B.	**Cash Flow from Investing Activities :**		
	अचल आस्तियों की खरीद		Purchase of Fixed Assets	(5,154,983)	(4,713,632)
	अचल आस्तियों की बिक्री		Sale of Fixed Assets	2,257,514	414,167
	उपक्रमों / संयुक्त उद्यमों / सहायक कंपनियों में अतिरिक्त निवेश		Additional investment in Subsidiaries/Joint Ventures/ Associates.	5,211,126	(146,230)
	प्राप्त लाभांश		Dividend received	339,350	174,372
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**2,653,007**	**(4,271,323)**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**	C.	**Cash Flow from Financing Activities:**		
	शेयर पूंजी		Share Capital	2,381,426	1,516,440
	शेयर प्रीमियम		Share Premium	24,035,053	26,074,760
	शेयर आवेदन रकम		Share Application Money	4,182,695	13,036,480
	आईपीडीआई, गौण बॉण्ड्स तथा अपर टियर II बॉण्ड्स (निवल)		IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	24,565,851	23,879,806
	लाभांश (अंतरिम व अंतिम) प्रदत्त		Dividend (Interim & Final) paid	0	(3,997,188)
	आईपीडीआई, गौण बॉण्ड्स अपर टियर II बॉण्ड्स पर ब्याज भुगतान		Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(15,575,721)	(11,873,338)
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**39,589,304**	**48,636,960**
	नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क) + (ख) + (ग)		**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)**	**(32,533,462)**	**264,610,787**
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य का आरंभिक शेष		**Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year**	**991,412,994**	**726,802,208**
	वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य		**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**958,879,532**	**991,412,994**

जी पद्मनाभन	दीनबन्धु मोहापात्रा	आर ए शंकर नारायणन	एन. दामोदरन	ए. के. दास	शंकर अय्यर
G Padmanabhan	**Dinabandhu Mohapatra**	**R A Sankara Narayanan**	**N. Damodharan**	**A. K. Das**	**Shanker Iyer**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairman	Managing Director & CEO	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

गिरीश चंद्र मुर्मू Girish Chandra Murmu
आर सेबास्टियन R Sebastian
वेनी थापर Veni Thapar
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia
संजीव कुमार अरोड़ा Sanjiv Kumar Arora

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता	कृते बी रत्तन एण्ड एसोशिएट्स	कृते जी डी आप्टे एण्ड कंपनी
For Grover Lalla & Mehta	For B Rattan & Associates	For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)	(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)	(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)
आलोक गोयल Alok Goyal	भारत रत्तन Bharat Rattan	सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
(एम. नं. 510529) M. No. 510529	(एम. नं. 090682) M. No. 090682	(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 22 मई, 2017 / Date : 22nd May 2017

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2017 ₹	As at यथा 31-03-2016 ₹
अनुसूची - 1 : पूँजी	**SCHEDULE- 1 : CAPITAL**		
प्राधिकृत	**AUTHORISED**		
300,00,00,000 (पिछले वर्ष 300,00,00,000) ₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	300,00,00,000 (Previous year ended 300,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10 each	**30,000,000**	**30,000,000**
जारी एवं अभिदत्त	**ISSUED AND SUBSCRIBED**		
प्रत्येक ₹ 10 के 105,58,72,204 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 81,77,29,564)	105,58,72,204 Equity Shares (Previous year ended 81,77,29,564) of ₹ 10 each	10,558,722	8,177,296
कुल	**TOTAL**	**10,558,722**	**8,177,296**
प्रदत्त पूंजी	**PAID-UP CAPITAL**		
प्रत्येक ₹ 10 के 105,46,95,104 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 81,65,52,464)	105,46,95,104 Equity Shares (Previous year ended 81,65,52,464) of ₹ 10 each	10,546,951	8,165,525
जोडें: जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7,391	7,391
कुल	**TOTAL***	**10,554,342**	**8,172,916**
उपरोक्त में से प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णत: प्रदत्त 77,75,14,808 शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर 55,53,72,168) जिनकी कीमत ₹ 777.51 करोड़ है, (पिछले वर्ष की समाप्ति पर ₹ 555.37 करोड़) भारत सरकार द्वारा धारित है।	* Of the above, 77,75,14,808 Equity Shares (Previous year ended 55,53,72,168) of ₹ 10 each fully paid up amounting to ₹ 777.51 crores (Previous year ended ₹ 555.37 crores) is held by Central Government;		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS**		
I. सांविधिक आरक्षितियां :	**I. Statutory Reserve:**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	70,868,842	70,868,842
वर्ष के दौरान संवर्धन	Additions during the year	0	0
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**70,868,842**	**70,868,842**
II. पूँजी आरक्षितियां :	**II. Capital Reserves:**		
अ) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve:		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	60,067,630	35,551,465
जोडें : परिसर के पुनर्मूल्यांकन पर वर्ष के दौरान जोड़े गए	Add: Addition/Deductions during the year on Revaluation of Premises	(16,960,588)	29,007,004
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन	Less: Adjustments during the year	259,372	154,114
घटाएं : लाभ / हानि खाते को अंतरित पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	Less: Depreciation on revalued Fixed Assets transferred to P/L	(14,019,417)	4,336,725
(ए) का कुल	**Total of (A)**	**56,867,087**	**60,067,630**
ब) अन्य	B) Others:		
i. निवेशों की बिक्री पर लाभ - ''परिपक्वता तक धारित''	i. Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	11,284,165	9,689,485
वर्ष के दौरान संवर्धन	Additions during the year	7,498,473	1,594,680
(i) का उप-जोड	**Sub-total of (i)**	**18,782,638**	**11,284,165**
ii. विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती	ii. Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	18,429,725	13,976,622
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान संवर्धन/समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Additions / adjustments during the year (Net)	(3,554,721)	4,453,103
(ii) का उप-जोड़	**Sub-total of (ii)**	**14,875,004**	**18,429,725**
(B) का कुल	**Total of (B)**	**33,657,643**	**29,713,890**
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**90,524,730**	**89,781,520**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2017 ₹	As at यथा 31-03-2016 ₹
अनुसूची - 2 : अरक्षितियां एवं अधिशेष (जारी)	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)**		
III. शेयर प्रीमियम :	**III. Share Premium :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	88,177,771	62,043,011
जोडें: वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	24,035,053	26,074,760
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**112,152,824**	**88,117,771**
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :	**IV. Revenue and Other Reserves :**		
i) राजस्व आरक्षिति :	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	93,981,487	93,981,487
जोडें : वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the year	0	0
वर्ष के दौरान कटौतियां	Deductions during the year	6,562,216	0
IV(i) का उप-जोड	**Sub-total of IV(i)**	**87,419,271**	**93,981,487**
ii) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिती	ii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	21,700,000	21,700,000
वर्ष के दौरान संवर्धन	Additions during the year	0	0
IV (ii) का उप-जोड	**Sub-total of IV(ii)**	**21,700,000**	**21,700,000**
कुल (iv)	**TOTAL (IV)**	**109,119,271**	**115,681,487**
V. लाभ-हानि खाते में शेष :	**V. Balance in Profit and Loss Account:**	**(85,568,434)**	**(62,486,813)**
कुल (I से V)	**TOTAL (I TO V)**	**297,097,234**	**301,962,807**
अनुसूची - 3 : जमाराशियां	**SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**		
ए. I. मांग जमाराशियां :	**A. I. Demand Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	9,747,847	5,642,017
ii) अन्यों से	ii) From Others	273,571,908	229,528,722
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**283,319,755**	**235,170,739**
II. बचत बैंक जमाराशियां	**II. Savings Bank Deposits**	**1,438,874,024**	**1,092,074,358**
III. मीयादी जमाराशियां :	**III. Term Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	561,928,970	694,759,054
ii) अन्यों से	ii) From Others	3,116,197,329	3,108,041,067
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**3,678,126,299**	**3,802,800,121**
कुल ए (I to III)	**TOTAL A (I to III)**	**5,400,320,078**	**5,130,045,218**
ब. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां	**B.** i) Deposits of branches in India	4,234,574,129	3,773,083,008
ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमाराशियां	ii) Deposits of branches outside India	1,165,745,949	1,356,962,210
कुल (बी)	**TOTAL (B)**	**5,400,320,078**	**5,130,045,218**
अनुसूची - 4 : उधार	**SCHEDULE - 4 : BORROWINGS**		
I. भारत में उधार:	**I. Borrowings in India:**		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक	i. Reserve Bank of India	0	97,550,000
ii. अन्य बैंक	ii. Other Banks		
ए. टियर I पूँजी (पी.डी.आई व आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (PDI & I.P.D.I.)	6,802,000	6,712,000
बी. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	640,000	730,000
सी. अन्य	c. Others	0	24,911,880
कुल (ii)	**Total (ii)**	**7,442,000**	**32,353,880**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2017 ₹	As at यथा 31-03-2016 ₹
III) अन्य संस्थाएं और अधिकरण	III) **Other Institutions and Agencies**		
ए . टियर I पूँजी (आई.पी.डी. व आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (P.D.I. & I.P.D.I.)	59,998,000	35,088,000
बी. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	104,360,000	88,590,000
सी. अन्य	c. Others	52,523,479	6,061,022
कुल **(iii)**	**Total (iii)**	**216,881,479**	**129,739,022**
कुल (I)	**Total (I)**	**224,323,479**	**259,642,902**
II. भारत के बाहर उधार	**II. Borrowings outside India:**		
ए. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	5,518,588	5,661,873
बी. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	0	15,970,865
सी. अन्य	c. Others	164,214,584	229,555,802
कुल **(II)**	**Total (II)**	**169,733,172**	**251,188,540**
कुल **(I & II)**	**Total (I & II)**	**394,056,651**	**510,831,442**
उपर्युक्त में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	**Secured borrowings included in above**	**0**	**97,550,000**
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I. देय बिल	I. Bills Payable	14,400,067	11,604,917
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	0	0
III. उपचित ब्याज	III. Interest Accrued	23,999,593	22,741,297
IV. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax liability	943	0
V. अन्य (प्रावधान सहित)	V. Others (Including Provisions)	105,444,583	100,744,191
कुल	**TOTAL**	**143,845,186**	**135,090,405**
अनुसूची-6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेषराशि	**SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I. **हाथ में नकदी**	I. **Cash in hand**	**20,123,805**	**26,310,955**
(विदेशी मुद्रा और सोने सहित)	(including foreign currency notes & Gold)		
II. **रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास शेषराशि :***	II. **Balances with Reserve Bank of India : ***		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	253,352,816	313,305,193
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	0	0
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**253,352,816**	**313,305,193**
कुल (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**273,476,621**	**339,616,148**
***भारत के बाहर के केंद्रीय बैंकों के पास शेषराशि को मिलाकर**	* Including balances with Central Banks outside India		
अनुसूची - 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**		
I. भारत में :	**I. In India :**		
i) बैंकों के पास शेषराशि	i) Balances with Banks		
ए) चालू खातों में	a) in Current Accounts	1,488,987	1,903,759
बी) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	17,833,750	36,440,250
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन	ii) Money at call and short notice		
ए) बैंकों के पास	a) With Banks	0	0
बी) अन्य संस्थाओं के पास	b) With Other Institutions	195,000,000	60,000,000
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**214,322,737**	**98,344,009**
II. भारत के बाहर :	**II. Outside India :**		
i) चालू खातों मे	i) In Current Accounts	2,721,113	7,059,502

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2017 ₹	As at यथा 31-03-2016 ₹
ii) अन्य जमाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	300,649,871	388,873,694
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन	iii) Money at call and short notice	167,709,190	157,519,641
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**471,080,174**	**553,452,837**
कुल (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**685,402,911**	**651,796,846**
अनुसूची - 8 : निवेश	**SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS**		
I. भारत में निवेश :	**I. Investments in India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	1,114,459,951	1,035,861,770
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	0	0
iii) शेयर	iii) Shares	16,109,750	8,828,791
iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड्स	iv) Debentures and Bonds	62,684,513	55,140,379
v) अनुषंगियां एवं सहायक कंपनियां	v) Subsidiaries and Associates	4,606,305	5,010,064
vi) अन्य (वाणिज्यिक दस्तावेज, म्यूचुअल फंड के यूनिट, पास थ्रू सर्टिफिकेट, प्रतिभूति रसीदें, जोखिम फंड, इत्यादि)	vi) Others (Commercial Papers, Units of Mutual Funds, Pass Through Certificates, Security Receipts, Venture Fund etc.)	29,705,547	31,266,605
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**1,227,566,066**	**1,136,107,609**
सकल	Gross	1,237,560,617	1,144,755,045
घटाएं: मूल्यह्रास एवं परिशोधन	Less: Depreciation and Amortisation	9,994,551	8,647,436
निवल	**Net**	**1,227,566,066**	**1,136,107,609**
II. भारत के बाहर निवेश:	**II. Investments outside India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	19,637,781	38,892,709
ii) विदेश में अनुषंगियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों में	ii) In Subsidiaries and/or joint ventures abroad	7,214,280	7,013,247
iii) अन्य निवेश (डिबेंचर एवं बॉण्ड)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	23,850,504	6,475,555
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**50,702,565**	**52,381,511**
सकल	Gross	56,082,581	58,329,129
घटाएं: मूल्यह्रास एवं परिशोधन	Less: Depreciation and Amortisation	5,380,016	5,947,618
निवल	**Net**	**50,702,565**	**52,381,511**
कुल (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**1,278,268,631**	**1,188,489,120**
अनुसूची - 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
ए. i) खरीदे गए और छूटप्राप्त बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	547,765,571	506,741,523
ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाने योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,477,784,328	1,442,313,274
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	1,639,266,772	1,642,834,795
कुल (ए)	**TOTAL (A)**	**3,664,816,671**	**3,591,889,592**
बी. अग्रिमों का विवरण :	**B. Particulars of Advances :**		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के निमित्त अग्रिमों सहित)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	2,350,641,211	2,456,458,128
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर किया गया	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	628,398,739	564,085,027
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	685,776,721	571,346,437
कुल (बी)	**TOTAL (B)**	**3,664,816,671**	**3,591,889,592**
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण :	**C. Sectoral Classification of Advances :**		
I. भारत में अग्रिम	**I. Advances in India**		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	954,638,291	918,603,215
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	307,667,025	321,043,951

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2017 ₹	As at यथा 31-03-2016 ₹
iii) बैंक	iii) Banks	23,105,999	1,514,066
iv) अन्य	iv) Others	1,339,713,485	1,247,792,671
कुल (सी-I)	**Total (C-I)**	**2,625,124,800**	**2,488,953,903**
II. भारत के बाहर अग्रिम :	**II Advances outside India :**		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	434,310,124	354,336,519
II) अन्य से देय	II) Due from others		
ए) खरीदे गए और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	19,566,147	101,062,953
बी) समूहित ऋण	b) Syndicated Loans	218,109,206	187,682,606
सी) अन्य	c) Others	367,706,394	459,853,611
कुल **(सी-II)**	**TOTAL (C-II)**	**1,039,691,871**	**1,102,935,689**
कुल **(सी - I, सी - II)**	**TOTAL (C - I, C - II)**	**3,664,816,671**	**3,591,889,592**
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS**		
I. परिसर :	**I. PREMISES :**		
लागत पर प्रारंभिक शेष	Opening Balance, at cost	15,514,991	14,746,006
वर्ष के दौरान जोड / समायोजन	Additions /Adjustments during the year	794,277	774,466
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	112,310	5,481
उप-जोड	**Sub-total**	**16,196,958**	**15,514,991**
पुनर्मूल्यांकन के कारण तिथि पर जोड़	Addition to date on account of revaluation	58,836,015	76,065,902
घटाएं: यथा तिथि मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन की वजह से ₹ 19,68,928 सहित - विगत वर्षांत ₹ 1,59,97,646)	Less : Depreciation to date (including ₹ 19,68,928 on account of revaluation - Previous year end ₹ 1,59,97,646)	5,019,663	20,338,034
कुल -(I)	**TOTAL (I)**	**70,013,310**	**71,242,859**
II. अन्य अचल आस्तियां :	**II. OTHER FIXED ASSETS :**		
(फर्नीचर एवं फिक्स्चर सहित)	**(including Furniture and Fixtures)**		
लागत पर प्रारंभिक शेष	Opening Balance at cost	28,336,143	25,694,378
वर्ष के दौरान जोड / समायोजन	Additions / Adjustments during the year	4,300,647	3,160,031
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	Less:Deductions / Adjustments during the year	2,488,904	518,266
उप-जोड	**Sub-total**	**30,147,886**	**28,336,143**
घटाएं: तिथि पर मूल्यह्रास	Less: Depreciation to date	17,508,010	16,681,224
जोड **(II)**	**TOTAL (II)**	**12,639,876**	**11,654,919**
III. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	**III. CAPITAL WORK IN PROGRESS**	**1,965,395**	**1,905,335**
जोड (I से III)	**TOTAL (I to III)**	**84,618,581**	**84,803,113**
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	**SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS**		
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	I. Inter Office Adjustment (Net)	31,090,634	21,805,906
II. उपचित ब्याज	II. Interest Accrued	27,144,694	26,460,643
III. अग्रिम में अदा किया गया कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	III. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net)	9,445,680	39,621,696
IV. लेखन सामग्री एवं स्टैम्प	IV. Stationery and Stamps	49,863	44,660
V. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	V. Deferred Tax Assets (Net)	54,055,712	27,775,680
VI. अन्य	VI. Others	154,722,668	126,835,863
कुल	**TOTAL**	**276,509,251**	**242,544,448**
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**		
I. ऋण के रूप में नहीं माने गए बैंक के निमित्त दावे	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	11,278,319	11,351,207
II. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	II. Liability for partly paid Investments	382,408	564,701

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2017 ₹	As at यथा 31-03-2016 ₹
III. अतिदेय वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	2,825,162,618	2,672,133,541
IV. घटकों के पक्ष में दी गई गारंटी:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
ए. भारत में	a. In India	207,526,315	206,825,665
बी. भारत के बाहर	b. Outside India	210,644,429	138,056,151
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएं	V. Acceptances, endorsements and other obligations	195,064,751	221,879,503
VI. उपरोक्त III में सूचीबद्ध के अलावा व्युत्पन्नी संविदाएं	VI. Derivative contracts other than listed at III above	141,706,565	283,574,642
VII. अन्य मदें जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है ।	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	6,028,859	3,707,915
कुल	**TOTAL**	**3,597,794,264**	**3,538,093,235**
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज	**SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED**		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	271,878,607	303,709,040
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	90,599,174	89,521,346
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि पर ब्याज और अन्य अंतर-बैंक निधियां	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	20,122,123	21,209,422
IV. अन्य	IV. Others	10,308,619	3,524,890
कुल	**TOTAL**	**392,908,523**	**417,964,698**
अनुसूची - 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	13,236,251	14,034,992
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ	II. Profit on sale of Investments 32,988,215 7,706,859		
घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि	Less : Loss on sale of Investments 2,325 211,387	32,985,890	7,495,472
III. जमीन, बिल्डिंग और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ	III. Profit on sale of land, buildings and other assets	0	0
घटाएं:जमीन, बिल्डिंग और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि	Less : Loss on sale of land, buildings and other assets		
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ	IV. Profit on exchange transactions 12,035,295 6,628,424		
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि	Less: Loss on Exchange Transactions 262,994 7,683	11,772,301	6,620,741
V. अनुषंगी/कंपनी और/अथवा संयुक्त उद्यमों के लाभांश इत्यादि से अर्जित आय	V. Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries / cos.and/or JVs	339,350	174,372
VI. विविध आय	VI. Miscellaneous Income	9,389,513	8,199,812
कुल	**TOTAL**	**67,723,304**	**36,525,389**
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**		
I. जमाराशियों पर ब्याज	I. Interest on Deposits	244,273,374	269,274,739
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	20,069,686	19,176,695
III. अन्य:	III. Others	10,304,296	12,267,037
कुल	**TOTAL**	**274,647,356**	**300,718,471**
अनुसूची - 16 : परिचालन खर्चे	**SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES**		
I. कर्मचारियों को भुगतान और के लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	53,966,154	53,572,386
II. किराया, कर एवं लाइटिंग	II. Rent, Taxes and Lighting	6,580,776	6,392,883
III. प्रिंटिंग एवं लेखन सामाग्री	III. Printing and Stationery	800,405	770,021
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	450,024	409,524
V. बैंक की संपदा का मूल्यह्रास	V. Depreciation on Bank's property (14,153,379) 7,199,353		

लाभ एवं हानि खाता की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

				As at यथा 31-03-2017 ₹	As at यथा 31-03-2016 ₹
	घटाएं: पूनर्मूल्यांकन आरक्षिती से समायोजित मूल्यह्रास (लेखांकन नीति मे परिवर्तन के लिए नेट ऑफ समायोजन) घटाएं : विनिमय भिन्नताओं का समायोजन	Less : Depreciation adjusted from revaluation reserve(net off adjustment for change in accounting policy)	(14,019,417) 0		
		Less : Adjustment of Exchange Difference	(9,301) 4,336,725		
				(124,661)	2,862,628
VI.	निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्चे	VI. Directors' fees, allowances and expenses		4,337	3,218
VII.	लेखा-परीक्षकों का शुल्क और खर्चे (शाखा के लेखा-परीक्षकों के शुल्क एवं भत्ते सहित)	VII. Auditors' fees and expenses (Including branch Auditors' fees & expenses)		896,330	672,347
VIII.	विधि प्रभार	VIII. Law Charges		305,025	259,187
IX.	डाक-खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन, इत्यादि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.		1,196,391	972,929
X.	मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance		645,734	630,806
XI.	बीमा	XI. Insurance		4,248,179	3,955,905
XII.	अन्य खर्चे	XII. Other Expenditure		19,689,272	22,913,584
	कुल	**TOTAL**		**88,657,966**	**93,415,418**

अनुसूची - 17:
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1) लेखांकन का आधार

वर्तमान के ध्यातव्य सिद्धान्त तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व के लागत के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है जो वस्तुत: 'सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों' (जीएएपी) के सभी पक्षों का पालन करते हैं। इसके साथ-साथ ये लागू विधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्धारित विनियामक नियमों, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी निदेशों, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाओं को भी शामिल करते हैं। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है, यदि इन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

2) प्राक्कलन का प्रयोग

प्रबंधन के लिए वित्तीय विवरणी की तैयारी के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरण की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किये गये आकलन उचित तथा तार्किक हैं। तथापि वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्य में उल्लिखित किया जाता है।

3. राजस्व पहचान

(क) आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है, यदि अन्यथा न उल्लिखित हो। विदेशी कार्यालयों के संबंध में संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय निर्धारित की जाती है।

(ख) रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आय का निर्धारण समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है, परन्तु अनर्जक आस्तियों तथा एसडीआर/एस4ए के अंतर्गत कवर किये गये खातों में वसूली के बाद ही ऐसा किया जाता है।

(ग) बैंक गारंटी तथा साख पत्र जारी करने पर कमीशन का निर्धारण बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।

(घ) अन्य सभी कमीशन और विनिमय, ब्रोकरेज, शुल्क तथा अन्य प्रभारों की वसूली पर आय के रूप में निर्धारण किया जाता है।

(ङ) ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अतिरिक्त) जिसे उसके अंकित मूल्य पर प्राप्त छूट के बाद खरीदा गया था, उस पर निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जाती है:-

1. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर केवल बिक्री/मोचन के समय ही इसका निर्धारण किया जाता है।
2. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों में स्थिर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि पर इसका लेखांकन किया जाता है।

(च) निवेशों की बिक्री में हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री के मामले में करों तथा सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण करने हेतु आवश्यक राशि छोड़कर, इसके बराबर की राशि ''आरक्षित पूँजी खाते'' में विनियोजित की जाती है।

SCHEDULE 17:
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1) BASIS OF PREPARATION:

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform, in all material aspects, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

2) USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognised prospectively in current and future periods.

3) REVENUE RECOGNITION:

(a) Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/expenditure is recognised as per local laws/ standards of host country.

(b) Interest income is recognised on time proportion basis except interest on Non-performing Assets and accounts coverd under SDR/S4A, which is recognised on realisation, in terms of the RBI guidelines.

(c) Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is recognised over the tenure of BG/LC.

(d) All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

(e) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

1. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/redemption.
2. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

(f) Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. As per RBI guidelines, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount, net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves, is appropriated to 'Capital

(छ) जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तब लाभांश को आय के रूप पहचाना जाता है।

(ज) निर्धारण आदेश जारी होने के वर्ष में आयकर वापसी पर ब्याज, आय के रूप में पहचाना जाता है।

(झ) एन.पी.ए. खातों से वसूली के मामलों में सर्वप्रथम अप्राप्त ब्याज/उधारकर्ताओं के खाते से नामे आय के मद में विनियोजन किया जाता है, उसके बाद व्यय/जेब से किये गये खर्चे, तत्पश्चात् मूलधन का बकाया तथा अंत में अप्रभारित ब्याज के मद में विनियोजन किया जाता है।

4) अग्रिम:

(क) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों को ''उत्पादक'' और ''अनुत्पादक'' अग्रिमों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) घरेलू शाखाओं के संबंध में एनपीए से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित दर पर किया जाता है

Reserve Account'.

(g) Dividend is recognised when the right to receive the dividend is established.

(h) Interest on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

(i) The recoveries made from NPA accounts are appropriated first towards unrealised interest/income debited to borrowers accounts, expenditure/out of pocket expenses incurred, then principal dues and lastly towards uncharged interest.

4) ADVANCES:

(a) Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

(b) NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

(c) In respect of domestic branches, Provisions in respect of NPAs are made at the rates given as under:

एनपीए का श्रेणी	Category of NPAs	% of net outstanding advance
अवमानक आस्ति*	Sub Standard:*	
क) एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती है	a) Exposures, which are unsecured ab initio	25%
ख) अन्य	b) Others	15%
संदिग्ध :	Doubtful:	
क) जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में ही रहा)	a) Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- Upto one year	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- One year to three years	40%
- तीन वर्ष से अधिक	- More than three years	100%
ख) गैर जमानती हिस्सा	b) Unsecured portion	100%
हानि	Loss	100%

* बकाया अग्रिम पर

(घ) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान संबंधित देश में लागू विनियामक आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हो, उसके अनुसार होगी।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियो, अप्राप्य ब्याज, इसीजीसी दावा का निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाएं जाते हैं।

(च) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्निधारित/पुन:संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम के परिकलन हेतु इस प्रावधान को घटाया जाता है।

(छ) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त राशि को रखा जाता है और एससी/एआरसी को अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री में होने वाली कमी/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है। यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया घटाव (-) प्रावधान) से नीचे है तो कमी को लाभ एवं हानि

* On the outstanding advance

(d) In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

(e) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims settled, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

(f) In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

(g) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price higher than the Net Book Value (NBV), the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e.

खाते में नामे किया जाता है। परन्तु यदि अतिरिक्त राशि उपलब्ध है तो ऐसी कमी को उसमें प्रयुक्त किया जाएगा। 26.02.2014 को अथवा उसके बाद एनपीए की बिक्री से उत्पन्न किसी भी ऐसी कमी को यदि अतिरिक्त राशि में खपाया नहीं जाता है तो उसे दो वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाएगा।

एनपीए की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य(एनबीवी) प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआरएस/पीटीसी का रीडेम्पशन) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक सीमित होगी।

(ज) मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुन:संरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबन्धित देशों में लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार होगी।

(झ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधिक देशी एक्सपोज़र के लिए श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

5) अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित की जाने वाली अस्थायी प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

6) डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट :

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवार्ड पॉइंट का प्रावधान एक्चवेरीयल आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

7) निवेश :

ए) सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार को निपटान तारीख पर मान्यता दी जाती है और अन्य सभी निवेशों को कारोबार की तारीख पर मान्यता दी जाती है।

बी) निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'परिपक्वता तक धारित', 'कारोबार के लिए धारित' और 'बिक्री हेतु धारित' श्रेणियों में किया गया है। भारत में किए गए निवेशों के प्रकटन के उद्देश्य से इन्हें आरबीआई दिशानिर्देशों और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार छह वर्गों के तहत वर्गीकृत किया जाता है जैसे **क)** सरकारी प्रतिभूतियाँ **ख)** अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां **ग)** शेयर, **घ)** डिबेंचर और बॉण्ड, **ड़)** अनुषंगियों और सहायक कंपनियों में निवेश और **च)** अन्य । भारत के बाहर निवेशों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित), विदेश में अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम और अन्य निवेश।

(क) वर्गीकरण का आधार

निवेश का वर्गीकरण उसके अर्जन के समय किया जाता है।

outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However, if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any such shortfall arising due to sale of NPA on or after 26/02/2014 will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRs/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

(h) Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

(i) Provision for net funded country exposures (direct/ indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

5) FLOATING PROVISION:

The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes.

6) DEBIT/CREDIT CARD REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to the debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

7) INVESTMENTS:

A. Transactions in Government Securities are recognised on Settlement Date and all other Investments are recognised on trade date.

B. Investments are categorised under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure of investments in India, these are classified, in accordance with RBI guidelines & Banking Regulation Act, 1949, under six classification viz. **a)** Government Securities, **b)** Other Approved Securities, **c)** Shares, **d)** Debentures and Bonds, **e)** Investment in Subsidiaries and Associates and **f)** Others. In respect of investments outside India, these are classified, in accordance with RBI guidelines, under three categories viz. Government Securities (including local authorities), Subsidiaries/ Joint Ventures abroad and Other Investments.

(a) Basis of categorisation

Categorisation of an investment is done at the time

i) परिपक्वता तक धारित

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

ii) कारोबार के लिए धारित

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें अल्प अवधि मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जन किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इसका कारोबार किया जाता है।

iii) बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण ''परिपक्वता तक धारित'' अथवा 'कारोबार के लिए धारित' रूप में नहीं किया हैं, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

ख) निवेश का अधिग्रहण लागत

i) इक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि लागत में शामिल है।

ii) ब्रोकरेज, कमीशन, डेब्ट निवेश पर भुगतान/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को आय/व्यय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता है।

iii) निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

iv) निवेश की लागत, भारित औसत लागत पद्धति द्वारा निर्धारित की जाती है।

ग) मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में रखे गये निवेशों को संबंधित देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मूल्य अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य, इन दोनों में जो भी कम हो उसके अनुसार किया जाता है।

ट्रेज़री बिल और वाणिज्यिक पत्रों (सी.पी.) को कैरिंग कॉस्ट पर मूल्यांकित किया जाता है।

i) परिपक्वता तक धारित :

1) इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन के निवल, यदि कोई हो, पर लिया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, को सतत अर्जन पद्धति का उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन आय में 'निवेश पर ब्याज' शीर्ष के तहत समायोजित की जाती है।

2 अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश पूर्व के लागत के आधार

of its acquisition.

i) Held to Maturity

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

ii) Held for Trading

This comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. These are intended to be traded within 90 days from the date of purchase.

iii) Available for Sale

This comprise investments which do not fall under "Held to Maturity" or "Held for Trading" classification.

(b) Acquisition Cost of Investment

i) Brokerage, commission, securities transaction tax etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as income/expense and is excluded from cost/ sale consideration.

iii) Brokerage and Commission received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

iv) Cost of investments is determined at weighted average cost method.

(c) Method of valuation

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

i) Held to Maturity

1 Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period to maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

2 Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at

पर मूल्यांकित किया जाता है सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के जिन्हें कैरिंग कॉस्ट पर (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी को छोड़कर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग ह्रास (diminutions) के लिए प्रावधान किया जाता है।

ii) कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध :

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों का मूल्यांकन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यह्रास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान पर बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के पश्चात् एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

2. ''कारोबार के लिए धारित'' और ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' श्रेणियों में कोट किए गए निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार दर/भाव, भारतीय प्राथमिक डीलर संघ (पीडीएआई) /निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव्ज संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है

सरकारी/प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी रु. 1
अधिमान्य शेयर्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू बॉण्ड्स/कारपोरेट बॉण्ड	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड के यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
उद्यम पूँजी निधि (वीसीएफ)	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो रु.1 प्रति वीसीएफ
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर

घ) प्रवर्गों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण

अंतरण के दिन अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य इनमें से जो भी कम हो, उस पर प्रवर्गों के मध्य किसी प्रतिभूति का अंतरण किया जाता है।

ङ) अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:

1. निवेशों को निष्पादित और गैर-निष्पादित में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित होता है।

carrying cost (i.e. book value). A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.

ii) Held for Trading / Available for Sale

1 Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

2 For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	At break up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Re.1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU Bonds / Corporate Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the Fund in respect of each scheme
Venture Capital Funds (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at Re. 1/- per VCF.
Security Receipts	At NAV as declared by Securitisation Companies

(d) Transfer of Securities between Categories

The transfer of securities between categories is carried out at the least of acquisition cost / book value/ market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

(e) Non performing Investments (NPIs) and valuation thereof

1 Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

2. गैर-निष्पादित निवेशों के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान किया जाता है।

च) रेपो/रिवर्स रेपो

रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्श्विक उधार और उधार लेने के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में प्रतिभूतियों का अंतरण किया जाता है और ऐसी प्रतिभूतियां रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होती हैं। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन जैसा भी मामला हो ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। रेपो खाते में शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

8) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

वर्तमान में बैंक फॉरेक्स वायदा संविदा, ब्याज दर एवं करेंसी डेरिवेटिव का कार्य देखता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला ब्याज दर डेरिवेटिव रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर हैं। बैंक द्वारा किये जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव विकल्प हैं - करन्सी स्वैप तथा करन्सी फ्यूचर। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

क हेज/नॉन हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग से रिकॉर्ड किए जाते हैं।

ख हेज़िग डेरिवेटिव पर आय/व्यय उपचय आधार पर लेखांकित होती है।

ग फॉरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

घ व्यापार उद्देश्य से विनिमय व्यापार डेरिवेटिव के अलावा ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार मूल्य पर (एमटीएम) किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई हो तो उसको लाभ एवं हानि में बताया जाता है। लाभ, यदि कोई हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

ङ व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट विनिमय व्यापार डेरिवेटिव का विनिमय द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

च ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से लाभ/हानियों को निरस्तीकरण तिथि में आय/व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। स्वैप के निरस्तीकरण पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित कम अवधि अथवा डेजिग्नेटेड आस्तियाँ/देयताओं की बकाया अवधि से संबद्ध किया जाता है।

छ विकल्प संविदा की परिपक्वता अवधि पर विकल्प शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

9. अचल आस्तियां :

क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त जिन्हें पुनर्मूल्यन रकम पर ही बताया जाता है, अचल आस्तियों को पूर्व के लागत के आधार पर बताया है। पुनर्मूल्यांकन से वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में जमा किया जाता गया है।

2 In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

(f) Repo / Reverse Repo

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice.

8) Derivative

The Bank presently deals in Forex Forward Contracts, interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(a) The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

(b) Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(c) Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

(d) Interest Rate Derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit if any, is ignored.

(e) Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(f) Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(g) Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

9) FIXED ASSETS:

(a) Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which is stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

ख. लागत में खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले जगह की तैयारी, संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय शामिल हैं। उपयोग की जा रही आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाएगा जब ऐसी आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. परिसर की लागत में स्वामित्व एवं पट्टाधारी भूमि की लागत दोनों शामिल हैं।

10. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास :

क) आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति से आकलित उपयोगी जीवन के आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यह्रासित बही मूल्य पर प्रभारित किया गया है, कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को छोड़कर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है। कम्प्यूटरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से सीधी रेखा पद्धति से मूल्यह्रास लगाया जाता है।

ख) खरीद/बिक्री के संबंध में मूल्य ह्रास को वर्ष के दौरान जितने दिनों के लिए आस्ति का प्रयोग किया गया, उसके आनुपातिक आधार पर किया जाता है। (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को छोड़कर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, जहाँ खरीदी के वर्ष में उसका पूर्ण ह्रास होता है।)

ग) आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

घ) पट्टाधारित भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम, पट्टे की अवधि में परिशोधित की जाती है।

ङ) जहाँ भूमि और भवन की लागत अलग-अलग नहीं आकलित की जा सकती है, संपूर्ण लागत पर मूल्यह्रास का प्रावधान, भवन पर लागू दर पर किया जाता है।

च) भारत के बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर आधारित होता है, उन स्थानों को छोड़कर जहाँ विनियामक की आवश्यकताओं/अथवा संबंधित देशों/उद्यम में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार प्रावधान किया गया है।:

छ) भारत के बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान विनियामक की आवश्यकताओं/अथवा संबंधित देशों/उद्यम में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार किया गया है।

(b) Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees etc. incurred on the asset before it is put to use or capable of put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

(c) Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.

10) DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:

a) Depreciation on assets is charged on the Straight Line Method at the rates determined by the Bank, on the basis estimated useful use of respective assets except in respect of computers and computer software not forming integral part of hardware, where it is calculated on Straight Line Method, at the rates prescribed by RBI.

b) In respect of additions/sale, depreciation is provided on proportionate basis (except for computer software not forming integral part of hardware, where it is fully depreciated in the year of acquisition) for the number of days the assets have been put to use during the year.

c) Depreciation on the revalued portion of assets is adjusted against the Revaluation Reserve.

d) Premium on leasehold properties is amortised over the period of lease.

e) Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

f) Depreciation on fixed assets outside India is provided based on Straight Line Method, except at the centres where the rates/method have been prescribed by the local statutory authorities.

g) Depreciation on assets is provided at the following rates:

Sr. No.	विवरण	Particulars	Rate of Depreciation	Estimated useful life as determined by the Bank
1.	परिसर	Premises	1.58%	60 Years
2.	**अन्य अचल आस्तियां**	**Other Fixed Assets:**		
a)	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments	9.50%	10 Years
b)		Electrical Fitting Equipment's	9.50%	10 Years
c)	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	Air-conditioning plants, etc. and business machines.	6.33%	15 Years
d)	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	Motor cars, Vans & Motor cycles	11.88%	8 Years
e)		Cycle	20.00%	5 Years
f)	कम्प्यूटर तथा कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग है।	Computers and Computer Software forming integral part of hardware.	33.33%	3 Years
g)	कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग नहीं है।	Computer Software, not forming integral part of hardware.	100% in the Year of acquisition	NA

11. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा वाले संव्यवहारों का लेखांकन, लेखामानक एएस 11 ''विदेशी विनिमय दरों में प्रभावी परिवर्तन'' के अनुरूप किया गया है

ए) **समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:**
भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

h) 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life less than 5 years (e.g. Computers, computer software and Cycles), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.

11) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in

i) विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर रिकॉर्ड किया जाता है जो कॉगजेन्सिस/रायटर के पृष्ठ में प्रदर्शित साप्ताहिक औसत क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें जो पूर्व के लागत के अनुसार की जाती है उसे संव्यवहार की तारीख में विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

iv) विदेशी मुद्रा में रखे गए आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट किया जाता है।

v) बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi) एफईडीएआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा,उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित की जाएगी।

vii) मौद्रिक मदों के निपटान में आरंभ में रिकॉर्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।

viii) मुद्रा वायदा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है।

ii) आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर एफईडीएआई द्वारा सूचित तिमाही औसतन क्लोजिंग दर पर स्पष्ट किया जाता है।

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते ''विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व'' में संचित किया जाता है।

Foreign Exchange Rates" read circular extant RBI guidelines:

a) Translation in respect of Integral Foreign operations:

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

i) Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuters page.

ii) Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.

iii) Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting notional profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi) Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii) Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii) Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the Profit and Loss account.

b) Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:

Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i) Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal

iv) विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

12. कर्मचारी लाभ :

i. अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की अनडिस्काउन्टेड रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है। इसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

ii. नियोजन के पश्चात लाभ :

ए. परिनिश्चित लाभ योजना

ए. उपदान (ग्रैच्युटी)

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है। यह राशि प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के बेसिक वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान विनियम में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होता है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन ट्रस्ट द्वारा किया जाता है जो वार्षिक रूप में एक स्वतंत्र बाह्य ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है।

बी. पेंशन

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियत के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है।नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई (कर्मचारी) पेंशन विनियमन के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है जो वार्षिक रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के तहत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

बी. परिनिश्चित अंशदान योजना :

क) भविष्य निधि

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के तहत लाभ पाने का हक है। बैंक एक निर्धारित

of the net investments by the bank in the respective foreign branches.

iv) The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

12) EMPLOYEE BENEFITS:

i. Short Term Employee Benefit:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

ii. Post Employment Benefit:

A. Defined Benefit Plan:-

a) Gratuity:

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lumpsum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act 1972 or BOI (Employee) Gratuity Regulation whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out annually.

b) Pension:

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of BOI (Employees) Pension regulations. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

B. Defined Contribution Plan:

a) Provident Fund:

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of

दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10 के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करती है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ख) पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

iii. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

क) छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एएस 15 कर्मचारी लाभ के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ख. अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, आकस्मिक लाभ इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 कर्मचारी लाभ के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ग. विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना संबंधित देशों में विद्यमान कानून के आधार पर की जाती है।

13. प्रति शेयर अर्जन:

एएस 20 ''अर्जन प्रति शेयर'' के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की कर पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग कर गणना की जाती है।

प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर गणना की जाती है।

14. आय पर कर :

क. एएस-22 ''आय पर करों के लिए लेखांकन'' के अनुसार आयकर में वर्ष के दौरान वर्तमान कर प्रावधान और आस्तियों या देयताओं पर आस्थगित कर में निवल परिवर्तन शामिल है। वर्तमान करों का निर्धारण लेखांकन मानक 22 तथा भारत में लागू कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों पर करों को ध्यान में रखा जाता है जो संबंधित अधिकार क्षेत्र के कानूनों पर आधारित है। आस्थगित कर समायोजन में अवधि के दौरान आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन शामिल होते हैं।

employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

b) Pension:

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

iii. Other Long term Employee Benefit:

a) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

b) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, Sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

c) In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

13) EARNINGS PER SHARE:

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS-20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

14) TAXES ON INCOME:

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

Deferred Tax adjustments comprise changes in the

ख. आय तथा व्यय की मदों के संबंध में सावधानी रखते हुए आस्थगित कर निर्धारण किये जाते हैं जो एक विशेष समय आते हैं तथा एक या एक से अधिक आगामी वर्षों में वापस किये जाने योग्य है।

ग. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का परिगणन तुलनपत्र की तारीख पर कर की दर तथा कर कानूनों का प्रयोग कर किया जाता है जिसे विधिक रूप से लागू किया जाता है।

घ. प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित कर आस्तियाँ निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं। अनवशोषित मूल्यह्रास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की उगाही की जा सकती है।

15. आस्तियों का ह्रास:

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि यदि कोई हो, तो एएस 28 "आस्तियों का ह्रास" के अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां:

एएस 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार बैंक प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमनों की दायित्वों का निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसा आय निर्धारण हो सकता है जो कभी भी वसूला न जा सके।

17. शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी किया जाता है, उस वर्ष शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

15) IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS-28 "Impairment of Assets".However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

16) PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS-29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

17) SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to the Profit and Loss Account in the year of issue of shares

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकडे ₹ करोड़ों में हैं। कोष्ठक में दिए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

खातों के भाग स्वरूप टिप्पणियां।

1. वर्ष के दौरान सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2009 के विनियमन 76(1) के अनुरूप बैंक ने अधिमानी आधार पर अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर के 23,81,42,640 इक्विटी शेयर का आबंटन किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

आबंटन की तारीख	शेयर धारक का नाम	इक्विटी शेयर की संख्या	प्रति शेयर निर्गम मूल्य	राशि
04.05.2016	भारत सरकार	10,14,82,527	113.32	1,150.00
04.05.2016	भारतीय जीवन बीमा निगम	1,60,00,000	96.03	153.65
08.09.2016	भारतीय सरकार	12,06,60,113	110.89	1,338.00
	कुल	**23,81,42,640**		**2,641.65**

वर्ष के दौरान मूल बैंक को अधिमान्य आधार पर इक्विटी शेयर के लिए सदस्यता स्वरूप शेयर आवेदन की राशि के रूप में भारत सरकार द्वारा प्राप्त ₹ 1500 तथा भारतीय जीवन बीमा निगम से 221.92 प्राप्त हुए हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.सं. बीपी.11083/21.01.002/2016-17 दिनांक 22 मई, 2017 के अनुसार सीआरएआर प्रयोजन के लिए सीईटी 1 पूंजी के रूप में माना जाता है।

2. अनुषंगी बही खातों के संतुलन के बारे में एवं विदेशी शाखाओं , आंतर कार्यालय खातों एवं नोस्ट्रो खातों और उचंत, संदेय ड्राफ्ट समाशोधन अन्तरों, इत्यादि के साथ शेष राशियों की पुष्टि/समाधान का कार्य सतत आधार पर प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में लंबित अंतिम क्लियरेन्स / समायोजन का, वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई, महत्त्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।

3. वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है और संदिग्ध (प्रतिभूतीकृत अंश)-के रूप में वर्गीकृत एनपीए के संबंध में एक वर्ष से तीन वर्ष, निवल अतिदेय अग्रिम का प्रावधानीकरण 60% (त्वरित प्रावधान) से 40% (न्यूनतम प्रावधान) किया है जो नियामक न्यूनतम है । यदि पहले की लेखांकन नीति का प्रयोग किया होता,तो वर्ष के लिए एनपीए हेतु प्रावधान ₹ 2835.68 करोड अधिक होता और परिणाम स्वरूप वर्ष के लिए निवल हानि (कर का निवल) ₹ 1854.31 करोड अधिक हुई है।

4. बैंक को हुई हानि के परिपेक्ष्य में आरबीआई ने बैंक को राजस्व आरक्षिती में नामे करते हुए अतिरिक्त टियर-I परपैचुअल बासेल III कंपलायन्ट बॉण्ड्स पर ब्याज का भुगतान करने की अनुमति दी है। तदनुसार, वर्ष के दौरान बैंक ने 31 मार्च 2016 तक देय ब्याज के लिए ₹ 177.81 के प्रावधान को व्यय किए गए ब्याज में नामे करते हुए को रिवर्स किया है और ऐसे प्रावधान की समतुल्य राशि को राजस्व आरक्षिती से अंतरित किया है। इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 413.22 का व्यय ब्याज भी राजस्व आरक्षिती को नामे किया गया है।

SCHEDULE 18:

All figures are in ₹ Crores unless specifically stated Figures in Brackets relate to previous year

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

1. During the year, the Bank has made preferential allotment of 23,81,42,640 Equity Shares of ₹ 10 each in accordance with the regulation 76(1) of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, the details of which are as under:

Date of Allotment	Name of the Shareholder	No. of equity shares	Issue price per share (in ₹)	Amount
04.05.2016	Government of India	10,14,82,527	113.32	1,150.00
04.05.2016	Life Insurance Corporation of India	1,60,00,000	96.03	153.65
08.09.2016	Government of India	12,06,60,113	110.89	1,338.00
	Total	**23,81,42,640**		**2,641.65**

During the year, the Bank has received ₹ 1,500 from the Government of India and ₹ 221.92 from the Life Insurance Corporation of India towards share application money for subscription to equity shares on preferential basis. The same is treated as CET 1 capital for CRAR purpose in accordance with RBI letter No.DBR. No.BP.11083/21.01.002/2016-17 dated 22nd March, 2017.

2. Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/ reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Drafts Payable, Clearing Difference, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/ adjustment of the above, is not likely to be significant.

3. During the year under Audit there is no change in accounting policies as those followed in the preceding financial year except in respect of depreciation on fixed assets. Earlier, the Bank was charging depreciation on all fixed assets (other than Computer & Computer Software) as per written down method at the rate determined by the bank which has now been changed to Straight Line Method (SLM) based on the estimated useful life of Fixed assets. Due to such change the excess depreciation, amounting to ₹ 313.17 has been written back and credited to Profit & Loss Account during the year.

4. In view of the losses incurred by the Bank, RBI has permitted the Bank to make payment of interest on Additional Tier I Perpetual Basel III Compliant Bonds by debiting the Revenue Reserve. Accordingly, during the year, the Bank has reversed the provision of ₹ 177.81 made towards interest payable till 31st March, 2016 by crediting the same to interest expended and an amount equivalent to such provision has been transferred from the Revenue Reserve. Further, Interest expended of ₹ 413.22 for the year ended 31st March, 2017 has also been debited to Revenue Reserve.

5. आरबीआई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी दी जा रही है:

5.1. पूँजी:

Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i)	**सामान्य इक्विटी टियर1 पूंजी अनुपात (CET1) (%)**	**Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET1) (%)**		
	बासेल-II	Basel-II	NA	NA
	बासेल -III	Basel-III	7.17	7.97
ii)	**टियर1 पूंजी अनुपात (%)**	**Tier I Capital ratio (%)**		
	बासेल-II	Basel-II	NA	7.57
	बासेल -III	Basel-III	8.90	9.03
iii)	**टियर II पूंजी अनुपात (%)**	**Tier II Capital ratio (%)**		
	बासेल-II	Basel-II	NA	4.48
	बासेल -III	Basel-III	3.24	2.98
iv)	**कुल पूंजी अनुपात (CRAR) (%)**	**Total Capital ratio (CRAR) (%)**		
	बासेल-II	Basel-II	NA	12.05
	बासेल -III	Basel-III	12.14	12.01
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of the Government of India	73.72	68.01
vi)	वर्ष के दौरान प्राप्त इक्विटी पूंजी राशि	Amount of Equity Capital Raised during the year	2641.65	2759.12
	शेयर आवेदन की राशि जो आबंटन के लिए लंबित है*	Share application money pending for allotment*	1721.92	1303.65
vii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई अतिरिक्त टियर-I पूंजी, जिसमें से, पर्पेचुअल नॉन-क्यूमुलेटिव प्रिफरेन्स शेयर्स (पीएनसीपीएस) पर्पेचुअल डेट इन्स्ट्रुमेंट्स (IPDI)	Amount of Additional Tier I capital raised Of which, Perpetual Non-cumulative Preference Shares (PNCPS) Perpetual Debt Instruments (PDI)	2500.00	0.00
viii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई अतिरिक्त टियर-I पूंजी, IPDI	Amount of Additional Tier 1 capital raised during the year i.e. IPDI	0.00	0.00
ix)	वर्ष के दौरान जुटाई गई अतिरिक्त टियर-II पूंजी II, अर्थात डेट कैपिटल इंस्ट्रुमेंट	Amount of Tier-II capital raised i.e. Debt Capital Instruments, during the year	2500.00	3000.00

* भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.11083/21.01.002/2016-17 दिनांक 22.03.2017 के अनुसार इस राशि को सीआरएआर प्रयोजन के लिए सीईटी 1 पूंजी के रूप में माना जाता है।

टियर I पूंजी में अभिवृद्धि करने हेतु प्राप्त किए गए बकाया नवोन्मेष सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)/ एटी-1 के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष में प्राप्त	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बासेल -III)
2006-07	आईपीडीआई	551.86 (यूएसडी 85 मिलियन)	275.93
2007-08	आईपीडीआई	655.00	327.50
2008-09	आईपीडीआई	400.00	200.00
2009-10	आईपीडीआई	325.00	162.50
2010-11	आईपीडीआई	300.00	150.00
2014-15	एटी-1	2500.00	2500.00
2016-17	एटी-1	2500.00	2500.00
		7231.86	**6115.93**

टियर II पूंजी में अभिवृद्धि करने हेतु प्राप्त किए गए बकाया टियर II लिखतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना बासेल -III
2008-09	अपर टियर II	500.00	250.00
2009-10	अपर टियर II	2000.00	1000.00
2010-11	अपर टियर II	1000.00	500.00
2013-14	टियर II	1500.00	1500.00
2015-16	टियर II	3000.00	3000.00
2016-17	टियर II	2500.00	2500.00
	कुल	10500.00	8750.00

5. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by RBI:

5.1. Capital:

* The amount is treated as CET 1 Capital for CRAR purpose as per RBI letter No. DBR.No. BP.11083/21.01.002/2016-17 dated 22nd March, 2017.

Details of outstanding Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)/AT-1 raised to augment Tier I capital are as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2006-07	IPDI	551.86 (USD 85 Million)	275.93
2007-08	IPDI	655.00	327.50
2008-09	IPDI	400.00	200.00
2009-10	IPDI	325.00	162.50
2010-11	IPDI	300.00	150.00
2014-15	AT-1	2500.00	2500.00
2016-17	AT-1	2500.00	2500.00
	Total	**7231.86**	**6115.93**

Details of outstanding Tier II Instruments raised to augment Tier II capitalare as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2008-09	Upper Tier II	500.00	250.00
2009-10	Upper Tier II	2000.00	1000.00
2010-11	Upper Tier II	1000.00	500.00
2013-14	Tier II	1500.00	1500.00
2015-16	Tier II	3000.00	3000.00
2016-17	Tier II	2500.00	2500.00
	Total	**10500.00**	**8750.00**

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी. 13018/21.04.048/2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के अनुरूप, बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च, 2017 के परिकलन में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती, विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती और आस्थगित कर पर विचार किया है।

5.2 निवेश

क्र. स.	विवरण	यथा 31.03.2017	यथा 31.03.2016
1	निवेश का मूल्य		
	i) निवेशों का सकल मूल्य	**129,364.31**	120,308.41
	क) भारत में	**124,479.35**	114,475.50
	ख) भारत के बाहर	**4,884.96**	5,832.91
	ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**1,537.46**	1,459.50
	क) भारत में	**1,001.32**	864.74
	ख) भारत के बाहर	**536.14**	594.76
	iii) निवेशों का निवल मूल्य	**127,826.86**	118,848.91
	क) भारत में	**123,478.03**	113,610.76
	ख) भारत के बाहर	**4,348.83**	5,238.15
2	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों की स्थिति		
	i) प्रारंभिक शेष (यथा 1 अप्रैल)	**1,459.50**	1,068.41
	ii) जोडें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**434.29**	350.73
	उप-जोड़	1,893.79	1,419.14
	iii) घटाएं : बट्टे खाते डालना/वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का राइट-बैक	313.34	0
	जोड़ें/(घटाएं): विनिमय अंतर कटौतियों की वजह से समायोजन	(42.99)	40.35
	iv) **अंतिम शेष यथा 31 मार्च**	1,537.46	1,459.50

राशि ₹ 4,441.61 (पिछले वर्ष ₹ 15,064.56) की सरकारी प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य) को मार्जिन/प्रतिभूति निपटान के पक्ष में आरबीआई, सीसीआईएल, समाशोधन गृह और विनिमयों के पास मार्जिन के रूप में रखा गया है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने संयुक्त उद्यम, स्टार यूनियन दाई इची लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड में 18% हिस्सेदारी ₹ 540 में बेची और ₹ 495 (₹ 323.69 के कर का निवल) का लाभ अर्जित किया। ऐसी बिक्री के बाद बैंक की हिस्सेदारी घट कर दिनांक 31.03.2017 को 28.96% हो गई। इसके अतिरिक्त, बैंक की अनुषंगियों, बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. और बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि. में क्रमशः ₹ 20.10 और ₹ 6.84 निवेश किया। तथापि, ऐसे निवेश के पश्चात इक्विटी पूंजी में बैंक की हिस्सेदारी (अर्थात क्रमशः 100% और 51%) स्थिर रही है।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बीओआई शेयरहोल्डिंग द्वारा 50,000 शेयरों के बायबैक के तहत ₹ 5.84 का लाभ अर्जित किया है। बायबैक के पश्चात यथा 31.03.2017 को निवेश घट कर ₹ 6.65 (विगत वर्ष ₹ 8.86) हो गया है।

Pursuant to RBI circular No. DBR. NO.BP.13018/21.04.048/2015-16 dated 1st March 2016, the bank has considered revaluation reserve, foreign currency translation reserve and deferred tax assets in calculation of Capital Adequacy Ratio as on 31st March 2017.

5.2. Investments

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2017	As at 31.03.2016
1.	Value of Investments		
	i. Gross Value of Investments	129,364.31	120,308.41
	a. In India	124,479.35	114,475.50
	b. Outside India	4,884.96	5,832.91
	ii. Provisions for Depreciation	1,537.46	1,459.50
	a. In India	1,001.32	864.74
	b. Outside India	536.14	594.76
	iii. Net Value of Investments	127,826.86	118,848.91
	a. In India	123,478.03	113,610.76
	b. Outside India	4,348.83	5,238.15
2.	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	i. Opening balance (as on 1st April)	1,459.50	1,068.41
	ii. Add: Provisions made during the year	434.29	350.73
	Sub-total	1,893.79	1,419.14
	Less: Write off/reduction/ write-back of excess provision during the year	313.34	0
	Add/(Less): Adjustments on account of Exchange Diff	(42.99)	40.35
	iv. **Closing Balance as on 31st, March**	1,537.46	1,459.50

Government Securities (Face Value) amounting to ₹ 4,441.61 (previous year ₹ 15,064.56) are kept as margin with RBI, CCIL, Clearing Houses and Exchanges towards margins/security settlement.

During the year the Bank has sold 18% stake in Star Union Dai-ichi Life Insurance Limited, Joint Venture, for ₹ 540 and earned profit of ₹ 495 (net of tax ₹ 323.69). Post sale the Bank's share has reduced to 28.96% as on 31.03.2017. Further, ₹ 20.10 and ₹ 6.84 were invested in Bank of India (Tanzania) Ltd. and BOI Axa Investment Managers Pvt. Ltd., respectively, subsidiaries of the Bank. However, Bank's share in the Equity capital (i.e. 100% and 51% respectively) has remained constant pursuant to such additional investment.

During the year ended 31st March, 2017, the Bank has earned a profit of ₹ 5.84 under buyback of 50,000 shares by BOI Shareholding Limited, a wholly owned subsidiary. Post buyback the investment has reduced to ₹ 6.65 as on 31.03.2017 (previous year ₹ 8.86).

5.2.1 वर्ष के दौरान किए गए रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य पर)

5.2.1. Repo Transactions (in face value terms)undertaken during the year:

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	बकाया यथा 31 मार्च, 2017 Outstanding as on March 31, 2017
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	Securities sold under repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government Securities	0.00 (0.00)	20188.87 (10723.27)	2412.38 (1100.79)	4759.60 (9755.00)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (35.16)	0.00 (0.10)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repo				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government Securities	0.00 (0.00)	37344.75 (9015.00)	5172.04 (1439.19)	19500.00 (6000.00)
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ) अंतर्गत किए गए सौदे शामिल है (मार्जिन को छोड़कर).

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रेपो/रिवर्स रेपो संव्यवहारों के संबंध में कोई पेनाल्टी नहीं लगाई गई।

The above include transactions undertaken under Liquidity Adjustment Facility (LAF) with RBI (net of margin).

No penalty was imposed by the Reserve Bank of India during FY 2016-17, in respect of repo/reverse repo transactions.

5.2.2 गैर-एसएलआर निवेश संविभाग (पोर्टफोलियो):

5.2.2 Non-SLR Investment Portfolio:

i. गैर एसएलआर निवेश -जारीकर्ता

i. Issuer Composition of Non SLR Investments

Sr. No.	जारीकर्ता / Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आबंटन Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूति* आबंटन Extent of 'Below Investment Grade' Securities*	'अश्रेणीकृत' प्रतिभूति आबंटन* Extent of 'Unrated' Securities*	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियां का आबंटन* Extent of 'Un-listed' Securities*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम / PSUs	2,708.60	2,154.89	96.91	691.16	0.00
		(2,030.58)	(1,519.68)	(0.00)	(1,202.60)	(0.00)
ii.	वित्तीय संस्थाएं / FIs	1,736.84	1,371.38	0.00	0.00	140.50
		(1,819.01)	(1,794.01)	(0.00)	(0.00)	(261.60)
iii.	बैंक / Banks	667.38	247.00	0.00	0.00	162.13
		(736.94)	(405.01)	(17.32)	(7.32)	(165.64)
iv.	निजी कॉर्पोरेट / Private Corporates	3,003.70	1,881.45	576.57	179.68	73.04
		(2,371.22)	(1,923.90)	(945.20)	(166.37)	(142.42)
v.	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम** / Subsidiaries / Joint Ventures**	1,183.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		(1,204.20)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
vi.	अन्य Others	9,112.80	2,230.99	49.20	172.69	0.00
		(8,379.15)	(4,651.56)	(106.86)	(261.80)	(125.10)
	उप-जोड Sub-total	**18,413.24**	**7,885.71**	**722.68**	**1,043.53**	**375.67**
		(16,541.10)	**(10,294.16)**	**(1,069.38)**	**(1,638.09)**	**(694.76)**
vii.	घटाएं: मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधान Less: Provision held towards Depreciation	1,535.96 (1,457.77)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	कुल / Total	**16,877.28** **(15,083.33)**	**7,885.71** **(10,294.16)**	**722.68** **(1,069.38)**	**1,043.53** **(1,638.09)**	**375.67** **(694.76)**

* इक्विटी में निवेश, इक्विटी अभिविन्यस्त म्युचुअल फंड, जोखिम पूंजी, वर्गीकृत आस्ति समचित प्रतिभूति, केंद्र सरकारकी प्रतिभूतियाँ, प्रतिभूति रसीद, इत्यादि को इन श्रेणियों के तहत भिन्न नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हें वर्गीकरण/सूचीकरण दिशानिर्देशों से छूट दी गई है।

** अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहायकों में निवेश को विभिन्न श्रेणियों में पृथक नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों के तहत कवर नहीं किया गया है।

* Investment in Equity, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets Backed Securities, Central Govt. Securities, Security Receipts, etc. are not segregated under these categories as these are exempt from rating/listing guidelines.

** Investment in Subsidiaries/Joint Ventures/Associates have not been segregated into various categories as these are not covered under relevant RBI guidelines.

ii. अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

विवरण	2016-17	2015-16
प्रारंभिक शेष	759.85	974.63
वर्ष के दौरान परिवर्धन	409.01	118.48
वर्ष के दौरान कटौतियां	86.04	366.76
जोडें/(घटाएं): एक्सचेंज अंतर	(15.83)	33.50
अंतिम शेष*	1066.99	759.85
धारित कुल प्रावधान	767.20	648.91

* विनिमय अंतर शामिल

5.2.3 एचटीएम श्रेणी को/से प्रतिभूतियों की बिक्री तथा हस्तांतरण:

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान एचटीएम वर्ग से बेचे और को/से अंतरित किए गए निवेश का कुल बही मूल्य वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम वर्ग के बही मूल्य के 5% से अधिक था।

एचटीएम वर्ग के तहत निवेशों (गैर एसएलआर बॉन्डों में निवेश छोडकर) का बाजार मूल्य यथा 31 मार्च 2017 ₹ 81,714.81 था जो कि उस तारीख को बही मूल्य से अधिक था।

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप, एचटीएम वर्ग से बिक्री और उससे/को अंतरण में निम्न शामिल नहीं है:-

- निदेशक मंडल के अनुमोदन से लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में बैंकों द्वारा जिन प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण किया जाना अनुमत है;
- पूर्व घोषित ओपन मार्केट नीलामियों के तहत आरबीआई को बिक्री।
- सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीदी

5.3 डिराइवेटिव्स

5.3.1 वायदा दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2017	यथा 31.03.2016
i)	स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि	12400.98	15778.39
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	235.28	632.71
iii)	स्वैप प्रणाली अपनाने पर बैंक को आवश्यक संपार्श्विक प्रतिभूति	स्वैप के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि काउन्टर पार्टी या तो बैंक अथवा प्रीमियर कार्पोरेट है.	
iv)	स्वैप से आए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।	
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	11.82	14.00

5.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डिराइवेटिव्स

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	यथा As at 31.03.2017	यथा As at 31.03.2016
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर डिराइवेटिव्स की कल्पित मूल राशि (लिखित वार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	यथा 31 मार्च को बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डिराइवेटिव्स की कल्पित मूल राशि (लिखित वार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March(instrument-wise)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डिराइवेटिव्स की कल्पित मूल राशि और जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हो (लिखित वार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(iv)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डिराइवेटिव्स का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हो (लिखित वार)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

ii. Non-performing Non-SLR Investments

Particulars	2016-17	2015-16
Opening balance	759.85	974.63
Additions during the year	409.01	118.48
Reductions during the year	86.04	366.76
Add/(Less): Exchange difference	(15.83)	33.50
Closing balance *	1066.99	759.85
Total provisions held	767.20	648.91

* Including Exchange Difference

5.2.3. Sale and transfers of securities to/from HTM Category:

During the year ended March 31, 2017, the aggregate book value of investment sold from, and transferred to/from, HTM category was in excess of 5% of the book value of HTM category at the beginning of the year.

The market value of investments (excluding investments in Non SLR bonds) under HTM category as on March 31, 2017 was ₹ 81,714.81 which was higher than the book valueas of that date.

In accordance with the RBI guidelines, sale from, and transfer to/ from, HTM category excludes:

- One-time transfer of securities permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year with approval of the Board of Directors;
- Sales to the RBI under pre-announced open market operation auctions;
- Repurchase of Government securities.

5.3. Derivatives

5.3.1. Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2017	As at 31.03.2016
i)	The notional principal of swap agreements	12400.98	15778.39
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	235.28	632.71
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	No collaterals were required for the swaps as counterparties were either banks or premier Corporate.	
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year.	
v)	The fair value of the swap book	11.82	14.00

5.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

5.3.3 डिराइवेटिव्स में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

बैंक तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा कारोबारी उद्देश्यों और ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए डेरिवेटिव संविदाएं करता है जैसे कि ब्याज-दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली और मुद्रा तथा परस्पर लेन देन की मुद्रा का विकल्प या व्यापार के उद्देश्य हेतु ये उत्पाद जोखिम की प्रतिरक्षा, लागत घटाने तथा ऐसे संव्यवहारों से आय बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बैंक इस प्रकार के व्यवहार में जिस प्रकार के जोखिमों का सामना करता है, वे हैं ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम आदि।

जोखिम प्रबंधन बैंक के कारोबार प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जोखिम की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, समुचित जोखिम सीमाएं निर्धारित करने और उन जोखिमों और सीमाओं की निरंतर आधार पर अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों के जरिए देख-रेख करने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं। जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और उनकी नियमित आधार पर देख-रेख तथा समीक्षा की जाती है। बैंक का संगठन जोखिम के प्रबंधन में सहायक रहा है। डेरिवेटिव परिचालन में व्यापार क्रिया कलापों के ऋण जोखिमों की पर्याप्त जानकारी है।

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की अध्यक्षता में बैंक के निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति है।

हेज/नॉन-हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहारों को भिन्न रूप से रिकार्ड किया जाता है। हेजिंग व्यूत्पन्नी पर आय/खर्च को उपचित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

फोरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार को चिन्हित किया गया है और परिणामत: लाभ और हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

व्यापार उद्देश्य से विनिमय व्यापार व्युत्पन्न के अलावा ब्याज दर व्युत्पन्न और मुद्रा व्युत्पन्न को बाजार को चिन्हित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई, को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है। निवल लाभ, यदि कोई, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट विनिमय व्यापार व्युत्पन्न का विनिमय द्वारा दिए गए दर के आधार पर प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत:लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है ।

व्यापार स्वैप की समाप्ति पर लाभ/हानि को समाप्ति तिथि पर आय/खर्च के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप की समाप्ति पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित कम अवधि अथवा पदनामित आस्तियों/देयताओं की बकाया अवधि से संबद्ध किया जाता है।

विकल्प संविदा के परिपक्वता काल पर विकल्प शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है ।

बैंक में वरिष्ठ और उच्च प्रबंधन को आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की उचित पद्धति है इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित/या परिचालन आवश्यकतानुसार विनियामक प्राधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी जाती है। बैंक के पास निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न पहलूओं पर स्पष्ट डेरिवेटिव दिशा-निर्देश है। डेरिवेटिव लेन देन समवर्ती आंतरिक, सांविधिक और नियामक लेखा परीक्षा के शर्तो के अध्यधीन है।

संव्यवहारों के प्रतिपक्ष बैंक प्राथमिक डीलर और प्रीमियर कार्पोरेट्स इकाइयां हैं। इनमें व्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर किया जाता है। बैंक ने ब्याज दर एवं विदेशी विनिमय डेरिवेटिव लेन-देनों के कारण उत्पन्न ऋण जोखिमों के मापन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारत वर्तमान ऋण जोखिम विधि अपनाई है। वर्तमान ऋण जोखिम विधि में वर्तमान ऋण जोखिम और इन संविदाओं के संभावी आगामी ऋण जोखिम का जोड़ है।

5.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

i. Qualitative Disclosure

The Bank enters into derivative contracts such as interest rate derivatives, currency swaps and currency options to hedge on balance sheet assets and liabilities or to meet client requirements as well as for trading purpose as per policy approved by the Board. These products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield. In such transactions, the types of risks to which the bank is exposed to, are credit risk, market risk, operational risk etc.

Risk management is an integral part of bank's business management. Bank has risk management policies designed to identify and analyse risks, to set appropriate risk limits and to monitor these risks and limits on an on-going basis by means of reliable and up to date management information systems. The risk management policies and major control limits are approved by the Board of Directors and they are monitored and reviewed regularly. The organization of the Bank is conducive to managing risks. There is sufficient awareness of the risks and the size of exposure of the trading activities in derivative operations.

The Bank has a Risk Management Committee of Directors presided over by the Managing Director& CEO.

The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately. Income/expenditure on hedging derivatives is accounted on accrual basis.

Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

Interest rate derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit, if any, is ignored.

Exchange traded derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit & Loss account.

Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

Bank has a proper system of submitting periodical reports to Senior and Top Management and Board as well as regulatory authorities as required by RBI and/or as per operational requirements. Bank has clearly spelt derivative guidelines on various aspects approved by the Board of Director. The derivative transactions are subject to concurrent, internal, statutory and regulatory audits.

The counter parties to the transactions are banks, primary dealers and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The Bank has adopted the Current Exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposures arising on account of interest rate and foreign exchange derivative transactions. Current exposure method is the sum of current credit exposure and potential future exposure of these contracts.

वर्तमान ऋण एक्सपोज़र इन संविदाओं के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का जोड़ है अर्थात् जब बैंक को प्रतिपक्ष से राशि प्राप्त करनी होती है।

संभावी आगामी ऋण जोखिम का निर्धारण इन संविदाओं के कतिपय मूल राशि, चाहे संविदा का शून्य, सकारात्मक अथवा नकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य हो, के साथ निम्नानुसार संबंधित एड-ऑन तत्वों के अनुसार लिखत के शेष परिपक्वता और स्वरुप का गुणा करके प्राप्त किया जाएगा।

अवशिष्ट परिपक्वता	कुल अनुमानित मूल राशि पर लागू परिवर्तन कारक तत्व	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष या उससे कम	0.50%	2.00%
एक वर्ष से अधिक पांच वर्ष तक	1.00%	10.00%
पाँच वर्ष से अधिक	3.00%	15.00%

ऋण जोखिम की गणना करते समय ''बिक्रीगत विकल्पों'' को वहाँ छोड दिया जाता है जहाँ कहीं प्रीमियम / शुल्क या किसी भी रूप में आय प्राप्त / वसूली होती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार संविदा के वर्तमान बाजार मूल्य मार्क के अनुरुप ऋण जोखिम की गणना की जाती है। इस पर ''मानक'' श्रेणी के ऋण आस्ति पर लागू प्रावधान जरूरतें भी लागू है। वर्तमान में जोखिम वाली आस्तियों पर 0.4% प्रावधान किया जाना है। हमारे खातों में बैंक उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित प्रावधान करते हैं।

The current credit exposure is the sum of positive mark to market value of these contracts i.e. when the Bank has to receive money from the counter party.

Potential future credit exposure is determined by multiplying the notional principal amount of these contracts irrespective of whether the contract has zero, positive or negative mark to market value by the relevant add-on factors as under according to the nature and residual maturity of the instrument.

Residual Maturity	Conversion factor applied on Notional Principal Amount	
	Interest Rate Contract	Exchange Rate Contract
One year or less	0.50%	2.00%
Over one year to five years	1.00%	10.00%
Over five years	3.00%	15.00%

While computing the credit exposure, "sold options" are excluded wherever the entire premium/fee or any other form of income is received / realized.

As per the extant RBI guidelines, credit exposures computed as per the current Mark to Market value of the contracts, also attracts provisioning requirement as applicable to the loan assets in the "Standard" category, of the concerned counterparty. At present, the provision is to be maintained at 0.4% of the risk weighted assets. The Bank makes the requisite provision as aforesaid in the books.

ii. मात्रात्मक प्रकटन

ii. Quantitative Disclosures

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	मुद्रा व्युत्पन्नी Currency Derivatives		ब्याज दर व्युत्पन्नी Interest Rate Derivatives	
1	डिराइवेटिव्स (अनुमानित मूलराशि)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	अ) हेजिंग हेतु	a) For hedging	13539.59 (19080.22)		12400.98 (14553.39)	
	क) कारोबार हेतु	b) For trading	3425.12 (3138.34)		0.00 (1225.00)	
2	ब्याज दर परस्थितियां [1]	Marked to Market Positions [1]				
	आस्ति (+)	a) Asset (+)	44.15 (235.58)		233.02 (636.76)	
	देयता (-)	b) Liability (-)	(4.59) (26.17)		(27.76) (73.25)	
3	क्रेडिट एक्सपोजर [2]	Credit Exposure [2]	317.26 (911.59)		343.88 (716.72)	
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से होने वाला संभाव्य प्रभाव (100*PV01)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	हेजिंग डिराइवेटिव्स पर	a) On hedging derivatives	0.00 (2.48)		0.57 (0.05)	
	ट्रेडिंग डिराइवेटिव्स पर	b) On trading derivatives	2.25 (0.00)		0.00 (28.80)	
5	वर्ष के दौरान पाया गया 100*PV01 का अधिकतम एवं न्यूनतम	Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during the year	अधि./Max	न्यू./Min	अधि./Max	न्यू./Min
	हेजिंग पर	a) On hedging	0.00	0.00	3.44	0.57
			(2.26)	(2.48)	(45.85)	(28.80)
	ट्रेडिंग पर	b) On trading	2.64	2.25	0.05	0.00
			(0.44)	(1.43)	(0.05)	(0.00)

5.4 आस्ति गुणवत्ता
5.4.2 अनर्जक आस्तियां
ए) अनर्जक अग्रिम

5.4. Asset Quality
5.4.2. Non-Performing Assets:
(a) Non performing Advances

विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
(i) निवल अग्रिमों में से निवल एनपीए (%)	(i) Net NPAs to Net Advances (%)	6.90%	7.79%
(ii) एनपीए (सकल) का उतार-चढ़ाव	(ii) Movement of NPAs (Gross)		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	49879.13	22193.24
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	20320.99	38606.23
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	18155.59	10920.34
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	52044.52	49879.13
(iii) निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव	(iii) Movement of Net NPAs		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	27996.40	13517.57
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	4875.60	20371.62
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	7566.97	5892.79
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	25305.03	27996.40
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)	(iv) Movement of provision for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	19994.18	7434.31
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	b) Provisions made during the year	8097.53	16346.05
ग) अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते में लिखना / राइट बैक करना	c) Write-off/write-back of excess provisions	3409.95	3786.18
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	24681.76	19994.18

(ख) अनर्जक निवेश

(b) Non performing Investments

विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
(i) निवल निवेश पर निवल एनपीआई (%)	(i) Net NPIs to Net Investment (%)	0.23%	0.09%
(ii) एनपीआई (सकल) का प्रवाह	(ii) Movement of NPIs (Gross)		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	759.85	974.63
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	409.01	118.48
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	101.87	333.26
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	1066.99	759.85
(iii) निवल एनपीआई का उतार-चढ़ाव	(iii) Movement of Net NPIs		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	110.94	257.13
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	188.85	56.18
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	0.00	202.37
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	299.79	110.94
(iv) एनपीआई के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव	(iv) Movement of provision for NPIs		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	648.91	717.50
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	b) Provisions made during the year	220.16	62.30
ग) राइट बैक/अतिरिक्त प्रावधान को राइट बैक	c) Write-off/write-back of excess provisions	101.87	130.89
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	767.20	648.91

5.4.3 पुनर्गठित खातों के विवरण / Particularsof Accounts Restructured-

(क) वर्ष 2016-17 के दौरान पुनर्गठन की शर्त पर ऋण आस्तियों के ब्यौरे (प्रबंधन द्वारा समेकित और सनदी लेखाकारों द्वारा आश्वासित)

(a) Details of Loan assets subjected to restructuring during 2016-17 (As compiled by the management and relied upon by the Auditors)

(राशि करोड़ में)

क्र. सं. Sr. No	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring					कुल Others					कुल Total				
	आस्तियों का वर्गीकरण Asset Classification		मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	सं-दिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	वित्तीय वर्ष के यथा 1 अप्रैल को पुनर्गठित खाते (प्रारंभिक आँकड़े) Restructured Account As on April 1 of FY (Opening Figure)	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Bor-rowers	12 (29)	0 (17)	55 (16)	0 (0)	67 (62)	51 (102)	14 (37)	83 (37)	0 (1)	148 (177)	33876 (31847)	7592 (6147)	846 (509)	3 (7)	42317 (38510)	33939 (31978)	7606 (6201)	984 (562)	3 (8)	42532 (38749)
		बकाया राशि Amount Out-standing	801.98 (4125.32)	0 (1423.17)	7281.59 (2018.47)	0.00 (0.00)	8083.57 (7566.96)	288.87 (757.93)	143.50 (325.08)	844.94 (343.32)	0.00 (1.72)	1277.31 (1428.05)	6435.26 (12352.48)	2271.36 (1838.39)	5431.15 (2423.41)	226.67 (223.01)	14364.45 (16837.29)	7526.11 (17235.74)	2414.86 (3586.64)	13557.69 (4785.19)	226.67 (224.73)	23725.32 (25832.30)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	29.21 (343.16)	0 (59.93)	127.25 (95.23)	0.00 (0.00)	156.46 (498.32)	3.84 (23.64)	0.50 (2.93)	5.49 (11.18)	0.00 (0.00)	9.83 (37.75)	155.15 (624.48)	28.13 (67.33)	49.78 (90.07)	0.00 (6.97)	233.06 (788.86)	188.20 (991.29)	28.63 (130.19)	182.52 (196.48)	0.00 (6.97)	399.35 (1324.93)
2	वर्ष के दौरान ताज़ा पुनर्गठित Fresh restruc-turing during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Bor-rowers	1 (3)	0 (0)	1 (7)	0 (0)	2 (10)	0 (5)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	2 (7)	11063 (16887)	61 (69)	16 (47)	0 (0)	11140 (17003)	11064 (16895)	62.00 (70.00)	18 (55)	0 (0)	11144 (17020)
		बकाया राशि Amount Out-standing	132.66 (142.53)	0 (0.00)	402.44 (1059.90)	0.00 (0.00)	535.10 (1202.43)	5.81 (55.36)	1.31 (15.57)	18.82 (29.45)	0.00 (0.00)	25.94 (100.38)	1197.77 (2850.12)	535.13 (975.71)	201.80 (518.61)	0.00 (0.00)	1934.70 (4344.44)	1336.24 (3048.01)	536.44 (991.28)	623.06 (1607.96)	0.00 (0.00)	2495.75 (5647.25)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0 (2.40)	2.59 (0.00)	13.25 (17.16)	0.00 (0.00)	15.84 (19.56)	0.93 (0.07)	0.62 (0.00)	1.99 (0.00)	0.00 (0.00)	3.54 (0.07)	172.42 (88.70)	10.88 (1.37)	57.11 (35.72)	6.96 (0.00)	247.37 (125.79)	173.35 (91.17)	14.09 (1.37)	72.35 (52.88)	6.96 (0.00)	266.75 (145.42)
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक प्रवर्ग में उन्नयन Upgrada-tions to restructured standard cat-egory during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Bor-rowers	1 (0)	2 (0)	-4 (0)	0 (0)	-1 (0)	4 (2)	-2 (-2)	-2 (0)	0 (0)	0 (0)	8 (5)	-4 (-5)	-4 (0)	-1 (0)	-1 (0)	13 (7)	-4 (-7)	-10 (0)	-1 (0)	-2 (0)
		बकाया राशि Amount Out-standing	191.75 (0)	249.7 (0.00)	-543.12 (-13.68)	0.00 (0.00)	-101.67 (-13.68)	25.63 (6.93)	-22.23 (-6.93)	-3.40 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	1330.31 (99.02)	-552.73 (-105.40)	-783.88 (0.00)	4.05 (0.00)	-2.25 (-6.38)	1547.69 (105.95)	-325.26 (-112.33)	-1330.40 (-13.68)	4.05 (0.00)	-103.92 (-20.06)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	14.63 (0.00)	2.79 (0.00)	-17.42 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.87 (0.00)	-0.70 (0.00)	-0.17 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	12.03 (3.33)	6.46 (-3.33)	-18.49 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	27.53 (3.33)	8.55 (-3.33)	-36.08 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

क्र. सं. Sr. No	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring / आस्तियों का वर्गीकरण Assets Classification		सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring					कुल Others					कुल Total				
			मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	सं-दिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
4	ऐसे पुनर्गठित मानक अग्रिम जिन पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार लगना बंद है और इसीलिए उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	3 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (3)	33 (13)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	33 (13)	16939 (13155)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	16939 (13155)	16975 (13171)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	16975 (13171)
		बकाया राशि Amount Outstanding	130.36 (447.70)	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	130.36 (447.70)	82.51 (52.83)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	82.51 (52.83)	1634.20 (1704.33)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	1634.20 (1704.33)	1847.07 (2204.86)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	1847.07 (2204.86)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	3.22 (50.50)	0 (0.00)	0 (0.00)	0.00 (0.00)	3.22 (50.50)	2.56 (0.40)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	2.56 (0.40)	29.82 (276.71)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	29.82 (276.71)	35.60 (327.61)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	35.60 (327.61)

क्र. सं. Sr. No	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring					कुल Others					कुल Total				
	आस्तियों का वर्गीकरण Assets Classification		मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	सं-दिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Down gradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	-3 (-15)	1 (-17)	2 (32)	0 (0)	0 (0)	-11 (-29)	-5 (-20)	16 (49)	0 (0)	0 (0)	-37 (-1691)	-12 (1387)	49 (305)	0 (1)	0 (2)	-51 (-1735)	-16 (1350)	67 (386)	0 (1)	0 (2)
		बकाया राशि Amount Outstanding	-344.28 (-2938.51)	122.74 (-1423.17)	221.54 (4361.68)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	-109.41 (-349.21)	-74.32 (-169.45)	183.73 (518.66)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	-1244.52 (-2213.94)	-1209.889 (-330.97)	2453.42 (2635.71)	0.00 (63.80)	-0.99 (154.61)	-1698.21 (-5501.65)	-1161.47 (-1923.59)	2858.69 (7516.05)	0.00 (63.80)	-0.99 (154.61)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-18.94 (-227.43)	1.33 (-59.93)	17.61 (287.36)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	-1.17 (18.07)	0.14 (-0.90)	1.03 (18.97)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	-9.79 (-91.82)	-14.28 (9.44)	24.07 (82.38)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	-29.9 (-337.32)	-12.81 (-51.39)	42.71 (388.71)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते में डालना Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	1 (1)	0 (0)	3 (1)	0 (0)	4 (2)	0 (16)	3 (2)	17 (4)	0 (1)	20 (23)	10 (8)	4 (5)	32 (16)	0 (5)	46 (34)	11 (25)	7 (7)	52 (21)	0 (6)	70 (59)
		बकाया राशि Amount Outstanding	108.44 (38.92)	19.72 (0.00)	556.03 (172.15)	0.00 (0.00)	684.19 (211.07)	38.89 (129.31)	33.39 (20.77)	112.83 (46.49)	0.00 (1.72)	185.11 (198.29)	648.91 (2668.29)	84.67 (31.44)	307.98 (175.52)	0.00 (26.03)	1041.56 (2901.28)	796.24 (2836.52)	137.78 (52.21)	976.84 (394.16)	0.00 (27.75)	1910.86 (3310.64)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	4.93 (31.50)	-0.15 (0.00)	41.78 (272.50)	0.00 (0.00)	46.56 (304.00)	0.09 (1.40)	0.46 (1.53)	0.76 (24.66)	0.00 (0.00)	1.31 (27.59)	49.70 (131.39)	10.04 (36.50)	15.78 (149.00)	0.00 (0.27)	75.52 (317.16)	54.72 (164.29)	10.35 (38.03)	58.32 (446.16)	0.00 (0.27)	123.39 (648.75)
7	वित्तीय वर्ष के यथा 31 मार्च को पुनर्गठित खाते (क्लोजिंग आकड़े) Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	7 (13)	3 (0)	51 (54)	0 (0)	61 (67)	11 (51)	5 (14)	81 (83)	0 (0)	97 (148)	27961 (33877)	7633 (7593)	875 (845)	2 (3)	36471 (42318)	27979 (33941)	7641 (7607)	1007 (982)	2 (3)	36629 (42533)
		बकाया राशि Amount Outstanding	531.64 (840.96)	352.72 (0.00)	6806.42 (7254.21)	0.00 (0.00)	7690.78 (8095.18)	89.50 (288.87)	14.87 (143.50)	931.26 (844.94)	0.00 (0.00)	1035.63 (1277.31)	5295.23 (6601.95)	959.20 (2356.47)	7033.34 (5411.55)	237.68 (267.49)	13525.45 (14637.45)	5916.36 (7731.78)	1326.79 (2499.97)	14771.03 (13510.70)	237.68 (267.49)	22251.86 (24009.94)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	16.75 (29.21)	6.86 (0.00)	98.91 (127.25)	0.00 (0.00)	122.52 (156.46)	1.82 (3.84)	0.10 (0.50)	7.58 (5.49)	0.00 (0.00)	9.50 (9.83)	110.63 (155.15)	21.15 (28.13)	57.97 (49.84)	0.00 (0.00)	189.74 (233.12)	129.20 (188.20)	28.11 (28.63)	164.46 (182.58)	0.00 (0.00)	321.76 (399.41)

5.4.3.2 दबावग्रस्त आस्तियों पर प्रकटन

(1) वर्तमान ऋणों की लचीली पुन:संरचना पर प्रकटन

5.4.3.2 Disclosure on Stressed Assets

(1) Disclosure on Flexible Structuring of Existing Loans

अवधि / Period	कितने उधारकर्ताओं के लिए लचीली पुन:संरचना पर विचार किया गया No. of borrowers taken up for flexible structuring	लचीली पुन:संररचना हेतु चयनित ऋणों की राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		लचीली पुन:संरचना हेतु चयनित ऋणों की एक्सपोज़र भारित औसत अवधि Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीली पुन:संररचना लागू करने से पूर्व Before applying flexible structuring	लचीली पुन:संरचना लागू करने से पश्चात After applying flexible structuring
विगत वित्तीय वर्ष / Previous Financial Year	6	1286.23	577.49	13.38 Yrs	15.21 Yrs
चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2016 से मार्च 2017) / Current Financial Year (From April 2016 to March 2017)	9	1071.01	65.46	6.96 Yrs	12.35 Yrs

(2) कार्यनीतिक ऋण पुन:संररचना योजना (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं)

(2) Disclosure on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

खाते जहां एसडीआर शुरू किया गया है No. of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन लंबित है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन किया गया है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
12	1933.12	519.97	642.46	190.49	1290.66	329.48

(3) एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं)

(3) Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

खाते जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णल ले लिया है No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन/ इक्विटी शेयरों की गिरवी लंबित है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares is pending		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन / इक्विटी शेयरों की गिरवी की गई है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares has taken place		जिन खातों में नए शेयर जारी कर या प्रमोटर की इक्विटि की बिक्री द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन प्रस्तावित है वहां रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
1	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.84	0.00

(4) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं)

(4) Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

परियोजना ऋण खाते जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है No. of project loan accounts where the Bank has decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	मानक पुनर्रचित के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard restructured	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
2	324.46	0.00	0.00

(5) दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय पुनर्रचना (एस4ए) हेतु योजना पर प्रकटन, जहां भी कार्यान्वित किया गया हो

(5) Disclosure on Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), wherever implemented.

क्र.सं. S. No.	राशि Amount	बकाया राशि Amount Outstanding		धारित प्रावधान Provision Held
		भाग ए में In Part A	भाग बी In Part B	
मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard				
शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA				
1	138.01	76.36	61.65	75.09

5.4.4 आस्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे

5.4.4 Details of financial assets sold to Securitisation/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

क. बिक्री के ब्यौरे

A. Details of Sales:

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
(i)	खातों की संख्या	Number of accounts	0.00	0.00
(ii)	एससी / आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य	Aggregate value (net of provision) of accounts sold to SC/RC	0.00	0.00
(iii)	कुल प्रतिफल	Aggregate consideration	0.00	0.00
(iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	2.10	16.00
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल आय / (हानि)	Aggregate gain/(loss) over net book value	(15.50)	(117.89)

ख. प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बही मूल्य

B. Book Value of Investments in Security Receipts:

विवरण	Particulars	अंतर्निहित के रूप में बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ एनबीएफसी द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/NBFC		कुल Total	
		2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
प्रतिभूतियों की प्राप्ति में निवेश का बही मूल्य	Book Value of investments in securities receipts	2780.86	2824.39	0.00	0.00	2,780.86	2824.39

ग. एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री के संबंध में प्रावधान पर प्रकटन :

C. Disclosure on Provision in respect of sale of NPA to SCs/RCs:

क्र.सं. S. No	राशि Amount	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Provision made during the year	यथा 31.3.2017 को 'अन्य आरक्षितियों' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान Unamortised provision debited from 'other reserves' as on 31.03.2017
NIL / शून्य			

घ. एनपीए की बिक्री से लाभ

D. Profit from sale of NPA:

क्र.सं. S. No	विवरण	Particular	2016-17	2015-16
1	एनपीए की बिक्री के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016-17 में बुक किया गया लाभ	Profit booked in FY 2016-17 in respect of sale of NPA	0.00	0.00

5.4.5 खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा (अन्य बैंकों से/को)

5.4.5 Details of non-performing financial assets purchased/sold (from/to other banks)

(ए) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा :

(a) Details of non-performing financial assets purchased:

Sr. No.	विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
1 (क) (a)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	No. of accounts purchased during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(ख) (b)	कुल बकाया	Aggregate outstanding	शून्य / NIL	शून्य / NIL
2 (क) (a)	इनमें से वर्ष के दौरान कितने खातों का पुनर्गठन किया गया	Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(ख) (b)	कुल बकाया	Aggregate outstanding	शून्य / NIL	शून्य / NIL

(बी) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा:

(b) Details of non-performing financial assets sold:

विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
1. बेचे गए खातों की संख्या	1. No. of accounts sold	शून्य / NIL	शून्य / NIL
2. कुल बकाया	2. Aggregate outstanding	शून्य / NIL	शून्य / NIL
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	3. Aggregate consideration received	शून्य / NIL	शून्य / NIL

5.4.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान

5.4.6 Provisions on Standard Assets

विवरण	Particulars	यथा 31.03.2017 As at 31.03.2017	यथा 31.03.2016 As at 31.03.2016
आरबीआई मानकों के अनुरूप मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provisions towards Standard Assets held as per RBI Norms	**2393.69**	2285.85

5.4.7 आस्ति वर्गीकरण में अंतर और एनपीए हेतु प्रावधानीकरण

5.4.7 Divergence in Asset Classification, and Provisioning for NPAs:

क्र.सं. S. No	ब्योरे	Particulars	राशि Amount
1	बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए यथा 31 मार्च, 2016	Gross NPAs as on March 31, 2016 as reported by the bank	एनपीए (मानक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान छोडकर), हेतु बैंक द्वारा किए गए प्रावधान के संबंध में वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु अंतर (divergence) संबंधी प्रकटन जो आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र सं. DBR.BP.BC. 63/21.04. 018/2016-17 दिनांक 18.04.2017 के अनुरूप ज़रूरी है, बैंकों के लिए लागू नहीं है चूंकि अंतर (divergence) न्यूनतम सीमा से कम है। The Disclosures relating to the divergence for the FY 2015-16, in respect of provisions made by the bank against Non-performing assets (excluding provisions made against standard assets) mandated in Circular No. DBR.BP.BC. No.63/21.04.018/2016-17 dated 18.04.2017 issued by RBI, is not applicable to the Bank, since the divergence does not exceed the threshold limit.
2	आरबीआई के मूल्यांकन अनुसार सकल एनपीए यथा 31 मार्च, 2016	Gross NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	
3	सकल एनपीए में अंतर (2-1)	Divergence in Gross NPAs (2-1)	
4	बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए यथा 31 मार्च, 2016	Net NPAs as on March 31, 2016 as reported by the bank	
5	आरबीआई के मूल्यांकन अनुसार निवल एनपीए यथा 31 मार्च, 2016	Net NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	
6	निवल एनपीए में अंतर (5-4)	Divergence in Net NPAs (5-4)	
7	बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया एनपीए हेतु प्रावधान यथा 31 मार्च, 2016	Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as reported by the bank	
8	आरबीआई के मूल्यांकन अनुसार एनपीए-प्रावधान यथा 31 मार्च, 2016	Provisions for NPAs as on March 31, 2016 as assessed by RBI	
9	एनपीए हेतु प्रावधान में अंतर (8-7)	Divergence in provisioning (8-7)	
10	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट किया गया कर पश्चात लाभ (पीएटी)	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016	
11	प्रावधान में अंतर की गणना करने के बाद 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष हेतु समायोजित (अनुमानित) निवल कर पश्चात लाभ (पीएटी)	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2016 after taking into account the divergence in provisioning	

5.5 कारोबार अनुपात

5.5 Business Ratios

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(i)	औसत कार्यशील निधियों में ब्याज आय का प्रतिशत	Interest Income as a percentage to average Working Funds	5.99%	6.49%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय का प्रतिशत	Non-interest income as a percentage to average Working Funds	1.03%	0.57%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ का प्रतिशत	Operating Profit as a percentage to average Working Funds	1.48%	0.94%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	Return on Assets	(0.24)%	0.94%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि +अग्रिम)	Business per employee(deposits plus advances)	19.40	17.96
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ	Profit per employee	(0.032)	(0.122)

5.6 आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता प्रकार यथा 31 मार्च, 2017

5.6 Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31st March 2017

विवरण Details	1 दिन Day 1 (01/04/2017)	2 से 7 दिन तक 2 to 7 days (02/04/2017 To 07/04/2017)	8 से 14 दिन तक 8 TO 14 DAYS (08/04/2017 to 14/04/2017)	15 से 28 दिन तक 15 TO 28 DAYS (15/04/2017 to 28/04/2017))	28 दिन से अधिक 3 महीने तक Over 28 days up to 3 months (29/04/2017 to 30/06/2017)	3 महीनों से अधिक एवं 6 महीने तक Over 3 months and up to 6 months (01/07/2017 to 30/09/2017	6 महीनों से अधिक एवं 1 वर्ष तक Over 6 months and up to 1 year. (01/10/2017 to 31/03/2018)	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्षों तक Over 1 year and upto 3 years. (01/04/2018 to 31/03/2020)	3 वर्षों से अधिक एवं 5 वर्षों तक Over 3 years and up to 5years. (01/04/2020 to 31/03/2022)	5 वर्षों से अधिक Over 5 years (After 31/03/2022)	कुल TOTAL (1 TO 10)
जमाराशियां Deposits	15,649.46	18,097.24	12,947.77	24,163.55	57,588.86	53,467.07	47,753.26	106,139.49	75,084.85	129,140.47	540,032.01
	(20,372.21)	(21,303.09)	(12,195.09)	(21,663.09)	(72,096.16)	(65,130.24)	(48,779.98)	(74,427.65)	(57,489.20)	(119,547.81)	(513,004.52)
अग्रिम Advances	25,251.95	6,409.97	9,633.49	14,490.17	70,342.10	39,522.07	34,298.84	39,939.42	29,004.87	97,588.80	366,481.67
	(27,047.98)	(7,613.87)	(5,899.67)	(14,138.51)	(66,557.08)	(42,577.50)	(35,190.67)	(52,309.32)	(39,407.40)	(68,446.96)	(359,188.96)
निवेश Investments	185.01	928.32	37.57	692.66	2,018.45	2,163.09	6,998.56	18,440.88	14,844.75	81,517.58	127,826.86
	(112.40)	(14.89)	(1,920.92)	(174.00)	(5,000.59)	(2,067.69)	(5,931.52)	(20,672.81)	(14,951.37)	(68,002.72)	(118,848.91)
उधार Borrowings	585.17	5,325.96	326.66	365.20	1671.95	498.13	1,730.83	3,606.38	8,115.28	17,180.11	39,405.67
	(4,693.25)	(11,459.27)	(1,992.79)	(226.92)	(5,040.69)	(2,725.81)	(208.05)	(5,784.63)	(11,951.28)	(7,000.45)	(51,083.14)
क विदेशी मुद्रा अस्तियां (a) Foreign Currency Assets	6,685.55	8,594.05	5,929.30	22,152.06	26,446.09	16,369.74	25,082.63	17,590.45	10,776.37	12,000.07	151,626.30
	(6,193.50)	(3,912.34)	(4,394.41)	(11,942.66)	(24,579.91)	(21,793.02)	(21,066.12)	(16,936.21)	(11,784.22)	(8,047.18)	(130,649.57)
ख विदेशी मुद्रा देयताएं (b) Foreign Currency Liabilities	1,799.94	8,948.06	10,710.93	10,915.69	35,417.65	30,388.92	24,030.13	12,451.02	9,572.23	2,510.12	146,744.68
	(9,480.79)	(22,421.43)	(7,508.24)	(9,748.05)	(49,709.49)	(41,298.49)	(40,094.26)	(13,600.46)	(10,499.67)	(1,808.51)	(206,169.39)

5.7 एक्सपोज़र

5.7.1 रियल इस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोज़र : प्रबंधन द्वारा यथा समोकित

5.7 Exposures

5.7.1 Exposure to Real Estate Sector: As compiled by the management

क्र. सं. Sr.No.	प्रवर्ग	Category	31.03.2017	31.03.2016
a)	प्रत्यक्ष एक्सपोज़र	Direct Exposure	**29251.29**	**25900.86**
i.	आवासीय बंधक	Residential Mortgages	20725.05	17891.74
	जिसमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के गृह ऋण	Out of which Priority Sector housing loans	11576.91	8606.77
ii.	वाणिज्यिक रियल इस्टेट	Commercial Real Estate	6830.51	7638.78
iii.	गिरवी रखी गयी प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतित एक्सपोजर में निवेश	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised Exposures	1695.73	370.34
	क) आवासीय ख) वाणिज्यिक रियल इस्टेट	a) Residential b) Commercial Real Estate	41.45 1654.29	46.80 323.54
b)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	Indirect Exposure	**8538.39**	**5477.00**
	नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसीज्) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर	Fund based and non-fund based exposures on NationalHousing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	8539.39	5477.00
	रियल इस्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोजर	**Total exposure to Real Estate Sector**	**37789.68**	**31377.86**

5.7.2 पूंजी बाजार हेतु एक्सपोजर

5.7.2 Exposure to Capital Market

Sr. No		Category	31.03.2017	31.03.2016
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फण्ड में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है;	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1011.06	969.73
ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को शेयरों(आईपीओ/ईएसओपीएस सहित)परिवर्तनीय बॉण्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए अग्रिम;	Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	514.78	10.89
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	174.56	8.57
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की युनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक, अर्थात जहाँ मूलभूत प्रतिभूति शेयरों/ परिवर्तनीय बाण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों के अलावा पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती हैं, किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम;	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0.40	49.08
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्धारकों की ओर से जारी गारंटियाँ;	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	2159.26	2225.69
vi)	संसाधनों की वृद्धि की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बाण्डों/ डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर कंपनियों के लिए स्वीकृत ऋण;	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new Companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के समक्ष कंपनियों के लिए पूरक ऋण;	Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix)	मार्जिन व्यवसाय हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण;	Financing to stockbrokers for margin trading;	7.01	0.00
x)	वेंचर कैपिटल में सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	396.86	434.38
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र	**Total Exposure to Capital Market**	**4263.93**	**3698.34**

5.7.3 जोखिम प्रवर्ग वार देश का एक्सपोज़र

5.7.3 Risk Category wise Country Exposure

Sr.No.	जोखिम प्रवर्ग	Risk Category	यथा / As at 31.03.2017		यथा / As at 31.03.2016	
			एक्सपोज़र (निवल) Exposure (Net)	धारित प्रावधान Provision held	एक्सपोज़र (निवल) Exposure (Net)	धारित प्रावधान Provision held
1	नगण्य	Insignificant	50,184.05	63.48	42,088.27	49.79
2	न्यून	Low	25,192.10	14.00	26,978.77	40.39
3	साधारण	Moderate	4,082.67	0.00	3,528.22	0.00
4	उच्च	High	1,812.31	0.00	1,295.97	0.00
5	बहुत उच्च	Very High	3.45	0.00	0.69	0.00
6	प्रतिबंधित	Restricted	324.64	0.00	0.00	0.00
7	ऑफ क्रेडिट	Off credit	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**Total**	**81,599.22**	**77.48**	**73,891.92**	**90.18**

5.7.4 एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) जिनका बैंक द्वारा उल्लंघन किया गया, के ब्यौरे

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोज़र सीमा	स्वीकृत सीमा	बकाया यथा 31.03.2017
1.	एकल उधारकर्ता			
	कुछ नहीं	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)
2.	सामूहिक उधारकर्ता			
	कुछ नहीं	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)

एमएसपीजीसी पर एक्सपोज़र, आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए विवेकाधिकार के अंतर्गत है (विवेकपूर्ण सीमाओं के ऊपर, पूंजीगत निधियों का 5%)

नोट: प्रकटन हर माह के अंत में बकाया स्थिति की बैंक द्वारा निगरानी पर आधारित है। प्रत्येक माह के अंत में सभी उधारकर्ता समूह पर बैंक का एक्स्पोज़र विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत थे।

5.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

Sr. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2017 (31.03.2016)
1.	Single Borrower			
	None	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)
2.	Group Borrower			
	None	NIL (NIL)	NIL (NIL)	NIL (NIL)

Exposure on MSPGC is within the discretion given to Banks by RBI (additional 5% of capital funds, over prudential limits)

Note:

Disclosure is based on monitoring by the Bank of outstanding at the end of each month. Exposures on all Borrower groups were within the prudential norms at the end of each month.

5.7.5 गैर-जमानती अग्रिम :

विवरण	2016-17	2015-16
अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेन्स, प्राधिकार आदि के प्रभार पर बकाया अग्रिम की कुल राशि.	1562.91	1030.55
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति का अनुमानित मूल्य	621.28	706.14

5.7.5 Unsecured Advances:

Particulars	2016-17	2015-16
Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority, etc.	1562.91	1030.55
Estimated value of such intangible collateral securities	621.28	706.14

5.7.6 विविध

5.7.7 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए प्रावधान की राशि

विवरण	2016-17	2015-16
वर्तमान कर	1813.70	1615.09
आस्थागित कर	(2627.91)	(3316.64)
कुल कर व्यय	(814.21)	(1701.55)

5.8 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगायी गई शास्तियों (पेनल्टीज़) का प्रकटन

विवरण	2016-17	2015-16
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत लगाई गई पेनल्टी	1.21	0.17

5.7.6 Miscellaneous:

5.7.7 Amount of Provisions made for Income-tax during the year

Particulars	2016-17	2015-16
Current Tax	1813.70	1615.09
Deferred Tax	(2627.91)	(3316.64)
Total Tax Expense	**(814.21)**	**(1701.55)**

5.7.8 Disclosures of Penalties imposed by RBI& Other Regulators

Particulars	2016-17	2015-16
Penalty imposed under Section 46(4) of The Banking-Regulation Act, 1949	1.21	0.17

6. लेखांकन मानकों (एएस) के अनुसार अपेक्षित प्रकटन जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने लेखे पर टिप्पणियों के प्रकटन मदों के विषय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं:

6.1 लेखांकन मानक 9 - राजस्व मान्यता

अनुसूची 17 की मुख्य लेखांकन नीतियों के लेखांकन नीति सं. 3 के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के आधार पर मान्य किया जाता है। तथापि उक्त आय को मूर्त नहीं माना जाता है ।

6.1.1 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

6. Disclosure requirements as per Accounting Standards (AS) where RBI has issued guidelines in respect of disclosure items for Notes to Accounts:

6.1 Accounting Standard 9 – Revenue recognition

Certain items of income are recognised on realisation basis as per Accounting Policy no. 3 of Schedule 17: Significant Accounting Policies. However, the said income is not considered to be material.

6.1.1 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2016-2017		2015-2016	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(i)	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान :**	**Principal actuarial assumptions used:**				
	छूट दर	Discount Rate	7.62%	7.45%	8.01%	8.06%
	आयोजन आस्तियों पर प्रतिफल दर	Rate of Return on Plan Assets	8.31%	7.96%	8.79%	8.94%
	वर्तमान वेतन वृद्धि	Salary Escalation Current	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	ह्रास दर	Attrition Rate	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	**लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका:**	**Table showing change in benefit obligation:**				
	अवधि के प्रारंभ में देयता	Liability at the beginning of the - period	1370.70	11076.48	1311.00	9420.03
	ब्याज लागत	Interest Cost	95.77	788.13	94.03	715.46
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	102.76	1238.78	93.49	1097.46
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	227.73	995.15	(274.13)	(1086.70)
	दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	Actuarial (gain)/loss on Obligation	68.58	742.89	146.31	930.23
	वर्ष के अंत में देयता	**Liability at the end of the year**	**1410.08**	**12851.12**	**1370.70**	**11076.48**
(iii)	**प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका :**	**Table of Fair value of Plan Assets:**				
	अवधि प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the Beginningof the period	1223.87	10515.60	1265.18	9041.48
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected return on Plan Assets	101.70	837.04	111.21	808.31
	अंशदान	Contributions	258.28	1663.86	128.01	1650.77
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	227.73	995.15	(274.13)	(1086.70)
	प्लान एसेट्स पर बीमांकित लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	4.20	300.45	(6.41)	101.74
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1360.32	12321.80	1223.87	10515.60
	कुल बीमांकित लाभ/(हानि) जिसकी गणना की जाए	**Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised**	**(64.37)**	**(442.44)**	**(152.71)**	**(828.50)**
(iv)	**संक्रमणकालीन देयता की मान्यता :**	**Recognition of Transitional Liability:**				
	प्रारंभ में संक्रमणकालीन देयता	Transitional Liability at start	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान पहचानी गई संक्रमणकालीन देयता	Transition Liability recognised during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	**Transition Liability at end**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
(v)	**प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल :**	**Actual return on Plan Assets:**				
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	101.70	837.04	111.21	808.31
	प्लान एसेट्स पर बीमांकित लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	4.20	300.45	(6.41)	101.74
	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	**Actual return on Plan Assets**	**105.90**	**1137.49**	**104.80**	**910.05**
(vi)	**तुलन पत्र में मान्य राशि :**	**Amount recognised in the Balance Sheet:**				
	अवधि के अंत में देयता	Liability at the end of the period	1410.08	12851.12	1370.70	11076.48
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1360.32	12321.80	1223.87	10515.60
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in the Balance Sheet**	**(49.76)**	**(529.32)**	**(146.83)**	**(560.88)**

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2016-2017 ग्रेच्युटी Gratuity	2016-2017 पेंशन Pension	2015-2016 ग्रेच्युटी Gratuity	2015-2016 पेंशन Pension
(vii)	**आय विवरण - पत्र में मान्य व्यय :**	**Expenses recognised in the Income Statement:**				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	102.76	1238.78	93.49	1097.46
	ब्याज लागत	Interest Cost	95.77	788.13	94.03	715.46
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	(101.70)	(837.04)	111.21	808.31
	विगत वर्षों के मान्य व्यय	Expenses recognized relating to prior years	0.00	0.00	0.00	0.00
	संक्रमण कालीन देयता-मान्य	Recognition of Transition Liability	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	64.37	442.44	152.71	828.50
	लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	**Expense Recognised in P & L**	**161.20**	**1632.30**	**229.03**	**1833.11**
(viii)	**तुलन पत्र समाधान :**	**Balance Sheet Reconciliation:**				
	प्रारंभिक निवल देयता	Opening Net Liability	146.83	560.88	45.82	378.55
	(तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधिकी निवल राशि)	(Last period's net amount recognized in the balance sheet)				
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	Expenses as above	161.20	1632.30	229.03	1833.11
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(258.28)	(1663.86)	(128.01)	(1650.77)
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in Balance Sheet**	**49.75**	**529.32**	**146.83**	**560.88**
(ix)	**आस्तियों का प्रवर्ग:**	**Category of Assets:**				
	भारत सरकार की आस्तियां	Government of India Securities	73.46	2006.79	90.44	1705.51
	कार्पोरेट बांड्स	Corporate Bonds	240.85	3608.38	674.79	5315.28
	राज्य सरकार	State Government	384.59	3438.81	416.19	3217.06
	अन्य	Other	661.42	3267.82	42.45	277.75
	कुल	**Total**	**1360.32**	**12321.80**	**1223.87**	**10515.60**
(x)	**अनुभव समायोजन :**	**Experience Adjustment:**				
	प्लान देयता पर (लाभ)/हानि	**On Plan Liability (Gain)/Loss**	38.41	198.92	146.31	930.23
	प्लान आस्तियों पर (हानि)/लाभ	**On Plan Asset (Loss)/Gain**	1.71	103.05	(6.41)	101.74

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ* / Other long term employee benefits*

विवरण	Particulars	देयता यथा 31.03.2017 Liability as on 31.03.2017	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Provisions made during the year	देयता यथा 31.03.2016 Liability as on 31.03.2016	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Provisions made during the year
अवकाश नकदीकरण	Leave Encashment	761.03	135.62	625.41	47.92
छुट्टी यात्रा रियायत	Leave Travel Concession	57.66	2.42	55.24	2.98
पुनर्वास लाभ	Resettlement Benefits	7.03	0.40	6.63	(0.16)
माइलस्टोन अवार्ड	Milestone Awards	4.09	0.28	3.81	0.90
बिमारी छुट्टी**	Sick Leave**	3.00	(27.22)	30.22	30.22

* अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए एक्चुएरियल अनुमान ग्रेज्यूटी के लिए प्रयुक्त के समान ही है।

बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि जो एक परिभाषित अंशदान योजना है, के लिए ₹ 95.43 (विगत वर्ष ₹ 84.61) का अंशदान दिया है ।

** बैंक ने अब तक पूरी बीमारी छुट्टी अर्थात पूरी बकाया अवकाश शेष की देयता को मान्यता प्रदान किया है। बीमारी की छुट्टी के संबंध में कर्मचारी लाभ कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश नोट (एएस-15) - (2005 में संशोधित) के अनुरूप, इस संबंध में देयता को कर्मचारियों द्वारा ऐसी छुट्टी लिए जाने की संभावना के आधार पर इसे मान्य किया है।

बैंक के श्रेष्ठतम अनुमान के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद वार्षिक अवधि के दौरान पेन्शन के लिए ₹ 1200 (विगत वर्ष ₹ 1250) और ग्रैच्युटी के लिए ₹ 200 (विगत वर्ष ₹ 250) का अंशदान किए जाने की संभावना है।

* The actuarial assumptions for other long term benefits are same which are used for Gratuity.

The bank has recognised contribution to Employees' Provident Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the bank has contributed ₹ 95.43 (Previous Year ₹ 84.61) towards such fund which is a defined contribution plan.

** The bank has been recognising the liability of sick leave to full extent hitherto i.e. entire outstanding leave balance. In line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15) - (revised 2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leaves by employees.

The Bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹ 1,200 (Previous Year ₹ 1,250) and towards Gratuity is ₹ 200 (Previous Year: ₹ 250).

योजना में अधिशेष/घाटा:

Surplus / Deficit in the Plan:

विवरण	Particulars	ग्रैच्युटि योजना / Gratuity Plan				
		वि.व.2016-17 FY 2016-17	वि.व.2015-16 FY 2015-16	वि.व.2014-15 FY 2014-15	वि.व.2013-14 FY 2013-14	वि.व.2012-13 FY 2012-13
परिभाषित लाभ देयता	Defined benefit obligation	1,410.08	1,370.70	1,310.99	1,402.54	1,505.38
प्लान आस्तियां	Plan assets	1,360.32	1,223.87	1,265.18	1,316.51	1,333.79
अमान्य संक्रमणशील देयता	Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	0.00	85.79	171.59
अधिशेष / (घाटा)	Surplus/(deficit)	(49.76)	(146.83)	(45.81)	(0.24)	0.00
प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	38.41	146.31	(7.79)	(705.56)	(57.77)
प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	1.71	(6.41)	19.27	(17.27)	33.82

विवरण	Particulars	पेन्शन योजना / Pension Plan				
		वि.व.2016-17 FY 2016-17	वि.व.2015-16 FY 2015-16	वि.व.2014-15 FY 2014-15	वि.व.2013-14 FY 2013-14	वि.व.2012-13 FY 2012-13
परिभाषित लाभ देयता	Defined benefit obligation	12,851.12	11,076.48	9,420.03	8,038.25	7,404.65
प्लान आस्तियां	Plan assets	12,321.80	10,515.60	9,041.48	7,261.19	6,504.83
अमान्य संक्रमणशील देयता	Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	0.00	442.42	884.86
अधिशेष / (घाटा)	Surplus/(deficit)	(529.32)	(560.88)	(378.55)	(334.63)	(14.96)
प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	198.92	930.23	592.91	(224.22)	(756.32)
प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	103.05	101.74	312.64	70.22	118.04

6.1 लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

6.1. Accounting Standard 17 - Segment Reporting

भाग क : कारोबार खण्ड

Part A: Business Segment

कारोबार खण्ड Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		अन्य बैंकिंग परिचालन (*)Other Banking Operations		कुल Total	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
राजस्व Revenue	15,558.61	12,066.32	16,585.21	20,059.30	13,628.22	14,231.44	0.00	0.00	45,772.04	45,592.22
गैर-अंबटित राजस्व Unallocated revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	523.88	27.64
अंतर खंड राजस्व Inter segment revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	232.74	170.85
कुल राजस्व Total Revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	46,063.18	45,449.01
परिणाम Results	5,429.39	1,529.39	(11,005.35)	(9,398.33)	2,983.82	581.06	0.00	0.00	(2,592.14)	(7,287.87)
गैर अंबटित व्यय Unallocated Expenses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	219.62	(502.89)

कारोबार खण्ड Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		अन्य बैंकिंग परिचालन (*)Other Banking Operations		कुल Total	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
परिचालन लाभ Operating Profit/(Loss)	XXXX	XXX`X	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(2,372.52)	(7,790.76)
आयकर Income Tax	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(814.21)	(1,701.55)
असाधारण लाभ /हानि Extraordinary Profit/ (Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	0.00	0.00
निवल लाभ Net Profit/(Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(1,558.31)	(6,089.21)
अन्य जानकारी Other Information :										
खंड अस्तियां Segment Assets	223,623.79	200,866.96	287,862.67	281,813.76	98,520.14	111,241.99	0.00	0.00	610,006.60	593,922.71
गैर आंबटित अस्तियां Unallocated Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16,302.67	15,991.22
कुल देयताएं Total Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	626,309.27	609,913.93
खंड देयताएं Segment Liabilities	216,024.15	193,783.59	277,617.66	271,409.94	95,633.08	107,872.44	0.00	0.00	589,274.89	573,065.97
गैर आंबटित देयताएं Unallocated Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4,547.30	4,530.74
कुल Total Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	593,822.19	577,596.71

(*) बैंक का कोई अर्थपूर्ण अन्य बैंकिंग परिचालन नहीं है।

(*) The Bank does not have any significant "Other Banking Operations".

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B: Geographical Segment

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	स्वदेशी / Domestic		अंतर्राष्ट्रीय / International		कुल Total	
विवरण	Particulars	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
राजस्व	Revenue	41,182.49	40363.59	4,880.70	5085.42	46,063.18	45,449.04
आस्तियां	Assets	484,305.07	438459.73	142,004.20	171454.20	6,26,309.27	609,913.93

बैंक ने लेखांकन मानक (एएस) 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्राथमिक रिपोर्टिंग वाले खंडों और गौण खंड के रूप में भौगोलिक खंडों को मान्यता दी है।

प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) **कोषागार परिचालन** : खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियॉं, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) **थोक बैंकिंग** : थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) **खुदरा बैंकिंग** : खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) एक्सपोजर : अधिकतम कुल एक्सपोजर ₹ 5 तक।

The Bank has recognised Business Segments as Primary Reporting Segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with Accounting Standard 17.

Primary Segment: Business Segments

a) **Treasury Operations:** 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) **Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) **Retail Banking :** Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5.

ii) कुल वार्षिक टर्नओवर ₹ 50 से कम अर्थात मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत तीन वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

लागत का विनियोजन

क) किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षत: संबंधित व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

ख) जो व्यय किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षत: संबंधित न हो उन्हें कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

6.4 लेखांकन मानक 18 संव्यवहारों से संबंधित पक्षकार : प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया

I) संबंधित पक्षकारों की सूची

(क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ : श्री मेलविन ओ. रेगो

कार्यपालक निदेशक गण : श्री बी.पी. शर्मा (31.07.2016 तक)
श्री रविंद्र पी.मराठे (26.09.2016 तक)
श्री आर.ए.शंकरनारायणन
श्री नीलम दामोदरन (16.02.2017 से)
श्री अतनु कुमार दास (17.02.2017 से)

(ख) अनुषंगियाँ :

(i) बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड
(ii) बीओआई एक्सा इनवेस्टमेंट मैनजर्स प्राइवेट लि.
(iii) बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज् प्राइवेट लि.
(iv) बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.
(v) पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके
(vi) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि.
(vii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.
(viii) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगान्डा) लि.
(ix) बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

(ग) सहायक कंपनियां

(क) एसटीसीआई फाइनैन्स लिमिटेड

(ख) एएसआरईसी (इंडिया) लि.

(ग) इंडो-जाम्बिया बैंक लि.

(घ) बैंक द्वारा प्रायोजित 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(क) ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त (पहले आर्यवर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक के रूप में जाना जाता था)

(ख) झारखण्ड ग्रामीण बैंक

(ग) नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक

(घ) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक

(घ) संयुक्त उद्यम

(क) स्टार यूनियन दाई ईची लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लि.

ii) The total annual turnover is less than ₹ 50 i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

Allocation of Costs:

a) Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.

b) Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

6.2. Accounting Standard 18 - Related Party Transactions (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):

I) List of Related Parties:

a. Key Managerial Personnel :

Managing Director & CEO : Shri Melwyn O. Rego

Executive Directors : Shri B.P. Sharma (Up to 31.07.2016)
Shri Ravindra P. Marathe (Up to 26.09.2016)
Shri R.A.Sankara Narayanan
Shri NeelamDamodaran (w.e.f 16.02.2017)
Shri Atanu Kumar Das (w.e.f. 17.02.2017)

b. Subsidiaries

a. BOI Shareholding Ltd.
b. BOI AXA Investment Managers Private Limited
c. BOI AXA Trustee Services Private Limited
d. BOI Merchant Bankers Ltd.
e. PT Bank of India Indonesia Tbk
f. Bank of India (Tanzania) Limited
g. Bank of India (New Zealand) Limited
h. Bank of India (Uganda) Limited
i. Bank of India (Botswana) Limited

c. Associates

a. STCI Finance Limited
b. ASREC (India) Limited
c. Indo-Zambia Bank Limited

d. 4 Regional Rural Banks sponsored by the Bank

i. Gramin Bank of Aryavart (Formerly known as Aryavart Kshetriya Gramin Bank)
ii. Jharkand Gramin Bank;
iii. Narmada Jhabua Gramin Bank
iv. Vidharbha Konkan Gramin Bank

e. Joint Venture:

a. Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd.

II) क) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित और लेखापरीक्षकों द्वारा आश्वासित)

II) a) Transactions with Related Parties (As compiled by Management and relied upon by the Auditors)

विवरण / Particulars	अनुषंगियाँ/ सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम With Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार Relatives of Key Management Personnel		कुल TOTAL	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
वर्ष 2016-17 के दौरान संव्यवहार Transactions during the year 2016-17								
प्राप्त ब्याज Interest Received	2.03	9.98	–	–	–	–	2.03	9.98
प्रदत्त ब्याज Interest Paid	51.47	53.96	0.00	0.07	0.00	0.01	51.47	54.04
लाभांश Dividend	32.40	12.55	–	–	–	–	32.40	12.55
अन्य आय Other Income	77.77	62.39	–	–	–	–	77.77	62.39
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री विलों की बिक्री Sale of Govt. Securities/Treasury Bills	91.35	43.50	–	–	–	–	91.35	43.50
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री विलों की खरीद Purchase of Govt. Securities/Treasury Bills	1690.75	967.36	–	–	–	–	1690.75	967.36
कार्पोरेट बॉंड और अन्य मुद्रा बाजारों लिखतों की खरीद Purchase of Corporate Bonds and Other money market instruments	–	–	–	–	–	–	–	–
जमाराशियां Deposits	–	0.89	–	–	–	–	–	0.89
परिपक्व जमाराशियां Matured Deposits	–	–	–	–	–	–	–	–
प्रदान किए गए ऋण Loans Provided	1,395.35	2,782.77	–	–	–	–	1,395.35	2,782.77
चुकाए गए ऋण Loans Repaid	1,246.92	3,178.94	–	–	–	–	1,246.92	3,178.94
एनपीए की बिक्री Sale of NPA	–	–	–	–	–	–	–	–
निवेश Investments	–	–	–	–	–	–	–	–
परिश्रमिक/वेतन Remuneration/Salary	–	–	–	–	–	–	–	–
बकाया यथा 31.03.2017 Outstanding as on 31.03.2017								
देय Payable	–	–	–	–	–	–	–	–
जमाराशियां Deposits	47.09	119.68	0.22	0.99	0.03	0.08	47.34	120.75
उधार Borrowing	–	–	–	–	–	–	–	–
ऋण Loans	248.18	99.76					248.18	99.76
जमाराशियों का नियोजन Placement of the Deposits	–	–	–	–	–	–	–	–
अन्य देयताए Other Liabilities	5.93	3.80					5.93	3.80
प्राप्तियाँ (अग्रिम) Receivables (Advances)	–	–	–	–	–	–	–	–
निवेश Investments	309.00	297.68	–	–	–	–	309.00	297.68

विवरण / Particulars	अनुषंगियाँ/ सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम With Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार Relatives of Key Management Personnel		कुल TOTAL	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
गैर वित्तपोषित प्रतिबद्धता Non Funded Commitment	–	–	–	–	–	–	–	–
पट्टे पर/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया गया Leasing / HP arrangements availed	–	–	–	–	–	–	–	–
पटटे पर/एचपी व्यवस्था प्रदान की गयी Leasing / HP arrangements provided	–	–	–	–	–	–	–	–
अचल संपत्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	–	–	–	–	–	–	–	–
अंचल संपत्तियों की बिक्री Sale of fixed assets	–	–	–	–	–	–	–	–
अन्य अस्तियाँ Other Assets	7.14	6.51	–	–	–	–	7.14	6.51

ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिक: प्रदत्त पारिश्रमिक (₹ में)

क्र. सं.	नाम	2016-17	2015-16
1	श्री मेलविन रेगो	27,06,033	18,47,503
2	श्रीमती वी.आर. अय्यर	–	7,78,874
3	श्री अरुण श्रीवास्तव	–	2,25,656
4	श्री बि. पी. शर्मा	6,76,538	20,70,928
5	श्री आर.पी.मराठे	9,08,749	18,08,012
6	श्री आर.ए.शंकरनारायणन	22,92,617	17,04,520
7	श्री नीलम दामोदरन	2,64,063	–
8	श्री अतनु कुमार दास	2,57,623	–

सहायक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संव्यवहार राज्य नियंत्रित होने के कारण एएस-18 के पैरा 9 को दृष्टिगत रखते हुए प्रकट नहीं किए गए हैं जोकि आईसीएआई द्वारा संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए जारी किए हैं जिसमें इन पार्टियों के दूसरे पक्षकारों के साथ, जो भी राज्य नियंत्रित उद्यम है, संव्यवहारों को प्रकटन न करने की छूट है।

6.3. लेखांकन मानक 19 - पट्टा वित्तपोषण

पट्टा वित्तपोषण और इसके घटकों में बैंक के निवेश की संविदागत परिपक्वताएं जो अग्रिमों में शामिल की गई हैं का उल्लेख नीचे किया गया है:

क्र. सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
क)	सकल निवेश	0.00	0.00
ख)	प्राप्य पट्टा भुगतान		
	(i) 1 वर्ष से अधिक नहीं	0.00	0.00
	(ii) 1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	0.00	0.00
	(iii) 5 वर्ष से अधिक	0.00	0.00
	कुल	0.00	0.00
ग)	अनर्जित वित्त आय	0.00	0.00
घ)	निवल निवेश (क – ग)	0.00	0.00

(i) ₹ शून्य की पट्टा आय (पिछले वर्ष ₹ शून्य) अर्जित ब्याज के तहत शामिल की जाती है।

b) Key Management Personnel: Remuneration paid in ₹ :

Sr. No.	Name	2016-17	2015-16
1	Shri Melwyn O Rego	27,06,033	18,47,503
2	Smt. V. R. Iyer	–	7,78,874
3	Shri Arun Shrivastava	–	2,25,656
4	Shri B. P. Sharma	6,76,538	20,70,928
5	Shri R. P. Marathe	9,08,749	18,08,012
6	Shri R.A. Sankara Narayanan	22,92,617	17,04,520
7	Shri Neelam Damodharan	2,64,063	–
8	Shri Atanu Kumar Das	2,57,623	–

The transactions with the subsidiaries and regional rural banks, being state controlled, have not been disclosed in view of Para 9 of AS-18 on Related party disclosure issued by ICAI exempting 'State controlled enterprises' from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also 'State Controlled Enterprises'.

6.3. Accounting Standard 19 – Lease Financing

The contractual maturities of the Bank's investment in lease financing and its components, which are included in advances, are set out below:

Sr. No.	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
a)	Gross Investments	0.00	0.00
b)	Lease payment receivables		
	(i) not later than 1 year	0.00	0.00
	(ii) later than 1 year but not later than 5 years	0.00	0.00
	(iii) later than 5 years	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00
c)	Unearned finance income	0.00	0.00
d)	Net investments [a – c]	0.00	0.00

(i) Lease income of ₹ Nil (previous year ₹ Nil) is included under Interest Earned.

6.4 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन (₹ में)

6.4 Accounting Standard 20 - Earnings per Share in ₹ :

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	2016-17	2015-16
1.	आधारभूत और तनुकृत *(₹) / Basic & Diluted *	(15.72)	(83.01)

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
(क) (A)	वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders	(1,558.31)	(6,089.21)
(ख) (B)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (₹ करोड़ में)	Weighted Average Number of Equity shares (in crore)	99.12	73.35
(ग) (C)	मूलभूत प्रति शेयर आय (क/ख) (₹)	Basic Earnings per Share (A/B) (₹)	(15.72)	(83.01)
(घ) (D)	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	Nominal Value per Share (₹)	₹ 10.00	₹ 10.00

* आधारभूत एवं तनुकृत ई.पी.एस. समान ही है क्योंकि मंदी संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है। . * Basic & Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares

6.5 लेखांकन मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

6.5 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
	आस्थगित कर आस्तियां	**Deferred Tax Assets**		
i)	संदिग्ध ऋण और अग्रिमों हेतु प्रावधान के समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards provision for doubtful debt and advances	6939.92	4025.32
ii)	अन्य प्रावधान मंदो के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards other provisions/items	162.82	138.15
iii)	विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व के कारण (FCTR)	On account of Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)	118.56	154.11
iv)	अन्य	Others	328.09	306.89
	कुल आस्थगित कर आस्तियाँ	**Total Deferred Tax Assets**	**7549.39**	**4624.47**
	आस्थगित कर देयता	**Deferred Tax Liabilities**		
i)	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	On account of Depreciation on fixed assets	283.56	120.55
ii)	निवेश पर मूल्यह्रास के कारण	On account of Depreciation on investment	312.34	228.34
iii)	प्रोदभूत ब्याज के कारण जो निवेश पर देय नहीं है	On account of interest accrued but not due on investments	795.29	724.30
iv)	आय कर अधिनियम 1961 की कटौती यू/एस 36(01)(viii) के कारण*	On account of Deduction in respect of special reserve u/s 36(1) (viii) of the Income Tax Act 1961*	750.99	750.99
iv)	अन्य	Others	1.73	22.72
	कुल आस्थगित कर देयताएं	**Total Deferred Tax Liabilities**	**2143.91**	**1846.90**
	निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)**	**5405.48**	**2777.57**

* ₹ 431.67 पुरांनी आरक्षितियाँ में से और लाभ में से शेष

* ₹ 431.67 out of past reserves and balance out of profit

6.6 लेखांकन मानक 27 "संयुक्त उद्यमों में निवेश की वित्तीय रिपोर्टिंगह्न:

निवेश में ₹ 75 (विगत वर्ष ₹ 120) शामिल है जो निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई में बैंक-हित को दर्शाता है।

6.6 Accounting Standard 27 – Investments in Joint Venture

Investments include ₹ 75 (Previous year ₹ 120) representing Bank's interest in the following jointly controlled entity:

क्र.सं. Sr. No.	कंपनी का नाम Name of the Company	राशि Amount	निवास देश Country of Residence	होल्डिंग % Holding %
1	स्टार यूनियन डाईची जीवन बीमा कंपनी लि., / Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd.	₹ 75	भारत / India	28.96%

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

विवरण	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
देयताएं	Liabilities		
पूंजी एवं आरक्षितियां	Capital & Reserves	45.48	1.73
जमाराशियां	Deposits	0.00	0.00
उधार	Borrowings	0.00	0.00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	1793.08	2768.07
कुल	Total	1838.56	2769.80
आस्तियां	Assets		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदीऔर शेष राशियां	Cash and Balances with Reserve Bank of India	12.01	3.98
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	Balances with Banks and Money at call and short notice	0.00	19.00
निवेश	Investments	1717.38	2559.06
अग्रिम	Advances	2.74	4.99
अचल आस्तियां	Fixed Assets	2.74	4.53
अन्य आस्तियां	Other Assets	103.69	178.24
कुल	Total	1838.56	2769.80
पूंजीगत बाध्यताएं	Capital Commitments	0.00	0.00
अन्य आकस्मिक देयताएं	Other Contingent Liabilities	5.47	5.20
आय	Income		
अर्जित ब्याज	Interest Earned	3.04	5.79
अन्य आय	Other Income	30.39	39.39
कुल	Total	33.43	45.18
व्यय	Expenditure		
व्यय किया गया ब्याज	Interest Expended	0.00	0.00
परिचालन व्यय	Operating Expenses	17.55	32.88
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies	0.00	0.00
कुल	Total	17.55	32.88
लाभ / (हानि)	Profit / (Loss)	15.88	12.30

6.7 परिसंपत्ति की हानि (लेखांकन मानक 28) : ₹ शून्य

6.8 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां (लेखांकन मानक 29) :''

क. देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढाव

6.7 Impairment of Assets (Accounting Standard 28): ₹ Nil

6.8 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" (Accounting Standard 29)

A. Movement of Provisions for contingent liabilities:

विवरण	Particulars	विधिक मामले/आकस्मिकताएं Legal cases/contingencies	
		2016-17	2015-16
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	41.68	28.20
वर्ष के दौरान प्रावधान	Provided during the year	33.33	13.48
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	Amounts used during the year	0.00	0.00
अंतिम शेष	Closing Balance	75.01	41.68
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	Timing of outflow/uncertainties	समझौते / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन Outflow on settlement / Crystallization	समझौते / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन Outflow on settlement / Crystallization

ख. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर क्रमश: निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon, the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

7. अतिरिक्त देयताएं

7. Additional Disclosures

7.1 प्रावधान और आकस्मिकताएं

लाभ और हानि खाते में दिखाए गए ''प्रावधान औरआकस्मिकताएं'' का ब्रेक-अप निम्नानुसार है:

7.1 Provisions and Contingencies

The break-up of "Provisions and Contingencies" appearing in the Profit and Loss Account is as under:

विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
निवेश के मूल्यह्रास पर प्रावधान	Provision for Depreciation on Investment	120.95	350.73
एनपीए हेतु प्रावधान	Provision towards NPA	11,672.00	14,101.92
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision towards Standard Assets	154.06	(128.40)
आयकर के लिए किया गया प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	(814.21)	(1,701.56)
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	**Other Provision & Contingencies**		
पुनर्गठित खातों में त्याग हेतु प्रावधान	Provision for Sacrifice in Restructured Accounts	(42.37)	(531.30)
देश जोखिम हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk	(12.70)	(3.58)
अन्य प्रावधान	Other Provisions	213.24	37.02
कुल.	**Total**	**11,290.97**	**12,124.83**

7.2 अस्थायी प्रावधान

7.2 Floating Provisions

विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
फ्लोटिंग प्रोविजन खाते में प्रारम्भिक शेष	Opening Balance in the floating provisions account	232.22	232.22
लेखाकंन वर्ष में किए गए फ्लोटिंग प्रोविजनस् की प्रमात्रा	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
अस्थिर प्रावधान खाते में अंतिम शेष	Closing Balance in the floating provisions account	232.22	232.22

7.3 आरक्षितियों (रिजर्वस्) से ड्रॉ डाउन

'मास्टर परिपत्र - बासेल III पूंजी विनियम-स्पष्टीकरण' पर आरबीआई परिपत्र DBR सं. BP.BC.71/21.06.201/2015-16 दिनांक 14 जनवरी, 2016 के साथ पठित 'भारत में बासेल III पूंजी विनियम के कार्यान्वयन' पर आरबीआई के परिपत्र DBOD. सं. BP.BC.38/21.06.201/2014-15 दिनांक 1 सितंबर, 2014 के अनुरूप बैंक ने अतिरिक्त टियर-I बासेल III कम्प्लायंट स्थायी बॉन्ड्स के ब्याज हेतु राजस्व आरक्षितियों से ₹ 591.03 का ड्रा-डाउन किया है।

इसके अलावा, धोखाधडी खातों के संबंध में प्रावधान पर आरबीआई परिपत्र DBR सं. BP.BC. 92/ 21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुरूप बैंक ने 'अन्य आरक्षितियों' में ₹ 65.19 नामे किया है जो कि लाभ-हानि खाते में नाम करते हुए तिमाहियों के दौरान धोखाधडियों के लिए किए जा चुके प्रावधान की गणना करने के पश्चात वित्तीय वर्ष में अंत में प्रावधान करने हेतु शेष बची राशि है।

7.3 Drawdown from Reserves

In terms of RBI Circular Ref. DBOD. No. BP.BC.38/21.06.201/2014-15 dated September 1, 2014 on `Implementation of Basel III Capital Regulations in India – Amendments' read with RBI Circular Ref. DBR. No. BP.BC.71/21.06.201/2015-16 dated January 14, 2016 on `Master Circular-Basel III Capital Regulations -Clarification' Bank has made a drawdown of ₹ 591.03 from Revenue Reserve towards interest of Additional Tier-I Perpetual Basel III Compliant bonds.

Further, in terms of RBI Circular Ref. DBR.No.BP. BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016 on Provisioning pertaining to Fraud Accounts, Bank has debited 'other reserves' by ₹ 65.19, being an amount remaining un-provided at the end of the financial year after considering the provision already made for the fraud during the quarters, by debiting the Profit & Loss account.

7.4 शिकायतों का प्रकटन

i) ग्राहकों की शिकायतें : प्रबंधन द्वारा यथा समेकित

7.4 Disclosure of complaints

i) Customer Complaints: As compiled by the management

क्र.सं. Sr. No	विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
(a)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	No. of complaints pending at the beginning of the year	219	110
(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	No. of complaints received during the year	28582	15085
(c)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	No. of complaints redressed during the year	28546	14976
(d)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	No. of complaints pending at the end of the year	255	219

ii) एटीएम से संबंधित शिकायतें : प्रबंधन द्वारा यथा समेकित

क्र.सं. Sr. No	विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
(a)	वर्ष के आरंभ में लम्बित एटीएम से संबंधित शिकायतें	No. of ATMs complaints pending at beginning of the year	5363	4426
(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त एटीएम से संबंधित शिकायतें	No. of ATMs complaints received during the year	212608	353698
(c)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	No. of ATMs complaints redressed during the year	215686	352761
(d)	वर्ष के अंत में लम्बित एटीएम से संबंधित शिकायतें	No. of ATMs complaints pending at the end of the year	2285	5363

ii) ATM Complaints: As compiled by the management

iii) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय :

क्र.सं. Sr. No	विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
(a)	वर्ष के प्रारंभ में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
(b)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	0	2
(c)	वर्ष के दौरान लागू किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	No. of Awards implemented during the year	0	2
(d)	वर्ष के अंत में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0	0

iii) Awards passed by the Banking Ombudsman:

7.5 बैंक द्वारा अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसीज़) पर प्रकटन (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

चालू वर्ष के दौरान बैंक ने अनुषंगियों की ओर से कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किए हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान, बैंक ने अपने पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. के लिए गवर्नर, बैंक ऑफ़ बोतस्वाना को वचनपत्र जारी किया है कि वित्तीय वायदे देय होने पर उन्हें पूरा किया जाएगा।

वर्ष 2010-11 के दौरान, अपने पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी बीओआई (न्यूजीलैंड) लि. के लिए न्यूजीलैंड के रॉयल बैंक के पक्ष में बैंक ने वित्तीय वायदे देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए अभिभावकीय गारंटी जारी की है।

तथापि यथा 31.03.2017 को, उपर्युक्त वायदों से कोई वित्तीय दायित्व नहीं हुआ है।

7.5 Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by bank for Subsidiaries (As compiled by the management)

During current year, the bank has not issued any letter of comforts on behalf of Subsidiaries.

During the year 2011-12 the bank has issued an undertaking to the governor, Bank of Botswana in respect of its wholly owned subsidiary, Bank of India (Botswana) Ltd to meet its financial commitments if they fall due.

During the year 2010-11 the bank issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand for its wholly owned subsidiary, BOI(New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2017, no financial obligations have arisen on the above commitments.

7.6 प्रावधान कवरेज़ अनुपात (पीसीआर)

यथा 31 मार्च 2017 को बैंक के सकल अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान 61.47% है (पिछले वर्ष: 51.14%)

7.6 Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The Provisioning to Gross Non-Performing Assets of the Bank as on 31st March 2017 is 61.47% (Previous year:51.14%).

7.7 बैंक एश्योरेंस कारोबार से प्राप्त शुल्क, पारिश्रमिक :

विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
जीवन बीमा पॉलिसी	Life Insurance Policies	70.13	60.65
गैर-जीवन बीमा पॉलिसी	Non-Life Insurance Policies	21.31	19.79
स्वास्थ्य बीमा कारोबार	Health Insurance Business	0.46	*
कुल	**Total**	**91.90**	**80.44**

* वित्तीय वर्ष 2016-17 तक किए गए स्टैंडएलोन स्वास्थ्य बीमा टाई-अप

7.7 Fees, remuneration received from Bancassurance business:

* Standalone Health Insurance Tie-up done in FY 2016-17.

7.8 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोज़र तथा एनपीए का संकेंद्रण

7.8.1 जमाराशिओं का संकेंद्रन –

विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां	Total Deposits of twenty largest depositors	34,101	31,771
बैंक की कुल जमाराशियाँ में से बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	6.31%	6.19%

7.8 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

7.8.1 Concentration of Deposits –

7.8.2 अग्रिमों का संकेंद्रन – / 7.8.2 Concentration of Advances –

विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	Total Advances to twenty largest borrowers	51,195	54,732
बैंक के कुल अग्रिमों में सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	11.25%	12.22%

7.8.3 एक्सपोज़र का संकेंद्रण – / 7.8.3 Concentration of Exposures –

विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	66,718	62,529
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	11.41%	11.01%

7.8.4 एनपीए संकेंद्रण (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित) – / 7.8.4 Concentration of NPAs –

विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
चार शीर्ष एनपीए खातों का कुल एक्सपोज़र	Total Exposure to top four NPA accounts	7,591	7,593

7.9 क्षेत्रवार एनपीए (प्रुडेन्शियल /तकनीकी राईट ऑफ को शामिल करते हुए) (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित) / 7.9 Sector-wise Advances (Including Prudential/Technical write off) (As compiled by management)

क्र. सं. Sr. No	क्षेत्र	Sector	2016-17			2015-16		
			बकाया सकल अग्रिम O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector	बकाया सकल अग्रिम O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector
A	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	Priority sector						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	Agriculture & allied activities	42053.07	4276.10	10.17	39972.63	2636.41	6.60
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में पात्र उद्योगों को अग्रिम	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	30372.94	6454.19	21.25	26263.03	4431.30	16.87
3	सेवाएं	Services	17055.87	2216.95	13.00	16740.69	1680.57	10.04
4	व्यक्तिगत ऋण	Personal loans	8693.77	531.19	6.11	6256.61	348.22	5.57
	उप योग (क)	**Sub-total (A)**	**98175.65**	**13478.44**	**13.73**	**89232.96**	**9096.50**	**10.19**
B	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	Non Priority Sector						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधिया	Agriculture & allied activities	3943.81	678.40	17.20	1432.26	118.15	8.25
2	उद्योग	Industry	121936.89	33069.47	27.12	157087.94	31659.45	20.15
3	सेवाएं	Services	38059.22	4628.95	12.16	64555.91	3751.31	5.81
4	व्यक्तिगत ऋण	Personal loans	18186.52	2302.89	12.66	45621.24	697.87	1.53
	उप योग (ख)	**Sub-total (B)**	**182126.43**	**40679.71**	**22.34**	**268697.35**	**36226.78**	**13.48**
	योग (क+ख)	**Total (A+B)**	**280302.08**	**54158.15**	**19.32**	**357930.31**	**45323.28**	

7..9.1 प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र (पीएसएलसी) : / 7.9.1 Disclosure of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs):

वर्ष के दौरान खरीदे गए / Purchased during the year	वर्ष के दौरान बेचे गए / Sold During the Year
शून्य / NIL	शून्य / NIL

7.10 एनपीए का उतार-चढ़ाव

7.10 Movement of NPAs

विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
सकल एनपीए यथा 01.04.2016 को (प्रारंभिक शेष)	Gross NPAs as on 01.04.2016 (Opening Balance)	49879.13	22193.24
परिवर्धन वर्ष के दौरान (नए एनपीए):	Additions (Fresh NPAs) during the year	16721.12	34510.58
उप-जोड़ (ए)	Sub-total(A)	**66600.25**	**56703.82**
घटाएं :-	Less:		
(i) अपग्रेडेशन	(i) Up gradations	3875.50	1984.41
(ii) वसूलियाँ – अपग्रेडेड खातों से की गई वसूली को छोड़कर	(ii) Recoveries-excluding recoveries made from upgraded accounts	3449.68	2511.86
(iii) तकनीकी – प्रुडेंशियल राईट ऑफ	(iii) Technical/Prudential Write Offs	6220.25	1206.42
(iv) बट्टे खाते लिखाई, उक्त (iii) के अंतर्गत छोडकर	(iv) Write offs other those under (iii) above	1010.30	1122.00
उप-जोड़ (बी)	Sub-total (B)	**14555.73**	**6824.69**
सकल एनपीए यथा 31.03.2017 (अंतिम शेष) (ए-बी)	Gross NPAs as on 31.03.2017 (Closing Balance) (A-B)	**52044.52**	**49879.13**

7.11 तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों का उतार-चढ़ाव

7.11 Movement of Technical/Prudential written-off accounts

विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों में प्रारंभिक शेष	Opening Balance of Technical/prudential written-off accounts	7419.73	6206.09
जोडें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते लिखाई	Add: Technical/prudential written-offs during the year	6795.51	1953.23
उप-जोड(ए)	Sub-total(A)	14215.24	8159.32
घटाएं:- पूर्व में तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों में की गई वसूली (बी)	Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year(B)	574.26	739.59
अंतिम शेष (ए-बी)	Closing Balance (A-B)	13640.98	7419.73

7.12 विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

7.12 Overseas Assets, NPAs and Revenue

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	2016-17	2015-16
1	कुल आस्तियां / Total Assets	1,42,004.41	1,71,454.20
2	कुल एनपीए / Total NPAs	9,596.00	8,239.85
3	कुल राजस्व / Total Revenue	4,880.70	5,084.21

7.13 ऑफ बैलेन्स शीट प्रायोजित एसपीवी

7.13 Off-Balance Sheet SPVs sponsored

स्पॉन्सर किए गए एसपीवी का नाम / Name of the sponsored SPV	
स्वदेशी / Domestic	विदेशी / Overseas
शून्य Nil	शून्य Nil

7.14 प्रतिभूतिकरण से सम्बद्ध प्रकटन :

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) फ्लोट नहीं किया है।

7.14 Disclosure relating to Securitisation

The Bank has not floated any Special purpose Vehicle (SPV) during the Financial Year 2016-17.

7.15 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स :

बैंक ने कोई क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप नहीं किया है।

7.15 Credit Default Swaps

The bank has not dealt with any Credit Default Swap.

7.16 इंट्रा-ग्रूप एक्स्पोज़र (प्रबंधन द्वारा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा समर्थित)

7.16 Intra-Group Exposures (As compiled by the management and relied upon by the Auditors)

क्र. सं. Sr. No	इकाई का नाम Name of the Entity	अग्रिम Advances				निवेश INVESTMENTS		कुल Total	
		निधि आधारित Fund Based		गैर निधि आधारित NFB					
		Limits	O/s	Limits	O/s	Limits	O/s	Limits	O/s
1	बीओआई शेयर होल्डिंग लि. BOI Shareholding Limited	8.00 (8.00)	0.00 (0.00)	0.13 (0.10)	0.10 (0.10)	6.65 (8.86)	6.65 (8.86)	14.78 (16.96)	0.10 (8.96)
2	पीटी बैंक ऑफ इंडोनेशिया टीबीके PT Bank of India Indonesia TBK	19.46 (186.50)	19.46 (185.53)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	335.15 (335.15)	335.15 (335.15)	354.61 (521.65)	19.46 (520.68)
3	बैंक ऑफ इंडिया(तंजानिया) लिमिटेड Bank of India (Tanzania) Limited	155.47 (90.26)	58.38 (27.68)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	70.22 (50.12)	70.22 (50.12)	225.69 (140.38)	58.38 (77.80)
4	बैंक ऑफ इंडिया (न्यूझिलैंड)लिमिटेड Bank of India (New Zealand) Limited	0 (1)	0.00 (0.37)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	176.91 (176.91)	176.91 (176.91)	176.91 (177.91)	0.00 (177.28)
5	बैंक ऑफ इंडिया (यूगांडा) लिमिटेड Bank of India (Uganda) Limited	110.33 (53.61)	32.43 (39.87)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	57.74 (57.74)	57.74 (57.74)	168.07 (111.35)	32.43 (97.61)
6	बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लिमिटेड Bank of India (Botswana) Limited	32.43 (21.86)	14.92 (21.86)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	33.82 (33.82)	33.82 (33.82)	66.25 (55.68)	14.92 (55.68)
7	बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट लि; BOI Axa Investment Managers Private Limited	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	56.32 (42.70)	56.32 (49.48)	56.32 (49.48)	0.00 (49.48)
8	बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्राइवेट लि. BOI Axa Trustee Services Private Limited	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
9	बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि. BOI Merchant Bankers Limited	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	10.00 (10.00)	10.00 (10.00)	10.00 (10.00)	0.00 (10.00)
10	स्टार यूनियन दाई-इची लाईफ इन्शूनस कं. लि., Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	75.00 (120.00)	75.00 (120.00)	75.00 (120.00)	0.00 (120.00)
11	एसटीसीआई फाईनांस लि. STCI Finance Limited	250.00 (500.00)	248.18 (99.76)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	130.10 (130.10)	130.10 (130.10)	380.10 (630.10)	248.18 (229.86)
12	एएसआरईसी (इंडिया) लि; ASREC (India) Limited	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	27.60 (27.60)	27.60 (27.60)	27.60 (27.60)	0.00 (27.60)
13	इंडो-झांम्बिया बैंक लि; Indo-Zambia Bank Limited	25.94 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	47.59 (47.59)	47.59 (47.59)	73.53 (66.34)	0.00 (47.59)
14	ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त Gramin Bank of Aryavart	126.50 (36.50)	122.78 (32.45)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	32.18 (32.18)	32.18 (32.18)	158.68 (68.68)	122.78 (64.63)
15	झारखंड ग्रामीण बैंक Jharkhand Gramin Bank	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	39.44 (39.44)	39.44 (39.44)	39.44 (39.44)	0.00 (39.44)
16	नर्मदा मालवाझाबुवा ग्रामीण बैंक Narmada Malva Jhabua Gramin Bank	393.75 (394.88)	334.19 (170.44)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	40.69 (40.69)	40.69 (40.69)	434.43 (435.57)	334.19 (211.13)
17	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक Vidharbha Konkan Gramin Bank	181.90 (0.00)	22.51 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	42.67 (42.67)	42.67 (42.67)	224.57 (42.67)	22.51 (42.67)
18	अलाईड बैंक ऑफ नायजेरिया लि; Allied Bank of Nigeria Ltd	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	1.87 (1.87)	1.87 (1.87)	1.87 (1.87)	0.00 (1.87)
	इंट्राग्रुप एक्स्पोजर की कुल राशि **Total amount of Intra Group Exposure**	1303.78 (1292.61)	852.85 (577.96)	0.13 (0.10)	0.10 (0.10)	1183.92 (1189.58)	1183.92 (1189.58)	2487.83 (2496.91)	852.95 (1782.26)

C.	बैंक का कुल एक्सपोजर	Total Exposure of the Bank	882,949.55
	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल एक्सपोजर में इंट्रा ग्रुप एक्स्पोजर का %	% of Intra group Exposure to total exposure on Borrowers/Customers	0.28%
D.	यथा 31.03.2017 को इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर सीमा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है.	There is no breach of intra group exposure limit as on 31.03.2017.	

7.17 जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड (डीईएएफ) को अंतरण

7.17 Transfers to Depositors Education and Awareness Fund (DEAF)

विवरण	Particulars	FY 2016-17	FY 2015-16
डीईएएफ में अंतरित प्रारंभिक शेष राशि	Opening balance of amounts transferred to DEAF	113.72	38.54
जोडें : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशि	Add : Amounts transferred to DEAF during year	178.54	75.18
घटाएं :दावों के तहत डीईएएफ द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति	Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.00	0.00
डीईएएफ में अंतरित राशि का अंतिम शेष	Closing balance of amounts transferred to DEAF	292.26	113.72

7.18 अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र : प्रबंधन द्वारा यथा समेकित

7.18 Unhedged Foreign Currency Exposure : As compiled by the management

क्र.सं. Sr. No	विवरण	Particulars	FY 2016-17	FY 2015-16
A	प्रारंभिक शेष प्रावधानों के खाते	Opening balance provisions account	73.58	83.20
B	लेखा वर्ष में किए गए प्रावधानों की मात्रा	The quantum of provisions made in the accounting year	17.80	6.46
C	लेखा वर्ष के दौरान राशि रिवर्स	Amount Reverse during the accounting year	33.63	16.08
D	प्रावधानों के खाते में समापन संतुलन	Closing balance in the provisions account	57.75	73.58

बैंक के पास बोर्ड द्वारा पूर्ण रूप से अनुमोदित 'अनहैज़ करेंसी एक्सपोज़र' वाली संस्थाओं के एक्सपोज़र के लिए पूंजी एवं प्रावधानीकरण आवश्यकता पर नीति है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी.सं. बीपी. बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांक जनवरी 15, 2014 और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 दिनांक 03 जून, 20014 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरणों पर आधारित है।

तद्नुसार, बैंक द्वारा यूएफसीई की मासिक अंतराल पर और प्रावधानीकरण और पूंजी आवश्यकताओं की तिमाही आधार पर निगरानी परिकल्पित है। यथा 31.03.2017, उपलब्ध डाटा और उधारकताओं से जहां-जहां प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, बैंक ने कुल ₹ 57.75 (विगत वर्ष ₹ 73.58) का प्रावधान किया है। इस एक्सपोज़र पर अतिरिक्त आरडब्ल्यूए ₹ 1082.37 (विगत वर्ष ₹ 1287.83) है, जो कि अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता ₹ 110.94 (विगत वर्ष ₹ 115.90) के निमित है।

The bank has duly approved policies by the Board on Capital and Provisioning Requirement for exposures to entities with unhedged foreign currency exposure which is based on RBI circular No.DBOD.No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and clarifications received vide RBI Circular No. DBOD.No.BP.BC.116/21.06.200/2013-14 dated June 03, 2014.

Accordingly, it is envisaged that the Bank monitors UFCE on a monthly interval and provisioning and capital requirements on a quarterly basis. As on 31.03.2017, based on available data and declaration from the borrowers, wherever received, the Bank has created total provision of ₹ 57.75 (Previous Year ₹ 73.58). The additional RWA on this exposure is ₹ 1082.37 (Previous Year ₹ 1287.83), as against this additional minimum capital requirement is ₹ 110.94 (Previous Year ₹ 115.90).

8. चलनिधि कवरेज अनुपात : प्रबंधन द्वारा यथा समेकित मात्रात्मक प्रकटन

8. Liquidity Coverage Ratio: As compiled by the management Quantitative Disclosure

	राशि ₹ करोड़ों में Amount in ₹ Crore	यथा As on 31.03.2017#		यथा As on 31.03.2016#	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)[1] Total Unweighted Value (average)@	कुल भारित मूल्य (औसत)[2] Total Weighted Value (average)@	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)[1] Total Unweighted Value (average)*	कुल भारित मूल्य (औसत)[2] Total Weighted Value (average)*
उच्च् स्तरीय परिसंपत्ति आस्तियाँ / HIGH QUALITY LIQUID ASSETS					
1	कुल उच्च् स्तरीय आस्तियां (एचक्यूएलए) / Total High Quality Assets(HQLA)		38,891.96		61,786.45
नकदी प्रवाह / CASH OUTFLOW					
2	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों की, जिसमें से Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	175,535.97	17,382.02	339,339.09	33,610.35
(i)	स्थिर जमाराशियां / Stable deposits	3,860.05	193.01	6,476.05	324.05
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां / Less stable deposits	171,675.91	17,189.01	332,863.04	33,286.30
3	अरक्षित थोक निधियां, जिसमें से : / Unsecured wholesale funding of which:	36,182.95	18,554.63	89,564.67	43,561.91
(i)	परिचालनगत जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार) / Operational deposits (all counterparties)	1,150.32	134.19	27,838.57	9,585.16
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) / Non -operational deposits (all counterparties)	30,859.54	14,247.35	55,471.05	27,721.70
(iii)	अरक्षित ऋण / unsecured debts	4,173.09	4,173.09	6,255.05	6,255.05
4	जमानती थोक निधियन / Secured wholesale funding				0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से / Additional requirements, of which	16,704.80	3,780.59	17,928.45	6,209.24
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोज़र से संबंधित बहिर्गमन / Outflows related to derivative exposures and other collateral requirement	1,940.62	1,988.06	581.20	581.20
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित बहिर्गमन Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधाएं / Credit and liquidity facilities	14,764.19	1,792.53	17,347.24	5,628.04
6	अन्य संविदागत निधियन दायित्व / Other contractual funding obligations	5,670.86	5,197.92	8,942.68	7,936.45
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व / Other contingent funding obligations	23,736.24	748.57	43,144.31	2,157.22
8	कुल नकदी बहिर्गमन / TOTAL CASH OUTFLOWS		45,663.73		93,475.17
नकदी आगमन / CASH INFLOW					
9	जमानती उधार (उदा:रिवर्स रेपो) / Secured lending(e.g. reverse repos)	6,708.06	3,897.59	4,829.40	2,901.55
10	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से आगमन / Inflows from fully performing exposures	5,327.61	3,861.77	28,447.53	20,089.11
11	अन्य नकदी आगमन / Other cash inflows	10,406.71	9,460.41	9,808.54	6,428.85
12	कुल नकदी आगमन / TOTAL CASH INFLOWS	14,745.61	10,553.11	43,085.47	29,419.51
			कुल समायोजित मूल्य 3 Total Adjusted Value 3		
21	कुल एचक्यूएलए TOTAL HQLA		38,891.96		61,786.45
22	कुल निवल नकदी बहिर्गमन TOTAL NET CASH OUTFLOWS		35,110.61		64,055.66
23	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) / LIQUIDITY COVERAGE RATIO(%)		110.77		96.46

@ Disclosure as on 31.03.2017 has been done by taking simple averages of monthly observations over previous quarter (i.e. average over a period of 90 days) for data till quarter ended December 31, 2016. For the quarter ended March 31, 2017 the simple average is calculated on daily observations over the previous quarter. This is as per RBI guidelines ref. no. DBR.No.BP.BC.80 /21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015.

** Simple averages of monthly observations over previous quarter (i.e. average over a period of 90 days)*

 # On consolidated basis (including domestic and foreign subsidiaries)

एलसीआर के संबंध में गुणात्मक प्रकटन

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रभावी तिथि 1 जनवरी, 2015 तक बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देशों को कार्यन्वित किया।

एलसीआर का मानक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) को यथोचित स्तर पर अनुरक्षित करता है अत्यधिक चलनिधि दबाव परिदृश्य के अन्तर्गत 30 कलेंडर दिन सीमा के लिए चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचक्यूएलए को नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियां}}{\text{अगले 30 कलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी बहिर्गमन}}$$

यहाँ ,

- एचक्यूएलए लेवल 1 तथा लेवल 2 आस्तियां सम्मिलित हैं, दूसरे शब्दों में यह नकदी हैं या नकदी मदों के करीब हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर बाज़ार में आसानी से उपयोग किया जा सकता है/भुनाया जा सकता है।
- भारिबैं/बासेल द्वारा परिभाषा के अनुसार दबाव की स्थिति के अन्तर्गत कुल बहिर्गमन पर कुल आगमन का निवल नकदी बहिर्गमन अधिक रहता है। निवल नकदी बहिर्गमन पर पहुंचने के लिए, आगमन को पूर्व परिभाषित मार्जिन के साथ लेना चाहिए तथा बहिर्गमन को पूर्व परिभाषित निकालना पैक्टर पर लेना चाहिए।
- यदि दबावग्रहत अंतर्वाह, दबावग्रहत बहिर्गमन से अधिक हो, तो एलसीआर परिकलन हेतु कुल बहिर्गमन के 25श को कुल निवल नकद बहिर्गमन माना जाएगा।
- प्रभावि तिथि 01.01.2015 से, अविरत आधार पर 60% एलसीआर को बनाए रखना बैंकों के लिए आवश्यक है।

वर्णन	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

एलसीआर का मुख्य संचालक : उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) खुदरा ग्राकों से उच्च निधियन स्त्रोत के न्यून निवल नकदी प्रवाह एलसीआर के मुख्य संचालक हैं। एचक्यूएलए का प्रचुर स्टॉक एलसीआर विकसित करने में बैंक का सहायक होता है क्योंकि अधिक एसएलआर के प्रचुर राशि को बैंक बनाए रखता है।

एचक्यूएलए की संरचना : उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) की संरचना में प्रमुखतया नकदी शेष, अधिक एसएलआर, अधिक सीआरआर तथा एफएएलएलसीआर (चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि सुविधा प्राप्त करना) प्रमुखतया होता है।

आज की तिथि तक एचक्यूएलए संरचना का प्रकटन निम्नलिखित है :

हाथ में नकदी	8%	10.26%
अतिरिक्त सीआरआर शेष	5%	2.30%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता की अधिकता में सरकारी प्रतिभूति	26%	31.43%
एफएएलएलसीआर (एमएसएफ के लिए अनुमत वर्तमान में एनडीटीएल का 7 प्रतिशत तक) सहित एमएसएफ के अन्तर्गत भारिबैं द्वारा अनुमत अनुसार न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता की अधिकता में सरकारी प्रतिभूतियां	11%	48.84%
बासेल II के मानक दृष्टिकोण के अन्तर्गत 0%, जोखिम के विदेशी सार्वभौम द्वारा जारी या गारंटीकृत प्रतिभूतियां	3%	7.17%
चलनिधि कवरेज अनुपात हेतु चलनिधि सुविधा	45%	
लेवल 2 अस्तियां	3%	

Qualitative disclosures with regard to LCR

W.e.f. 1st January 2015, the Bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) as directed by Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. At a minimum, the stock of liquid assets should enable the bank to survive until day 30 under a severe liquidity stress scenario.

$$\text{LCR} = \frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$$

Here,

- HQLA comprises of level 1 and level 2 assets, in other words these are cash or near to cash items which can be easily used/discounted in the market in case of need.
- Net cash outflows are excess of total inflows over total outflows under stressed situation as defined by BCBS/ RBI. While arriving at the net cash outflow, the inflows are taken with pre-defined hair-cuts and the outflows are taken at pre-defined run-off factors.
- In case stressed inflows are more than the stressed outflows, 25% of total outflows shall be taken as total net cash outflows to arrive at the LCR.
- With effect from 01.01.2015, Banks are required to maintain minimum 60% LCR on an ongoing basis as given below:

	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

Main Drivers of LCR: The main drivers of the LCR are adequacy of High Quality Liquid Assets (HQLA) and lower net cash outflow on account of higher funding sources from retail customers. Sufficient stock of HQLA helped the Bank to maintain adequate LCR.

Composition of HQLA: The composition of High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of cash balances, excess SLR, excess CRR and FALLCR (Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio).

The composition of HQLA as on date of disclosure is given below:

Cash in hand	8%
Excess CRR balance	5%
Government securities in excess of minimum SLR Requirement	26%
Government securities within the mandatory SLR Requirement, to the extent allowed by RBI under MSF including FALLCR (presently to the extent of 7 percent of NDTL as allowed for MSF)	11%
Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk weight under Basel II standardized approach and other securities adjustments on account of Repo/Reverse Repo transactions	3%
Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio	45%
Level 2 Assets	3%

निधियन स्रोत का संकेन्द्रीकरण: बैंक का अधिकांश निधियन स्रोत खुदरा ग्राहकों से है अतएव बहिर्गमन दबाव तुलनात्मक ढंग से कम है। यद्यपि, मीयादी जमाराशियों के लिए किसी अप्रतिदेय विकल्प के अभाव में भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार बहिर्गमन अनुभाग के अन्तर्गत लगभग सभी जमाराशियों को बैंक ने गौर किया। किसी महत्वपूर्ण पक्षकार से निधियन सकेन्द्रण बैंक का नहीं था। बैंक के कुल देयताओं का 1% से अधिक के लिए सकल लेखाप्रणाली हेतु संबंधित समूह या सम्बद्ध प्रतिपक्षकारों अथवा कल प्रतिपक्षकार के रूप में एक उल्लेखनीय प्रतिपक्षकार को परिभाषित किया गया है।

व्यत्पन्नी एक्सपोज़र तथा संभाव्य संपार्श्विक कॉल: डेरिवेटिव कारोबार में बैंक का बहुत कम क्सपोज़र है जो उल्लेखनीय नहीं है।

एलसीआर में मुद्रा असंतुलन : भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक महत्वपूर्ण मुद्रा वह है जिसमें उस मुद्रा में कुल मूल्यवर्गित देयताएं बैंक की कुल देयताएं का 5 प्रतिशत या अधिक हो। हमारे मामले में यूएसडी एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्रा है अतएव बैंक, एलसीआर का परिकलन यूएसडी मुद्रा में भी करता है।

चलनिधि प्रबंधन के संकेन्द्रीकरण के डिग्री का वर्णन तथा समूह के इकाईयों में पारस्परिक चर्चा : उद्यम स्तर पर बैंक का चलनिधि प्रबंधन, बोर्ड स्तरीय कार्य है तथा बोर्ड (आर.कॉम) की एक अलग उप-समिति इसपर निगाह रखती है। एएलसीओ द्वारा नियमित अंतराल पर चलनिधि प्रबंधन की नियमित निगरानी की जाती है। बैंक की संपूर्ण चलनिधि प्रबंधन प्रक्रिया, बैंक की एएलएम नीति से शासित होती है।

घरेलू परिचालनों के लिए चलनिधि प्रबंधन के केन्द्रीय कार्य है जो प्रधान कार्यालय स्तर पर प्रबंधित किया जाता है। निगरानी तथा नियंत्रण के लिए तथा स्तानीय विनियामक का अनुपालन भी प्रत्येक केन्द्र के क्षेत्राधिकार अनुसार विदेशी चलनिधि प्रबंधन किया जाता है। बैंक का अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग विदेशी चलनिधि स्थिति पर निगरानी रखता है तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर केन्द्रीय रूप से सम्पूर्ण चलनिधि निगरानी की जाती है।

एलसीआर परिकलन में अन्य आगमन और बहिर्गमन एलसीआर सामान्य टेम्पलेट में अभिग्रहित नहीं होता है किन्तु अपने चलनिधि प्रोफाइल के लिए संस्था इसे उपयुक्त समझती है : हमारे ध्यान में ऐसी कोई मद नहीं है।

9. अन्य नोट

ए) आयकर

(i) आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में दावों की अभिस्वीकृति नहीं ली गई है जिसके अंतर्गत ₹ 555.42 (विगत वर्ष ₹ 555.07) की विवादित आय कर/ ब्याज कर देयताएं सम्मिलित हैं। इन दावों के मामलों में पूर्व में अभिनिर्धारित विभिन्न न्यायिक विवादों के आधार पर आवश्यक कर के प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है। इनको अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत भुगतान/ समायोजित तथा सम्मिलित कर लिया गया है।

(ii) लागू कर-विधी प्रावधानों और कतिपय विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर उचित विचार किये जाने के बाद वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान किया गया है।

(iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 145(2) के तहत दिनांक 29 सितंबर 2016 को अधिसूचित आय परिकलन एवं प्रकटन मानक (ICDS) 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु लागू हैं और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कर प्रावधान और आस्थगित कर के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात उनका परिकलन किया गया है।

Concentration of funding sources: Majority of Bank's funding sources are from retail customers,therefore the stressed outflows are comparatively lower. However, in absence of any non-callable option for term deposits, the Bank has considered almost all deposits under outflow section as per RBI guidelines. Bank also does not have funding concentration from any significant counterparty. A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counter parties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

Derivative Exposures and potential collateral calls: Bank has very little exposure in derivative business which is not very significant.

Currency mismatch in the LCR: In terms of RBI guidelines, a significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities. In our case, USD is the only significant currency. Therefore, Bank also calculates LCR in USD currency.

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units: The liquidity management of the Bank at enterprise level is a Board level function and a separate sub-committee of the Board (R.Com.) keeps close watch on that. The periodical monitoring of the liquidity management is being monitored by the ALCO on regular intervals. The entire liquidity management process of the Bank is being governed by ALM Policy of the Bank.

The liquidity management for domestic operations is the central function, being managed at Head Office level. The overseas liquidity management is being handled at each centre, jurisdiction wise to keep close monitoring and control and also to comply with the local regulatory requirements as well. International Division of the Bank keeps watch on the overseas liquidity position and the overall liquidity monitoring is done at Head Office level centrally.

Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile: No such items as per our notice.

9. Other Notes

a) Income Tax:

(i) Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 555.42 (previous year ₹ 555.07) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

(ii) Provision for income tax for the year is arrived at after due consideration of the provisions of the applicable tax laws and relevant judicial decisions on certain disputed issues.

(iii) Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) as notified u/s 145(2) of the Income Tax Act, 1961 on 29th September 2016, are applicable for the financial year ended on 31st March, 2017 and accordingly tax provisions and deferred tax for the financial year 2016-17 have been computed after considering its impact.

बी) वर्ष 2016-17 के लिए रिवार्ड पॉईंट का मूवमेंट :

b) Movement of Reward Points for 2016-17:

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	डेबिट कार्ड पर रिवार्ड पॉईंट Reward points on Debit Card	डेबिट कार्ड पर रिवार्ड पॉईंट Reward points on Credit Card	कुल Total
1	प्रारंभिक शेष Opening Balance	842322651	37993551	880316202
		(632492204)	(37683120)	(670175324)
2	जोडें: ग्राहकों द्वारा वर्ष के दौरान अर्जित किए गए रिवार्ड पॉर्इंट Add: Reward points accrued during the Year by Customers	922770873	28883840	951654713
		(411997684)	(2833070)	(414830754)
3	घटाएं: रिवार्ड पॉईंट ग्राहकों द्वारा लाभ उठाया गया Less: Reward Points availed by customers	203600151	7833461	211433612
		(73830890)	(2522639)	(76353529)
4	घटाएं: रिवार्ड पॉइंट की समय सीमा समाप्त (वित्त 2016-17) Less: Reward Points Expired (FY 2016-17)	171903107	0.00	171903107
5	अंतिम शेष Closing Balance	1389590266	59043930	1448634196
		(842322651)	(37993551)	(880316202)

सी) धोखाधडियों के संबंध में प्रकटन :

c) Disclosure regarding frauds:

वित्तीय वर्ष Financial Year	धोखाधडी की संख्या Number of frauds	सम्मिलित राशि Amount involved	संभावित हानि Probable Loss	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की मात्रा Quantum of Provision made during the year	अन्य आरक्षित से नामे की गयी असंशोधित प्रावधान की मात्रा Quantum of unamortized provision debited from other reserve
			2648.47	2583.28	
			+37.96*	+37.96*	
2016-17	174	2774.06	2686.43	2621.24	65.19

* एमओसी के अनुसार धोखाधडी हेतु अतिरिक्त प्रावधान

* Additional provision for the fraud as per MOC.

डी) कार्यनीतिक ऋण पुर्नरचना (एसडीआर) के तहत मानक सुविधाओं के संबंध में ''दबावग्रस्त आस्ति -परिशोधन हेतु योजना'' और दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय पुनर्रचना हेतु योजना के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 114.43 की राशि रिवर्स की है जो ऐसे खातों में अप्राप्त ब्याज की राशि है.

d) In compliance with the RBI Guidelines in respect of "Scheme for Stressed Assets-Revision", in respect of Standard Facilities under Strategic Debt Restructuring (SDR) and Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), the bank has during the year ended 31st March, 2017 reversed an amount of ₹ 114.43 being unrealised interest in such accounts.

ई) वर्ष के दौरान बैंक ने दो उधार खातों (यथा 31 मार्च, 2017 को मानक) में दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय पुनर्रचना (S4A) शुरु की है जिनकी कुल बकाया ₹ 272.80 है. S4A योजना के कार्यान्वयन के बाद ही बैंक द्वारा अपेक्षित प्रावधान की गणना की जाएगी.

e) During the year the Bank has invoked Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A) in Two borrower accounts (Standard as on 31st March, 2017) having aggregate outstanding of ₹ 272.80 as on 31st March, 2017. The required provision will be reckoned by the Bank only upon implementation of the S4A scheme.

एफ) वर्ष के दौरान, धोखेबाज़ के रुप में वर्गीकत एक उधारकर्ता के मामले में आरबीआई परिपत्र डीबीआर क्र. बी.पी.बी. सी. 83/21.04.048/2014-15 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 और डीबीआर न. बीपी.बी.सी. 92/21.04.048/2015-16 18 अप्रैल 2016 के अनुरूप ₹ 65.40 का प्रवाधान किया गया है। यथा 31 मार्च 2017 को प्रवाधान किए जाने हेतु शेष राशि ₹ 65.19 है जिसे राजस्व आरक्षिति से आहरित किया गया।

f) During the year, in case of one Borrower declared as fraud, an amount of ₹ 65.40 has been provided, in terms of RBI circular DBR.No.BP.BC.83/21.04.048/2014-15 dated April 01, 2015 and DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016. The remaining un-provided as on 31st March, 2017 is ₹ 65.19 has been drawn from Revenue Reserve.

जी) आरबीआई निदेशों के अनुपालन में, आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के अनुलग्नक - III के तहत दर्शाए गए खाते, जहां कार्यनिष्पादन संबंधी मुद्दों या कुछ शर्तों को पूरा न करने की वजह से पुनर्रचना विफल रही, और आरबीआई निर्देशों के अनुरूप उन खातों में आवश्यक प्रावधान किया गया, उन खातों की यथा 31 मार्च 2017 को समीक्षा की गई और अब उन्हें वर्गीकृत किया गया है तथा आईआरएसी मानकों के अनुरूप प्रावधान किया गया है। यथा 31 मार्च 2017 को जो खाते मानक थे उनके संबंध में आरबीआई निदेशों के अनुरूप किए गए ₹ 83.22 के वृद्धिशील प्रावधान को यथा 31.03.2017 को रिवर्स कर दिया गया है।

एच) वर्ष हेतु अन्य आय में संयुक्त उद्यम - यूनियन दाई इची लाइफ इन्श्योरेन्स कं. लि. में बैंक की 18% हिस्सेदारी की बिक्री से प्राप्त ₹ 495.00 का लाभ और सिबिल में निवेश की बिक्री से प्राप्त ₹ 188.13 की राशि शामिल है।

आई) आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप, वर्ष के दौरान बैंक ने प्रतिभूतियों को एचटीएम वर्ग से हटाकर एएफएस वर्ग में रखा है। हटाई गई प्रतिभूतियों का बही मूल्य ₹ 13854.96 था।

जे) ''परिपक्ता तक धारित'' वर्ग के तहत निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ की राशि ₹ 1146.70 (विगत वर्ष ₹ 243.86) को लाभ-हानि खाते में ले जाया गया है और तत्पश्चात ₹ 749.85 (विगत वर्ष ₹ 159.47) की राशि को, कर की राशि शामिल न करते हुए, पूंजी आरक्षिति में समायोजित किया गया है और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 17 के तहत उसे सांवधिक आरक्षिति को अंतरित किया गया है।

के) 31 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक को 3 निवेशक-शिकायतें प्राप्त हुई जिनका निपटान किया गया। तिमाही के प्रारंभ या अंत में कोई निवेशक-शिकायत लंबित नहीं है।

एच) जहां भी ज़रुरी समझा गया, वहां पिछले वर्ष के आंकडों को पुन:समूहीकृत / पुनर्व्यस्थित किया गया है।

g) In compliance with RBI directives, accounts shown under Annex – III of Asset Quality Review (AQR) wherein restructuring was failed due to performance issues or non – fulfilment of certain conditions and necessary provisions was held in those accounts in terms of RBI directives, have been reviewed as on 31st March, 2017 and has now being classified and provision has been made as per the IRAC norms. Incremental provision of ₹ 83.22 which was made in terms of RBI directives have been reversed on 31st March, 2017 w.r.t. those accounts which remained standard as on 31st March, 2017.

h) Other Income for the year includes gain of ₹ 495.00 on sale of 18% stake held by the Bank in the Joint Venture namely Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited and ₹ 188.13 from sale of investment in CIBIL.

i) In accordance with RBI guidelines, Bank has shifted securities from HTM to AFS category during the year. The book value of securities shifted was ₹ 13854.96.

j) Profit on sale of Investments held under "Held to Maturity" category amounting to ₹ 1146.70 (previous year ₹ 243.86) has been taken to the Profit & Loss Account and thereafter an amount ₹ 749.85 (previous year ₹ 159.47) has been appropriated to the Capital Reserve, net of taxes and transfer to Statutory Reserve under section 17 of the Banking Regulation Act, 1949.

k) The Bank has received 3 Investor complaints during the quarter ended 31st March, 2017 which have been disposed-off. There are no pending investor complaints at the beginning or end of the quarter.

l) Previous year's figures have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
भारत के राष्ट्रपति,

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट:

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) के यथा 31 मार्च, 2017 की वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है जिसके साथ यथा 31 मार्च, 2017 का तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता, उस समय समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना संलग्न थे। इन वित्तीय विवरणियों में निम्नलिखित विवरणियाँ शामिल हैं :-

   ए) हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय, 20 शाखाएं और ट्रेज़री शाखा;

   बी) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2575 घरेलू शाखाएं, और

   सी) स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 29 विदेशी शाखाएं

   बैंक ने हमारे द्वारा लेखा परीक्षित एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है।

   तुलन पत्र एवं लाभ हानि खाते में उन 2527 घरेलू शाखाओं की विवरणियों का भी समावेश है, जो लेखा परीक्षा के अध्यधीन नहीं हैं और एक विदेशी शाखा जिसका लेखापरीक्षा नहीं हुआ है। ये गैर-लेखा परीक्षित शाखाएं 5.33% अग्रिम, 16.85% जमाराशियां, 6.35% ब्याज आय और 16.28% ब्याज व्यय का योगदान करती हैं ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी:

2. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों सहित मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाओं के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सत्य और निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुत करता है । इन जिम्मेदारियों में धोखाधड़ी या गलती के कारण तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त वित्तीय विवरणियों की तैयारी हेतु संगत आंतरिक नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन सिस्टम की तैयारी, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी:

3. हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इन वित्तीय विवरणों पर आधारित हमारी लेखा परीक्षा पर अपनी राय व्यक्त करें। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानकों के अनुरूप हमने अपना लेखा परीक्षा कार्य किया है। इन मानकों की यह अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षा की योजना इस तरह बनाए एवं उसका क्रियान्वयन इस तरह करें कि हम इस संबंध में इस बात का तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरण तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं।

4. किसी लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणियों की राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं जिसमें वित्तीय विवरणियों

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The President of India

Report on the Standalone Financial Statements:

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of Bank of India ('the Bank') as at March 31, 2017, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2017, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these standalone financial statements are the returns of:

   a. The Head office, 20 branches and Treasury Branch audited by us;

   b. 2,575 domestic branches audited by other auditors; and

   c. 29 foreign branches audited by local auditors.

   The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

   Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 2,527 domestic branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 5.33% of advances, 16.85% of deposits, 6.35% of interest income and 16.28% of interest expenses.

Management's Responsibility for the Standalone financial statements:

2. The Bank's Management is responsible for the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the requirement of Reserve Bank of India, provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, recognised accounting practices including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal controls and risk management systems relevant to the preparation of the standalone financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility:

3. Our responsibility is to express an opinion on these standalone financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the standalone financial statements. The procedures

में, धोखाधड़ी या गलती की वजह से, तात्विक अशुद्ध कथनों के जोखिमों का आकलन शामिल है। इन जोखिम आकलनों को करने में, इन परिस्थितियों के लिए समुचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने हेतु बैंक की तैयारी एवं वित्तीय विवरणियों की न्याय संगत प्रस्तुति हेतु संगत आंतरिक नियंत्रणों पर लेखा परीक्षक विचार करता है न कि बैंक की आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए। किसी लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

5. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं ।

अभिमत:

6. हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं बैंक की बहियों में दर्शाए गए के अनुसार :

ए) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और उस पर टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र आवश्यक विवरणों वाला पूर्ण और उचित तुलन-पत्र है और सही तरीके से तैयार किया गया है ताकि यथा 31 मार्च, 2017 को बैंक की गतिविधियों का भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत हो;

बी) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और उस पर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि खाता, खाते द्वारा कवर किए गए वर्ष के लिए, सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप लाभ का सही तुलन दर्शाता है; और

सी) नकदी प्रवाह विवरण, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही व उचित दृश्य प्रस्तुत करता है।

इस मामले का प्रभाव:

7. हमारी राय रखे बिना, हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

ए) अचल आस्तियों में मूल्यह्रास से संबंधित लेखा परीक्षा नीति में परिवर्तन के संबंध में वित्तीय विवरण का नोट सं.18.3

बी) अतिरिक्त टियर I स्थायी बेसिल III अनुपालक बॉण्ड्स पर ब्याज के भुगतान के लिए राजस्व आरक्षित निधि से आहरण के संबंध में वित्तीय विवरण का नोट सं.18.4

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट:

8. तुलनपत्र और लाभ और हानि खाता, क्रमश: बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'ए' एवं 'बी' में तैयार किए गए हैं।

9. उक्त पैरा 1 से 5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की आवश्यकताओं के अनुसार एवं इसमें अपेक्षित प्रकटन सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the standalone financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the standalone financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion:

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

a. the Balance Sheet, read with significant accounting policies and notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2017 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

b. the Profit and Loss Account, read with significant accounting policies and notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter:

7. Without qualifying our opinion, we draw attention to:

a. Note No. 18.3 to the financial statements regarding change in accounting policy in respect of Depreciation on Fixed Assets.

b. Note No. 18.4 to the financial statements regarding withdrawal from Revenue Reserve for payment of interest on Additional Tier I Perpetual Basel III Compliant Bonds.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

ए) हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी) बैंक के लेन-देन जो हमारी जानकारी में आए हैं वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं; और

सी) बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पायी गयी हैं।

10. हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b. The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank; and

c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

कृते मेसर्स ग्रोवर, लल्ला एण्ड मेहता
For Grover, Lalla & Mehta
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)

आलोक गोयल Alok Goyal
भागीदार Partner
(एम. नं. 501529) M. No. 501529

कृतें बी रतन अँड एसोशिएटस
For B Rattan & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)

भारत रत्तन Bharat Rattan
भागीदार Partner
(एम. नं. 090682) M. No. 090682

कृते जी डी आपटे अँड कंपनी
For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)

सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner
(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई Place : Mumbai
दिनांक : 22 मई, 2017 / Date : 22nd May 2017

यह पृष्ठ खाली छोड़ा गया है

THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK

बैंक ऑफ़ इंडिया

समेकित वित्तीय विवरण

यथा 31 मार्च, 2017

BANK OF INDIA

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As at 31st March, 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित तुलन-पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2017

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	यथा As at 31-03-2017 ₹	यथा As at 31-03-2016 ₹
I. पूँजी एवं देयताएं	I. CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी	Capital	1	10,554,342	8,172,916
आरक्षिती एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	308,519,085	312,247,233
शेयर आवेदन रकम	Share Application Money		17,219,175	13,036,480
अल्पसंख्यक हित	Minorities Interest	2A	809,809	979,962
जमाराशियां	Deposits	3	5,423,521,148	5,157,224,800
उधार	Borrowings	4	394,914,169	511,032,719
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities and provisions	5	164,721,781	163,598,237
कुल	**TOTAL**		6,320,259,509	6,166,292,347
II. आस्तियां	II. ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	275,444,352	342,137,217
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	Balances with Banks and money at call and short notice	7	689,202,737	652,909,965
निवेश	Investments	8	1,307,512,629	1,226,209,086
अग्रिम	Advances	9	3,683,287,647	3,613,018,908
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	85,457,781	85,728,505
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	279,354,363	246,288,666
कुल	**TOTAL**		6,320,259,509	6,166,292,347
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	3,599,474,225	3,541,198,515
वसूली के लिए बिल	Bills for collection		316,252,174	269,021,044
विशेष लेखा नितियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखे पर नोट	Notes to Accounts	18		

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तूलन-पत्र का अभिन्न अंग है
The schedules referred to above form and integral part of the Balance Sheet.
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म ए के अनुसार तुलनपत्र तैयार किया गया है
The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form 'A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

जी पद्मनाभन	दीनबन्धु मोहापात्रा	आर ए शंकर नारायणन	एन. दामोदरन	ए. के. दास	शंकर अय्यर
G Padmanabhan	**Dinabandhu Mohapatra**	**R A Sankara Narayanan**	**N. Damodharan**	**A. K. Das**	**Shanker Iyer**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairman	Managing Director & CEO	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

गिरीष चंद्र मुर्मू Girish Chandra Murmu
आर सेबास्टियन R Sebastian
वेनी थापर Veni Thapar
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia
संजीव कुमार अरोड़ा Sanjiv Kumar Arora

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता	कृते बी रत्तन एण्ड एसोशिएट्स	कृते जी डी आप्टे एण्ड कंपनी
For Grover Lalla & Mehta	For B Rattan & Associates	For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)	(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)	(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)
आलोक गोयल Alok Goyal	भारत रत्तन Bharat Rattan	सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
(एम. नं. 510529) M. No. 510529	(एम. नं. 090682) M. No. 090682	(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 22 मई, 2017 / Date : 22nd May 2017

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार समेकित लाभ एवं हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2017

(000 छोड़े गए है) / (000's Omitted)

	विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2017 ₹	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2016 ₹
I.	आय	INCOME			
	अर्जित आय	Interest earned	13	395,852,334	420,928,434
	अन्य आय	Other income	14	68,194,503	36,716,135
	कुल	**TOTAL**		464,046,837	457,644,569
II.	व्यय	EXPENDITURE			
	व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	276,057,473	302,453,169
	परिचालगत व्यय	Operating expenses	16	89,749,548	94,250,134
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies	18[8(b)]	114,177,255	124,290,996
	कुल	**TOTAL**		479,984,276	520,994,299
	सहयोगि कंपनियों में अर्जन/(हानि) का हिस्सा	Share of earnings/(loss) in Associates	16A	1,022,263	590,551
	अल्पसंख्यको के हित की कटौती के पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities' interest		(14,915,176)	(62,759,179)
	घटाएं: अल्पसंख्यकों का हित	Less: Minorities' Interest		(214,246)	(716,582)
	वर्ष के लिए समूह के संबंधित समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year attributable to the group		(14,700,930)	(62,042,596)
	जोडें: समूह के लिए आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि)	Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		(63,653,488)	0
	कुल	**TOTAL**		(78,354,418)	(62,042,596)
III.	विनियोग	APPROPRIATIONS			
	सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		-	-
	निवेश घट-बढ़ आरक्षितियों को अंतरण	Transfer from Investment Fluctuation Reserve		-	-
	राजस्व आरक्षिति को / (से) अंतरण	Transfer to/ (from) Revenue Reserve		-	-
	पूँजी आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		7,498,473	1,610,892
	विशेष आरक्षिति (से)/को अंतरण - करेंसी स्वैप	Transfer (from) / to Special Reserve - Currency Swap		-	-
	अंतरिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Interim Dividend (including dividend tax)		-	-
	अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		-	-
	लाभांश कर - अनुषंगियों के लिए	Dividend Tax - for Subsidiary		-	-
	आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		-	-
	समेकित तुलन-पत्र में आगे लाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance Sheet		(85,852,891)	(63,653,488)
	कुल	**TOTAL**		(78,354,418)	(62,042,596)
	विशेष लेखा नितियां	**Significant accounting policies**	17		
	लेखे पर नोट	**Notes to Accounts**	18		
	प्रति शेयर अर्जन (₹)	Earnings Per Share (₹)		-14.83	-84.58

ऊपर बताई गई अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न अंग है

The schedules referred to above form and integral part of the Profit and Loss Account.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म बी के अनुसार लाभ एवं हानि खाता

The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

जी पद्मनाभन	दीनबन्धु मोहापात्रा	आर ए शंकर नारायणन	एन. दामोदरन	ए. के. दास	शंकर अय्यर
G Padmanabhan	**Dinabandhu Mohapatra**	**R A Sankara Narayanan**	**N. Damodharan**	**A. K. Das**	**Shanker Iyer**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairman	Managing Director & CEO	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

गिरीष चंद्र मुरमु Girish Chandra Murmu
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia
आर सबेस्टीयन R Sebastian
संजीव कुमार अरोड़ा Sanjiv Kumar Arora
वेणी थापर Veni Thapar

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता	कृते बी रत्तन एण्ड एसोशिएट्स	कृते जी डी आपटे एण्ड कंपनी
For Grover Lalla & Mehta	For B Rattan & Associates	For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)	(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)	(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)
आलोक गोयल Alok Goyal	भारत रतन Bharat Rattan	सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
(एम. नं. 510529) M. No. 510529	(एम. नं. 090682) M. No. 090682	(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 22 मई, 2017 / Date : 22nd May 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2017

(₹ 000' में / ₹ in 000's)

	विवरण		Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2017 ₹	वर्षान्त Year ended 31-03-2016 ₹
क.	**परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**	A.	**Cash Flow from Operating Activities:**		
	कर के पहले निवल लाभ		**Net Profit before taxes**	**(22,885,038)**	**(79,058,925)**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		**Adjustments for:**		
	निवेशों पर परिशोधन/मूल्यह्रास		Amortisation / Depreciation on Investments	5,647,508	5,825,212
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on Fixed Assets	(72,330)	2,899,643
	आस्तियों की बिक्री पर लाभ		Profit on sale of Assets	(955)	(3,960)
	एनपीए के लिए प्रावधान		Provision for NPA	118,020,514	144,057,488
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Standard Assets	1,546,878	(1,275,492)
	अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Other Assets	(380,354)	(4,982,015)
	गौण बांड्स/आईपीडीआई, अपर टियर II, बांड्स पर ब्याज		Interest on Subordinated Bonds, IPDI. Upper Tier II Bonds	9,665,405	11,873,338
	प्राप्त लाभांश		Dividend received	(339,350)	(166,224)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:		**Adjustments for:**		
	जमाराशियों में बढ़/(घट)		Increase /(Decrease) in Deposits	266,296,348	(187,598,177)
	उधार में बढ़/(घट)		Increase /(Decrease) in Borrowings	(140,684,400)	86,166,046
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/(घट)		Increase / (Decrease)in Other Liabilities and Provisions	(3,484,081)	6,111,909
	निवेश में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Investments	(85,928,787)	511,545
	अग्रिमों में (बढ़)/घट		(Increase)/ Decrease in Advances	(188,289,253)	286,817,126
	अन्य आस्तियों में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Other Assets	(36,888,746)	(85,008,076)
	प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी		Direct Taxes (Paid)/Refund	11,535,862	(3,061,506)
	परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**(66,240,782)**	**183,107,931**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**	B.	**Cash Flow from Investing Activities :**		
	अचल सम्पत्ति की खरीद		Purchase of Fixed Assets	(5,149,718)	(5,392,738)
	अचल सम्पत्ति की बिक्री		Sale of Fixed Assets	2,292,231	429,571
	प्राप्त लाभांश		Dividend received	339,350	166,224
	अनुषंगियों के समेकन का प्रभाव		Impact of consolidation of subsidiaries	(1,022,263)	(590,552)
	अल्प-संख्यक हित		Minority Interest	(170,153)	(699,380)
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**(3,710,555)**	**(6,086,875)**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**	C.	**Cash Flow from Financing Activities:**		
	शेयर पूंजी		Equity Share Capital	2,381,426	1,516,440
	शेयर प्रीमियम		Share Premium	23,996,977	26,074,760
	शेयर आवेदन रकम		Share Application Money	4,182,695	13,036,480
	आईपीडीआई, गौण बांड तथा अपर टियर II बांड (निवल)		IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	24,565,850	23,879,806
	लाभांश भुगतान		Dividend paid	–	(3,997,188)
	आईपीडीआई, गौण बांड अप्पर टियर ष्ठ बांड पर ब्याज भुगतान		Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(15,575,705)	(11,873,338)
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**39,551,244**	**48,636,960**
	नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)		**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)**	**(30,400,093)**	**225,658,016**
	1 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य का आरंभिक शेष		**Opening Cash and Cash Equivalents as at April 1**	**995,047,182**	**769,389,166**
	31 मार्च को नकदी एवं नकदी समतुल्य		**Cash and Cash Equivalents as at March 31**	**964,647,089**	**995,047,182**

जी पद्मनाभन	दीनबन्धु मोहापात्रा	आर ए शंकर नारायणन	एन. दामोदरन	ए. के. दास	शंकर अय्यर
G Padmanabhan	**Dinabandhu Mohapatra**	**R A Sankara Narayanan**	**N. Damodharan**	**A. K. Das**	**Shanker Iyer**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairman	Managing Director & CEO	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

गिरीष चंद्र मुर्मू Girish Chandra Murmu
नीरज भाटिया Neeraj Bhatia
आर सेबास्टियन R Sebastian
संजीव कुमार अरोड़ा Sanjiv Kumar Arora
वेणी थापर Veni Thapar

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते ग्रोवर लल्ला एण्ड मेहता	कृते बी रत्तन एण्ड एसोशिएट्स	कृते जी डी आप्टे एण्ड कंपनी
For Grover Lalla & Mehta	For B Rattan & Associates	For G D Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830 एन) (FRN 002830N)	(एफआरएन 011798 एन) (FRN 011798N)	(एफआरएन 100515 डब्ल्यू) (FRN 100515W)
आलोक गोयल Alok Goyal	भारत रत्तन Bharat Rattan	सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
(एम. नं. 510529) M. No. 510529	(एम. नं. 090682) M. No. 090682	(एम. क्र. 121546) M. No. 121546

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 22 मई, 2017 / Date : 22nd May 2017

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2017 ₹	पर यथा As at 31-03-2016 ₹
अनुसूचि - 1 : पूँजी	SCHEDULE- 1 : CAPITAL		
प्राधिकृत	**AUTHORISED**		
300,00,00,000 (पिछले वर्ष 300,00,00,000) ₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	300,00,00,000 (Previous year 300,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10 each	**30,000,000**	**30,000,000**
जारी एवं अभिदत्त	**ISSUED AND SUBSCRIBED**		
पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 105,58,72,204 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 81,77,29,564)	105,58,72,204 Equity Shares (Previous year ended 81,77,29,564) of ₹ 10 each	10,558,722	8,177,296
कुल	**TOTAL**	**10,558,722**	**8,177,296**
प्रदत्त पूँजी	**PAID-UP CAPITAL**		
पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 105,46,95,104 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 81,65,52,464)	105,46,95,104 Equity Shares (Previous year ended 81,65,52,464) of ₹ 10 each fully paid-up.	10,546,951	8,165,525
जोडें : जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7,391	7,391
कुल	**TOTAL***	**10,554,342**	**8,172,916**
* उपरोक्त में से केन्द्र सरकार द्वारा धारित ₹ 777.51 करोड़ (पिछले वर्ष की समाप्ति पर ₹ 555.37 करोड़) की पूर्णत: प्रदत्त ₹ 10 प्रत्येक के 77,75,14,808 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर	* Of the above, 77,75,14,808 Equity Shares (Previous year ended 55,53,72,168) of ₹ 10 each fully paid up amounting to ₹ 777.51 crores (Previous year ended ₹ 555.37 crores) held by Central Government		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षितियां :	**I. Statutory Reserve :**		
आरंभिक शेष	Opening Balance	70,868,842	70,868,842
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	150,391	0
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**71,019,233**	**70,868,842**
II. पूँजी आरक्षितियां :	**II. Capital Reserves :**		
ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve:		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	60,067,630	35,551,465
जोड: परिसर के पुनर्मूल्यांकन पर वर्ष के दौरान जोड़े गए	Add : Additions during the year on revaluation of premises	(16,389,870)	29,007,004
घटाएं : संपत्ति का पुनर्मुल्यांकन	Less: Revaluation of Property	259,372	154,114
घटाएं : पुनर्मुल्यांकन के कारण मूल्यह्रास/समायोजन	Less: Depreciation / adjustments on account of revaluation	(14,019,417)	4,336,725
(ए) का कुल	**Total of (A)**	**57,437,804**	**60,067,630**
बी) अन्य	B) Others:		
i) पूंजी मोचन आरक्षिति	i) Capital Redemption Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	0	0
जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add /Less: Additions/deductions	5,000	0
(i) का उप-जोड	Sub-total of (i)	**5,000**	**0**
ii) निवेशों की बिक्री पर लाभ ''परिपक्वता तक धारित''	ii) Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	11,284,165	9,689,485
जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	7,498,473	1,594,680
(ii) का उप-जोड	Sub-total of (ii)	**18,782,638**	**11,284,165**
iii) समेकन पर पूजी आरक्षिति	iii) Capital Reserve on Consolidation		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	294,736	230,849
जोडें : वर्ष के दौरान समायोजन	Add: Adjustment during the year	(26,472)	63,887
(iii) का उप-जोड	Sub-total of (iii)	**268,264**	**294,736**
iv) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति	iv) Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	17,498,968	12,582,789
जोडें/ (घटाएं) :वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Adjustments during the year (Net)	(3,496,483)	4,916,179
(iv) का उप-जोड	Sub-total of (iv)	**14,002,485**	**17,498,969**
v) विशेष आरक्षिति - मुद्रा स्वैप	v) Special Reserve - Currency Swaps		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	0	0
जोडें/(घटाएं): वर्ष के दौरान कटौती (iv) का उप-जोड	Add/(Less):Deductions during the year	0	0
(v) का उप-जोड	Sub-total of (v)	**0**	**0**
जोड (बी)	**Total of (B)**	**33,058,387**	**29,077,869**
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**90,496,191**	**89,145,499**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2017 ₹	पर यथा As at 31-03-2016 ₹
अनुसूची - 2 : अरक्षितियां एवं अधिशेष (जारी)	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)**		
III. शेयर प्रिमियम :	**III. Share Premium :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	88,933,771	62,859,011
वर्ष के दौरान परिवर्धन (इक्विटी का अधिमानी निर्गम)	Additions during the year (Preferential Issue of Equity)	26,328,696	26,074,760
जोडें : विलोपित जब्त शेयर	Add: On forfeited shares annulled	0	0
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**115,262,467**	**88,933,771**
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :	**IV. Revenue and Other Reserves :**		
i) राजस्व आरक्षिति:	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	105,252,611	105,089,534
जोडें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Excess Provision for dividend written back	0	475
जोडें/ (घटाएं): समायोजन	Add / (Less): Adjustments	(9,358,526)	162,601
(i) का जोड	Total of (i)	**95,894,085**	**105,252,609**
ii) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	ii) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	21,700,000	21,700,000
जोडें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	0	0
(ii) का कुल	Total of (ii)	**21,700,000**	**21,700,000**
जोड (IV)	**TOTAL (IV)**	**117,594,085**	**126,952,609**
V. समेकित लाभ-हानि खाते में शेष	**V. Balance in Consolidated Profit and Loss Account**	**(85,852,891)**	**(63,653,488)**
जोड (I से V)	**TOTAL (I TO V)**	**308,519,084**	**312,247,233**
अनुसूची - 2ए : अल्पसंख्यक हित	**SCHEDULE - 2A : MINORITIES INTEREST**		
उस तारीख को अल्पसंख्यक हित जब मूल कंपनी - सहायक कंपनी संबंध अस्तित्व में आए परवर्ती वृद्धि/(कमी)	Minority interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	471,356	492,523
तदनुरुप वृद्धि/(कमी)	Subsequent increase / (decrease)	338,453	487,439
तुलन-पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित	Minority interest on the date of Balance Sheet	**809,809**	**979,962**
अनुसूची - 3 : जमाराशियां	**SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**		
ए. I. माँग जमाराशियाँ :	**A. I. Demand Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	9,778,004	5,687,194
ii) अन्य से	ii) From Others	275,762,910	230,778,231
जोड (I)	**TOTAL (I)**	**285,540,914**	**236,465,425**
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	**II. Savings Bank Deposits**	**1,440,573,363**	**1,093,596,239**
III. मीयादी जमाराशियाँ:	**III. Term Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	564,136,821	696,470,479
ii) अन्य से	ii) From Others	3,133,270,050	3,130,692,658
जोड (III)	**TOTAL (III)**	**3,697,406,871**	**3,827,163,136**
जोड ए (I to III)	**TOTAL A (I to III)**	**5,423,521,148**	**5,157,224,800**
बी. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	B) i) Deposits of branches in India	4,234,162,252	3,772,630,091
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियाँ	ii) Deposits of branches outside India	1,189,358,896	1,384,594,710
जोड (बी)	**TOTAL (B)**	**5,423,521,148**	**5,157,224,800**
अनुसूची - 4 : उधार	**SCHEDULE - 4 : BORROWINGS**		
I. भारत में उधार:	**I. Borrowings in India:**		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i. Reserve Bank of India	0	97,550,000
ii) अन्य बैंक	ii. Other Banks		
क. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	6,802,000	6,712,000
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	640,000	730,000
घ. अन्य	c. Others	0	24,803,580
जोड (ii)	**Total (ii)**	**7,442,000**	**32,245,580**

समेकित तुलन पुत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2017 ₹	पर यथा As at 31-03-2016 ₹
अनुसूची - 4 : उधार (जारी)	**SCHEDULE - 4 : BORROWINGS (contd.)**		
iii) **अन्य संस्थाएं और एजेन्सियां**	III) **Other Institutions and Agencies**		
क. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	59,998,000	35,088,000
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	104,360,000	88,590,000
घ. अन्य	c. Others	52,523,479	6,061,022
जोड (ii)	**Total (iii)**	**216,881,479**	**129,739,022**
जोड (I)	**Total (I)**	**224,323,479**	**259,534,602**
II. भारत के बाहर से उधार	**II. Borrowings outside India**		
क. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	5,518,588	5,661,873
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	0	15,970,865
घ. अन्य	c. Others	165,072,102	229,865,379
जोड (II)	**Total (II)**	**170,590,690**	**251,498,117**
जोड (I एवं II)	**Total (I & II)**	**394,914,169**	**511,032,719**
ऊपर सम्मिलित प्रतिभूति उधार	Secured borrowings included in above	0	**97,550,000**
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	**SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I. देय बिल	I. Bills Payable	14,432,960	11,632,245
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	0	0
III. उपार्जित ब्याज	III. Interest Accrued	24,090,422	22,888,201
VI. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax liability	943	9,031
VII. अन्य	V. Others	126,197,455	129,068,761
जोड	**TOTAL**	**164,721,781**	**163,598,237**
अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	**SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I. हाथ में नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित)	I. **Cash in hand** (including foreign currency notes & Gold)	20,284,473	26,507,627
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष:	II. **Balances with Reserve Bank of India : ***		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	255,131,987	315,304,346
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	27,892	325,244
जोड (II)	TOTAL (II)	**255,159,879**	**315,629,590**
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**275,444,352**	**342,137,217**
*** भारत के बाहर केन्द्रीय बैंकों में शेष सहित**	* Including balances with Central Banks outside India		
अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि	**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**		
I. भारत में :	**I. In India :**		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with Banks		
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	1,457,091	2,014,117
ख) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	17,778,491	36,348,666
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	ii) Money at call and short notice		
क) बैंकों में	a) With Banks	0	0
ख) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	195,000,000	60,000,000
जोड (I)	**TOTAL (I)**	**214,235,582**	**98,362,783**
II. भारत के बाहर :	**II. Outside India :**		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	4,050,008	6,150,697
ii) अन्य जमाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	301,328,009	389,936,310
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	iii) Money at call and short notice	169,589,139	158,460,175
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**474,967,155**	**554,547,182**
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**689,202,737**	**652,909,965**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2017 ₹	पर यथा As at 31-03-2016 ₹
अनुसूची - 8 : निवेश	**SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS**		
I. भारत में निवेश:	**I. Investments in India :**		
i) सरकारी प्रतिभूति	i) Government Securities	1,121,413,414	1,044,618,276
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	987,503	1,981,616
iii) शेयर	iii) Shares	20,952,272	16,658,310
iv) डिबेंचर एवं बंधपत्र	iv) Debentures and Bonds	66,093,979	60,148,379
v) सहायक कंपनियों में निवेश	v) Investment in Associates	13,665,247	12,713,686
vi) अन्य	vi) Others	31,956,366	34,954,777
जोड (I)	**TOTAL (I)**	**1,255,068,782**	**1,171,075,044**
II. भारत के बाहर निवेश:	**II. Investments outside India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	25,237,495	47,423,960
ii) डिबेंचर एवं बंधपत्र	ii) Debentures & Bonds	0	0
iii) सहायक कंपनियों में निवेश	iii) Investment in Associates	1,217,007	1,146,304
iv) अन्य	iv) Others	25,989,346	6,563,778
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**52,443,847**	**55,134,042**
TOTAL (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**1,307,512,629**	**1,226,209,086**
III. भारत में निवेश :	**III. Investments in India :**		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	1,265,063,333	1,179,722,481
ii) मूल्यह्रास हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	9,994,551	8,647,437
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	**1,255,068,782**	**1,171,075,044**
IV भारत के बाहर निवेश:	**IV. Investments outside India :**		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	57,823,863	61,081,660
ii) मूल्यह्रास हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	5,380,016	5,947,618
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	**52,443,847**	**55,134,042**
TOTAL (III & IV)	**TOTAL (III & IV)**	**1,307,512,629**	**1,226,207,086**
अनुसूची - 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
ए. i) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	547,777,803	507,188,765
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,490,005,570	1,456,548,519
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	1,645,504,274	1,649,281,624
कुल (ए)	**TOTAL (A)**	**3,683,287,647**	**3,613,018,908**
बी. अग्रिम का विवरण	**B. Particulars of Advances :**		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के निमित्त अग्रिम शामिल है)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	2,369,112,188	2,477,587,443
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	628,398,738	564,085,027
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	685,776,721	571,346,438
जोड (बी)	**TOTAL (B)**	**3,683,287,647**	**3,613,018,908**
सी. अग्रिमों का क्षेत्रववार वर्गीकरण	**C. Sectoral Classification of Advances :**		
I. भारत में अग्रिम	**I. Advances in India**		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	954,638,291	918,603,215
घटाएं : अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (निवल)	Less: Inter-Bank Participation Certificates (Net)	0	0
निवल	Net	954,638,291	918,603,215
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	307,667,025	321,043,951
iii) बैंक	iii) Banks	23,105,999	1,514,066
iv) अन्य	iv) Others	1,339,740,852	1,247,842,568
कुल (i,ii,iii,iv)	Total (i,ii,iii,iv)	**2,625,152,168**	**2,489,003,800**
जोडे/ (घटाए): अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (निवल)	Add / (Less) : Inter-Bank Participation Certificates (Net)	**0**	0
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**2,625,152,168**	**2,489,003,800**
II. भारत के बाहर अग्रिम	**II Advances outside India :**		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	434,310,123	354,336,519
II) अन्यों से देय	II) Due from others		
क) क्रीत बिल और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	19,566,146	101,507,766
ख) समूहनकृत ऋण	b) Syndicated Loans	218,109,206	187,682,606
ग) अन्य	c) Others	386,150,004	480,488,217
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**1,058,135,479**	**1,124,015,108**
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**3,683,287,647**	**3,613,018,908**

समेकित तुलन पुत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2017 ₹	पर यथा As at 31-03-2016 ₹
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS**		
I. परिसर :	**I. PREMISES :**		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	16,336,193	14,976,210
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions /Adjustments during the year	778,808	1,368,251
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	130,724	8,268
उप-जोड	Sub-total	16,984,278	16,336,193
पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किए गए पुनर्मूल्यन के कारण इस तारीख तक जोड	Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	58,836,015	76,065,902
घटाएं : इस तारीख को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन के कारण ₹ 19477268 सहित - पिछले वर्ष में ₹ 15997646)	Less : Depreciation to date (including ₹ 19477268 on account of revaluation - Previous year ₹ 15997646)	5,086,632	20,396,343
जोड (I)	**TOTAL (I)**	**70,733,660**	**72,005,752**
II. अन्य अचल आस्तियां	**II. OTHER FIXED ASSETS :**		
(फर्निचर एवं फिक्स्चर सम्मिलित है)	(including Furniture and Fixtures)		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	29,103,374	26,406,733
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions /Adjustments during the year	4,315,420	3,239,819
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	2,687,347	543,178
उप-जोड	Sub-total	30,731,447	29,103,374
घटाएं: इस तारीख को मूल्यह्रास	Less: Depreciation to date	17,973,948	17,291,753
जोड (II)	TOTAL (II)	**12,757,499**	**11,811,621**
III. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	**III. CAPITAL WORK IN PROGRESS**	**1,966,622**	**1,911,132**
जोड (I से III)	**TOTAL (I to III)**	**85,457,781**	**85,728,505**
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	**SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS**		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	I. Inter Office Adjustment (Net)	31,090,635	21,805,737
II. उपचित ब्याज	II. Interest Accrued	27,550,967	26,895,793
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटे गए कर (निवल)	III. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net)	9,455,292	39,631,847
IV. लेखन सामग्री और स्टैम्प	IV. Stationery and Stamps	50,564	45,407
V. आस्थगित कर आस्तियां	V. Deferred Tax Assets	54,172,137	27,818,631
VI. अन्य	VI. Others	157,034,767	130,091,251
जोड	**TOTAL**	**279,354,363**	**246,288,666**
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**		
I. बैंक के विरुद्ध दावें जिन्हे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	11,278,319	11,351,207
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	II. Liability for partly paid Investments	382,408	564,701
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	2,825,216,536	2,672,463,649
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
क) भारत में	a. In India	207,526,315	207,067,359
ख) भारत के बाहर	b. Outside India	211,397,760	139,961,685
V. स्वीकार, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व	V. Acceptances, endorsements and other obligations	195,568,900	222,358,896
VI. ब्याज दर स्वैप	VI. Interest Rate Swaps	141,706,565	283,574,642
VII. अन्य मदे जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	6,397,422	3,856,375
जोड	**TOTAL**	**3,599,474,225**	**3,541,198,515**

समेकित तुलन पुत्र की लाभ एवं हानि खाता
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2017 ₹	समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2016 ₹
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश	**SCHEDULE - 13 : INTEREST AND DIVIDENDS EARNED**		
I. अग्रिमों/बिल पर ब्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	273,927,664	305,826,699
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	91,316,053	89,761,413
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के शेषों पर ब्याज	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	20,299,324	21,792,233
IV. अन्य	IV. Others	10,309,292	3,548,090
जोड	**TOTAL**	**395,852,334**	**420,928,434**
अनुसूची - 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	13,377,399	14,150,729
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	II. Profit on sale of Investments	33,036,993	7,549,292
घटाएं : निवेशों के विक्रय पर नुकसान	Less : Loss on sale of investment.	0	0
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	III. Profit on sale of land, buildings and other assets	955	3,960
घटाएं : अचल आस्तियों के विक्रय पर नुकसान	Less : Loss on sale of fixed assets	0	0
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ - निवल	IV. Profit on exchange transactions - net	11,824,838	6,700,553
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर नुकसान	Less : Loss on exchange transaction	0	0
V. सहायक कंपनियों/कंपनियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V. Income Earned by way of dividend etc. on subsidiaries/companies and /or/ joint ventures	339,350	166,224
VI. विविध आय	VI. Miscellaneous Income	9,614,968	8,145,378
जोड	**TOTAL**	**68,194,503**	**36,716,135**
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**		
I. जमाराशियों पर ब्याज	I. Interest on Deposits	245,658,907	270,978,231
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक बैंक उधारों ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	20,094,273	19,207,901
III. गौण ऋणों, आईआरएस इत्यादि पर ब्याज	III. Interest on Subordinated Debts, IRS etc.	10,304,294	12,267,037
जोड	**TOTAL**	**276,057,473**	**302,453,169**
अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय	**SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES**		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	54,490,587	54,035,901
II. किराया, कर एवं बिजली	II. Rent, Taxes and Lighting	6,793,080	6,570,140
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	III. Printing and Stationery	809,669	779,307
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	451,789	419,881
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन आरक्षितियों पर निवल मूल्यह्रास)	V. Depreciation on Bank's property (Net of Depreciation on Revaluation Reserve)	(72,330)	2,899,643
VI. निदेशकों की फीस, और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	33,419	30,861
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय)	VII. Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors' Fees & Expenses)	910,164	682,731
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	378,443	265,942
IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	1,282,398	1,027,318
X. मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance	663,949	644,200
XI. बीमा	XI. Insurance	4,264,060	3,722,014
XII. अन्य खर्च	XII. Other Expenditure	19,744,320	23,172,197
जोड	**TOTAL**	**89,749,548**	**94,250,134**
अनुसूची - 16 A : सहयोगी कंपनी में उपार्जन/ हानि का अंश	**SCHEDULE - 16 A : SHARE OF EARNINGS / LOSSES IN ASSOCIATES**		
I. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	I. Regional Rural Banks (RRBs)	482,346	387,685
II. अन्य	II. Others	539,917	202,866
जोड	**TOTAL**	**1,022,263**	**590,551**

कार्यसूची 17 :

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (समेकित वित्तीय विवरणियां)

1. लेखांकन परिपाटी :

वर्तमान के ध्यातव्य सिद्धान्त तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व के लागत के आधार पर संलग्न समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है जो वस्तुत: 'सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों' (जीएएपी) के सभी पक्षों का पालन करते हैं। इसके साथ-साथ ये लागू विधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्धारित विनियामक नियमों, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण(आईआरडीएआई), कंपनी अधिनियम 2013, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी निदेशों, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाओं को भी शामिल करते हैं। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है, यदि इन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

प्रबंधन के लिए वित्तीय विवरणी की तैयारी के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरण की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किये गये आकलन उचित तथा तार्किक हैं। तथापि वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्य में उल्लिखित किया जाता है।

2. समेकन का आधार

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किये गये है:-

1) बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) एवं उसकी अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियाँ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीआई) द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक (एएस) 21 के अनुसार तैयार किये गये हैं। ऐसा पंक्ति दर पंक्ति आधार पर किया जाता है तथा इसमें आस्ति, देयताएं, आय तथा आंतर समूह संव्यवहार हटाकर व्यय, शेष राशि, उगाही रहित लाभ/हानि को जोड़ा जाता है तथा एकरूप लेखांकन का पालन करने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण प्रकृति का आवश्यक समायोजन किया जाता है।

2) अनुषगियों में मूल बैंक के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में मूल बैंक के शेयर को गुडविल/आरक्षित पूँजी के रूप में मान्यता दी जाती है। निर्धारित होने के तुरंत बाद यदि कुछ गुडविल हो तो उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

3) समेकित वित्तीय विवरणी में अल्प संख्यक हित अनुषगियों की निवल इक्विटी में अल्प संख्यक शेयरधारकों के शेयर के रूप में है।

4) सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 23 समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक कम्पनियों में निवेश का लेखांकन के अनुसार इक्विटी पद्धति से किया जाता है।

5) संयुक्त उद्यमों में निवेशों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 27 संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार आनुपातिक आधार पर की जाती है।

SCHEDULE 17:

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1) ACCOUNTING CONVENTION:

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Companies Act 2013, Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevailing in India. In respect of foreign offices/ branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

2) BASIS OF CONSOLIDATION:

Consolidated financial statements of the group have been prepared on the basis of:

1. The financial statements of Bank of India (the Parent bank) and its subsidiaries in accordance with Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/loss and making necessary adjustments of material nature wherever required to conform to uniform accounting.

2. The difference between cost to the parent bank of its investment in the subsidiaries and Parent bank's share in the equity of the subsidiaries is recognised as goodwill/ capital reserve. Goodwill, if any, is written off immediately on its recognition.

3. Minority interest in the Consolidated Financial Statement consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.

4. Accounting for Investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by ICAI.

5. Accounting for Investments in Joint Venture are consolidated on "Proportionate basis" as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by ICAI.

3. आय निर्धारण:

3.1 बैंकिंग निकाय

क. आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है, यदि अन्यथा न उल्लिखित हो। विदेशी कार्यालयों के संबंध में संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय निर्धारित की जाती है।

ख. रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आय का निर्धारण समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है, परन्तु अनर्जक आस्तियों तथा एसडीआर/एस4ए के अंतर्गत कवर किये गये खातों में वसूली के बाद ही ऐसा किया जाता है।

ग. बैंक गारंटी तथा साख पत्र जारी करने पर कमीशन का निर्धारण बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।

घ. अन्य सभी कमीशन एवं विनिमय, ब्रोकरेज, फीस तथा अन्य शुल्कों की उगाही होने पर आय के रूप में उनका निर्धारण होता है।

ड़. ''परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अतिरिक्त) जिसे उसके अंकित मूल्य पर प्राप्त छूट के बाद खरीदा गया था, उस पर निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जाती है:-

i. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर केवल बिक्री/मोचन के समय ही इसका निर्धारण किया जाता है।

ii. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों में स्थिर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि पर इसका लेखांकन किया जाता है।

घ. निवेशों की बिक्री में हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री के मामले में करों तथा सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण करने हेतु आवश्यक राशि छोड़कर, इसके बराबर की राशि "आरक्षित पूँजी खाते" में विनियोजित की जाती है।

च. जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तब लाभांश को आय के रूप पहचाना जाता है।

ज. निर्धारण आदेश जारी होने के वर्ष में आयकर वापसी पर ब्याज, आय के रूप में पहचाना जाता है।

झ. एन.पी.ए. खातों से वसूली के मामलों में सर्वप्रथम अप्राप्त ब्याज/उधारकर्ताओं के खाते से नामे आय के मद में विनियोजन किया जाता है, उसके बाद व्यय/जेब से किये गये खर्चे, तत्पश्चात् मूलधन का बकाया तथा अंत में अप्रभारित ब्याज के मद में विनियोजन किया जाता है।

3.2 गैर बैंकिंग निकाय :

बीमा

क) प्रीमियम आय :

प्राप्य होने पर असम्बद्ध व्यवसाय के लिए राइडर प्रीमियम सहित प्रीमियम आय के रूप में निर्धारित की जाती है। सहायक इकाइयों के सृजित होने पर सम्बद्ध व्यवसाय के लिए प्रीमियम निर्धारित किया जाता है। सेवाकर काटकर प्रीमियम निर्धारित किया जाता है। व्यपगत पॉलिसी पर प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है, जब वैसी पॉलिसियाँ पुन: आरंभ की जाती हैं।

टॉप-अप प्रीमियम को एक प्रीमियम माना जाता है तथा सहायक इकाइयाँ सृजित करने पर उन्हें मान्य किया जाता है।

3) REVENUE RECOGNITION:

3.1 Banking entities:

(a) Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, Income/ Expenditure is recognised as per local laws/ standards of host country.

(b) Interest income is recognised on time proportion basis except interest on Non-performing Assets and accounts covered under SDR/S4A, which is recognised on realisation, in terms of the RBI guidelines.

(c) Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is recognised over the tenure of BG/LC.

(d) All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

(e) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

i. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

ii. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

(f) Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. As per RBI guidelines, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount, net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves, is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

(g) Dividend is recognised when the right to receive the dividend is established.

(h) Interest on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

(i) The recoveries made from NPA accounts are appropriated first towards unrealised interest/income debited to borrowers accounts, expenditure/out of pocket expenses incurred, then principal dues and lastly towards uncharged interest.

3.2 Non Banking entities:

Insurance

a) Premium Income:

Premium including rider premium for non-linked business is recognised as income when due. Premium for linked business is recognised when the associates units are created. Premium is recognised net of service tax. Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Top up premium is considered as single premium and recognised as income when associated units are created.

ख) परिशोधित आय/लागत

असम्बद्ध निवेशों से संबंधित कर्ज प्रतिभूति/निश्चित आय प्रतिभूति के संबंध में अधिग्रहण पर प्रीमियम या डिस्काउन्ट, जैसा भी मामला हो, परिपक्वता/धारित की अवधि पर सीधी रेखा आधार पर परिशोधित की जाती है और ब्याज आय के निमित्त समायोजित की जाती है।

ग) सम्बद्ध निधियों से आय

पॉलिसी की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सम्बद्ध निधियों से निधि प्रबंधन शुल्क, पॉलिसी प्रशासनिक शुल्क, मॉर्टेलिटी शुल्क आदि सहित सम्बद्ध निधियों से आय तथा जब वसूली जाती है तब निर्धारित की जाती है।

घ) सम्बद्ध कारोबार हेतु ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि)

व्यय को छोड़कर बिक्री तथा बही लागत का अंतर सम्बद्ध व्यवसाय के लिए कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) है। इसे बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर परिकलित किया जाता है।

ड़) असम्बद्ध कारोबार हेतु ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि)

व्यय को छोड़कर बिक्री तथा परिशोधन लागत का अंतर असम्बद्ध व्यवसाय के लिए कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) है। इसे बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर परिकलित किया जाता है।

च) इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ/हानि

व्यय को छोड़कर बिक्री तथा बही लागत का अंतर इक्विटी शेयर/ म्यूचुअल फंड यूनिट की बिक्री पर लाभ/(हानि) है।

असम्बद्ध व्यवसाय के मामले में "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" के अंतर्गत पूर्व में निर्धारित उचित मूल्य में जमा हुए परिवर्तन लाभ/(हानि) में शामिल हैं।

परन्तु जहाँ अंतिम संग्रहणीयता में उचित संभाव्यता की कमी हो, वहाँ आय का निर्धारण स्थगित रखा जाता है।

छ) असम्बद्ध कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ/(हानि)

सम्बद्ध कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ और हानि संबंधित निधि के राजस्व खाते में निर्धारित किये जाते हैं।

ज) उधार पर प्रतिभूति लेने और देने से आय

उधार पर प्रतिभूति लेने और देने (एसएलबी) की व्यवस्था के अंतर्गत इक्विटी शेयर को देने पर प्राप्त फीस को उस अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है तथा इसे ब्याज आय के साथ जोड़ा जाता है।

झ) पुनर्बीमा प्रीमियम

पुनर्बीमा करने वाले के साथ प्रासंगिक समझौतों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय दिये गये पुनर्बीमा प्रीमियम को लेखांकित किया जाता है। पुनर्बीमा पर दिये गये प्रीमियम

b) Amortised Income/Cost:

Premium or discount on acquisition, as the case may be, in respect of debt securities/fixed income securities, pertaining to non-linked investments is amortized on straight line basis over the period of maturity/holding and adjusted against interest income.

c) Income from linked funds:

Income from linked funds which includes fund management charges, policy administrative charges, mortality charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policy and recognised when recovered.

d) Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Linked Business:

Realized gain/(loss) on debt securities for linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the book cost, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale.

e) Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Non-Linked Business

Realized gain/(loss) on debt securities for other than linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

f) Profit/ (Loss) on sale of Equity Shares/Mutual Fund:

Profit/(Loss) on sale of equity shares/mutual fund units is the difference between the sale consideration net of expenses & the book cost computed on weighted average basis as on the date of sale.

In respect of non linked business the Profit/(Loss) includes the accumulated changes in the fair value previously recognized under "Fair Value Change Account".

However, revenue recognition is postponed where ultimate collectability lacks reasonable certainty.

g) Unrealized Gain/ (Loss) for Linked Business:

Unrealized gains and losses for Linked Business are recognized in the respective fund's revenue account.

h) Income from Security Lending and Borrowing:

Fees received on lending of equity shares under Securities Lending and Borrowing (SLB) mechanism is amortized on a straight-line basis over the period of lending and clubbed with the interest income.

i) Reinsurance Premium:

Reinsurance Premium ceded is accounted for at the time of recognition of premium income

के विरुद्ध पुनर्बीमा पर दिये गये लाभ कमीशन को घटा दिया जाता है।

ञ) भुगतान किये गये लाभ (दावों सहित)

भुगतान किए गए लाभ में पॉलिसी लाभ तथा दावा निपटान लागत, यदि कुछ हो तो, शामिल है।

सूचना की प्राप्ति पर, मृत्यु, राइडर तथा अभ्यर्पण दावे लेखाकृत किये जाते हैं। सम्बद्ध व्यवसाय के अंतर्गत सरेन्डर में व्ययगत पॉलिसियों पर भुगतान योग्य राशि भी शामिल है जो लॉक इन अवधि की समाप्ति पर लेखांकित की जाती है। लॉक इन अवधि के समाप्ति के बाद पॉलिसी को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। सकल प्रभार पर सरेंडर और समाप्ति को लेखाकृत किया जाता है।

देय होने पर उत्तरजीविता, परिपक्वता तथा वार्षिक लाभ के दावे लेखांकित होते हैं। जिस अवधि में संबंधित दावों का निपटान किया जाता है, उसी में पुनर्बीमा वसूलियों का लेखांकन किया जाता है। न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष विवादित अनिराकृत एवं अन्य मामले आकस्तिक देयताओं के अंतर्गत प्रदर्शित किये जाते हैं।

ट) अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो मुख्य रूप से बीमा संविदा के अधिग्रहण से संबंधित होता है तथा जिस अवधि में इसका खर्च किया जाता है उसी अवधि में रखा जाता है। प्रथम वर्ष में भुगतान किय गये कमीशन के लिए, भविष्य में वापसी, यदि कुछ हो तो, उसी वर्ष में लेखांकित की जाती है, जिस वर्ष में वह प्राप्त की गयी थी।

ठ) जीवन बीमाओं के लिए देयता :

वर्तमान पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए मूल्यांकन कवायद की जाती है। सलाभ नीतियों के लिए पॉलिसीधारकों की यथोचित अपेक्षाओं (पीआरई) पर भी विचार होता है। भविष्य की विभिन्न परिस्थितियों में सभी पॉलिसीधारकों को लाभ देने के लिए पर्याप्त आरक्षितियाँ होनी चाहिए। प्रतिकूल विचलन के लिए मार्जिन (एमएडी) का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी संभावित विपरीत परिस्थितियों में भी पॉलिसीधारक के हित की रक्षा सुनिश्चित की जाय।

लागू पॉलिसियों के लिए बीमांकित देयता प्रीमियम पद्धति से तथा समूह व्यवसाय (क्रेडिट लाइफ व्यवसाय तथा रिवर्स बंधक ऋण सक्षम वार्षिकी को छोड़कर जहां सकल प्रीमियम पद्धति का प्रयोग होता है) के मामले में अनर्जित प्रीमियम रिवर्स पद्धति से बीमांकित देयता परिगणित होती है। सम्बद्ध देयताओं में यूनिट देयता तथा गैर-यूनिट देयता शामिल है। यूनिट देयता पॉलिसी का निधि मूल्य प्रदर्शित करती है तथा गैर-यूनिट देयता बीमा दावा व्यय आदि के लिए है। मूल्यांकन के लिए शासित मुख्य दिशा-निर्देश हैं - बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीए अधिनियम 1999, आईआरडीए (बीमांकिक रिपोर्ट एवं जीवन बीमा व्यवसाय के लिए सारांश) विनियम, 2016, आईआरडीएआई जीवन बीमा व्यवसाय के लिए (आस्तियां, देयताएं तथा शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम 2016, भारतीय बीमांकिक संगठन द्वारा जारी बीमांकिक व्यवसाय मानक तथा मार्गदर्शन नोट्स एवं आईआरडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र।

in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

j) Benefits paid (including claims):

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Under linked business, surrender also included amount payable on lapsed policies which are accounted for on expiry of lock in period, which is the period after which, policy cannot be revived. Surrenders and terminations are accounted at gross of charges.

Survival, maturity and annuity benefit claims are accounted for when due.

Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as that of the related claims.

Repudiated and other claims disputed before judicial authorities are shown under contingent liability.

k) Acquisition Costs

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

Claw back in future, if any, for the first year commission paid, is accounted for in the year in which it is recovered.

l) Liability for life policies:

The valuation exercise is done to protect the interests of the existing policyholders. For With Profit policies the reasonable expectations of policyholders (PRE) are also considered. The reserves should be adequate to provide for all the policyholders benefits in various future scenarios. Adequate use of Margin for Adverse Deviation (MAD) is made to ensure that policyholders' benefits are protected even in some plausible adverse scenarios.

Actuarial liability for in-force policies and for those in respect of which premium method and in case of group business (except for Credit Life Business and Reverse Mortgage Loan Enabled Annuity where gross premium method is used), the actuarial liabilities have been calculated on the basis of Unearned Premium Reserve method. Linked liabilities comprise unit liability representing the fund value of policies and non-unit liability for meeting insurance claims, expenses etc. The main governing guidelines considered for valuation are Insurance Act 1938, IRDA Act 1999, IRDA (Actuarial Report & Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016, IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations 2016, Actuarial Practice Standards and Guidance notes issued by Institute of Actuaries of India, Circulars issued by IRDAI from time to time.

ड) ऋण

बही मूल्य (चुकौतियों को हटाकर) तथा पूँजीगत ब्याज का समायोजन कर पॉलिसी के बदले ऋण का मूल्यांकन किया जाता है तथा यह किसी भी कमी के अधीन है।

ढ) भविष्य में विनियोजन के लिए निधि

भविष्य में विनियोजनों के लिए शेष राशि ऐसी निधि को प्रदर्शित करती है जो तुलन पत्र तारीख को पॉलिसीधारकों या शेयरधारकों को आबंटित नहीं की गयी है। निधि में अंतरण तथा निधि से अंतरण अधिकता या व्यय से कम आय तथा कंपनी के पॉलिसीधारक की निधि से प्रत्येक लेखांकन अवधि में निकलने वाले विनियोजन को प्रदर्शित करता है। सहभागिता करने वाली पॉलिसियों के संबंध में पॉ लिसीधारक को कोई भी आबंटन आवश्यक अनुपात में शेयरधारक को भी अंतरण आवश्यक करेगा।

गैर-सहभागिता वाले समूह वार्षिकी उत्पादों के संबंध में, प्रतिफल की अधिकता, फाइल तथा प्रयोग में परिभाषित, यदि हो, तो उसे वर्ष के दौरान अंतरिम वित्तीय अवधि में भविष्य के विनियोजन के लिए निधि माना जाता है तथा उक्त को वर्ष के अंत में फाइल में निर्दिष्ट अनुपात में पॉलिसीधारक तथा शेयरधारक के मध्य बाँटा जायेगा।

ण) बंद पॉलिसी निधि : बंद पॉलिसी निधि का अर्थ है पृथक् निधि जिसे निम्नलिखित कारणों से अलग रखा गया है:

क) अनुबंधित प्रीमियम का भुगतान न करना।

ख) पॉलिसी के बंद करने के विषय में पॉलिसीधारक से कंपनी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर।

बंद की गयी पॉलिसियों के लिए निधि का भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बंद की गयी सम्बद्ध बीमा पॉलिसी के साथ व्यवहार) विनियम 2010 तथा उसके बाद जारी परिपत्रों के अनुसार लेखांकन किया जाता है।

3.3 गैर बैंकिंग गतिविधियाँ -

म्यूचुअल फंड और ट्रस्टी सेवाएं परिचालनों से राजस्व :

निवेश प्रबंधन करार के अनुसार उपचय आधार पर म्यूचुअल फंड योजना से प्रबंधन फीस का लेखांकन किया जाता है तथा जैसा कि बीओआई एक्सा म्यूचुअल फण्ड की योजना के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है कि यह निवल आस्ति मूल्य के ऊपर आश्रित है। कंपनी और म्यूचुअल फण्ड के बीच ट्रस्ट डीड के अनुरूप उपचित आधार पर ट्रस्टी शुल्क का लेखांकन किया जाता है। जैसाकि बीओआई एक्सा म्यूचुअल फण्ड की योजनाओं के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है कि ट्रस्टी फीस निवल आस्ति मूल्य के ऊपर आश्रित है।

अन्य आय: व्यापार की तारीख को निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ/हानि खाते में अंकित किया जाता है और एकल प्रतिभूति हेतु भारित औसत आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है।

m) Loans:

Loans against policies are valued at the aggregate of book values (net of repayments) plus capitalized interest and are subject to impairment if any.

n) Funds for Future Appropriation

The balance in the funds for future appropriations account represents funds, the allocation of which, either to policyholders or to shareholders has not been determined at the Balance Sheet date. Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the Company's policyholders' funds. In respect of participating policies, any allocation to the policyholders would also give rise to transfer to the shareholders in the required proportion.

In respect of the Non-participating Group Annuity products, the excess returns, if any as defined in file and use, is considered as funds for future appropriation in the interim financial periods during the year and the same would be distributed between policyholders and shareholders in the proportion prescribed in file and use at the year end.

o) Discontinued Policies fund Discontinued policy fund means the segregated fund that is set aside on account of:

a) Non-payment of contracted premium

b) Upon the receipt of the information by the Company from the policyholder about the discontinuance of the policy.

Fund for discontinued policies is accounted in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Treatment of Discontinued Linked Insurance Policies) Regulations 2010 and circulars issued thereafter.

3.3 Non-Banking Activities – Mutual Fund and Trustee Services

Revenue from Operations:

Management fees from the scheme of mutual fund are accounted on an accrual basis in accordance with the investment management agreement and are dependent on the net asset value as recorded by the schemes of BOI AXA Mutual fund.

Trustee fees are accounted on accrual basis in accordance with trust deed between the Company and the Mutual Fund. Trustee fees are dependent upon the net asset value as recorded by the schemes of BOI AXA Mutual Fund.

Other Income: Profit or loss on sale of investment is recognised in the Profit & Loss Account on the trade date and determined on weighted average basis for individual security.

4. अग्रिम:

(क) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों को ''उत्पादक'' और ''अनर्जक अग्रिमों'' (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को आगे अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) घरेलू शाखाओं के संबंध में एनपीए से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित दर पर किया जाता है :

4) ADVANCES:

(a) Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

(b) NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

(c) In respect of domestic branches, Provisions in respect of NPAs is made at the rates given as under:

एनपीए की श्रेणी	Category of NPAs	निवल बकाया अग्रिम का % % of net outstanding advance
अवमानक आस्ति: *	Sub Standard:*	
क) एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती है	a) Exposures, which are unsecured ab initio	25%
ख) अन्य	b) Others	15%
संदिग्ध	Doubtful:	
क) जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में ही रहा)	a) Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- एक वर्ष तक	- Upto one year	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- One year to three years	40%
- तीन वर्ष से अधिक	- More than three years	100%
ख) गैर जमानती हिस्सा	b) Unsecured portion	100%
हानि	Loss	100%

* बकाया अग्रिम पर

*On the outstanding advance

(घ) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान संबंधित विदेशी देश में लागू विनियामक आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हो, उसके अनुसार होगी।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियो, अप्राप्य ब्याज, ईसीजीसी दावा का निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाएं जाते हैं।

(च) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्निधारित/पुन:संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित पुनर्संरचित अग्रिम के मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम के परिकलन हेतु इस प्रावधान को घटाया जाता है।

(छ) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त राशि को रखा जाता है और एससी/एआरसी को अन्य वित्तीय आस्तियों की बिक्री में होनेवाली कमी/हानि की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है। यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया घटाव (-) प्रावधान) से नीचे है तो कमी को लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। परन्तु यदि अतिरिक्त राशि उपलब्ध है तो ऐसी कमी को उसमें प्रयुक्त किया जाएगा। 26.02.2014 को अथवा उसके बाद एनपीए की बिक्री से उत्पन्न किसी भी ऐसी कमी को यदि अतिरिक्त राशि में खपाया नहीं जाता है तो उसे दो वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाएगा।

एनपीए की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य(एनबीवी) प्राप्त नकदी

(d) In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

(e) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims settled, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

(f) In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

(g) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any such shortfall arising due to sale of NPA on or after 26/02/2014 will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPA's are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SR's/PTC's) is higher than the net book value (NBV)

(केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआरएस/पीटीसी का रीडेम्पशन) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक सीमित होगी।

(ज) मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुन:संरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबन्धित विदेशी देशों में लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार होगी।

(झ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधिक देशी एक्सपोज़र के लिए श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

5. अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित की जाने वाली अस्थायी प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

6. डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट :

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवार्ड पॉइंट का प्रावधान एक्चवेरीयल आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

7. निवेश :

क. सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार को निपटान तारीख पर मान्यता दी जाती है और अन्य सभी निवेशों को कारोबार की तारीख पर मान्यता दी जाती है।

ख. निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'परिपक्वता तक धारित', 'कारोबार के लिए धारित' और 'बिक्री हेतु धारित' श्रेणियों में किया गया है। भारत में किए गए निवेशों के प्रकटन के उद्देश्य से इन्हें आरबीआई दिशानिर्देशों और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार छह वर्गों के तहत वर्गीकृत किया जाता है जैसे क) सरकारी प्रतिभूतियाँ ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां ग) शेयर, घ) डिबेंचर और बॉंड, ड़) अनुषंगियों और सहायक कंपनियों में निवेश और च) अन्य । भारत के बाहर निवेशों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित), विदेश में अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम और अन्य निवेश।

क) वर्गीकरण का आधार

निवेश का वर्गीकरण उसके अर्जन के समय किया जाता है।

i. परिपक्वता तक धारित

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

(h) Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

(i) Provision for net funded country exposures (Direct/ Indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

5) FLOATING PROVISION:

The bank has a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes.

6) DEBIT/CREDIT CARD REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

7) INVESTMENTS:

i. Transactions in Government Securities are recognised on Settlement Date and all other Investments are recognised on trade date.

ii. Investments are categorised under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure of investments in India, these are classified, in accordance with RBI guidelines & Banking Regulation Act 1949, under six classification viz. a.) Government Securities, b.) Other Approved Securities, c.) Shares, d.) Debentures and Bonds, e.) Investment in Subsidiaries and Associates and f.) Others. In respect of investments outside India, these are classified, in accordance with RBI guidelines, under three categories viz. Government Securities (including local authorities), Subsidiaries/Joint Ventures abroad and Other Investments.

(a) Basis of categorisation

Categorisation of an investment is done at the time of its acquisition.

i) Held to Maturity

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

ii. कारोबार के लिए धारित

इसमें ऐसे निवेश है जिन्हें अल्प मियादी मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जन किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इसका कारोबार किया जाता है।

iii. बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण "परिपक्वता तक धारित" अथवा 'कारोबार के लिए धारित' रूप में नहीं किया हैं, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

ख) निवेश का अधिग्रहण लागत

i. इक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि लागत में शामिल है।

ii. ब्रोकरेज, कमीशन, डेब्ट निवेश पर भुगतान/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को आय/व्यय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता है।

iii. निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

iv. निवेश की लागत भारित औसत लागत पद्धति द्वारा निर्धारित की जाती है।

ग) मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में रखे गये निवेशों को संबंधित देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मूल्य अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य इन दोनों में जो भी कम हो उसके अनुसार किया जाता है।

ट्रेज़री बिल और वाणिज्यिक पत्रों (सी.पी.) को कैरिंग कॉस्ट पर मूल्यांकित किया जाता है।

i) परिपक्वता तक धारित:

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन के निवल, यदि कोई हो, पर लिया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, को सतत अर्जन पद्धति का उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन आय में 'निवेश पर ब्याज' शीर्ष के तहत समायोजित की जाती है।

2. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश पूर्व के लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के जिन्हें कैरिंग कॉस्ट पर (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी को छोड़कर प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है।

ii) कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध :

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों का मूल्यांकन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यह्रास

ii) Held for Trading

These comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. These are intended to be traded within 90 days from the date of purchase.

iii) Available for Sale

These comprise investments which do not fall under in "Held to Maturity" or "Held for Trading" classification.

(b) Acquisition Cost of Investment

i) Brokerage, commission, securities transaction tax etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as income/expense and is excluded from cost/ sale consideration.

iii) Brokerage and Commission received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

iv) Cost of investments is determined at weighted average cost method.

(c) Method of valuation

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost.

i) Held to Maturity

a) Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period to maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

b) Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.

ii) Held for Trading / Available for Sale

i. Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is

लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान पर बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

2. ''कारोबार के लिए धारित" और "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणियों में कोट किए गए निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार दर/भाव, भारतीय प्राथमिक डीलर संघ (पीडीएआई) /निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव्ज संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है -

सरकारी/प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी ₹ 1
अधिमान्य शेयर्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू बॉंड्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड के यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
उद्यम पूँजी निधि (वीसीएफ)	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो ₹ 1 प्रति वीसीएफ
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर

घ) प्रवर्गों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतर:

अंतरण के दिन अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य - इनमें से जो भी कम हो, उस पर प्रवर्गों के मध्य किसी प्रतिभूति का अंतरण किया जाता है।

ङ) अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:

i. निवेशों को निष्पादित और गैर-निष्पादित में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित होता है।

ii. गैर-निष्पादित निवेशों के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान किया जाता है।

च) रेपो/रिवर्स रेपो:

रेपो/रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्श्विक उधार और उधार लेने के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में प्रतिभूतियों का अंतरण किया जाता है और ऐसी प्रतिभूतियां रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होती हैं। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन जैसा भी मामला हो ब्याज व्यय/आय के

provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

ii. For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	At break-up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise ₹ 1 per company.
Preference Shares	On Yield to Maturity basis
PSU/ Corporate Bonds	On Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	At the latest repurchase price/NAV declared by the Fund in respect of each scheme
Venture Capital Funds (VCF)	Declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at ₹ 1/- per VCF.
Security Receipts	At NAV as declared by Securitisation Companies

(d) Transfer of Securities between Categories

The transfer of securities between categories is carried out at the least of acquisition cost / book value /market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

(e) Non performing Investments (NPIs) and valuation thereof

1 Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

2 In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

(f) Repo / Reverse Repo

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity.

रूप में किया जाता है। रेपो खाते में शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

8) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

वर्तमान में बैंक फॉरेक्स वायदा संविदा, ब्याज दर एवं करेंसी डेरिवेटिव का कार्य देखता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला ब्याज दर डेरिवेटिव रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर बैंक द्वारा किये जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव विकल्प हैं - करन्सी स्वैप तथा करन्सी फ्यूचर। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

क) हेज/नॉन हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग से रिकार्ड किए जाते हैं।

ख) हेज़िग डेरिवेटिव पर आय/व्यय उपचय आधार पर लेखांकित होती है।

ग) फॉरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

घ) व्यापार उद्देश्य से विनिमय व्यापार डेरिवेटिव के अलावा ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार मूल्य पर (एमटीएम) किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई हो तो उसको लाभ एवं हानि में बताया जाता है। लाभ, यदि कोई हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

ङ) व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट विनिमय व्यापार डेरिवेटिव का विनिमय द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

च) ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से लाभ/हानियों को निरस्तीकरण तिथि में आय/व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप के निरस्तीकरण पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित कम अवधि अथवा डेजिग्नेटेड आस्तियाँ/देयताओं की बकाया अवधि से संबद्ध किया जाता है।

छ) विकल्प संविदा की परिपक्वता अवधि पर विकल्प शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

9. अचल आस्तियां:

क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त जिन्हें पुनर्मूल्यन रकम पर ही बताया जाता है, अचल आस्तियों को पूर्व के लागत के आधार पर बताया है। पुनर्मूल्यांकन से वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति जमा किया जाता गया है।

ख. लागत में शामिल है खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले जगह की तैयारी संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय शामिल है। उपयोग किए जा रहे आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाएगा जब ऐसे आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. परिसर की लागत में स्वामित्व एवं पट्टाधारी भूमि की लागत दोनों शामिल हैं।

10. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास :

क. आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति से आकलित उपयोगी जीवन

Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice.

8) DERIVATIVE

The Bank presently deals Forex Forward Contracts in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(a) The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

(b) Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(c) Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(d) Interest Rate Derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any , are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit if any, is ignored.

(e) Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(f) Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(g) Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

9) FIXED ASSETS:

(a) Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which is stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

(b) Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees etc. incurred on the asset before it is put to use or capable of put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

(c) Cost of premises includes cost of land, both freehold and leasehold.

10) DEPRECIATION ON FIXED ASSETS:

a) Depreciation on assets is charged on the Straight Line Method at the rates determined by the Bank

के आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यह्रासित बही मूल्य पर प्रभारित किया गया है, कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटरों सॉफ्टवेयर को छोड़कर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है। कम्प्यूटरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से सीधी रेखा पद्धति से मूल्यह्रास लगाया जाता है।

ख. खरीद/बिक्री के संबंध में मूल्य ह्रास को वर्ष के दौरान जितने दिनों के लिए आस्ति का प्रयोग किया गया, उसके आनुपातिक आधार पर किया जाता है। (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को छोड़कर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, जहाँ खरीदी के वर्ष में उसका पूर्ण ह्रास होता है।)

ग. आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

घ. पट्टाधारित भूमि पर प्रदत्त प्रीमियम, पट्टे की अवधि में परिशोधित की जाती है।

ङ. जहाँ भूमि और भवन की लागत अलग-अलग नहीं आकलित की जा सकती है, संपूर्ण लागत पर मूल्यह्रास का प्रावधान, भवन पर लागू दर पर किया जाता है।

च. भारत के बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर आधारित होता है, उन स्थानों को छोड़कर जहाँ विनियामक की आवश्यकताओं/अथवा संबंधित देशों/उद्यम में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

छ. निम्नलिखित दरों के अनुसार आस्ति पर मूल्य ह्रास किया जाता है:

क्र.सं.	विवरण	मूल्यह्रास की दर	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन
1.	परिसर	1.58%	60 वर्ष
2.	**अन्य अचल आस्तियां:**		
क)	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	9.50%	10 वर्ष
ख)	इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	9.50%	10 वर्ष
ग)	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	6.33%	15 वर्ष
घ)	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	11.88%	8 वर्ष
ङ)	साइकिल	20.00%	5 वर्ष
च)	कम्प्यूटर तथा कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर काअंगभूत भाग है।	33.33%	3 वर्ष
छ)	कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अंगभूत भाग नहीं है।	खरीदी के वर्ष में 100.00	–

ज. 5 वर्ष से कम आकलित उपयोगी जीवन वाले आस्तियों को छोड़कर सभी आस्तिओं के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है (यथा कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा साइकल), जहाँ आस्ति की पूरी लागत उपयोगी जीवन के ऊपर परिशोधित है।

11. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ पठित लेखामानक (एएस)11, ''विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव'' के अनुरूप किया गया है:

on the basis of estimated useful life of respective assets except in respect of computers & computer software not forming integral part of hardware, where it is calculated on the Straight Line Method, at the rates prescribed by RBI.

b) In respect of additions/sale, depreciation is provided on proportionate basis (except in respect of computers & computer software not forming integral part of hardware, where it is fully depreciated in the year of acquisition) for the number of days the assets have been put to use during the year.

c) Depreciation on the revalued portion of assets is adjusted against the Revaluation Reserve.

d) Premium on leasehold properties is amortised over the period of lease.

e) Where the cost of land and building cannot be separately ascertained, depreciation is provided on the composite cost, at the rate applicable to buildings.

f) Depreciation on fixed assets outside India is provided based on Straight Line Method, except at the centres where the rates/Methods have been prescribed by the local statutory authorities.

g) Depreciation on assets is provided at the following rates:

Sr. No.	Particulars	Rate of Depre-ciation	Estimated useful life as determined by the Bank
1.	Premises	1.58%	60 Years
2.	**Other Fixed Assets:-**		
a.	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipment's	9.50%	10 Years
b.	Electrical Fitting and Equipment's	9.50%	10 Years
c.	Air-conditioning plants, etc. and business machines.	6.33%	15 Years
d.	Motor cars, Vans & Motor cycles	11.88%	8 Years
e.	Cycle	20.00%	5 Years
f.	Computers and Computer Software forming integral part of hardware.	33.33%	3 Years
g.	Computer Software, not forming integral part of hardware	100% in the year of acquisition	–

h) 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life of 3 Years or 5 Years (eg. Computers, Computer Software and Cycles), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.

11) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" read with extant RBI guidelines:

क) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण: भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

i. विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर रिकार्ड किया जाता है जो कॉगजेन्सिस/रायटर के पृष्ठ में प्रदर्शित साप्ताहिक औसत क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें जो पूर्व के लागत के अनुसार की जाती है उसे संव्यवहार की तारीख में विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट की जाती हैं।

iv. विदेशी मुद्रा में रखे गए आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती है।

v. बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi. एफईडीएआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा,उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित की जाएगी।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान में आरंभ में रिकार्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।

viii. मुद्रा वादा बाजार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण: विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

i. आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है।

ii. आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर एफईडीएआई द्वारा सूचित तिमाही औसतन क्लोजिंग दर पर स्पष्ट किया जाता है।

a) Translation in respect of Integral Foreign operations: Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

i) Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter's page.

ii) Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.

iii) Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi) Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii) Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii) Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognised in the Profit and Loss account.

b) Translation in respect of Non-Integral Foreign operations: Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i) Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii. सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते - ''विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व'' में संचित किया जाता है।

iv. विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

12. कर्मचारी लाभ :

क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की अनडिस्काउन्टेड रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है। इसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

ख. नियोजन के पश्चात लाभ :

क. परिनिश्चित लाभ योजना:-

i) उपदान (ग्रैच्युटी)

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है। यह राशि प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के बेसिक वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान विनियम में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होता है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन ट्रस्ट द्वारा किया जाता है जो वार्षिक रूप में एक स्वतंत्र बाह्य ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है।

ii) पेंशन

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियत के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है।नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई (कर्मचारी) पेंशन विनियमन के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है जो वार्षिक रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के तहत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign branches.

iv) The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

12) EMPLOYEE BENEFITS:

i. Short Term Employee Benefit:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

ii. Post Employment Benefit:

A. Defined Benefit Plan

a) Gratuity

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act 1972 or BOI (Employee) Gratuity Regulation whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

b) Pension

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of BOI (Employees) Pension regulations. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out annually and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

ख. परिनिश्चित अंशदान योजना :

i) भविष्य निधि:

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के तहत लाभ पाने का हक है। बैंक एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करती है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ख. पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

क. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

i) छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ii) अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, आकस्मिक लाभ इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

iii) विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना संबंधित देशों में विद्यमान कानून के आधार पर की जाती है।

13. प्रति शेयर अर्जन :

एएस 20 ''अर्जन प्रति शेयर'' के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की कर पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग कर गणना की जाती है।

B. Defined Contribution Plan:

a. Provident Fund

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

b. Pension

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

c. Other Long term Employee Benefit:

i. Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

ii. Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

iii. In respect of overseas branches, offices and subsidiaries, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

13) EARNINGS PER SHARE:

a) Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर गणना की जाती है।

14. आय पर कर :

क) एएस-22 ''आय पर करों के लिए लेखांकनह्न के अनुसार आयकर में वर्ष के दौरान वर्तमान कर प्रावधान और आस्तियों या देयताओं पर आस्थगित कर में निवल परिवर्तन शामिल है। वर्तमान करों का निर्धारण लेखांकन मानक 22 तथा भारत में लागू कर कानूनों के अनुसार किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों पर करों को ध्यान में रखा जाता है जो संबंधित अधिकार क्षेत्र के कानूनों पर आधारित है। आस्थगित कर समायोजन में अवधि के दौरान आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन शामिल होते हैं।

ख) आय तथा व्यय की मदों के संबंध में सावधानी रखते हुए आस्थगित कर निर्धारित किये जाते हैं जो एक विशेष समय आते हैं तथा एक या एक से अधिक आगामी वर्षों में वापस किये जाने योग्य हैं।

ग) आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का परिगणन तुलन पत्र की तारीख पर कर की दर तथा कर कानूनों का प्रयोग कर किया जाता है, जिसे विधिक रूप से लागू किया गया है।

घ) प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित कर आस्तियाँ निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती है। अनवशोषित मूल्यह्रास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्ति की उगाही की जा सकती है।

15. आस्तियों का ह्रास

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि यदि कोई हो, तो एएस 28 "आस्तियों का ह्रास" के अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं / आकस्मिक आस्तियां :

एएस 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार बैंक प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसा आय निर्धारण हो सकता है जो कभी भी वसूला न जा सके।

17. शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी किया जाता है, उस वर्ष शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

b) Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

14) TAXES ON INCOME:

a) Income Tax comprises the current tax provision and net change in deferred tax assets or liabilities during the year, in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income". Current taxes are determined in accordance with the provisions of Accounting Standard 22 and tax laws prevailing in India after taking into account taxes of foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdiction. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.

b) Deferred Tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent years.

c) Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

d) Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether realisation is considered reasonably certain. Deferred tax assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future profits.

15) IMPAIRMENT OF ASSETS:

"Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on revalued assets is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset."

16) PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND / CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

17) SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to the Profit and Loss Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकडे ₹ करोड़ों में हैं।

कोष्ठक में दिए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणपत्रों के भाग रूप नोट्स

1. अनुषंगियों (सब्सिडीरिज) के विवरण निम्नानुसार हैं जिनके वित्तीय विवरणपत्र बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) के एकल वित्तीय विवरण पत्र के साथ समेकित हैं :

अनुषंगियों का नाम	शामिल (इन्कॉर्पोरेशन) देश	यथा 31.03.2017 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2016 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्वदेशी अनुषंगियां :			
क) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि.(*)	भारत	**100%**	100%
ख) बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि.	भारत	**51%**	51%
ग) बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज़ प्रा.लि	भारत	**51%**	51%
घ) बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.	भारत	**100%**	100%
विदेशी अनुषंगियां:			
क) पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	इंडोनेशिया	**76%**	76%
ख) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लिमिटेड	तंजानियां	**100%**	100%
ग) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैन्ड) लिमिटेड	न्यूजीलैन्ड	**100%**	100%
घ) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड	युगांडा	**100%**	100%
ङ) बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लिमिटेड	बोत्स्वाना	**100%**	100%

(*) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, पेरेंट बैंक ने बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड द्वारा 50,000 शेयरों के बायबैक के तहत ₹ 5.84 करोड़ का लाभ अर्जित किया है। यथा 31.03.2017 को (पिछले वर्ष ₹ 8.86) बायबैक के बाद पैरेंट बैंक का निवेश ₹ 6.65 तक कम कर दिया गया है।

2. समेकित विवरण पत्रों में विचार की गयी सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमियों के विवरण इस प्रकार है:

(i) **सहयोगी कंपनियां:**

सहयोगियों के नाम		शामिल देश	यथा 31.03.2017 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2016 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
क.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
i)	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	भारत	**35%**	35%
ii)	नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक	भारत	**35%**	35%
iii)	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	भारत	**35%**	35%
iv)	आर्यवर्त ग्रामीण बैंक	भारत	**35%**	35%
ख.	इंडो जाम्बिया बैंक लि.	जाम्बिया	**20%**	20%
ग.	एसटीसीआई फैयनांस लिमिटेड	भारत	**29.96%**	29.96%
घ.	एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड	भारत	**26.02%**	26.02%

SCHEDULE 18

All figures are in ₹ Crore unless specifically stated.

Figures in Brackets relate to previous year

NOTES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. Particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of Bank of India (the Parent Bank) are as under:

Names of Subsidiaries		Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2017	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2016
Domestic Subsidiaries:				
a)	BOI Shareholding Ltd. (*)	India	100%	100%
b)	BOI AXA Investment Managers Pvt Ltd.	India	51%	51%
c)	BOI AXA Trustee Services Pvt Ltd.	India	51%	51%
d)	BOI Merchant Bankers Ltd	India	100%	100%
Overseas Subsidiaries:				
a)	PT Bank of India Indonesia Tbk	Indonesia	76%	76%
b)	Bank of India (Tanzania) Ltd.	Tanzania	100%	100%
c)	Bank of India (New Zealand) Ltd.	New Zealand	100%	100%
d)	Bank of India (Uganda) Ltd.	Uganda	100%	100%
e)	Bank of India (Botswana) Ltd.	Botswana	100%	100%

(*) During the year ended 31st March, 2017, the Parent Bank has earned a profit of ₹ 5.84 under buyback of 50,000 shares by BOI Shareholding Limited. Post buyback the investment of the Parent Bank has reduced to ₹ 6.65 as on 31.03.2017 (previous year ₹ 8.86).

2. Particulars of associates and joint venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

(i) Associates:

Names of Associates		Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2017	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2016
a)	Regional Rural Banks -			
i)	Jharkhand Gramin Bank	India	35%	35%
ii)	Narmada Jhabua Gramin Bank	India	35%	35%
iii)	Vidharba Konkan Gramin Bank	India	35%	35%
iv)	Gramin Bank of Aryavart	India	35%	35%
b)	Indo Zambia Bank Limited	Zambia	20%	20%
c)	STCI Finance Ltd.	India	29.96%	29.96%
d)	ASREC (India) Ltd.	India	26.02%	26.02%

(ii) संयुक्त उद्यम:

संयुक्त उद्यमों के नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2017 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2016 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.(*)	भारत	28.96%	48%

(*) वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने स्टार यूनियन दाई-इची जीवन बीमा कंपनी लि., की 18% हिस्सेदारी ₹ 540 के लिए बेच दी है जिससे ₹ 495 का मुनाफा हुआ है। 31.03.2017 को उपरोक्त बिक्री के बाद संयुक्त उद्यम में पैरेंट बैंक का शेयर कम होते हुए 28.96% हुआ है।

3. इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमियों एवं सहयोगियों के विवरणपत्र जो समेकन में इस्तेमाल किए जाते हैं मूल बैंक की यथा रिपोर्टिंग तारीख अर्थात 31 मार्च, 2017 तक बनाए गए हैं, सिवाय एक सहायक कंपनी - इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (आईज़ेडबीएल) के। आईज़ेडबील के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर, 2016 तक तैयार किए गए थे और 31 मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के लिए कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार रिपोर्ट नहीं किए गए थे।

4. स्वदेशी अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमियों / सहयोगियों के मामले में, मूल बैंक और अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमियों / सहयोगियों द्वारा अपनायी गयी भिन्न-भिन्न लेखांकन पॉलिसियों के कारण उत्पन्न लेखागत समायोजन अनुषंगियों / संयुक्त उद्यम / सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर किए गए है।

5. समेकित वित्तीय विवरण पत्र निम्न के आधार पर तैयार किए गए हैं :

i) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके के यथा 31.03.2017 के वित्तीय विवरण पत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतंन्त्र समीक्षाकर्ता द्वारा समीक्षित हैं और शामिल देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

ii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.03.2017 के विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतन्त्र समीक्षक द्वारा समीक्षित हैं। बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.12.2016 के विवरण पत्र शामिल के देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार लेखा परीक्षित हैं।

iii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. के यथा 31.03.2017 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्वतन्त्र समीक्षक द्वारा समीक्षित हैं।

iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. के यथा 31.03.2017 के विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

v) बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. के यथा 31.03.2017 के विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

vi) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि., बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि., बीओआई एक्सा इंवेस्टमेंट मैनेजर प्रा.लि., बीओआई ट्रस्टी

(ii) Joint Venture:

Names of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2017	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2016
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited (*)	India	28.96%	48%

(*) During the year, the Parent Bank has sold 18% stake in Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited, for ₹ 540 resulting into profit of ₹ 495. The Parent Bank's share in the said Joint Venture post the above sale has reduced to 28.96% as on 31.03.2017.

3. The financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent Bank i.e. 31st March 2017 except for an associate Indo Zambia Bank Limited (IZBL). IZBL's financial statements were prepared up to 31st December 2016 and reported no significant transaction for the quarter ended 31st March 2017.

4. In case of Domestic subsidiaries/joint venture/associates, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by Parent Bank and subsidiaries/joint venture/associates have been carried out on the basis of data provided by subsidiaries/joint venture/associates.

5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of :

(i) Financial statements of PT Bank of India Indonesia Tbk as on 31.03.2017 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(ii) Financial statements of Bank of India (Tanzania) Ltd. as on 31.03.2017 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer. The Financial Statements as at 31.12.2016 of Bank of India (Tanzania) Ltd. has been audited as per the local requirements of the country of incorporation.

(iii) Financial statements of Bank of India (New Zealand) Ltd. as on 31.03.2017 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer.

(iv) Financial statements of Bank of India (Uganda) Ltd. as on 31.03.2017 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(v) Financial statements of Bank of India (Botswana) Ltd. as on 31.03.2017 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(vi) Audited financial statements of BOI Shareholding Ltd., BOI Merchant Bankers Ltd., BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd., BOI AXA Trustee Services Pvt. Ltd., Star Union Dai-ichi Life Insurance

सर्विसीज़ प्रा.लि., स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरंस कंपनी लि., एसटीसीआई फाइनैंस लि., विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक के 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए और इंडो झांबिया बैंक लि., के 31.12.2016 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।

vii) एएसआरईसी (इंडिया) लि., नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के 31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उनके प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।

6. वर्ष के दौरान सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2009 के विनियमन 76(1) के अनुरूप मूल बैंक ने अधिमानी आधार पर अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर के 23,81,42,640 इक्विटी शेयर का आबंटन किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

आबंटन की तारीख	शेयर धारक का नाम	इक्विटी शेयर की संख्या	प्रति शेयर शेयरमूल्य (₹ मे)	राशि
04.05.2016	भारत सरकार	10,14,82,527	**113.32**	**1150.00**
04.05.2016	भारतीय जीवन बीमा निगम	1,60,00,000	**96.03**	**153.65**
08.09.2016	भारत सरकार	12,06,60,113	**110.89**	**1338.00**
	कुल	**23,81,42,640**		**2641.65**

7. वर्ष के दौरान मूल बैंक को अधिमान्य आधार पर इक्विटी शेयर के लिए सदस्यता स्वरूप शेयर आवेदन की राशि के रूप में भारत सरकार द्वारा प्राप्त ₹ 1500 तथा भारतीय जीवन बीमा निगम ₹ 221.92 प्राप्त हुए हैं जिसका आबंटन कर दिया गया है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीआर.सं. बीपी.11083/21.01.002/2016-17 दिनांक 22 मार्च, 2017 के अनुसार सीआरएआर प्रयोजन के लिए सीईटी 1 पूंजी के रूप में उपचारित किया जाता है।

8. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणपत्र के बारे में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है:

ए) पूँजी:

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (CET1) (%)		
	बासेल-II	NA	NA
	बासेल -III	7.71%	8.34%
ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)		
	बासेल -II	NA	8.06%
	बासेल -III	9.42%	9.41%
iii)	टियर II पूंजी अनुपात (%)		
	बासेल -II	NA	4.51%
	बासेल -III	3.20%	2.96%
iv)	कुल पूंजी अनुपात (CRAR) (%)		
	बासेल -II	NA	12.57%
	बासेल -III	12.62%	12.37%
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	73.72%	68.01%
vi)	वर्ष के दौरान प्राप्त इक्विटी पूंजी राशि	2641.65	2759.12

Company Ltd., STCI Finance Ltd., Vidharbha Konkan Gramin Bank for the financial year ended 31.03.2017 and Indo Zambia Bank Ltd. for the year ended 31.12.2016.

(vii) Unaudited financial statements of ASREC (India) Ltd., Narmada Jhabua Gramin Bank, Jharkhand Gramin Bank and Gramin Bank of Aryavart for the financial year ended 31.03.2017 certified by their management.

6. During the year, the Parent Bank has made preferential allotment of 23,81,42,640 Equity Shares of ₹ 10 each in accordance with the regulation 76(1) of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, the details of which are as under:

Date of Allotment	Name of the Shareholder	No. of equity shares	Issue Price per share (in)	Amount
04.05.2016	Government of India	10,14,82,527	113.32	1150.00
04.05.2016	Life Insurance Corporation of India	1,60,00,000	96.03	153.65
08.09.2016	Government of India	12,06,60,113	110.89	1338.00
	Total	**23,81,42,640**		**2641.65**

7. During the year, the Parent Bank has received ₹ 1500 from Government of India and ₹ 221.92 from Life Insurance Corporation of India towards share application money for subscription to equity shares on preferential basis. The same is treated as CET 1 capital for CRAR purpose in accordance with RBI letter no. DBR. No.BP.11083/21.01.002/2016-17 dated 22nd March, 2017.

8. The following information is disclosed in respect of consolidated financial statements in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India:

a) Capital:

	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (CET1)(%)		
	Basel - II	NA	NA
	Basel - III	7.71%	8.34%
ii)	Tier I Capital ratio (%)		
	Basel - II	NA	8.06%
	Basel - III	9.42%	9.41%
iii)	Tier II Capital ratio (%)		
	Basel - II	NA	4.51%
	Basel - III	3.20%	2.96%
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)		
	Basel - II	NA	12.57%
	Basel - III	12.62%	12.37%
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	73.72%	68.01%
vi)	Amount of Equity Capital raised (in ₹ Crores)	2641.65	2759.12

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
vii)	शेयर आवेदन राशि आबंटन के लिए लंबित	1721.92	1303.65
viii)	वर्ष के दौरान टियर-I पूंजी के रूप में प्राप्त राशि (IPDI)	2500.00	0.00
ix)	वर्ष के दौरान प्राप्त टियर-II राशि (₹ करोड़ों में)अर्थात डेट कैपिटल इंस्ट्रुमेंट	2500.00	3000.00

* भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.11083/ 21.01.002/2016-17 दिनांक 22.03.2017 के अनुसार यह राशि सीआरएआर प्रयोजन के लिए सीईटी 1 पूंजी के रूप में उपचारित की जाती है।

टियर II पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया नवोन्मेष सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना
2006-07	आईपीडीआई	551.86 (USD 85 Million)	275.93
2007-08	आईपीडीआई	655.00	327.50
2008-09	आईपीडीआई	400.00	200.00
2009-10	आईपीडीआई	325.00	162.50
2010-11	आईपीडीआई	300.00	150.00
2014-15	एटी-1	2500.00	2500.00
2016-17	एटी-1	2500.00	2500.00
	कुल	**7231.86**	**6115.93**

टियर II पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया टियर II लिखतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना
2008-09	अपर टियर II	500.00	250.00
2009-10	अपर टियर II	2000.00	1000.00
2010-11	अपर टियर II	1000.00	500.00
2013-14	टियर II	1500.00	1500.00
2015-16	टियर II	3000.00	3000.00
2016-17	टियर II	2500.00	2500.00
	कुल	**10500.00**	**8750.00**

बी) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

मदें	2016-17	2015-16
एनपीए के लिए प्रावधान	11802.05	14405.75
निवेशों के मूल्य में ह्रास	120.95	350.73
कारधान के लिए प्रावधान (आस्थागित कर सहित)	(818.41)	(1722.63)
मानक आस्तियों पर प्रावधान	154.69	(127.55)
अन्य प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों सहित)	158.44	(477.20)
कुल	**11417.73**	**12429.10**

	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
vii)	Share application money pending for allotment*	1721.92	1303.65
viii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised (in ₹ Crores); i.e. AT-1	2500.00	0.00
ix)	Amount of Tier-II capital raised; (in ₹ Crores) i.e. Debt Capital Instruments	2500.00	3000.00

* The amount is treated as CET 1 Capital for CRAR purpose as per RBI letter No. DBR.No.BP.11083/21.01.002/2016-17 dated 22nd March, 2017.

Details of outstanding Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)/AT-1 raised to augment Tier I capital are as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2006-07	IPDI	551.86 (USD 85 Million)	275.93
2007-08	IPDI	655.00	327.50
2008-09	IPDI	400.00	200.00
2009-10	IPDI	325.00	162.50
2010-11	IPDI	300.00	150.00
2014-15	AT-1	2500.00	2500.00
2016-17	AT-1	2500.00	2500.00
	Total	**7231.86**	**6115.93**

Details of outstanding Tier II Instruments raised to augment Tier II capital are as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2008-09	Upper Tier II	500.00	250.00
2009-10	Upper Tier II	2000.00	1000.00
2010-11	Upper Tier II	1000.00	500.00
2013-14	Tier II	1500.00	1500.00
2015-16	Tier II	3000.00	3000.00
2016-17	Tier II	2500.00	2500.00
	Total	**10500.00**	**8750.00**

(b) Provisions and Contingencies:

Items	2016-17	2015-16
Provision for NPA	11802.05	14405.75
Depreciation in Value of Investments	120.95	350.73
Provision for Taxation (including deferred tax)	(818.41)	(1722.63)
Provision on Standard Assets	154.69	(127.55)
Other Provisions (including floating provisions)	158.44	(477.20)
Total	**11417.73**	**12429.10**

सी) फ्लोटिंग प्रावधानों के ब्यौरे (काउन्टर साइक्लिकल प्रावधानीकरण बफर) - (मूल बैंक)

विवरण	2016-17	2015-16
प्रारम्भिक शेष	232.22	232.22
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
वर्ष के दौरान घटते आहरण द्वारा कमी के प्रयोजन, यदि कोई हो, दिए जाने है)	0.00	0.00
इति शेष	232.22	232.22

डी) आय कर

I) मूल बैंक के संबंध में आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न किए गए बैंक के विभिन्न दावों में ₹ 555.42 (पिछले वर्ष रु. 555.07 करोड़) की विवादित आय कर/ब्याज कर देयता शामिल है जिसके लिए ऐसे विवादों पर विगत निर्धारणों के लिए विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। ऐसे विवादित देयों के विभिन्न भुगतान/समायोजन अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के तहत शामिल हैं।

II) कतिपय विवादित मसलों पर संगत न्यायिक निर्णयों और लागू कर कानूनों के प्रावधानों पर समुचित विचार करने के पश्चात वर्ष के लिए आयकर हेतु प्रावधान का परिकलन किया गया है।

III) आयकर कम्प्यूटेशन एंड डिस्क्लोज़र स्टैंडर्ड (आइसीडीएस) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 145(2) के तहत 29 सितंबर,2016 को अधिसूचित किया गया है जो 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू है और तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए स्थगित कर और कर प्रावधान पर इसके प्रभाव पर विचार के बाद गणना की गयी है।

ई) अनुषंगियों के संबंध में मूल बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित और लेखापरीक्षकों द्वारा आश्वासित)

चालू वर्ष के दौरान,मूल बैंक ने अनुषंगियाँ की ओर से किसी भी प्रकार का चुकौती, आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है।

वर्ष 2011-12 के दौरान मूल बैंक ने अपनी पूर्णत: स्वामित्व वाली अनुषंगी, बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. के बारे में, उसकी वित्तीय वचनबद्धताओं, यदि कोई देय होती हैं, को पूरा करने के लिए गवर्नर , बैंक ऑफ़ बोत्स्वाना को एक वचनबंध जारी किया है।

वर्ष 2010-11 के दौरान मूल बैंक ने, रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के पक्ष में, उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बीओआई (न्यूज़ीलैंड) के लिए उसके वित्तीय दायित्वों, यदि वे देय होते हैं, को पूरा करने के लिए पैरेन्टल गारन्टी जारी की है।

अलबत्ता यथा 31.03.2017 को उक्त वचनबद्धताओं पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं आया है।

9. मूल बैंक के सहायक खाताबही खातों के संतुलन के संबंध में, विदेशी शाखाओं के साथ शेष का संतुलन/पुष्टिकरण, आंतर - कार्यालय खाता , नोस्ट्रो खाता, सस्पेंस, ड्राफ्टस देय,समाशोधन अंतर आदि में चालू आधार पर चल रहा है। उपर्युक्त की लंबित अंतिम मंजूरी/समायोजन, वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।

(c) Floating Provisions (Countercyclical Provisioning Buffer) - (Parent Bank)

Particulars	2016-17	2015-16
Opening Balance	232.22	232.22
Additions during the year	0.00	0.00
Reductions during the year	0.00	0.00
Closing Balance	232.22	232.22

(d) Income-Tax

I) Claims against the Parent Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 555.42 (previous year ₹ 555.07) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

II) Provision for income tax for the year is arrived at after due consideration of provisions of the applicable tax laws and the relevant judicial decisions on certain disputed issues.

III) Income Computation and Disclosure Standards (ICDS) has been notified u/s 145(2) of the Income Tax Act, 1961 on 29th September 2016 are applicable for the financial year ended on 31st March 2017 and accordingly tax provision and deferred tax for the financial year 2016-17 has been computed after considering its impact.

e) Letter of comfort issued by the Parent Bank in respect of subsidiaries (As compiled by Management and relied upon by the Auditors):

During current year, the Parent Bank has not issued any letter of comfort on behalf of subsidiaries.

During the year 2011-12, the Parent Bank has issued an undertaking to the Governor, Bank of Botswana in respect of its wholly owned subsidiary, Bank of India (Botswana) Ltd. to meet its financial commitments if they fall due.

During the year 2010-11, the Parent Bank issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2017, no financial obligations have arisen on the above commitments.

9. In respect of the Parent Bank Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Drafts Payable, Clearing Difference, etc. is in progress on an on-going basis. Pending final clearance/adjustment of the above, the overall impact, if any, on the Financial Statements, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

10. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) के अनुरूप किए गए प्रकटन

Disclosures in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):

ए) लेखांकन मानक 15 - 'कर्मचारी लाभ ' (मूल बैंक)

A) Accounting Standard 15 – "Employee Benefits" (Parent Bank)

Sr. No.	विवरण	Particular	2016-17		2015-16	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(i)	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान :**	**Principal actuarial assumptions used :**				
	वर्तमान छूट दर	Discount Rate	7.62%	7.45%	8.01%	8.06%
	आयोजन आस्तियों पर प्रतिफल दर	Rate of Return on Plan Assets	8.31%	7.96%	8.79%	8.94%
	वर्तमान वेतन वृद्धि	Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	वर्तमान ह्रास दर	Attrition Rate Current	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	**लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका**	**Table showing change in benefit obligation :**				
	अवधि के प्रारंभ में देयता	Liability at the beginning of the period	1370.70	11076.48	1311.00	9420.03
	ब्याज लागत	Interest Cost	95.77	788.13	94.03	715.46
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	102.76	1238.78	93.49	1097.46
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	227.73	995.15	(274.13)	(1086.70)
	दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	Actuarial (gain)/loss on Obligation	68.58	742.89	146.31	930.23
	वर्ष के अंत में देयता	**Liability at the end of the year**	**1410.08**	**12851.12**	**1370.70**	**11076.48**
(iii)	**प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका:**	**Table of Fair value of Plan Assets :**				
	अवधि प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	1223.87	10515.60	1265.18	9041.48
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected return on Plan Assets	101.70	837.04	111.21	808.31
	अंशदान	Contributions	258.28	1663.86	128.01	1650.77
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	227.73	995.15	(274.13)	(1086.70)
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	4.20	300.45	(6.41)	101.74
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट् का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1360.32	12321.80	1223.87	10515.60
	मान्य-योग्य कुल बीमांकिक लाभ/(हानि)	**Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised**	**(64.37)**	**(442.44)**	**(152.71)**	**(828.50)**
(iv)	**प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल**	**Actual return on Plan Assets**				
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	101.70	837.04	111.21	808.31
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	4.20	300.45	(6.41)	101.74
	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	**Actual return on Plan Assets**	**105.90**	**1137.49**	**104.80**	**910.05**
(v)	**तुलन पत्र में मान्य राशि**	**Amount recognised in the Balance Sheet :**				
	अवधि के अंत में देयता वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Liability at the end of the period	1410.08	12851.12	1370.70	11076.48
	अंतर अमान्य परिवर्तन देयता	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1360.32	12321.80	1223.87	10515.60
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in the Balance Sheet**	**(49.76)**	**(529.32)**	**(146.83)**	**(560.88)**
(vi)	**आय विवरण-पत्र में मान्य व्यय :**	**Expenses recognised in the Income Statement :**				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	102.76	1238.78	93.49	1097.46
	ब्याज लागत	Interest Cost	95.77	788.13	94.03	715.46
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	(101.70)	(837.04)	(111.21)	(808.31)
	विगत वर्षों के मान्य व्यय	Expenses recognized relating to prior years	0.00	0.00	0.00	0.00
	मान्य परिवर्तन देयता	Recognition of Transition Liability	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	64.37	442.44	152.71	828.50
	लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	**Expense Recognised in P & L**	**161.2**	**1632.30**	**229.02**	**1833.11**
(vii)	**तुलन पत्र समाधान :**	**Balance Sheet Reconciliation :**				
	प्रारंभिक निवल देयता (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि)	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	146.83	560.88	45.82	378.56
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	Expenses as above	161.20	1632.30	229.03	1833.11
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(258.28)	(1663.86)	(128.01)	(1650.77)
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in Balance Sheet**	**49.75**	**529.32**	**146.83**	**560.88**
(viii)	**आस्तियों का प्रवर्ग :**	**Category of Assets :**				
	भारत सरकार की आस्तियां (प्रतिभूतियां)	Government of India Assets (Securities)	73.46	2006.79	90.44	1705.51
	कार्पोरेट बांड्स	Corporate Bonds	240.85	3608.38	674.79	5315.28
	राज्य सरकार (प्रतिभूतियां)	State Government (Securities)	384.59	3438.81	416.19	3217.06
	अन्य	Other	661.42	3267.82	42.45	277.75
	कुल	**Total**	**1360.32**	**12321.80**	**1223.87**	**10515.60**
(ix)	**अनुभव समायोजन**	**Experience Adjustment :**				
	प्लान देयता पर (लाभ)/हानि	**On Plan Liability (Gain)/Loss**	38.41	198.92	146.31	930.23
	प्लान एसेट पर (हानि)/लाभ	**On Plan Asset (Loss)/Gain**	1.71	103.05	(6.41)	101.74

i. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ* :

विवरण	31.03.2017 की देयता	वर्ष में किया गया प्रावधान	31.03.2016 की देयता	वर्ष में किया गया प्रावधान
अवकाश नकदीकरण	761.03	135.62	625.41	47.92
अवकाश यात्रा छूट	57.66	2.42	55.24	2.98
पुनर्वास लाभ	7.03	0.40	6.63	(0.16)
माइलस्टोन अवार्ड	4.09	0.28	3.81	0.90
चिकित्सा अवकाश	3.00	(27.22)	30.22	30.22

* अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए वास्तविक अनुमान ग्रेज्यूटी के लिए प्रयुक्त के समान ही है।

मूल बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि के जो एक परिनिश्चित अंशदान योजना है, के लिए ₹ 95.43 (विगत वर्ष ₹ 84.61) का अंशदान दिया है।

** बैंक ने अब तक पूरी बीमारी छुट्टी अर्थात पूरी बकाया अवकाश शेष की देयता को मान्यता प्रदान किया है। बीमारी की छुट्टी के संबंध में कर्मचारी लाभ कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश नोट (एएस-15) - (2005 में संशोधित) के अनुरूप, इस संबंध में देयता को कर्मचारियों द्वारा ऐसी छुट्टी लिए जाने की संभावना के आधार पर इसे मान्य किया है।

बैंक के श्रेष्ठतम अनुमान के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद वार्षिक अवधि के दौरान पेन्शन के लिए ₹ 1200 (विगत वर्ष ₹ 1250) और ग्रैच्युटि के लिए ₹ 200 (विगत वर्ष ₹ 250) का अंशदान किए जाने की संभावना है।

ii. योजना में अधिशेष/घाटा:

विवरण	ग्रैच्युटि योजना				
	वि.व. 2016-17	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15	वि.व. 2013-14	वि.व. 2012-13
परिभाषित लाभ देयता	1,410.08	1,370.70	1,310.99	1,402.54	1,505.38
प्लान आस्तियां	1,360.32	1,223.87	1,265.18	1,316.51	1,333.79
अमान्य संक्रमणशील देयता	0	0	0	85.79	171.59
अधिशेष / (घाटा)	(49.76)	(146.83)	(45.81)	(0.24)	0
प्लान देयता (लाभ)/ हानि पर अनुभव समायोजन	38.41	146.31	(7.79)	(705.56)	(57.77)
प्लान आस्ति (लाभ)/ हानि पर अनुभव समायोजन	1.71	(6.41)	19.27	(17.27)	33.82

विवरण	पेन्शन योजना				
	वि.व. 2016-17	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15	वि.व. 2013-14	वि.व. 2012-13
परिभाषित लाभ देयता	12,851.12	11,076.48	9,420.03	8,038.25	7,404.65
प्लान आस्तियां	12,321.80	10,515.60	9,041.48	7,261.19	6,504.83
अमान्य संक्रमणशील देयता	0	0	0	442.42	884.86
अधिशेष / (घाटा)	(529.32)	(560.88)	(378.55)	(334.63)	(14.96)

i. Other long term employee benefits*

Particulars	Liability as on 31.03.2017	Provisions made during the year	Liability as on 31.03.2016	Provisions made during the year
Leave Encashment	761.03	135.62	625.41	47.92
Leave Travel Concession	57.66	2.42	55.24	2.98
Resettlement Benefits	7.03	0.40	6.63	(0.16)
Milestone Awards	4.09	0.28	3.81	0.90
Sick Leave**	3.00	(27.22)	30.22	30.22

* The actuarial assumptions for other long term benefits are same which are used for Gratuity.

The Parent bank has recognised contribution to employees' Provident Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the Parent bank has contributed ₹ 95.43 (previous year ₹ 84.61) towards such fund which is a defined contribution plan.

** The Parent Bank has been recognising the liability of sick leave to full extent hitherto i.e. entire outstanding leave balance. In line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15)-(revised-2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leaves by employees.

The Parent Bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹ 1,200 (March 31, 2016 : ₹ 1,250) and towards Gratuity is ₹ 200 (March 31, 2016 : ₹ 250).

ii. Surplus/ Deficit in the Plan

Particulars	Gratuity Plan				
	FY 2016-17	FY 2015-16	FY 2014-15	FY 2013-14	FY 2012-13
Defined benefit obligation	1,410.08	1,370.70	1,310.99	1,402.54	1,505.38
Plan assets	1,360.32	1,223.87	1,265.18	1,316.51	1,333.79
Unrecognised Transitional liability	0	0	0	85.79	171.59
Surplus/(deficit)	(49.76)	(146.83)	(45.81)	(0.24)	0
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	38.41	146.31	(7.79)	(705.56)	(57.77)
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	1.71	(6.41)	19.27	(17.27)	33.82

Particulars	Pension Plan				
	FY 2016-17	FY 2015-16	FY 2014-15	FY 2013-14	FY 2012-13
Defined benefit obligation	12,851.12	11,076.48	9,420.03	8,038.25	7,404.65
Plan assets	12,321.80	10,515.60	9,041.48	7,261.19	6,504.83
Unrecognised Transitional liability	0	0	0	442.42	884.86
Surplus/(deficit)	(529.32)	(560.88)	(378.55)	(334.63)	(14.96)

विवरण	पेन्शन योजना				
	वि.व. 2016-17	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15	वि.व. 2013-14	वि.व. 2012-13
प्लान देयता (लाभ)/ हानि पर अनुभव समायोजन	198.92	930.23	592.91	(224.22)	(756.32)
प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	103.05	101.74	312.64	70.22	118.04

Particulars	Pension Plan				
	FY 2016-17	FY 2015-16	FY 2014-15	FY 2013-14	FY 2012-13
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	198.92	930.23	592.91	(224.22)	(756.32)
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/ Gain	103.05	101.74	312.64	70.22	118.04

(बी) लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्टिंग

भाग क: कारोबार खण्ड

(B) AS-17 "Segment Reporting"

Part A: Business Segment

कारोबार खण्ड	Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		कुल Total	
		2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
राजस्व	Revenue	15558.61	12065.51	16585.21	20059.30	13945.00	13776.54	46088.83	45901.35
गैर-आबंटित राजस्व	Unallocated Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	548.59	33.97
अंतर खंड राजस्व	Inter Segment Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232.74	170.85
कुल राजस्व	Total Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46404.68	45764.47
परिणाम	Results	5531.62	1587.64	-11005.35	-9398.33	2948.30	396.52	-2525.43	-7414.18
गैर-आबंटित व्यय	Unallocated Income net of Expenses	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	236.92	-491.72
परिचालन लाभ	Operating profit	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2288.51	-7905.89
आयकर	Income Tax	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-818.41	-1701.63
असाधारण लाभ/हानि	Extraordinary profit/loss	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0.00	0.00
निवल लाभ	Net Profit	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1470.10	-6204.25
अन्य जानकारी :	**Other Information:**								
खंड आस्तियां	Segment Assets	224751.76	201892.70	287862.67	281813.76	101284.41	114182.88	613898.84	597889.34
गैरआबंटित आस्तियां	Unallocated Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18127.11	18739.89
कुल आस्तियां	Total Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	632025.95	616629.23
खंड देयताएं	Segment Liabilities	216024.15	193783.59	277617.66	271409.94	98420.71	110814.10	592062.52	578512.42
गैर आबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6334.17	10217.61
कुल देयताएं	Total Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	598396.69	588730.02

नोट : गैर बैंकिंग अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों से संबंधित सूचना को अनाबंटित खंड के अंतर्गत शामिल किया गया है।

Note: Information in respect of Non-Banking subsidiaries/joint venture has been included under unallocated segment.

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B: Geographical Segment

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	स्वदेशी / Domestic		अंतर्राष्ट्रीय / International		कुल / Total	
		2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
राजस्व	Revenue	41201.73	40369.10	5202.95	5395.36	46404.68	45764.46
आस्तियां	Assets	487183.37	442167.10	144842.58	174462.13	632025.95	616629.23

बीओआई समूह ने (एएस)-17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप कारोबारी खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को गौण खंड के रूप में मान्यता दी है।

The BOI group has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with AS-17.

I. प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) कोषागार परिचालन: खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) थोक बैंकिंग: थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) खुदरा बैंकिंग: खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) **एक्सपोजर:** अधिकतम कुल एक्सपोजर ₹ 5 करोड़ तक।

ii) कुल वार्षिक टर्नओवर ₹ 50 करोड़ से कम अर्थात मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

घ) अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण:

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

ङ) लागत का विनियोजन :

– विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

– विशेष खण्ड को सीधे न प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

II. गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

(सी) लेखांकन मानक 18 "संबंधित पक्षकार संव्यवहार"

I) संबंधित पक्षकारों की सूची

(1) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	:	श्री मेलविन ओ. रेगो
कार्यपालक निदेशकगण	:	श्री बि.पी. शर्मा (31.07.2016 तक)
		श्री आर.पी. मराठे (26.09.2016 तक)
		श्री आर.ए. शंकरनारायणन
		श्री नीलम दामोदरन (16.02.2017 से)
		श्री अतनु कुमार दास (17.02.2017 से)

(2) अनुषंगियाँ:

i) बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड
ii) बीओआई एक्सा इनवेस्टमेंट मैनजर्स प्राइवेट लि.
iii) बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज् प्राइवेट लि.
iv) बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.
v) पीटी बैंक ऑफ इंडोनेशिया टीबीके
vi) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंज़ानियां) लि.
vii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि.
viii) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगान्डा) लि.
ix) बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

I. Primary Segment: Business Segments

a) Treasury Operations: 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) Wholesale Banking: Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) Retail Banking: Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) **Exposure** – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5 Crore

ii) The total annual turnover is less than ₹ 50 crore i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

d) Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

e) Allocation of Costs

– Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment

– Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees / business managed.

II. Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations
b) International Operations

(C) AS-18 "Related Party Transactions":

I. List of Related Parties:

a. Key Managerial Personnel :

Managing Director & CEO	:	Shri Melwyn O. Rego
Executive Directors	:	Shri B.P.Sharma (Up to 31.07.2016)
		Shri Ravindra P. Marathe (Up to 26.09.2016)
		Shri R.A.Sankara Narayanan
		Shri Neelam Damodharan (w.e.f 16.02.2017)
		Shri Atanu Kumar Das (w.e.f. 17.02.2017)

b. Subsidiaries

a. BOI Shareholding Ltd.
b. BOI AXA Investment Managers Private Limited
c. BOI AXA Trustee Services Private Limited
d. BOI Merchant Bankers Ltd.
e. PT Bank of India Indonesia Tbk
f. Bank of India (Tanzania) Limited
g. Bank of India (New Zealand) Limited
h. Bank of India (Uganda) Limited
i. Bank of India (Botswana) Limited

(3) सहायक कंपनियां :

i. एसटीसीआई फाइनैन्स लिमिटेड
ii. एएसआरईसी (इंडिया) लि.
iii. इंडो-ज़ाम्बिया बैंक लि.
iv. बैंक द्वारा प्रायोजित 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
   क) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक (पूर्व में आर्यवर्त क्षेत्र ग्रामीण बैंक के रूप में जाना जाता था)
   ख) झारखण्ड ग्रामीण बैंक
   ग) नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक
   घ) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक

(4) संयुक्त उद्यम

(i) स्टार यूनियन दाई ईची लाइफ़ इन्श्योरेन्स कंपनी लि.

छ) क) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित और जिसपर लेखा परीक्षक निर्भर हैं ।)

c. Associates

a. STCI Finance Limited
b. ASREC (India) Limited
c. Indo-Zambia Bank Limited
d. 4 Regional Rural Banks sponsored by the Bank
   i. Gramin Bank of Aryavart (Formerly known as Aryavart Kshetriya Gramin Bank)
   ii. Jharkand Gramin Bank
   iii. Narmada Jhabua Gramin Bank
   iv. Vidharbha Konkan Gramin Bank

d. Joint Venture:

a. Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd.

II) a) Transactions with Related Parties (As compiled by Management and relied upon by the Auditors)

विवरण	Particulars	अनुषंगियाँ/ सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम With Subsidiaries/ Associates / Joint Ventures		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel		प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार Relatives of Key Management Personnel		कुल TOTAL	
		2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
वर्ष 2016-17 के दौरान संव्यवहार	**Transactions during the year 2016-17**								
प्राप्त ब्याज	Interest Received	2.03	9.98	–	–	–	–	**2.03**	**9.98**
प्रदत्त ब्याज	Interest Paid	51.47	53.96	–	0.07	0.00	0.01	51.47	54.04
लाभांश	Dividend	32.40	12.55	–	–	–	–	**32.40**	12.55
अन्य आय	Other Income	77.77	62.39	–	–	–	–	**77.77**	**62.39**
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री विलों /बांडों की बिक्री	Sale of Govt. Securities/Treasury Bills	91.35	43.50	–	–	–	–	**91.35**	**43.50**
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री विलों /बांडों की खरीद	Purchase of Govt. Securities/Treasury Bills	1,690.75	967.36	–	–	–	–	**1,690.75**	**967.36**
कार्पोरेट बॉंड और अन्य मुद्रा बाजारों उपकरणों की खरीद	Purchase of Corporate Bonds and Other money market instruments	–	–	–	–	–	–	**–**	**–**
जमाराशियां	Deposits	–	0.89	–	–	–	–	**–**	**0.89**
परिपक्व जमाराशियां	Matured Deposits	–	–	–	–	–	–	**–**	**–**
प्रदान किए गए ऋण	Loans Provided	1,395.35	2,782.77	–	–	–	–	**1,395.35**	**2,782.77**
चुकाए गए ऋण	Loans Repaid	1,246.92	3,178.94	–	–	–	–	**1,246.92**	**3,178.94**
एनपीए की बिक्री	Sale of NPA	–	–	–	–	–	–	**–**	**–**
निवेशक	Investments	–	–	–	–	–	–	**–**	**–**
पारिश्रमिक/वेतन	Remuneration/Salary	–	–		–		–		
बकाया शेष यथा 31.03.2017	**Outstanding as on 31.03.2017**								
देय	Payable	–	–	–	–	–	–	**–**	**–**
जमा	Deposits	47.09	119.68	0.22	0.99	0.03	0.08	47.34	120.75
उधार	Borrowing	–	–	–	–	–	–	**–**	–
ऋण	Loans	248.18	99.76		–		–	**248.18**	**99.76**
जमा की नियुक्ति	Placement of the Deposits	–	–	–	–	–	–	**–**	**–**
अन्य देयताएं	Other Liabilities	5.93	3.80		–		–	**5.93**	**3.80**
प्राप्तियाँ (अग्रिम)	Receivables (Advances)	–	–	–	–	–	–	**–**	**–**
निवेश	Investments	309.00	297.68	–	–	–	–	309.00	297.68
गैर वित्तपोषित प्रतिबद्धता	Non Funded Commitment	–	–	–	–	–	–	**–**	**–**
पट्टे पर/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया गया	Leasing / HP arrangements availed	–	–	–	–	–	–	**–**	**–**
पटटे पर/एचपी व्यवस्था प्रदान की गयी	Leasing / HP arrangements provided	–	–	–	–	–	–	**–**	–
अचल संपत्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets	–	–	–	–	–	–	**–**	**–**
अंचल संपत्तियों की बिक्री	Sale of fixed assets	–	–	–	–	–	–	**–**	**–**
अन्य आस्तियाँ	Other Assets	7.14	6.51	–	–	–	–	**7.14**	**6.51**

ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिक: प्रदत्त पारिश्रमिक

b) KEY MANEGEMENT PERSONNEL: REMUNERATION PAID

(₹ में) / (in ₹)

पदनाम	Particulars	2016–17	2015–16
श्री मेलविन रेगो	Shri Melwyn O. Rego	2,706,033	1,847,503
श्रीमती वी.आर. अय्यर	Smt. V.R. Iyer	–	778,874
श्री अरुण श्रीवास्तव	Shri Arun Srivastava	–	225,656
श्री बि. पी. शर्मा	Shri B.P. Sharma	676,538	2,070,928
श्री आर.पी.मराठे	Shri R.P. Marathe	908,749	1,808,012
श्री आर.ए. शंकरनारायणन	Shri R.A. Sankara Narayanan	2,292,617	1,704,520
श्री नीलम दामोदरन	Shri Neelam Damodharan	264,063	–
श्री अतनु कुमार दास	Shri Atanu Kumar Das	257,623	–

सहायक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संव्यवहार राज्य नियंत्रित होने के कारण एएस-18 के पैरा 9 की दृष्टि में प्रकटन नहीं किए गए हैं जोकि आईसीएआई द्वारा संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए जारी किए हैं जिसमें इन पार्टियों के दूसरे पक्षकारों के साथ, जो भी राज्य नियंत्रित उद्यम है, संव्यवहारों को प्रकटन न करने की छूट है।

The transactions with the subsidiaries and regional rural banks being state controlled, have not been disclosed in view of Para 9 of AS - 18 on Related Party disclosure issued by ICAI exempting 'State Controlled Enterprises' from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also 'State Controlled Enterprises'.

(डी) लेखांकन मानक 19 - पट्टा वित्तपोषण (मूल बैंक)

पट्टा वित्तपोषण और इसके घटकों में बैंक के निवेश की संविदागत परिपक्वताएं जो अग्रिमों में शामिल की गई हैं का उल्लेख नीचे किया गया है:

(D) AS19 "Lease Financing" (Parent Bank)

The contractual maturities of the Parent Bank's investment in lease financing and its components, which are included in advances, are set out below:

विवरण	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
सकल निवेश	Gross Investments	0.00	0.00
प्राप्य पट्टा भुगतान	Lease payment receivables		
(i) 1 वर्ष से अधिक नहीं	(i) not later than 1 year	0.00	0.00
(ii) 1 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	(ii) later than 1 year but not later than 5 years	0.00	0.00
(iii) 5 वर्ष से अधिक	(iii) later than 5 years	0.00	0.00
कुल	**TOTAL**	**0.00**	**0.00**
अनर्जित वित्त आय	Unearned finance income	0.00	0.00
निवल निवेश	**Net investments**	**0.00**	**0.00**

(ई) लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन

(E) AS20 "Earnings per Share":

विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
आधारभूत और तनुकृत (₹)	Basic and Diluted (₹)	(14.83)	(84.58)

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:

विवरण	Particulars	2016-17	2015-16
इक्विटी शेयाधारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि) (₹ करोड़) (ए)	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in crore) (A)	(1470.09)	(6204.26)
इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (₹ करोड़)(बी)	Weighted Average Number of Equity shares (crore) (B)	99.12	73.35
आधारभूत और तनुकृत प्रति शेयर आय (ए/बी) (₹)	Basic & Diluted Earnings per Share (A/B) (₹)	(14.83)	(84.58)
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	Nominal Value per Equity Share (₹)	10.00	10.00

(एफ) लेखांकन मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

(F) AS-22 "Accounting for Taxes on Income":

The Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

विवरण	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
आस्थागित कर आस्तियां	**Deferred Tax Assets**		
प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards provisions	6949.74	4027.78
अन्य	Others	610.58	601.52
कुल आस्थगित कर आस्तियां	**Total Deferred Tax Assets**	**7560.32**	**4629.30**
आस्थगित कर देयता	**Deferred Tax Liabilities**		
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	On account of depreciation on fixed assets	283.20	121.47
निवेश पर मूल्यह्रास के कारण	On account of depreciation on investment	312.34	228.34
प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण	On account of interest accrued but not due	795.29	724.30
आय कर अधिनियम 1961 की कटौती यू/एस 36(01)(viii) के कारण	On account of deduction u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act,1961	752.37	750.99
अन्य	Others	0.00	23.24
कुल आस्थगित कर देयताएं	**Total Deferred Tax Liabilities**	**2143.20**	**1848.34**
निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)**	**5417.12**	**2780.96**

(जी) लेखांकन मानक 27 ''संयुक्त उद्यमों में निवेश की वित्तीय रिपोर्टिंग'':

निवेश में शामिल हैं ₹ 75 (पिछले वर्ष ₹ 120) निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित ईकाई में बैंक की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व :-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि	निवास देश	होल्डिंग %
1	स्टार यूनियन दाई-इची जीवन बीमा कंपनी लि.,	₹ 75	भारत	28.96%

(*) वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की 18% हिस्सेदारी ₹ 540 में बेच दी है जिससे ₹ 495 का मुनाफा हुआ है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
देयताएं		
पूंजी एवं आरक्षितियां	45.48	1.73
जमाराशियां	0.00	0.00
उधार	0.00	0.00
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	1793.08	2768.07
कुल	**1838.56**	**2769.80**
आस्तियां		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां	12.01	3.98
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	0.00	19.00
निवेश	1717.38	2559.06

(G) AS-27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures":

Investments include ₹ 75 (Previous year ₹ 120) representing Parent Bank's interest in the following jointly controlled entity:

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of Residence	Holding %
1	Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd.(*)	₹ 75	India	28.96%

(*) During the year, the parent Bank has sold 18% stake in Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited for ₹ 540 resulting into profit of ₹ 495.

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Liabilities		
Capital & Reserves	45.48	1.73
Deposits	0.00	0.00
Borrowings	0.00	0.00
Other Liabilities & Provisions	1793.08	2768.07
Total	**1838.56**	**2769.80**
Assets		
Cash and Balances with Reserve Bank of India	12.01	3.98
Balances with Banks and Money at call and short notice	0.00	19.00
Investments	1717.38	2559.06

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
अग्रिम	2.74	4.99
अचल आस्तियां	2.74	4.53
अन्य आस्तियां	103.69	178.24
कुल	**1838.56**	**2769.80**
पूंजीगत बाध्यताएं	0.00	0.00
अन्य आकस्मिक देयताएं	5.47	5.20
आय		
अर्जित ब्याज	3.04	5.79
अन्य आय	30.39	39.39
कुल	**33.43**	**45.18**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	0.00	0.00
परिचालन व्यय	17.55	32.88
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	0.00	0.00
कुल	**17.55**	**32.88**
लाभ / (हानि)	**15.88**	**12.30**

(एच) लेखांकन मानक 29 : ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' (मूल बैंक) :

क. देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढाव (अन्य के प्रावधानों को निकाल कर)

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएं	
	2016-17	2015-16
प्रारंभिक शेष	41.68	28.20
वर्ष के दौरान प्रावधान	33.33	13.48
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	0	0
अंतिम शेष	75.01	41.68
बहिर्गमन का समय/ अनिश्चितताएं	समझौते / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	समझौते / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन

ख. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर क्रमश: निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

11. लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान मूल बैंक की लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा कि अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास के अलावा, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किया गया है। इससे पहले, बैंक, बैंक द्वारा निर्धारित दर पर लिखित विधि के अनुसार सभी अचल संपत्तियों (कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयरके अलावा) पर मूल्यह्रास चार्ज कर रहा था, जो, अब अचल संपत्तियों की अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर, सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) में बदल दिया गया है। इस तरह के बदलाव के कारण ₹ 313.17 की अतिरिक्त मूल्यह्रास अवलिखित की गयी है और वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में जमा की गयी है।

12. मूल बैंक द्वारा की गयी हानियों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजस्व अभिकरण को डेबिट करते हुए अतिरिक्त टीयर-I पर्पेच्यूअल बासेल

Particulars	31.03.2017	31.03.2016
Advances	2.74	4.99
Fixed Assets	2.74	4.53
Other Assets	103.69	178.24
Total	**1838.56**	**2769.80**
Capital Commitments	0.00	0.00
Other Contingent Liabilities	5.47	5.20
Income		
Interest Earned	3.04	5.79
Other Income	30.39	39.39
Total	**33.43**	**45.18**
Expenditure		
Interest Expended	0.00	0.00
Operating Expenses	17.55	32.88
Provisions & Contingencies	0.00	0.00
Total	**17.55**	**32.88**
Profit / (Loss)	**15.88**	**12.30**

(H) AS-29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets": (Parent Bank)

A. Movement of Provisions for liabilities (excluding provision for others)

Particulars	Legal cases/contingencies	
	2016-17	2015-16
Opening Balance	41.68	28.20
Provided during the year	33.33	13.48
Amounts used during the year	0	0
Closing Balance	75.01	41.68
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement / Crystallization	Outflow on settlement / Crystallization

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

11. During the year under Audit, there is no change in accounting policies of the Parent Bank, as those followed in the preceding financial year except in respect of depreciation on fixed assets. Earlier, the Bank was charging depreciation on all fixed assets (other than Computer & Computer Software) as per written down method at the rate determined by the bank which has now been changed to Straight Line Method (SLM) based on the estimated useful life of Fixed assets. Due to such change the excess depreciation, amounting to ₹ 313.17 has been written back and credited to Profit & Loss Account during the year.

12. In view of the losses incurred by the Parent Bank, RBI has permitted the Bank to make payment of interest on

III के अनुपालक पर बांडों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बैंक को अनुमति दी है। तदनुसार , वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने 31 मार्च, 2016 तक देय ब्याज के लिए ₹ 177.81 क प्रावधान को ब्याज व्यय में जमा करते हुए रिवर्स कर दिया है और इस तरह के प्रावधान के समतुल्य राशि को राजस्व रिज़र्व से स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा, 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹ 413.22 का ब्याज व्यय भी राजस्व रिज़र्व को दिया गया है।

13) अन्य नोट

ए) कार्यनीतिक ऋण पुर्नरचना (एसडीआर) के तहत मानक सुविधाओं के संबंध में ''दबावग्रस्त आस्ति -परिशोधन हेतु योजना'' और दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय पुनर्रचना हेतु योजना के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 114.43 की राशि रिवर्स की है जो ऐसे खातों में अप्राप्त ब्याज की राशि है.

बी) वर्ष के दौरान बैंक ने दो उधार खातों (यथा 31 मार्च, 2017 को मानक) में दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय पुनर्रचना (S4A) शुरु की है जिनकी कुल बकाया ₹ 272.80 है. S4A योजना के कार्यान्वयन के बाद ही बैंक द्वारा अपेक्षित प्रावधान की गणना की जाएगी.

सी) वर्ष के दौरान, मूल बैंक में धोखेबाज़ के रुप में वर्गीकत एक उधारकर्ता के मामले में आरबीआई परिपत्र डीबीआर क्र. बी.पी. बी.सी.83/21.04.048/2014-15 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 और डीबीआर न. बीपी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल 2016 के अनुरूप रु.65.40 का प्रवाधान किया गया है। यथा 31 मार्च 2017 को प्रवाधान किए जाने हेतु शेष राशि रु. 65.19 है जिसे राजस्व आरक्षिति से आहरित किया गया।

डी) आरबीआई निदेशों के अनुपालन में, आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के अनुलग्नक - III के तहत दर्शाए गए खाते, जहां कार्यनिष्पादन संबंधी मुद्दों या कुछ शर्तों को पूरा न करने की वजह से पुनर्रचना विफल रही, और आरबीआई निर्देशों के अनुरूप उन खातों में आवश्यक प्रावधान किया गया, उन खातों की यथा 31 मार्च 2017 को समीक्षा की गई और अब उन्हें वर्गीकृत किया गया है तथा आईआरएसी मानकों के अनुरूप प्रावधान किया गया है। यथा 31 मार्च 2017 को जो खाते मानक थे उनके संबंध में आरबीआई निदेशों के अनुरूप किए गए ₹ 83.22 के वृद्धिशील प्रावधान को यथा 31.03.2017 को रिवर्स कर दिया गया है।

ई) ''परिपक्वता तक धारित'' वर्ग के तहत निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ की राशि ₹ 1146.70 (विगत वर्ष ₹ 243.86) को लाभ-हानि खाते में ले जाया गया है और तत्पश्चात ₹ 749.85 (विगत वर्ष रु.159.47) की राशि को, कर की राशि शामिल न करते हुए, पूंजी आरक्षिति में समायोजित किया गया है और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 17 के तहत उसे सांवधिक आरक्षिति को अंतरित किया गया है।

14. मूल बैंक और अनुषंगियों के पृथक वित्तीय विवरणों में जिन अतिरिक्त जानकारियों का प्रकटन किया गया है, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों के सही और न्यायोचित दृष्टिकोण पर कोई प्रभाव नहीं है तथा कम महत्व की मदों से संबंधित जानकारी का प्रकटन समेकित वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।

15. जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है विगत वर्ष के आंकडों को पुन:समूहित/पुन:व्यवस्थित किया गया है।

Additional Tier I Perpetual Basel III Compliant Bonds by debiting the Revenue Reserve. Accordingly, during the year, the Parent Bank has reversed the provision of ₹ 177.81 made towards interest payable till 31st March, 2016 by crediting the same to interest expended and an amount equivalent to such provision has been transferred from the Revenue Reserve. Further, Interest expended of ₹ 413.22 for the year ended 31st March, 2017 has also been debited to Revenue Reserve.

13. Other Notes

a) In compliance with the RBI Guidelines in respect of "Scheme for Stressed Assets-Revision", in respect of Standard Facilities under Strategic Debt Restructuring (SDR) and Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), the Parent Bank has during the year ended 31st March, 2017 reversed an amount of ₹ 114.43 being unrealised interest in such accounts.

b) During the year the Parent Bank has invoked Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A) in Two borrower accounts (Standard as on 31st March, 2017) having aggregate outstanding of ₹ 272.80 as on 31st March, 2017. The required provision will be reckoned by the Parent Bank only upon implementation of the S4A scheme.

c) During the year, in Parent Bank, in case of one Borrower declared as fraud, an amount of ₹ 65.40 has been provided, in terms of RBI circular DBR. No.BP.BC.83/21.04.048/2014-15 dated April 01, 2015 and DBR.No.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated April 18, 2016. The amount remaining un-provided as on 31st March, 2017 is ₹ 65.19 has been drawn from Revenue Reserve.

d) In Parent Bank, in compliance with RBI directives, accounts shown under Annex – III of Asset Quality Review (AQR), wherein restructuring was failed due to performance issues or non – fulfilment of certain conditions and necessary provisions was held in those accounts in terms of RBI directives, have been reviewed as on 31st March, 2017 and has now being classified and provision has been made as per the IRAC norms. Incremental provision of ₹ 83.22 which was made by Parent Bank in terms of RBI directives have been reversed on 31st March, 2017 w.r.t. those accounts which remained standard as on 31st March, 2017.

e) In respect of the Parent Bank, profit on sale of Investments held under "Held to Maturity" category amounting to ₹ 1146.70 (previous year ₹ 243.86) has been taken to the Profit & Loss Account and thereafter an amount ₹ 749.85 (previous year ₹ 159.47) has been appropriated to the Capital Reserve, net of taxes and transfer to Statutory Reserve under section 17 of the Banking Regulation Act, 1949

14. Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent bank and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements.

15. Previous Year's figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल
समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया (पैरेंट बैंक) और इसके उपक्रमों, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों जिसे आगे 'बोओआई समूह' कहा गया है, के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की मिली-जुली लेखा परीक्षा कर ली है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2017 तक का समेकित तुलन-पत्र, लाभ व हानि का समेकित विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ-साथ तत्कालीन समय में समाप्त हुए वर्ष का समेकित नकदी-प्रवाह विवरण और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित पर आधारित हैं-

   क) हमारे द्वारा लेखा परीक्षित मूल (पैरेंट) बैंक के वित्तीय विवरण;

   ख) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परिक्षित चार स्वदेशी उपक्रमों, एक स्वदेशी संयुक्त उद्यम, दो स्वदेशी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण, और

   ग) प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए पांच विदेशी उपक्रमों के वित्तीय विवरण, जिनकी समीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा विशेष रूप से समेकन के उद्देश्य से की गई है, और

   घ) चार स्वदेशी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

समेकित विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है, जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बीओआई ग्रुप की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं; इसमें समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल हैं, जो सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि से हुए हों।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं का पालन करें और यह कि वित्तीय विवरण पत्र तात्विक अशुद्ध कथनों से मुक्त हों, इस हेतु तर्कसंगत निश्चितता प्राप्त करने के लिए योजना बनायें और उसका निष्पादन करें ।

4. लेखा परीक्षा में, समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरणों के बारे में लेखापरीक्षा-साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य निष्पादन की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चुनी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरण के तात्विक अशुद्ध कथनों के मूल्यांकन का जोखिम शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए हों। उन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखा परीक्षक बीओआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति से संबद्ध आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, जो उन परस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। लेखा परीक्षा में, उपयोग की गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता के मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गये लेखा अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है।

5. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गये लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी लेखा राय को आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त हैं।

INDEPENDENT AUDITORS REPORT

To
The Board of Directors of Bank of India
Report on the Consolidated Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Bank of India ("the Parent Bank") and its subsidiaries, associates and joint ventures collectively hereinafter referred to as "BoI Group" and the consolidated financial statements comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2017, the Consolidated Statement of Profit and Loss and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended together with a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The consolidated financial statements are based on –

   a) Financial statements of the Parent Bank audited by us;

   b) Financial statements of four domestic subsidiaries, one domestic joint venture, two domestic associates audited by other auditors; and

   c) Audited Financial Statements of one overseas associate for the year ended on 31st December 2016.

   d) Financial statements of five overseas subsidiaries prepared by the Management and reviewed by other auditors specifically for consolidation purpose; and

   e) Unaudited financial statements of four domestic associates.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of BoI Group in accordance with accounting principles generally accepted in India; this includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the BOI Group's preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

अभिमत

6. हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गये स्पष्टीकरणों और उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों के विचार के आधार पर, जैसे कि नीचे नोट किया गया है, समेकित वित्तीय विवरण भारत में समान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं।

क) 31 मार्च, 2017 तक बीओआई समूह के कार्यों की स्थिति के संबंध में, समेकित तुलन-पत्र के मामले में;

ख) उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष की हानि के समेकित लाभ और हानि विवरण के मामले में; और

ग) उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में।

इस मामले का प्रभाव -

7. हमारी राय में कोई शर्त सन्निविष्ट किए बिना, हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

ए) अचल आस्ति पर अवमूल्यन के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन से संबन्धित नोट सं. 11;

बी) अतिरिक्त टियर I बेमियादी बेसिल III अनुपालक बॉण्ड्स पर ब्याज के भुगतान हेतु राजस्व आरक्षिति से आहरण के संबंध में नोट सं. 12।

अन्य मामले

8. हमने समेकित वित्तीय विवरणों में समाविष्ट निम्नलिखित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है।

क) उन उपक्रमों की जिनके वित्तीय विवरण कुल आस्तियाँ (निवल) ₹ 3545.68 करोड़, कुल राजस्व (निवल) ₹ 359.67 करोड़ और निवल नकदी बाह्य प्रवाह की राशि ₹ 59.58 करोड़ दर्शाती है,

ख) वे संयुक्त उद्यम जिनका वित्तीय विवरण कुल आस्तियाँ (निवल) ₹ 6526.27 करोड़, कुल राजस्व (निवल) ₹ 74.08 करोड़ तथा निवल बाह्य प्रवाह ₹ 63.33 करोड़ दर्शाती हैं।

ग) सहायक कंपनियाँ मूल बैंक के निवल लाभ का हिस्सा ₹ 102.23 करोड़ दर्शाती हैं।

इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई हैं और तिमाही वित्तीय परिणामों और वर्ष के अब तक के परिणामों पर अन्तरिम वित्तीय विवरणों की सीमा तक हमारी राय केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है। इस मामले में हमारी राय साक्षेप (क्वालिफाइड़) नहीं है।

9. हम चार सहायक कंपनियों के अलेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों पर भी निर्भर हैं, जैसा कि हमें मूल बैंक के प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके आधार पर ₹ 47.65 करोड़ के लाभ के हिस्से का समेकन में विचार किया गया है।

10. उपर्युक्त पैराग्राफ 7 और 8 में बताये गये मामलों के संबंध में हमारी राय सापेक्ष (qualified) नहीं है।

Opinion

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors on the financial statements of the subsidiaries as noted below, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India;

a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the BoI Group as at 31st March 2017;

b) in the case of the Consolidated Statement of Profit and Loss, of the loss for the year ended on that date; and

c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

7. Without qualifying our opinion, we draw attention to:

a. Note No. 11 regarding change in accounting policy in respect of Depreciation on Fixed Assets.

b. Note No. 12 regarding withdrawal from Revenue Reserve for payment of interest on Additional Tier I Perpetual Basel III Compliant Bonds.

Other Matters

8. We have not audited the following financial statements incorporated in the consolidated financial statements:

a. subsidiaries whose financial statements reflect total assets (net) of ₹ 3545.68 Crores, total revenues (net) of ₹ 359.67 Crores and net cash outflows of ₹ 59.58 Crores,

b. joint venture whose financial statements reflect total assets (net) of ₹ 6526.27 Crores, total revenues (net) of ₹ 74.08 Crores and net cash outflows of ₹ 63.33 Crores,

c. Associates reflecting share of net profit of the Parent Bank of ₹ 102.23 Crores.

These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the quarterly financial results and the year to date results, to the extent they have been derived from such interim financial statements is based solely on the report of such other auditors. Our opinion is not qualified in the respect of this matter.

9. We have also relied on the un-audited financial statements of Four associates as made available to us by the management of the Parent Bank based on which share of profit of ₹ 47.65 Crores have been considered in consolidation.

10. Our opinion is not qualified in respect of the matters stated in para 7 and 8 above.

कृते मेसर्स ग्रोवर, लल्ला एण्ड मेहता
For Grover, Lalla & Mehta
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 002830N) (FRN 002830N)

आलोक गोयल
Alok Goyal
भागीदार Partner
सदस्यता सं.501529 M. No. 501529

कृते मेसर्स. बी. रत्तन एंड असौसिऐट
For B. Rattan & Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 011798N) (FRN 011798N)

भारत रत्तन
Bharat Rattan
भागीदार Partner
सदस्यता सं.090682 M. No. 090682

कृते मेसर्स. जी.डी.आपटे एण्ड कं.
For G. D. Apte & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100515W) (FRN 100515W)

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
भागीदार Partner
सदस्यता क्र.121546 M. No. 121546

स्थान Place : मुंबई Mumbai
दिनांक Date : 22 मई, 2017 May 22, 2017

बासेल III (स्तंभ 3)- प्रकटन(समेकित)मार्च 2017

तालिका डीएफ 1

अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र

समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर यह संरचना लागू होती है : बैंक ऑफ़ इंडिया

i. गुणात्मक प्रकटन

अ. ऐसे समूह संस्थाओं की सूची जो समेकन में शामिल हैं

संस्था इकाई का नाम/निगमन देश	क्या इकाई/संस्था लेखा समेकन के दायरे में शामिल है (हां/नहीं)	समेकन की विधि समझाएं	क्या इकाई समेकन के नियामक दायरे के तहत शामिल है हाँ/नहीं	समेकन की विधि समझाएं	समेकन की विधि में अंतर के कारण दें	समेकन के केवल एक दायरे के अंतर्गत समेकित है तो कारण दें
बैंक ऑफ़ इंडिया न्यूज़ीलैंड लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया (तनज़ानिया) लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया स्वदेशी टीबीके इंडोनेशिया	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई शेयर होल्डिंग लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेन्ट मॅनेजर्स प्रा.लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्रा. लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
स्टार यूनियन दाई-ईची लाईफ इन्श्यूरन्स कं. लि.	हाँ	संयुक्त उद्यम	नहीं	संयुक्त उद्यम	लागू नहीं	लागू नहीं
एसटीसीआई फायनान्स लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
एएसआरईसी (इंडिया) लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडो-झांबिया बैंक लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी सह आर्यवर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी एसएच झारखंड ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी एसएच नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं

ख) लेखांकन तथा नियामक समेकन गुंजाइश दोनों के तहत समेकन में शामिल न किए जाने वाले समूह संस्थाओं की सूची-

ऐसी कोई भी समूह संस्था नहीं है जिसके लिए लेखांकन समेकन गुंजाइश और नियामक समेकन गुंजाइश, दोनों के तहत समेकन हेतु विचार न किया गया हो।

ii. मात्रात्मक प्रकटन:

ग. ऐसी समूह संस्थाओं की सूची जो समेकन में शामिल हैं

संस्था का नाम/निगमीकरण का देश	संस्था की मुख्य गतिविधि	कुल बैलंस शीट इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र में दिए अनुसार) (इक्विटी+रिजर्व)	कुल बैलेंस शीट आस्तियां (कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में दिए अनुसार)
बैंक ऑफ़ इंडिया न्यूजीलैंड लि.	बैंकिंग	2,414.97	5,479.25
बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.	बैंकिंग	580.35	2,987.77
बैंक ऑफ़ इंडिया (तनज़ानिया) लि.	बैंकिंग	961.27	5,207.29
बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.	बैंकिंग	242.53	1,154.18
पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया स्वदेशी टीबीके इंडोनेशिया	बैंकिंग	2,840.45	20,966.69
बीओआई शेयर होल्डिंग लि.	स्टॉक एक्सचेंज का समाशोधन व का निपटान	243.13	258.53
बैंक ऑफ़ इंडिया एक्सा इन्वेस्टमेन्ट मॅनेजरर्स प्रा.लि.	आस्ति प्रबंधन	560.56	658.12
बैंक ऑफ़ इंडिया एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्रा. लि.	ट्रस्टीशिप सेवाएं	0.70	0.94
बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.	मर्चंट बैंकिंग	123.25	123.37
स्टार यूनियन दाई-इची लाईफ इन्श्यूरन्स कं. लि.	जीवन बीमा	5,275.48	65,262.68
एसटीसीआई फायनान्स लि.	एनबीएफसी-एनडीएसआई	1,4426.98	90,526.67
एएसआरईसी (इंडिया) लि.	आस्ति वसूली कंपनी	1,418.65	1,962.31
इंडो जांबिया बैंक लि.	बैंकिंग	4,685.57	19,727.78
आरआरबीएसएच विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	2,287.62	42,964.85
आरआरबीएसएच आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	14,568.80	18,932.64
आरआरबीएसएच झारखंड ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	1,447.72	35,832.31
आरआरबीएसएच नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	5,986.62	78,492.12

घ. सभी अनुषंगियों में पूंजीगत कमी की कुल राशिजिसे विनियामक समेकन, अर्थात गुंजाइश में शामिल नहीं किया गया जिनकी कटौती की जाती है:

अनुषंगियों में कोई कमी नहीं है।

ङ बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हित की समग्र राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य) जिन्हें जोखिम आधार पर मापा जाता है:

बीमा कंपनियों के नाम/ निगमीकरण का देश	संस्था की प्रमुख गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन बैलेंस शीट में बताए राशि मिलियन	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का % / मतदान अधिकार का अनुपात	कटौती पद्धति का उपयोग करने बनाम जोखिम भारितापद्धति का उपयोग करने से नियामक पूंजीपर मात्रात्मक प्रभाव (₹ मिलियन में)
स्टार दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	जीवन बीमा	65262.68	28.96	1875.00 (जोखिम भार 250 %)

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या नियामक पूंजी के अंतरण के संबंध में कोई प्रतिबंध या बाधाएं जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंकद्वारा अधिशासित है।

तालिका डीएफ - 2

पूंजी पर्याप्तता

i. गुणात्मक प्रकटन

क. वर्तमान तथा भावी कार्य-कलापो के समर्थन में अपनी पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन के लिए बैंक के दृष्टिकोण की संक्षेप में विवेचना।

1. बैंक ऑफ़ इंडिया

अपने 'जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)" को समुचित बनाए रखने हेतु बैंक समय-समय पर अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं का नियमित मूल्यांकन करता है। भविष्य में कारोबार वृद्धि, पूंजीगत आवश्यकताएं, नीति दिशा-निर्देश, मेक्रो आर्थिक परिदृश्य एवं जोखिम क्षमता, आदि का ध्यान रखने हेतु पूंजीगत योजना की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। सभी जोखिमों से व्यापक रूप से निपटने हेतु बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) विकसित की है।

2. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

बैंक इंडोनेशिया के विनियमनके अनुरूप विदेशी मुद्रा व्यापार चलाने के लिए, बैंक की टियर-1 पूंजी कम-से-कम IDR 1 ट्रिलियन होना चाहिए।

3. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी) और बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. (अनुषंगी)

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु बैंक ऑफ़ तंजानिया (बीओटी) और बैंक ऑफ़ युगांडा (बीओयू) द्वारा कार्यान्वित अनुसार, बासेल समिति द्वारा विकसित दिशानिर्देशों पर आधारित तकनीक का प्रयोग करते हुए, बैंक प्रबंधन द्वारा पूंजी पर्याप्तता तथा नियामक पूंजी के प्रयोग की नियमित निगरानी की जाती है। आवश्यक सूचना तिमाही आधार पर बीओटी स्थानीय विनियामक के पास प्रस्तुत है, वह दो टियर में विभाजित है :

टियर 1 पूंजी :- शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियां। टियर-1 पूंजी की गणना में पूर्वदत्त व्यय एवं आस्थागित प्रभार काट लिए जाते हैं।

टियर 2 पूंजी :- अर्हक गौण ऋण पूंजी, समेकित क्षतिभत्ता तथा बिक्री हेतु उपलब्ध इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर अप्राप्त उगाही।

जोखिम भारित आस्तियों को चार जोखिम भारों के अनुक्रम द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। जोखिम-भार का वर्गीकरण, किसी पात्र संपार्श्विक या गारंटी की गणना करते हुए, आस्ति की प्रकृति, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और प्रत्येक आस्ति एवं प्रतिपक्ष से जुडे जोखिम के आधार पर किया जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया, संभावित हानियों की अधिक आकस्मिक प्रकृति को परिलक्षित करते हुए कुछ आशोधनों के साथ, ऑफ़-बैलेन्स शीट एक्सपोज़र के लिए भी की जाती है।

4. बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी)

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूजीलैंड (आरबीएनजेड़) के दिशानिर्देशों पर आधारित नियोजित तकनीक पर पूंजी पर्याप्ताता तथा नियामक पूंजी के प्रयोग की निगरानी प्रतिदिन बैंक के प्रबंधन द्वारा की जाती है। आवश्यक सूचना का प्रकटन तिमाही आधार पर सामान्य प्रकटन विवरण द्वारा किया जाता है। बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रबंधित नियामक पूंजी में केवल टियर 1 पूंजी शामिल है।

टियर 1 पूंजी : शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियाँ।

जोखिम भारित आस्तियों को चार जोखिम भारों के अनुक्रम द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। जोखिम-भार का वर्गीकरण, किसी पात्र संपार्श्विक या गारंटी की गणना करते हुए, आस्ति की प्रकृति, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और प्रत्येक आस्ति एवं प्रतिपक्ष से जुडे जोखिम के आधार पर किया जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया, ऑफ़-बैलेन्स शीट एक्सपोज़र के लिए भी की जाती है।

5. बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

बैंक की नियामक पूंजी, जो इसके प्रबंधन द्वारा प्रबंधित है, वह दो टियर में विभाजित है :

टियर 1 पूंजी : शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियां (अनुषंगी के लिए अब हानि)। टियर ध पूंजी की गणना के लिए पूर्वदत्त व्यय एवं आस्थगित प्रभारोंको घटा दिया जाता है।

टियर 2 पूंजी : अर्हक गौण ऋण पूंजी, समेकित क्षतिभत्ता अर्थात मानक आस्तियों पर प्रावधान तथा बिक्री हेतु उपलब्ध इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर अप्राप्त उगाही।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

		राशि मिलियन रुपयों में
(बी)	ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं :	268,122.58
➢	मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की शर्त पर पोर्टफोलियो	
➢	प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	
(सी)	बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं: मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण;	21,668.09
➢	ब्याज दर जोखिम	13,241.09
➢	विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना सहित)	334.87
➢	इक्विटि जोखिम	8,092.13
(डी)	परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता : बेसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण ➢ मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	25,529.19
(ई)	कॉमन इक्विटी टियर 1, टियर 1 और कुल पूंजी अनुपात : श्रेष्ठ समेकित समूह हेतु; और महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों के लिए (फ्रेमवर्ककिस तरह लागू किया जाता है उसके आधार पर स्टैंड एलोन या सब-कन्सॉलिडेटिड	
➢	आम इक्विटी टियर 1 पूंजी (CET 1)	7.71%
➢	टियर 1 पूंजी (T 1)	9.42%
➢	कुल पूंजी अनुपात	12.62%

तालिका डीएफ 3 - ऋण जोखिम

सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

क) ऋण जोखिम सहित सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें सम्मिलित है:

➢ **पिछले देय तथा अपसामान्य की परिभाषा (लेखांकन प्रयोजन हेतु)**

1.0 बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों का अनुपालन करता है, जिसका सारांश निम्नलिखित है:

1.1 अनर्जक आस्तियाँ

एक आस्ति जिसमें पट्टा आस्ति शामिल है जब बैंक के लिए आय उत्पन्न नहीं करती है तब वह अनर्जक हो जाती है।

अनर्जक आस्ति (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसमें :

- मीयादी ऋण के संबंध 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए मूलधन का ब्याज और/या किस्त अतिदेय रहता है।
- एक ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के सम्बन्ध में, नीचे दर्शाए गए अनुसार ''अनियमित'' हुआ खाता।
- क्रय तथा बट्टागत बिल के मामले में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहने वाले बिल।
- अल्पावधि फसलों हेतु दो फसली मौसमों के लिए, अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा ब्याज।
- दीर्घावधि फसलों हेतु एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा उसपर ब्याज।
- दिनांक 1 फरवरी, 2006 के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के अनुसरण में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है तो।
- बैंक किसी भी खाते को एनपीए के रूप में तब ही वर्गीकृत करेगा जब ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह चुकाया नहीं जाए।।
- बुनियादी/गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण, यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार (90 दिन का अतिदेय होने पर) वाणिज्यिक परिचालन शुरु होने से पहले किसी भी समय एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- किसी बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से दो वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता है तो उसे एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- किसी गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से छ: माह के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता हैं तो उसे एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।

1.2 ''अनियमित'' स्थिति

एक खाता तब ''अनियमित'' माना जाता है जब उसमें स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से ज्यादा बकाया लगातार बना रहे। उन मामलों में जहाँ प्रधान परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृति सीमा/आहरण अधिकार से कम है किन्तु तुलन पत्र की तिथि तक 90 दिनों तक लगातार कोई जमा नहीं है या उस अवधि के दौरान ब्याज नामें करने की राशि न हो तो, इन खातों को ''अनियमित'' खाता माना जाता है।

1.3 ''अतिदेय''

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि तब ''अतिदेय'' होती है जब बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

1.4 अनर्जक निवेश

प्रतिभूतियों के मामले में, जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया है तथा बैंक प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करता है तथा निवेशमूल्य में मूल्यहास हेतु यथोचित प्रावधान करता है।

एक अनर्जक निवेश (एनपीआई) एक अनर्जक अग्रिम (एनपीए) के समान है जहाँ :

- ब्याज/किस्त (परिपक्वता आगम सहित) देय है तथा 90 दिनों से अधिक तक अदत्त है।
- अधिमानी शेयरों के यथोचित परिवर्तनों सहित जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।
- इक्विटी शेयरों के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुरुप नवीनतम तुलन पत्र के अनुपलब्धता पर किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य रु. 1 प्रति कंपनी है तो ऐसे इक्विटी शेयर अनर्जक निवेश माने जाएंगे।
- निर्गमकर्ता द्वारा यदि कोई ऋण सुविधा प्राप्त की जाती है जो बैंक की बही में अनर्जक अग्रिम है तब इस निर्गमकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश को अनर्जक अग्रिम माना जाएगा तथा विलोमत:।
- डिबेन्चर/बॉड में निवेश, जिसे अग्रिम प्रकृति का समझा जाए वह निवेशों पर लागू अनर्जक अग्रिम के अध्यधीन है।

2.0 पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

ऋण गुणवत्ता का अभिनिर्धारण कारोबार की संभावना, ऋणी का कार्यनिष्पादन और चुकौती क्षमता जैसे तथ्यों के आधार पर किया जाता है। यह प्रत्येक अभिनिर्धारण तथ्य और घटकों तथा संबंधित ऋणी की विशिष्टताओं से संबद्ध अभिनिर्धारण तथ्यो के आधार पर किया जाता है। तदनुसार आस्तियों को चालू, विशेष उल्लेख, अवमानक, संदिग्ध और हानि प्रवर्ग में वर्गीकृत किया जाता हैं।

''आस्तियाँ'' अर्जक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों में वर्गीकृत की जाती हैं। अर्जक आस्तियाँ, राजस्व अर्जित करने के लिए किसी बैंक द्वारा निधियों

का प्रावधान है। ''अनर्जक आस्तियाँ '' बैंक की अर्जक आस्तियों के अलावा है जिसमें हानि की संभावना है।

कोई आस्ति अनर्जक तब होती है जब वह बैंक के लिए राजस्व उत्पन्न करना बंद कर देती है। अनर्जक आस्ति ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ मूलधन और/या ब्याज 90 दिन से अधिक के लिए बकाया है।

गत देय : किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय राशि गतदेय होती है यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित की गई तिथि को नहीं किया जाता है।

1 जनवरी, 2010 को पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके ने नई लेखांकन नीति पीएसएके 50 तथा 55 के कार्यान्वयन को आरम्भ किया जो अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक आईएएस 32 तथा 39 के समान है जिसके अनुसार वित्तीय आस्तियों को उचित मूल्य पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। पीएसएके 50 एवं 55 के कार्यान्वयन के दौरान, बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया ने दिशानिर्देश जारी किए हैं कि यदि संक्रमण काल के दौरान अर्थात वर्ष 2011 तक यदि बैंक ऐतिहासिक हानि डाटा नहीं रखती है तो वह, उपर्युक्त वर्णितानुसार ह्रासित वित्तीय आस्ति की गणना कर सकता है। अब हम बैंक के कोर बैंकिंग में समेकित पीएसएके परिकलन में प्रगति दर्शा रहे हैं जो प्रौद्योगिकी उन्नतिकरण के हमारे कारोबारी योजना के समान है।

मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा समीक्षित बकाया ऋण और अग्रिम निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाना चाहिए :

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
90-180	अवमानक	15%
120-180	संदिग्ध	50%
180 और ज्यादा	हानि	100%

3.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) बैंक ऑफ़ इंडिया युगांडा एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. (अनुषंगी)

ऋण जोखिम बैंक के लिए वित्तीय हानिका जोखिम हो जाता है जब कोई ग्राहक या किसी वित्तीय लिखत का प्रतिपक्षी अपने संविदागत दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पाता है और वह प्रमुख रूप से ग्राहकों एवं अन्य बैंकों को बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा नामे प्रतिभूतियों में निवेश के कारण होता है।

निदेशक मंडल ने अपनी ऋण समिति को ऋण जोखिम की चूक के लिए जिम्मेदारी प्रत्यायोजित की है। ऋण समिति को रिपोर्ट करने वाला ऋण विभाग बैंक के ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, इसमें निम्नलिखित शामिल है:-

- संपार्श्विक आवश्यकताओं को कवर करते हुए ऋण नीतियों का प्रतिपादन, ऋण निर्धारण, जोखिम ग्रेडिंग तथा रिपोर्टिंग, प्रलेखी तथा विधिक प्रक्रियाएं, विनियामक तथा सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन।
- ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए प्राधिकृत करने का ढ़ाँचा स्थापित करना। बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऋण नीति द्वारा ऋण सीमाएँ शामिल होती हैं।
- ऋण जोखिम की समीक्षा एवं अभिनिर्धारण।
- प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम का संकेन्द्रण, भौगोलिक एवं औद्योगिक (ऋणों एवं अग्रिमों के लिए) सीमित करना।

3.1 गत देय एवं अनर्जक की परिभाषा (लेखांकन उद्देश्य के लिए)

ओवरड्राफ्ट एवं अन्य ऋण सुविधा बिना विशिष्ट नियत तारीखों के गत देय माने जाएंगे यदि

- ग्राहक का उधार सीमा से अधिक हो जाए।
- ग्राहक की उधार सीमा समाप्त हो जाए।
- गणना किए गए ब्याज और अवधि के लिए नियत ब्याज को पूरा करने के लिए जमाराशियों का अपर्याप्त होना।
- बिल अनादृत कर दिए गए हों।
- बिल या खाते का भुगतान नियत तारीख पर न किया गया हो।
- ऋण जिनकी चुकौती किस्तों में की जानी होती है, समूचे रूप से गतदेय माने जाते हैं, यदि कोई भी किस्त जो देय हो चुकी है और तीस दिन या ज्यादा अवधि के लिए भुगतान नहीं की गई हो।

4.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-180	अवमानक	10%
181-270	संदिग्ध	50%
271 और अधिक	हानि	100%

5.0 बैंक ऑफ़ इंडिया(तंजानिया) लि.

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-180	अवमानक	20%
181-270	संदिग्ध	50%
271 और अधिक	हानि	100%

6.0 बैंक ऑफ़ इंडिया युगांडा

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-179	अवमानक	20%
180-365	संदिग्ध	50%
365 और अधिक	हानि	100%

7.0 बैंक ऑफ़ इंडिया (बोस्तवाना) लि.

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
1 वर्ष	मानक	प्रतिभूत - 20% अप्रतिभूत - 25%
1 वर्ष से अधिक एवं 2 वर्ष से कम	संदिग्ध	25% + कमी का 100%
2 वर्ष से अधिक से 4 वर्ष तक	संदिग्ध	40% + कमी का 100%
4 वर्ष से अधिक	संदिग्ध	100%
271 एवं अधिक	हानि	100%

ख) बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा

क. बैंक ऑफ़ इंडिया

- एक बैंक के पोर्टफोलियों में, एक ग्राहक अथवा प्रतिपक्ष का उधार, व्यापार समझौता और अन्य वित्तीय लेन-देन के प्रतिबद्धता को पूर्ण करने की अक्षमता या अनिच्छा से अथवा ऋण नीति में वास्तविक या महसूस किए गए ह्रास से पोर्टफोलियों के बढ़ते मूल्य की एकमुश्त चूक से हानि उत्पन्न होती है।
- इन कमियों के विरुद्ध बैंक के दीर्घावधि वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक दृढ़ जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। ऋण जोखिम प्रबंधन में पहचान, मापन, निगरानी तथा ऋण जोखिम नियंत्रण सम्मिलित है।
- ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में सामान्य स्तर पर बैंक ने विभिन्न प्रकार के ऋण जोखिम की पहचान की है। उत्पाद/प्रक्रियाओं के स्तर पर अधिक सूक्ष्मता से पहचान होती है। नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को आरम्भ करने से पहले विभिन्न जोखिमों का आकलन किया जाता है, जिसे जोखिम दृष्टिकोण से जोखिम रहित किया जाता है।
- ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क में तीन विशिष्ट खण्डों को इसकी नीति में समाहित किया गया है जो है- नीति एवं कार्यनीति, संस्थागत ढ़ांचा और परिचालन/प्रणाली।

i. नीति और कार्यनीति

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन को अपनाता रहा है, जिससे कठिन समय में भी बैंक अपने संतुलन को बनाए रख पाया। यद्यपि नए तथा अनछुए क्षेत्रों के संबंध में बैंक की एक खुली नीति रही है तथा नए अवसरों को बैंक ने हमेशा पहचाना है। इस दर्शन के महत्वपूर्ण पक्षों को परिपत्रों में दर्शाया गया है तथा समय-समय पर अनुदेश पुस्तिका रूप में संहिताबद्ध किया गया है।

लाभप्रदता, सामना किए जानेवाले विभिन्न जोखिमों के स्तर, पूँजी स्तर, बाजार परिदृश्य तथा प्रतियोगिता को दृष्टिगत रखते हुए बैंक के कारोबारी उद्देश्यों और कार्यनीतियों का निर्णय लिया जाता है। बैंक की सोच हमेशा आस्ति गुणवत्ता तथा अर्जन पर रहती है अतएव वह विवेकपूर्ण ढ़ंग से जोखिम नियंत्रण सहित लाभप्रदता को अधिक करने का प्रयास करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तथा सार्थक ऋण जोखिम संबंधी नीति जैसे ऋण नीति तथा ऋण अनुप्रवर्तन नीति का अनुमोदन तथा आवधिक तौर पर समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। ऋण नीति विभिन्न क्षेत्रों का ध्यान रखती जैसे ग्राहक, विपणन, उधार के क्षेत्रवार अभिगम, ऋण सुपुर्दगी, ऋण पर जोर, ऋण अवधि, ऋण अर्जन, जोखिम श्रेणी निर्धारण (जोखिम स्वीकार मानदंड सहित), कीमत निर्धारण, ऋण मूल्यांकन, सीमाओं का निर्धारण, ऋण जोखिम मानदंड, उद्योग मानदंड, संपार्श्विक और मार्जिन, रिश्तों की समीक्षा, प्रत्यायोजन कर योजना सांविधिक तथा अन्य नियंत्रण तथा प्रलेखीकरण। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों हेतु ऋण नीति है और प्रत्येक केन्द्र की अपनी क्रेडिट नीति है जो मुख्य नीति से मेल खाती है। ऋण मामले में शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए एक अलग नीति है। इसके अतिरिक्त ऋण जोखिम की पहचान तथा निगरानी ऋण अनुप्रवर्तन नीति के अंतर्गत की जाती है। पुनर्गठन नीति, बैंक जोखिम नीति, देश जोखिम नीति तथा ऋण लेखापरीक्षा नीति भी है। निवेश समिति द्वारा अनुमोदन के बाद तथा निवेश नीति में दिए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश अनुबंधित होता है।

ii. संस्थागत ढांचा

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य हेतु बैंक के संस्थागत ढांचे में शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल है जो जोखिम प्रबंधन पर व्यापक पर्यवेक्षण रखता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर कॉम) जो कि बोर्ड की उप-समिति है तथा जिसके अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष और इसके सदस्य के रुप में ऋण, मार्केटिंग और परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति के प्रमुख हैं जो ऋण जोखिम सहित समेकित जोखिम प्रबंधन की नीति और कार्यनीति निर्धारित करते हैं। परिचालनात्मक स्तर पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) ऋण जोखिम का दायित्व संभालते हैं। इसके मुख्य कार्यों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन, बृहत आधार पर बैंक के ऋण जोखिम की निगरानी, ऋण प्रत्यायोजन, बृहत ऋण जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमा, पोर्टफोलियों प्रबंधन आदि सहित ऋण मामलों से संबंधित सभी नीतियों का बोर्ड से अनुमोदन हेतु अनुशंसा करना है।

जोखिम प्रबंधन विभाग महाप्रबंधक पद के मुख्य जोखिम अधिकारी के देखरेख में कार्यरत है जो जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर व्यापक रूप से ऋण जोखिम का मापन, नियंत्रण तथा प्रबंधन करता है तथा बोर्ड/आर कॉम/सीआरएमसी द्वारा तय जोखिम मानदंडों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करता है। महाप्रबंधक के अंतर्गत कार्यरत ऋण निगरानी विभाग ऋण पोर्टफोलियों का अनुप्रवर्तन करता है, समस्याओं की पहचान करता है तथा कमियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋण लेखापरीक्षा कार्यों में ऋण समीक्षा/ऋण लेखापरीक्षा का समावेश है।

iii. परिचालन/प्रणाली/प्रक्रियाएं

बैंक ऋण प्रदान करने के लिए निरंतर एक मानक, तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली मदों सहित सभी ऋण जोखिमों का अनुरक्षण तथा प्रलेखीकरण, आवधिक व्यक्तिगत बाध्यताधारी समीक्षा, आवधिक निरीक्षण तथा संपार्श्विक प्रबंधन प्रणाली जैसी स्वत: पहल कर ऋण जोखिम प्रबंधन करता है।

ऋण जोखिम सीमा में उद्योग द्वारा बाध्यताधारी सीमा व संकेन्द्रण सीमा, ग्राहकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु प्रणाली व प्रक्रिया हेतु निगरानी तथा सीमा में बकाया नियंत्रण सम्मिलित है। ऋण विस्तार हेतु जांच तथा अधिशेष है यथा ऋण स्वीकृति से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, सीआरएमसी द्वारा जोखिम दृष्टिकोण से नए उत्पादों तथा प्रणाली का पुनरीक्षण, बहु ऋण अनुमोदक, जोखिम निर्धारण करने की प्रणाली, ग्राहक के जोखिम ग्रेडिंग पर आधारित कीमत सुविधाओं की प्रणाली, जोखिम दृष्टिकोण से ऋण प्रस्तावों के पुनरीक्षण हेतु ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति, ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा, स्वीकृति पूर्व संवितरण पूर्व समीक्षा तथा स्वीकृति पूर्व समीक्षा प्रणाली तथा

स्वतंत्र लेखापरीक्षा व जोखिम समीक्षा कार्य निवेशों हेतु प्रस्ताव ऋण जोखिम विश्लेषण, विस्तृत मूल्यांकन तथा क्रम निर्धारण के अध्यधीन है। प्रवेश स्तर के मामले में, न्यूनतम क्रमनिर्धारण/गुणवत्ता मानक, उद्योग, परिपक्वता, अवधि, निर्गम अनुसार मामले निवेशों हेतु विनिर्धारित किए गए हैं जिससे कि तरलता के जोखिम तथा संकेन्द्रण के विपरीत प्रभाव को कम कर सकता है। अन्य बैंकों पर सकल जोखिम पर केन्द्रीयकृत परिदृश्य प्रदान करने हेतु एक उचित फ्रेमवर्क तथा अर्धवार्षिक समीक्षा की गई है। देश के जोखिम का अनुप्रवर्तन अर्धवार्षिक आधार पर होता है।

जोखिम आस्तियों के विविधतापूर्ण पोर्टफोलियों का अनुरक्षण किया जाता है तथा पोर्टफोलियों के नियमित विश्लेषण करने की एक प्रणाली है जिससे कि जोखिम संकेन्द्रण के जोखिम नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। अनर्जक अग्रिमों के संबंध में एक संतुलित नीति प्रक्रियागत है। ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली के आरम्भ सहित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) उन्नतिशील किया गया है जिससे कि बैंक की क्षमताएं बढ़ेगी तथा तुलन पत्र में न आनेवाली अनिवाली सभी गतिविधियों के ऋण जोखिम का बैंक प्रबंधन करेगा।

iv. ऋण जोखिम प्रबंधन/न्यूनीकरण हेतु निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया जाता है -

➢ ऋण अनुमोदित करने संबंधी प्राधिकार अधिकारों का प्रत्यायोजन

बैंक में बहु स्तरीय जोखिम आधारित अनुमोदित प्रणाली वाली सुस्पष्ट प्रत्यायोजन अधिकार की योजना है जिसकी आवधिक समीक्षा की जाती है और कारोबार के वातावरण की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए जब एवं जैसा आवश्यक होता है, उसे संशोधित किया जाता है। अधिकारियों का प्रत्यायोजन उधारकर्ताओं के रेटिंग के साथ लिंक की हुई है जहां बेहतर रेट वाले ग्राहकों को उच्चतर सीमा की मंजूरी देने का अधिकार है। वर्तमान में सभी ऋण प्रस्तावों पर जो महाप्रबंधक और उससे उच्चतर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित प्राधिकारमें आते हैं। "ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति (सीआरईसी)" के माध्यम से कार्रवाई की जाती है जिससे ऋण प्रस्तावों में जोखिमों को स्वतंत्र एवं परोक्ष रूप से मूल्यांकन समझा जा सके। जोखिम प्रबंधन विभाग के महाप्रबंधक जिसे कोई मात्रात्मक या लाभ का लक्ष्य नहीं है सीआरईसी का अनिवार्य सदस्य होता है। वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर प्रत्यायोजित अधिकारों के प्रयोग हेतु स्वीकृति के अधिकारी सहित गठित की गई हैं। प्रधान कार्यालय स्तर पर फील्ड में कार्यरत अधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों से परे प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए तीन ऋण समितियाँ (जीएमएलसीसी, ईडीएलसीसी एवं सीएसी) कार्यरत हैं। आंचलिक कार्यालय/ एनबीजी कार्यालय में उनके अधिकारों में आनेवाले ऋण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए इसी प्रकार ऋण समितियाँ (एसजेडएलसीसी/जेडएलसीसी/एनबीजीएलसीसी) का गठित की गई है।

➢ विवेकपूर्ण सीमाएँ

विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए ऋण/निवेश के विविध पहलुओं जैसे एकल/समूह उधारकर्ता सीमाओं के संबंध में उपयुक्त विवेकपूर्ण सीमाएँ हैं।

➢ जोखिम श्रेणी निर्धारण/मूल्य निर्धारण

काऊन्टर पार्टी के विभिन्न जोखिम घटकों के लिए एकल बिन्दु इन्डीकेटर तथा क्रेडिट तथा मूल्य निर्धारण में सहायता हेतु बैंक ने विभिन्न खण्डों में श्रेणी निर्धारण माडल आरंभ किया है।

➢ ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था (एलआरएम)

ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था ऋण बही की गुणवत्ता के लगातार मूल्यांकन करने और ऋण प्रबंध में गुणात्मक सुधार लाने हेतु एक प्रभावी साधन है।

v. विश्लेषण के माध्यम से संविभाग प्रबंधन

विभिन्न ऋण पोर्टफोलियों एवं निवेशों की समग्र संरचना और गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक उपयुक्त प्रणाली होना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से शुरुआत के लिए बैंक ने एक सरल पोर्टफोलियों निगरानी फ्रेमवर्क प्रारंभ किया है। आगे चलकर बैंक और अधिक परिष्कृत पोर्टफोलियों प्रबंधन मॉडल तैयार करेगा। रु 10 लाख और इससे अधिक वाले खातों में रेटिंग माइग्रेशन छ:माही किया जा रहा है और बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट साफ्टवेयर (सीआरएमएस) चरणबद्ध रुप से कार्यान्वित किया जा रहा है। बैंक एडवांस एप्रोच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है।

vi. जोखिम मापांकन

वर्तमान में ऋण जोखिम का निर्धारण जोखिम श्रेणी निर्धारण व्यक्तिश: स्तर पर करने और पोर्टफोलियो स्तर पर आस्तियों के भारांक एवं जोखिम भारांको के आधार पर रखी गई पूँजी के माध्यम से किया जाता है। 31 मार्च 2008 से प्रभावी नवीन पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल छ) के अन्तर्गत बैंक ने मानक दृष्टिकोण को अपना लिया है।

vii. जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली

सभी ऋण संबंधी नीतियाँ अनुमोदन के लिए उचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सीआरएमसी (जो ऋण जोखिम के लिए परिचालन स्तर की समिति है) द्वारा अनुमत की जाती है। उचित निगरानी करने के लिए विभिन्न ऋण संबंधी सूचनाएँ सीआरएमसी को प्रस्तुत की जाती है।

viii. जोखिम समीक्षा

लेखापरीक्षा-ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं साधन भी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन हैं।

ख. पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) ने संपूर्ण जोखिम प्रबंधन को स्वीकृत लक्षित, समन्वित और सतत बनाने की आशा से जोखिम जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) तथा जोखिम प्रबंधनइकाई (आरएमयू) स्थापित की है जो परिचालन इकाई और आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई ('"आंतरिक लेखा परीक्षा") से स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त आरएमसी और आरएमयू के कार्यों के कार्यान्वयन के प्रभाव की निगरानी के लिए बैंक ने जोखिम निगरानी समिति बनाई है जो सीधे बोर्ड ऑफ कमीशनर्स को उत्तरदायी है।

बैंक ऑफ इंडोनेशिया के अनुसार बैंक ने ८ (आठ) प्रकार के जोखिमों को संभाला है। ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, अनुपालन जोखिम, विधि जोखिम, जोखिम के साथ संभाव्य जोखिम वाली गतिविधियाँ जो बैंक की कारोबार निरन्तरता को खंडित करती है । जोखिम प्रकार का आकलन किसी भी कार्यात्मक गतिविधि (निहित जोखिम) और जोखिम नियंत्रण प्रणाली में निहित जोखिमों का संयोजन है।

बैंक नए ऋणों का अनुमोदन करने में चयनात्मक बरने में चयानात्मक है और नियामक द्वारा आवश्यक ऋण के प्रावधान से अधिक बनाए रखता है।

संपार्श्विक आधारित उधार में, संपार्श्विक के मूल्य पर हेयरकट लगाई जाती है। बैंक को जोखिम अधिकारी निदेशक अनुपालन को रिपोर्ट करता है। . जोखिम प्रबंधन इकाई (आरएमयू) ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की देखभाल/ निगरानी रखते हैं।

ग. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. (अनुषंगी), बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (बोटस्वाना) लि.

मासिक आधार पर ब्याज लगाया जाना, मानक आस्तियों में संभाव्य ऋण चूक या व्यतिक्रम से निपटने का एक उपयोगी साधन बन गया है। आस्ति की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु बैंक ने निम्नलिखित नीति अपनाई है जिस पर शाखाओं को तुरंत अमल करना चाहिए और :-

i. उधारकर्ता के साथ सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से अतिदेय या कम से कम संकटपूर्ण राशि को वसूल करना।

ii. अस्थायी बेमेल रोकड़ प्रवाह के मामलों में खातों में परिचालन को बनाए रखना।

iii. अपेक्षित नकदी प्रवाह के अनुसार चुकौती मीयाद को पुनर्निर्धारित करना।

iv. पुनर्रचना नीति में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार नकदी प्रवाह में यदि कोई अंतर हो तो अपेक्षित नकदी प्रवाह को दृष्टिगत रखते हुए देय राशि की पुनर्रचना की जाए।

एनपीए होने से पहले खातों में बैंक द्वारा उपरोक्त में एक या अधिक कार्रवाई की गई है।

➢ **विशेषकर उल्लिखित खाते/एनपीए खातों के अनुवर्तन हेतु उपाय**

एनपीए की निगरानी/निवारण हेतु सामान्यत: बैंक में उपलब्ध विभिन्न उपाय नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :-

i. एनपीए होने से पहले खाता ड(विशेष रूप से उल्लिखित खाता (एसएमए).

क. आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वीकृत अवधि के अनुपालन हेतु सघन निगरानी।

ख. जहाँ भी अनियमितताएँ पाई गई है वहां तत्परता से अनुस्मारकों का भेजा जाना।

ग. एनपीए प्रवर्ग में खाते का न जाना सुनिश्चित करने हेतु तुरंत अतिदेयों की वसूली करना।

घ. वित्तीय डाटा के विश्लेषण के साथ इकाई का आवधिक निरीक्षण एवं आस्ति प्रभार।

ड. खातों को एनपीए होने से पहले प्राप्य राशियों को पुनर्संरचित करना, अधिस्थगन अवधि, ब्याज निधि एवं किश्तों के आस्थगन की वृद्धि सहित सुधारात्मक कार्रवाई।

ii. एनपीए होने के बाद खाता बैंक की प्राप्य राशियों की वसूली हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए।

एनपीएज़ के समाधान हेतु निम्नलिखित उपायों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए :-

1. बकाया को कम करने हेतु अर्थ सुलभ प्रतिभूतियों (टीडीआर, शेयर, मार्जिन राशि आदि) एवं गिरवी वस्तुओं का विनियोजन
2. उधारकर्ताओं के सहयोग से अन्य प्रतिभूतियों का निपटान
3. समझौता वार्ता के माध्यम से प्राप्य राशियों का समझौता निपटान
4. अग्रिम को रीकॉल करना
5. अदालत में मुकदमा दाखिल - डिक्री निष्पादन
6. अंत में, प्राप्य राशियों की वसूली हेतु सभी उपाय करने के पश्चात्, हम शेष प्राप्य राशियों को बट्टे खाते डाल सकते हैं। एनपीएज़् के समाधान हेतु इन सभी उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

मात्रात्मक प्रकटन

ए. कुल सकल ऋण जोखिम निम्नानुसार

प्रवर्ग	राशि मिलियन रुपयों में
निधि आधारित	41,17,189.52
गैर-निधि आधारित *	6,50,777.91

* क्रेडिट छोड़कर डेरिवेवस के समतुल्य

बी. जोखिम का भौगोलिक वितरण:

(रु. मिलियन में)

	स्वदेशी	विदेशी
निधि आधारित	30,11,770.88	11,05,418.64
गैर-निधि आधारित	6,00,957.20	49,820.71

सी. उद्योगवार जोखिम का वितरण निम्नलिखित है :

उद्योग का नाम	निधि आधारित (बकाया राशि) राशि मिलियन में	गैर निधि आधारित (बकाया राशि) राशि मिलियन में
कोयला	1,364.05	89,249.21
खदान	31,257.88	-
लौह एवं इस्पात	1,18,395.42	4,015.04
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	34,409.01	7,515.37
सभी इंजीनियरिंग	16,887.54	14,033.09
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	2,444.75	2,348.61
विद्युत	2,94,526.42	
सूती वस्त्र उद्योग	45,124.90	6,222.80
जूट वस्त्र उद्योग	1,189.61	335.14
अन्य वस्त्र उद्योग	44,991.66	4,923.27
चीनी	17,319.98	700.93
चाय	16.39	38.41
खाद्य प्रसंस्करण	20,964.76	7,161.25
वनस्पति तेल एवं वनस्पति	8,317.73	9,619.22
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	8,319.61	785.25

पेपर एवं पेपर उत्पाद	13,111.30	949.61
रबर एवं रबर उत्पाद	21,287.41	8,933.75
केमिकल, डाई, पेंट्स आदि	44,749.66	15,277.88
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	4,280.21	1,720.15
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	12,678.79	5,365.60
जिसमें से ड्रग्ज और फार्मास्युटिकल्स	14,789.82	3,466.25
सीमेंट	11,935.33	864.30
चर्म एवं चर्म उत्पाद	3,939.67	713.15
रत्न एवं आभूषण	93,449.69	3,200.70
निर्माण	28,487.87	19,409.54
पेट्रोलियम	49,933.32	20,854.55
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	27,903.51	3,404.24
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-
आधारभूत संरचना*	4,47,186.70	96,124.45
जिसमें से पॉवर	2,94,766.81	46,971.49
जिसमें से दूरसंचार	5,192.74	184.15
जिसमें से सड़के और पत्तन	1,02,395.27	25,000.46
अन्य उद्योग	82,599.75	1,47,679.88
शेष अन्य अग्रिम(सकल अग्रिमों सहित तुलन के लिए)	29,44,046.77	1,88,766.89
कुल	41,17,189.52	6,50,777.91
▹ **बुनियादी संरचना क्षेत्र के 10.86% के दर से एक्सपोज़र कुल निधि आधारित अग्रिमों के 5% से अधिक है**		
▹ **बुनियादी संरचना क्षेत्र को एक्सपोज़र कुल गैर-निधि आधारित बकाया के 14.77% के दर से**		

डी. आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण निम्नलिखित है:

(₹ मिलियन में)

	अग्रिम*	निवेश (सकल)	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ *
अगले दिन	116,217.34	278,174.59	60,120.80
2 - 7 दिन	92,530.37	21,855.79	38,964.40
8 -14 दिन	119,266.04	33,087.78	53,408.63
15 - 28 दिन	139,531.06	24,985.75	193,045.33
29 दिन - 3 माह	365,154.87	56,420.33	324,844.22
> 3 माह - 6 माह	247,030.16	38,223.49	222,610.25
> 6 माह - 1 वर्ष	269,996.51	95,957.93	150,858.00
> 1 वर्ष - 3 वर्ष	602,212.37	221,967.33	175,157.23
> 3 वर्ष - 5 वर्ष	595,425.49	182,057.34	105,962.14
> 5 वर्ष	1,285,256.57	349,236.93	105,056.64
कुल...	**3,832,620.78**	**1,301,967.26**	**1,430,027.64**

*** आँकड़े निवल आधार पर दर्शाए गए हैं।**

ई. सकल एनपीए इस प्रकार हैं -

प्रवर्ग	(रु. मिलियन में)
अवमानक	1,08,626.74
संदिग्ध-1	1,24,952.78
संदिग्ध - 2	2,36,146.35
संदिग्ध - 3	27,708.97
हानि	25,307.52
कुल...	5,22,742.36

एफ. निवल एनपीए की राशि रू. 253050.30 मिलियन है।

जी. एनपीए अनुपात निम्नानुसार है :

- सकल अग्रिमों पर सकल एनपीए : 13.22%
- निवल अग्रिमों पर निवल एनपीए : 6.90%

एच. सकल एनपीए का उतार चढ़ाव निम्नप्रकार है :

(रु. मिलियन में)

i) वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	5,02,685.95
ii) वर्ष के दौरान किया गया परिवर्धन	2,04,329.98
iii) वर्ष के दौरान की गई कटौती	1,84,273.53
iv) वर्षान्त मे इतिशेष (i + ii + iii)	5,22,742.40

आई. एनपीए हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्नानुसार है : (रु. मिलियन में)

i) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष (फ्लोटिंग प्रावधान को छोड़कर)	2,02,869.62
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	84,115.44
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	38,421.73
iv) वर्षान्त मे इतिशेष (i + ii + iii)	2,48,563.33

जे. अनर्जक आस्ति निवेश की राशि रू 10669.76 मिलियन है।

के. अनर्जक आस्ति निवेश हेतु किए गए प्रावधान की राशि रू 7672.04 मिलियन है।

एल. निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्न प्रकार है :

(रु. मिलियन में)

i) वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	14,577.69
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	4,342.91
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	3,133.40
iv)	(427.60)
v) वर्षान्त में इतिशेष (i + ii + iii + iv)	15,359.61

एम. एनपीए और बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए प्रमुख उद्योग या प्रतिपक्ष प्रकार द्वारा किया गया प्रावधान (सोलो) :

उद्योग का नाम	**एनपीए मिलियन रुपयों में**	**प्रावधान मिलियन रुपयों में**
कोयला	367.30	141.20
खदान	4,679.90	3,072.20
लौह एवं इस्पात	81,619.60	32,302.70

उद्योग का नाम	एनपीए मिलियन रुपयों में	प्रावधान मिलियन रुपयों में
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	13,965.70	6,478.20
सभी इंजीनियरिंग	3,511.80	1,295.90
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	783.60	403.70
विद्युत	24,535.00	12,089.50
सूती वस्त्र उद्योग	11,796.30	4,470.80
जूट वस्त्र उद्योग	697.80	483.90
अन्य वस्त्र उद्योग	12,483.00	4,900.10
चीनी	845.50	199.60
चाय	-	-
खाद्य प्रसंस्करण	9,280.70	2,325.40
वनस्पति तेल एवं वनस्पति	5,789.00	2,441.60
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	3,448.10	1,041.80
पेपर एवं पेपर उत्पाद	3,876.10	1,341.70
रबर एवं रबर उत्पाद	2,531.90	847.00
केमिकल, डाई, पेंट्स आदि	7,910.90	2,683.30
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	23.70	4.30
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	3,379.20	1,014.00
जिसमें से ड्रग्ज और फार्मास्युटिकल्स	3,293.90	1,189.20
सीमेंट	2,459.80	832.00
चर्म एवं चर्म उत्पाद	434.20	122.40
रत्न एवं आभूषण	21,775.90	5,759.30
निर्माण	6,465.90	1,751.90
पेट्रोलियम	4,536.20	1,699.00
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	15,817.70	7,736.70
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-
आधारभूत संरचनाङ	54,816.00	28,529.50
जिसमें से पॉवर	24,535.00	12,089.50
जिसमें से दूरसंचार	1,069.30	532.30
जिसमें से सड़के और पत्तन	15,758.60	7,646.50
अन्य उद्योग	45,511.00	25,139.50
शेष अन्य अग्रिम(सकल अग्रिमों सहित तुलन के लिए)	205,824.56	86,175.90
कुल	520,444.86	221,771.60

एन. भूगोलवार एनपीए एनपीए एवं प्रावधान (बैंक ऑफ़ इंडिया के लिए सोलो)

(राशि मिलियन रुपयों में)

	घरेलू	विदेशी	कुल
सकल एनपीए	427,242.90	93,201.96	520,444.86
एनपीए हेतु प्रावधान	205,894.80	15,876.80	221,771.60

तालिका डीएफ-4
ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

i. गुणात्मक प्रकटीकरण

क. मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभागों के लिए

- **किसी भी परिवर्तन हेतु कारणों सहित, उपयोग की गई ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों का नाम**
- **ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गया है; एवं**
- **बैंकिंग बही में लोक निर्गम श्रेणी निर्धारण का तुलनीय आस्तियों में अंतरण हेतु प्रयुक्त की गई प्रक्रिया का वर्णन।**

ए. बैंक ऑफ इंडिया

1. बैंक ने सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए निम्नलिखित ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों की सामान्य श्रेणी निर्धारण के उपयोग किए जाने हेतु अनुमोदन किया है। स्वदेशी दावों के लिए सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स, ब्रीकवर्क, एसएमईआरए एवं सीएआर्तथा अनिवासी कार्पोरेट्स, विदेशी बैंको एवं विदेशी प्रभुसत्ता पर दावों के लिए एस एंड पी, फिच एवं मूडी। एसएमई श्रेणी निर्धारण का उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

2. इन सभी एजन्सियों के श्रेणी निर्धारण का उपयोग, बासेल-II के अंतर्गत सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोणान्तर्गत, श्रेणीकरण के अधीन समस्त ऋण जोखिमों के जोखिम भार प्रयोजनार्थ किया जा रहा है।

   बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम श्रेणी निर्धारण अंतरण हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया आरबीआई की नियामक आवश्यकताओं के अनुसार है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई लोक श्रेणी निर्धारण इस प्रयोजनार्थ उपयोग की गई है। श्रेणी निर्धारण जो केवल संबद्ध श्रेणी निर्धारण एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार प्रभावी है एवं पूर्व 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार पुनरीक्षित की गई है, का उपयोग किया जाता है।

   विशेष दूसरे पक्ष पर समस्त ऋण जोखिमों के लिए बैंक द्वारा श्रेणी निर्धारण के लिए केवल एक ही एजेन्सी का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि इस अपवाद सहित कि जहाँ केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा ऋण जोखिमों का एक से अधिक बार श्रेणी निर्धारण किया जाता है।

3. जोखिम भार प्रयोजनार्थ पात्रता के लिए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि, बाह्य ऋण निर्धारण पर विचार किया जाता है एवं बैंक द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण ऋण राशि के संबंध में ऋण जोखिम को प्रतिबिंबित करें। एक ही पार्टी के दूसरे पक्ष को किसी अन्य ऋण जोखिम के लिए विशिष्ट श्रेणी निर्धारण एक निर्गमकर्ता या निर्गम को विस्तारित करते समय, यह ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि के लिए विस्तारित की जाती है, अर्थात दोनों मूल राशि एवं ब्याज हेतु। एक कार्पोरेट समूह के अंतर्गत एक कंपनी के बाह्य निर्धारण का उपयोग जोखिम भार हेतु उसी समूह की अन्य कंपनियों के लिए नहीं होता है।

4. उन आस्तियों के लिए जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से कम या एक वर्ष के बराबर होती है, अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण प्रयोग की जाती है। नकद उधार एक्सपोज़र के लिए दीर्घ अवधि श्रेणी निर्धारण ली जाती है।

5. जहाँ एक जारीकर्ता की बाह्य दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण सहित दीर्घावधि एक्सपोज़र है जो 150% जोखिम भारिता का समर्थन करता है, तथा उसी काउन्टरपार्टी के सभी अमूल्यांकित दावे चाहे वह अल्पावधि की हो अथवा दीर्घावधि की हो, भी 150% जोखिम भारिता वहन करती है, सिवाय उसके जहाँ ऋण जोखिम घटाव तकनीक इन दावों के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्पावधि श्रेणी निर्धारण के मामले भी एकसमान होंगे ।

6. दीर्घावधि एक्सपोज़र हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भारिता का सीधा आकलन अनुमोदित रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण समनुदेशित किया जाता है। इसके विपरीत, प्रतिपक्ष का अमूल्यांकित अल्पावधि दावा उसके प्रतिपक्ष के मूल्यांकित अल्पावधि दावो पर लागू जोखिम भारिता से कम से कम एक स्तर ज्यादा जोखिम भारिता वहन करता है। बैंकों तथा निगमों के विरुद्ध मूल्यांकित सुविधा से उत्पन्न दावों हेतु जोखिम भारिता निर्गम विशिष्ट अल्पावधि मूल्यांकन जनित है जो अमूल्यांकित दीर्घावधि दावों हेतु जोखिम भारिता का समर्थन नहीं करता है।

7. यदि योग्य ऋण निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो निर्धारण दिए जाते हैं जो विभिन्न ऋण भारिता दर्शा रहा है तो वहाँ उच्च जोखिम भारिता लागू होगा। यदि योग्य ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा तीन या उससे अधिक मूल्यांकन विभिन्न जोखिम भारिता दर्शा रहे हैं तब दो न्यूनतम जोखिम भारिता का परवर्ती मूल्यांकन संदर्भित किया जाता है तथा उन दोनों जोखिम भारिताओं में से उच्च जोखिम भारिता लागू होता है यथा द्वितीय न्यूनतम जोखिम भारिता ।

8. निवेश दावे का आर डब्ल्यू चयनित ऋण निर्धारण एजेन्सी द्वारा विशिष्ट श्रेणी निर्धारण पर आधारित होता है, जहाँ एक विशिष्ट निर्धारित निर्गम में दावा एक निवेश नहीं होता है:

   i) विशिष्ट उधार (जहाँ जोखिम भार में श्रेणी निर्धारण का आकलन, जो अमूल्यांकित दावे पर लागू से कम हो) पर लागू श्रेणी निर्धारण बैंक के केवल अनिर्धारित दावे पर लागू होती है। यदि यह दावा समरूप श्रेणी अथवा सभी दृष्टि से विशेष दर आधारित उधार से वरीय हो एवं जहाँ दर आधारित दावा लघु अवधि दायित्व होता है, को छोड़कर अनिर्धारित दावे की परिपक्वता, दर आधारित दावे की परिपक्वता के बाद न आती हो।

   ii) यदि निर्गमकर्ता अथवा एकल निर्गम की श्रेणी निर्धारित की गई हो, जो गैर निर्धारित दावों पर लागू की जाती है, के जोखिम भार के बराबर हो अथवा उच्चतर हो, वही दूसरे पक्ष पर गैर निर्धारित दावे, वही जोखिम भार का निर्धारण किया जाता है, जैसा कि दर आधारित एक्सपोज़र में लागू होता है, यदि सभी दृष्टि से यह दावा दर आधारित ऋण जोखिम से समरूप या कनिष्ठ श्रेणी का हो।

बी: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

देश में मौजूदा मानदंडो के अनुसार कोई भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है।

सी : बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि. बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि तथा बैंक ऑफ इंडिया (बोतस्वाना) लि.

देश में मौजूदा मानदंडो के अनुसार कोई भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है। देश में कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी परिचालन /कार्यरत नहीं है।

डी : बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी)

आवश्यक्तानुसार तिमाही के आधार पर सामान्य प्रकटीकरण विवरणी द्वारा ऋण जोखिम का प्रकटीकरण किया जाता है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(रुपये मिलियन में)

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के कम होने के पश्चात एक्सपोज़र की राशि के लिए बैंक की बकाया राशि (दर आधारित एवं गैर दर आधारित) निम्नलिखित तीन बृहत जोखिम क्षेत्रों एवं जिनकी कटौती की जाती है उन क्षेत्रों; का मात्रात्मक प्रकटीकरण किया जाता है।	
बैंक का (मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन) बीओआई सोलो का कुल ऋण (बाजार से संबद्ध तुलन पत्र मदों को छोड़कर) जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत प्रमुख जोखिम क्षेत्र निम्नानुसार है:-	
100% जोखिम भार से कम	49,64,784.73
100% जोखिम भार	14,99,987.87
100% से अधिक जोखिम भार	4,71,774.08
कटौती	

तालिका डीएफ-5
ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

(1) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकताओं में यह शामिल है:

क) ऑन एंड ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ और बैंक द्वारा इंका किस हद तक प्रयोग किया जाता है उसका संकेत ;

- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं;
- बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के प्रमुख प्रकारों का विवरण;
- गारंटी कर्ता काउंटर पार्टी के प्रमुख प्रकार और उनकी ऋण पात्रता; एवं
- लिए गए न्यूनीकरण के भीतर (बाजार अथवा ऋण) जोखिम केंद्रीकरण के बारे में सूचना

क: बैंक ऑफ़ इंडिया

1. ऋण जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन का एक अनुकूल साधन है, जो अच्छे एवं बुरे दोनों समय में राजस्व हानि से कंपनी का रक्षण करता है। बैंक उसके दैनिक परिचालनों में आने वाले ऋण जोखिम के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न पद्धति और तकनीक अपनाता है। ऐसी प्रक्रिया को ऋण जोखिम न्यूनीकरण का नाम दिया गया है और ऋण जोखिम न्यूनीकरण के कुछ

तकनीक को पर्यवेक्षकों द्वारा मूल्य, मुद्रा असंतुलन और परिपक्वता असंतुलन के लिए समायोजन के पश्चात पूंजी प्रभार कटौती करने हेतु उपयोग करने की अनुमति दी गई हैं। नयी पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल ।।) के अंतर्गत पहचाने गए विभिन्न ऋण जोखिम प्रशामक (सीआरएम) निम्नानुसार है:

(1) संपार्श्विकृत संव्यवहार

(2) ऑन - बैलन्स शीट नेटिंग

(3) गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम प्रशामक के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। निम्नलिखित वित्तीय संपार्श्विक को स्वीकार किया गया है:

i) नकदी एवं जमाराशियाँ विदेशी मुद्रा की जमाराशियों सहित

ii) स्वर्ण : 99.99३ शुद्धता वाले बेंचमार्क सहित

iii) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ

iv) किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र

v) जीवन बीमा पॉलिसियाँ

vi) ऋण प्रतिभूतियाँ- श्रेणीकृत शर्तों के अध्यधीन

vii) ऋण प्रतिभूतियाँ-गैर श्रेणीकृत, बैंकों द्वारा जारी, शर्तों के अध्यधीन

viii) म्यूचुअल फंडों की यूनिट शर्तों के अध्यधीन

संपार्श्विक संव्यवहारों के लिए पूंजी सहायता उपलब्ध करने हेतु कतिपय अतिरिक्त मानदंड हैं, जिनका संपार्श्विक के प्रबंधन पर प्रत्यक्ष वहन है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इस पहलू का ध्यान रखा जाता है।

3. तुलन पत्र नेटिंग पर

ऑन बैलेंस शीट नेटिंग को ऋणों/अग्रिमों (एक्सपोजर के रूप में माने गए) और जमाराशियों (संपार्श्विक के रूप में) तक सीमित रखा जाए, जहाँ पर दस्तावेजो के सबूतों के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार सहित बैंक का कानूनी प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है और जिसका नेट आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियाँ

जहाँ प्रत्यक्ष, निर्धारित, अविकल्पी और बिना शर्त गारंटियाँ हो, बैंक पूँजी आवश्यकताओं की गणना करने हेतु ऐसे ऋण संरक्षण को मान सकता है। पात्र गारंटीदाताओं/काउंटर गारंटीदाताओं की श्रेणी में ये शामिल हैं:

i) शासक, शासकीय संस्था (बीआईएस, आइएमएफ, यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ-साथ कतिपय विनिर्दिष्ट एमडीबी, ईसीजीसी और सीजीटीएसएमई), बैंक और काउंटर पार्टी से अन्य निम्न जोखिम भार सहित बैंक और प्राथमिक व्यापारी;

ii) एए अथवा उससे बेहतर श्रेणी की अन्य संस्थाएं

5. बैंक की सुपरिभाषित संपार्श्विक प्रबंधन नीति है जो संपार्श्विक के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यह उधार में अंतर्निहित ऋण जोखिम के न्यूनीकरण का प्रमुख घटक है। बैंक मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। मूर्त प्रतिभूतियाँ या तो भौतिक स्वरूप की होती है अथवा अन्य सामग्री प्रारूप में जैसे कि नकद मार्जिन, बैंक के पास जमाराशियाँ, स्वर्ण अथवा अन्य मूल्यवान धातु, शेयर्स, एनएससी/केवीपी/जीवन बीमा पॉलिसियाँ। अमूर्त प्रतिभूतियाँ हैं – बैंक गारंटियाँ/साख पत्र, बही ऋण, आश्वासन पत्र, नकारात्मक पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र, अपंजीकृत प्रभार इत्यादि। उधार दिए गए धन हेतु प्रतिभूति प्राप्त करने के सामान्य तरीके हैं - बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक और पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र। बैंक द्वारा ऋण एक्सपोजर से सृजित की गई संपत्ति पर प्रथम प्रभार/अथवा समरूप आधार पर सामान्य नियम के अनुसार बैंक का प्रभार दर्ज किया जाए।

सामान्यत जब भी लागू हो/अनुमत होने पर गारंटी का आग्रह किया जाए। गारंटीकर्त्ता के प्रमुख प्रकार हैं:-

i) केंद्र/राज्य सरकार और डीआईसीजीसी, सीजीटीएमएसई और ईसीजीसी जैसी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एजेन्सियाँ

ii) कारपोरेट्स के प्रोमोटर/प्रमुख स्वामी

iii) व्यक्तियों के मामले में रिश्तेदारों की व्यक्तिगत गारंटी

6. संपार्श्विक प्रबंधन के विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं -

संपार्श्विक को स्वीकार करने हेतु न्यूनतम शर्तें: संपार्श्विक को वैध और प्रवर्तनीय बनाने के लिए बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के रूप में स्वीकार की गई आस्तियाँ बिक्री योग्य, कानूनी प्रवर्तनीय और आवश्यकता पड़ने पर उसको नियंत्रण में लिये जा सकने योग्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आस्ति का बाजार मूल्य सहज निर्धारण योग्य हो अथवा उसे उचित रूप से स्थापित और सत्यापित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य से संपार्श्विक के रूप में स्वीकार्य आस्तियों के प्रकार और प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली इन प्रत्येक आस्तियों के मूल्य अनुपात के अधिकतम ऋण की सूची बैंक के पास है। संपार्श्विक लेते समय बैंक सांविधिक बाध्यताओं का भी ध्यान रखता है।

क) संपार्श्विक की वैधता

i) प्रवर्तनीयता;

बैंक सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के समर्थन में ऋण दस्तावेजीकरण सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हो और उधारकर्ता की बाध्यताओं को विमुक्ति हेतु निर्बाध रूप से संपार्श्विक को लागू करने हेतु बैंक को अधिकार देता हो।

ii) हक और स्वामित्व;

बैंक हमेशा संपार्श्विक के रूप में आस्ति को स्वीकार करने से पूर्व उसके अस्तित्व तथा स्वामित्व का सत्यापन करता है और सुनिश्चित करता है कि किसी अन्य पक्ष का कथित संपार्श्विक पर कोई पूर्व दावा नहीं है। ऋण सुविधा के ड्रॉ डाउन से पूर्व ही बैंक संपार्श्विक के नियंत्रण को सुरक्षित करता है। ऋण जोखिम के प्रबंधन के सरलीकरण के लिए शीर्ष प्रबंधन को संपार्श्विक पर सूचना आवधिक रूप से दी जाती है। संपार्श्विक पर प्रभार तत्परता से, जहाँ भी लागू है, संबंधित प्राधिकारियों के पास पंजीकृत किए जाते हैं।

ख) लोन टू वैल्यू अनुपात

बैंक ने प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार की जाने वाली प्रमुख आस्तियों के लिए अधिकतम लोन टू वैल्यू अनुपात (मार्जिन) निर्धारित किया है। ऐसे अनुपात आस्ति के संबंधित जोखिम के आनुपातिक होते हैं और संपार्श्विक की वसूली के समय होनेवाली संभाव्य हानि के विरूद्ध पर्याप्त बफर प्रदान करते हैं।

ग) मूल्यांकन :

बैंक के एक्सपोजर हेतु स्वीकार की गई संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए बैंक की बोर्ड अनुमोदित नीति है जिसमें मूल्यांकन का आधार, मूल्यांकक की अर्हता और पूनर्मूल्यांकन की बारंबारता बैंक में अनुपालन हेतु निर्धारित की गई है।

घ) संपार्श्विक को सुरक्षित रखना तथा उसमें पहुँच का नियंत्रण:

संपार्श्विक के स्वीकारने, निगरानी अथवा सुरक्षित अभिरक्षा के अनुमोदन का प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधित व्यक्तियों और विभागों को दिया गया है।

ङ) संपार्श्विक का प्रतिस्थापन/अतिरिक्त संपार्श्विक

अतिरिक्त संपार्श्विक के अनुरोध की कार्यविधि का स्पष्ट दस्तावेजीकरण किया गया है।

च) बीमा:

सभी पात्र संपार्श्विक, जिन्हे विशेष रूप से छूट दी गई है उन्हें छोड़कर, संबंधित जोखिम हेतु बीमा द्वारा संरक्षित हैं और इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

छ) संपार्श्विक की बिक्री:

संपार्श्विक के समय पर परिसमापन के लिए बैंक की सुस्पष्ट और सख्त कार्यविधि है।

ख: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

संपार्श्विक मूल्यांकन हेतु पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके की नीति एवं कार्यविधि है जो बैंक ऑफ़ इंडोनेशिया विनियमन और बंधक ऋण हेतु राष्ट्रीय विवेक पर आधारित है। यदि संपार्श्विक का मूल्य रु.2.79 करोड़ से अधिक है तो संपार्शिक का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है। संपार्श्विक के स्वरूप पर आधारित परिसमापन मूल्य की गणना की जाती है। संपार्श्विक मूल्य की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। भूमि एवं भवन के रूप में प्रमुख रूप से संपार्श्विक स्वीकार किया जाता है। सामान्यता व्यक्तिगत एवं अन्य पक्ष गारंटी नहीं ली जाती। केंद्रीकरण हेतु उधार देने की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित की जाती है। बैंक को संपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम शामकों की प्रमुख जोखिम की चिंता नहीं है।

ग: बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि. (अनुषंगियाँ)

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों; अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिप्रबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है।

नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर सीमा निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूँजी के ₹ के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव का 125% (पूर्णत: प्रतिभूत)	25
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	10
ग) अप्रतिभूत	5

घ. बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा)लि.

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों; अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिप्रबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है।

नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूँजी के ₹ के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	एकल उधारकर्ता एक्सपोज़र सीमा, पूंजी के 25% है और इसे बढ़ाकर कोर पूंजी के 50% किया जा सकता है
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव का 125% (पूर्णत: प्रतिभूत)	
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	
ग) अप्रतिभूत	

ङ. बैंक ऑफ़ इंडिया (बोटस्वाना) लि.

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों, अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिबंदक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है।

नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उदारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार हैं:-

संपार्श्विक स्थिति	**सीमा (कोर पूँजी के ₹ के रूप में)**
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% (पूर्णत: प्रतिभूत)	30
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	30
ग) अप्रतिभूत	30

ii. मात्रात्मक प्रकटन :

(क) पृथक रूप से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोज़र (जहां लागू के बाद ऑन ओर ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर की गई है : मार्जिन (हेयर कट) लागू करने के बाद। (बीओआई सोलो)	2,53,773.20
(ख) पृथक रूप से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोज़र (जहां लागू के बाद ऑन ओर ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग) जो गारंटी/क्रेडिट व्युत्पन्न (जब कभी आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है) द्वारा कवर की गई है। (बीओआई सोलो)	2,76,262.10

तालिका डीएफ-6
प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

समेकित स्तर पर यथा 31.03.2017 बैंक का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन :

लागू नहीं

तालिका डीएफ-7
लेन-देन बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटन :

(क) **मानक दृष्टिकोण को कवर करते हुए पोर्टफोलियों को शामिल करते हुए बाजार जोखिम हेतु सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता**

ए: बैंक ऑफ़ इंडिया

लेन-देन बही में बैंक निवेशों के "लेन-देन हेतु धारित (एचएफटी) एवं "बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) पोर्टफोलियों को धारित करता है। शेष आस्तियों- अर्थात परिपक्वता हेतु धारित पोर्टफोलियों और अग्रिमों के अंतर्गत निवेशों को बैंकिंग बही के रूप में माना जाता है। नीचे बाजार जोखिम प्रबंधन प्रयोजन एवं नीतियों का संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है।

(ग) कार्यनीतियाँ एवं प्रक्रियाएं :

बाजार जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम एवं इक्विटी कीमत जोखिम की निगरानी की जाती है। बैंक वर्तमान में जिन्स (कमाडिटी) में लेन-देन नहीं कर रहा है।

ए. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम की निगरानी के लिए गैप विश्लेषण का पाक्षिक आधार पर पालन किया जाता है। संचयी गैप से संचयी आउटफ्लो का प्रतिशत निकालने के लिए विवेकपूर्ण सीमा का उपयोग किया जाता है- 28 दिनों तक के अल्पावधि बकेट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अध्यधीन निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार उधार -दैनिक एवं औसत मांग उधार, आंतर बैंक देयताएं, खरीदी गयी नीधियां आदि के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं काम करती हैं।

ऊँचे मूल्य की एकमुश्त जमाराशियों की निगरानी साप्ताहिक आधार पर की जाती है। अल्पावधि डायनामिक चलनिधि विवरण चलनिधि स्थिति का आकलन करने के लिए पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है जो व्यवसाय वृद्धि को ध्यान में रखकर चलती है। एक आकस्मिक निधि योजना तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गयी है। योजना का तिमाही आधार पर परीक्षण किया जाता है। चलनिधि संकट के समय और आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए यदि बाजार से निधि उठाई जानी हो तो बैंक की संभावित हानि का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर स्ट्रेस परीक्षण भी किया जाता है।

बी ब्याज दर जोखिम

पिछले 12 माह के दौरान एवं अगले वित्तीय वर्ष तक बैंक की निवल ब्याज आय पर प्रभाव का आकलन करने के लिए गैप विश्लेषण उपयोग में लिया जाता है। बैंक ड्यूरेशन गैप विश्लेषण का भी उपयोग करता है। देयताओं की अवधि के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं नियत की गयी हैं। बैंक के निवेश पोर्टफोलियों की ड्यूरेशन आधार पर निगरानी की जाती है।

एसएलआर एवं गैर एसएलआर (घरेलू) विवेकपूर्ण सीमाओं के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए वीएआर पद्धति अपनायी जाती है क्योंकि वीएआर के लिए विवेकपूर्ण सीमा नियत की गयी है एवं दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है एवं उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट की जा रही है। दिनांकित प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश सामान्यतया हैज किए जाते हैं एवं ब्याज दर जोखिम निम्नतम है। विदेशी मुद्रा विनिमय स्थिति में भी वीएआर सीमा नियत की गई है।

इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का आकलन स्ट्रेस टेस्टिंग से किया जाता है, यह जिसमें 200 बेसिस पाईंट के बाजार दर में परिवर्तन का सॉक लगाकर किया जाता है।

सी. विदेशी विनिमय जोखिम

बैंक ने यूएसडी के साथ अन्य मुद्राओं में एग्रीगेट गैप लिमिट नियत की है । बैंक के विभिन्न मुद्राओं में विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए अधिकतम डेलाइट एवं ओवरनाइट एक्सपोजर नियत किया है। हमने अवधि वार इंडिविजुअल करेंसी वाइस गैप लिमिट भी नियत किया है इसके अलावा, नुकसान रोक सीमा, लाभ सीमा लेना एवं एकल व्यवहार सीमाएं डीलरों के फोरेक्स परिचालनों पर निगरानी रखने के लिए बनायी गयी हैं।

नेट ओपन पोजीशन हेतु विवेकपूर्ण सीमा नियत करके डेरिवेटिव संव्यवहार की निगरानी की जाती है और बकाया डेरिवेटिव पर पीवी 01 का केप रखा जाता है।

डी. इक्विटी कीमत जोखिम

बैंक की घरेलू निवेश नीति के इक्विटी डीलरों के लिए नुकसान रोक सीमाएं नियत की हैं। कोषागार की दैनिक सीमा, अधिकतम निवेश सीमा , ईक्विटी संविभाग (ट्रेडिंग) के लिए धारण अवधि के संव्यवहारों की उच्चतम प्रबंधन को दैनिक आधार पर रिपोर्टिंग की जाती है।

(i) बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का ढ़ाँचा एवं संगठन:

जोखिम प्रबंधन बोर्ड संचालित कार्य है जिसे तीन स्तरों पर सपोर्ट किया जाता है: देखभाल करने एवं निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, जहाँ कहीं आवश्यक हो/जोखिम प्रबंधन नीतियां आदि अनुमोदित करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) जो नीति विषयों पर विचार करती है एवं एएलएम कक्ष के साथ जमीनी स्तर पर सपोर्ट प्रदान करती है। आस्ति देयता प्रबंधन समितियां विदेशी केन्द्रों में भी परिचालन में हैं।

(ग्ग) जोखिम रिपोर्टिंग का स्कोप एवं प्रकृति और/अथवा मापांकन प्रणाली

स्वदेशी कारोबार के संबंध में बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है - जैसे कि मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाना-दैनिक आधार पर लेन-देन बही में निवेशों का अवधि विश्लेषण-दैनिक आधार पर वीएआर लेन-देन बही निवेश ईक्विटी पोर्टफोलियों को छोड़कर- तिमाही आधार पर तरलता जोखिम/बाजार जोखिम के लिए स्ट्रेस परीक्षण करना, स्वदेशी तुलन पत्र का अवधि विश्लेषण और इक्विटी के आर्थिक मूल्य

पर तिमाही आधार पर प्रभाव पर समीक्षा की जाती है और एएलसीओ द्वारा कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।एएलसीओं द्वारा मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा की जाती है।

बाजार उधार लेन-देन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानर्देशों के अनुरूप तरलता जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न विवेकपूर्ण उपाय किए गए हैं। मासिक आधार पर ढांचागत तरलता विवरणी तैयार की जाती है और पाक्षिक आधार पर अल्पावधि डायनमिक तरलता विवरणी तैयार की जाती है और उच्च प्रबंधन/ एएलसीओं को रिपोर्ट की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों की ढांचागत तरलता कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर की जा रही है।

स्ट्रेस परीक्षण एवं इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का परिणाम एएलसीओ को रिपोर्ट किया जाता है। लेन-देन बही स्थिति ड्यूरेशन एवं वीएआर दैनिक आधार पर उच्चतम प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है।

(ग) हैजिंग और/अथवा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नीतियां :

आस्ति देयता प्रबंधन एवं बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित विस्तृत नीतियां कार्यरत हैं जो बाजार जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न रणनीतियों एवं प्रक्रियाओं पर विस्तार से प्रकाश डालती है।

(ङ) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

वाणिज्यिक बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता से संबंधित बैंक इंडोनेशिया के विनियमन के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के परिकलन हेतु बाज़ार जोखिम के मापन के लिए अनिवार्य श्रेणी में बैंक शामिल नहीं है। यह इसलिए है कि बैंक विदेशी विनिमय बैंक है जिसके ट्रेडिंग बुक में प्रतिभूतियों और/अथवा डेरिविटिव संव्यवहार के रूप में वित्तीय लिखत आईडीआर 20 बिलियन (यूएसडी 1.7 मिलियन अनुमानित) से कम की रकम है।

बी. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी) बीओआई (न्यूजीलैंड)लि. (अनुषंगी), बीओआई (युगांडा) लि. और बीओआई (बोटस्वाना) लि.

क) बाज़ार जोखिम के सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें मानकीकृत दृष्टिकोण के संविधान भी शामिल है।

i. बाजार जोखिम: ब्याज दर, मुद्रा तथा इक्विटी उत्पाद में खुली स्थिति से बाजार जोखिम उत्पन्न होती है। बोर्ड सीमा निर्धारित करता है तथा जो स्वीकार की जा सकती है, नियमित अंतराल पर उसकी समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त दैनिक आधार पर एक्सपोजर की निगरानी की जाती है।

ii. तरलता जोखिम: ओवरनाइट जमा से नकदी संसाधन, चालू खाते, परिपक्व जमाराशियां, ऋण आहरण और गारंटियों से उपलब्ध नकद स्त्रोतों से दैनिक मांग के लिए तथा मार्जिन और अन्य नकद समझौतों पर मांग से बैंक को नकद आरक्षित रखना पडता है। ऐसे मांग की पूर्ति करने के लिए परिपक्व निधि के उपलब्ध अंश के आधार पर बोर्ड ने उनके अनुभव पर सीमा निर्धारित की है और अंतर बैंक तथा अन्य उधार सुविधा के न्यूनतम स्तर पर जो मांग की अपेक्षित आहरण को कवर कर सके।

iii. ब्याज दर जोखिम- बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति तथा नकदी प्रवाह पर प्रचलित बाजार ब्याज दर में उतर चढाव के परिणाम के साथ जुड़ी विभिन्न जोखिमों को उठाना पड़ता है। बैंक को जमा राशि ऋण तथा बाजार प्रवृत्ति के परिवर्तन के अनुरूप दरों को परिवर्तित करने का विवेकाधिकार है। यह उपाय ब्याज दर जोखिम को बैंक एक्सपोजर न्यूनतम रखते है।

iv. मुद्रा जोखिम : बैंक को विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव की जोखिम उठानी पड़ती है। बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में केवल जितनी आवश्यक मुद्रा की खरीदी तथा बिक्री के आधार तक शामिल रहती है। बैंक विदेशी मुद्रा वायदा बाजार में शामिल नहीं होता है और इस प्रकार जोखिम सीमित हो जाती है।

मात्रात्मक प्रकटन

(₹ मिलियन में)

निम्नलिखित के लिए पूंजी आवश्यकता	
ब्याजदर जोखिम	13,241.09
ईक्विटी स्थिति जोखिम एवं	334.87
विदेशी विनिमय जोखिम	8,092.13

तालिका डीएफ-8
परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटन

साधारण गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता के अतिरिक्त जिसके लिए बैंक अर्हता प्राप्त है उस परिचालन जोखिम पूंजी मूल्यांकन हेतु बैंक का (के) दृष्टिकोण ।

ए: बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंक जोखिम प्रबंधन की सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया अपनाता है। बैंक कारोबार की विभिन्न पद्धतियों के तहत समस्त आर्थिक उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के परिचालन जोखिम का सतत निर्धारण और अभिनिर्धारण करता है। समस्त नये उत्पाद, गतिविधियाँ और प्रणालियाँ पहले नया उत्पाद समूह और फिर परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (सीओआरएम) के माध्यम से कार्यान्वित होती है। सभी नीतियां बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर.काम) द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद ही बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है। मुख्य जोखिम अधिकारी, आरकॉम के निदेशों को कार्यान्वित करते है और दिन-प्रतिदिन के परिचालन गत जोखिम प्रबंधन की देखभाल करते है।

जोखिम प्रबंधन विभाग, कारोबार परिचालन जोखिम प्रबंधकों (बीओआरएम) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ (ओआरएमएस) के नज़दीकी सहयोग से कार्य करता है। बीओआरएम तथा ओआरएमएस की समिति परिचालनगत ज़ोखिम प्रबंधन प्रभाग को आवधिक आधार पर जोखिम और नियंत्रण निर्धारण करना, हानि की रिपोर्टिंग करना तथा की मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआर्इ) में सहायता करता है।

अर्धवार्षिक आधार पर लॉस डेटा विश्लेषण के रूप में जोखिम रिपोर्टिंग की जाती है जिससे उच्च जोखिम प्रवणता वाले उत्पाद और कारोबार लाइन का निर्धारण किया जा सके और न्यूनीकरण उपाय अपनाए जा सके। शाखा स्तर के केआरआई और बैंक स्तर के केआरआई को तिमाही आधार पर ट्रैक किया जाता है।सभी बैंक के उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए वार्षिक आधार आरसीएसए कार्रवाई की जाती है।

बैसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण द्वारा ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज की गणना की जाती है। वर्तमान में बैंक ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज के परिकलन के लिए उन्नत मापन के प्रयास अपना रहा है। परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार की गणना के लिए समानान्तर रन के लिए बैंक को द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच(टीएसए) में माइग्रेट करने के लिए अनुमोदन मिला है । वर्तमान में ये विचार विमर्श स्टार पर है।

बी: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

कार्यों का पृथक्करण, प्रशिक्षण, स्पष्ट रूप से निर्धारित कार्यवाहियां, इत्यादि जैसे परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक ने श्रेष्ठ प्रक्रिया अपनाई है।

परिचालन जोखिम के प्रबंधन में, नितियों और कार्यविधियों के नियंत्रण और रूटिन पर्यवेक्षण के संदर्भ में प्रत्येक इकाई जिम्मेदार है। अपरिहार्य परिस्थितियों से बचने प्रणाली के लिए उत्पाद का विकास, प्रणाली, मानव संसाधन और अपने ग्राहक को जानिए- से संबंधित क्षेत्र शामिल है।

परिचालन जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने संव्यवहार प्रोसेसिंग में नियंत्रण कार्य को बढ़ा दिया है जिसमें संव्यवहार के समय के अंदर पूरा करना, लागू मानकों के अनुवाद लेखांकन पद्धति का समायोजन,ठीक ढ़ग से रिकार्ड का अनुरक्षण, आस्ति तथा डेटा के लिए सुरक्षित ऐक्सेस क्रियान्वित करने हेतु कार्य विधि सुनिश्चित करना है। आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई का कार्य जो परिचालन गतिविधियों की नियमित जांच करती है, आवश्यक सुधार को बेहतर बना रही है। बैंक परिचालन जोखिम के परिकलन के लिए बेसिक इंडिकेटर एप्रोच इन रिस्क वेटेड एसेट्स (एटीएमआर) का प्रयोग कर रही है।

बैंक में एक आंतरिक नियंत्रण इकाई भी है जो सुनिश्चित करता है कि सभी कारोबार इकाई बैंक की प्रक्रिया का और साथ ही स्थानीय सरकार के विनियमों का भी अनुपालन करते हैं।

सी: बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी) , बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यू. जीलैण्ड) लि. (अनुषंगी) , बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. और बीओआई (बोत्स्वाना) लि.

परिचालनात्मक जोखिम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि का जोखिम है जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है जो बैंक की प्रक्रिया, कार्मिक, प्रौद्योगिकी और आधार संरचना से संबद्ध है और क्रेडिट, बाजार, तरलता जोखिम छोड़कर बाह्य कारक जैसे विधिक और विनियामक जरूरतों और कारपोरेट व्यवहार के आम स्वीकृत मानकों से उत्पन्न होते है। परिचालनात्मक जोखिम बैंक की सभी गतिविधियों से उत्पन्न होती है।

वित्तीय हानि एवं कुल लागत प्रभावशीलता सहित बैंक की प्रतिष्ठा धूमिल होने से बचाव को संतुलित करने और नियंत्रण कार्रवाई जो पहल एवं रचनात्मकता को सीमित करती है, से बचाव के लिए परिचलनात्मक जोखिम का प्रबंध करना बैंक का उद्देश्य है।

परिचालनात्मक जोखिम का ध्यान रखने के लिए प्रबंधन विकास एवं कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रत्येक शाखा स्तर पर वरिष्ठ प्रबंधन हेतु निर्धारत किया गया है। परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु कुल मानकों के विकास उत्तरदायित्व में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायक है :-

- संव्यवहार के स्वतंत्र प्राधिकार सहित कार्य के उचित पृथक्करण की आवश्यकता;
- संव्यवहार के समाधान एवं निगरानी की आवश्यकता;
- नियामक एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं सहित अनुपालन;
- नियंत्रण एवं प्रक्रिया का प्रलेखीकरण;
- महसूस किए गए परिचालनात्मक जोखिमों के निर्धारण की आवश्यकता तथा पहचान किए गए जोखिमों का ध्यान रखने के लिए नियंत्रण एवं प्रक्रिया की पर्याप्तता;
- परिचालनात्मक हानि की रिपोर्टिंग एवं प्रस्तावित निवारणात्मक कार्रवाई की आवश्यकता;
- आकस्मिकता योजना का विकास;
- प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास;
- नैतिक एवं कारोबार मानक;
- बीमा सहित जोखिम कमी, जहां यह प्रभावी है।

तालिका डीएफ - 9
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटन

क. साधारण गुणात्मक प्रकटन अपेक्षा में आईआरआरबीबी और प्रमुख धारणाओं के ऋण भुगतान और अ-परिपक्व जमा का परिचालन संबंधी धारणाओं का स्वरूप तथा आईआरआरबीबी मापने की बारंबारता शामिल है।

ए: बैंक ऑफ़ इंडिया

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की आम तौर पर तिमाही आधार पर गणना की जाती है। बैंकिंग बही में परिपक्वता हेतु धारित (एचटीएम) संविभाग में धारण किए सभी अग्रिम और निवेश सम्मिलित है।

कार्यनीति और प्रणालियाँ/संरचना और संगठन/जोखिम रिपोर्टिंग संबंधी कार्यक्षेत्र और स्वरूप/नीतियों आदि वही हैं जो टेबल डीएफ-7 के तहत रिपोर्ट की गई है।

आईआरआरबीबी मेजरमेंट की प्रणाली और प्रमुख धारणाएँ निम्नानुसार है;

- अग्रिमों तथा जमा राशियों, जो बैंक का 100₹ कारोबार कवर करती है, की शेष परिपक्वता पर नेटवर्क की शाखाओं से प्राप्त मासिक सूचना के आधार पर विभिन्न समय बकेट के साथ ब्याज दर संवेदनशील और विभिन्न आस्तियों व देयताओं की शेष परिपक्वता को ध्यान में लेते हुए संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाता है।
- प्रत्येक आस्ति एवं देयता की अवधि, प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु को परिपक्वता दिनांक के रूप में एवं औसत प्राप्ति को कूपन के रूप में तथा भुनाई प्रयोजन के लिए बाजार दर को लेकर परिचालित की जाती है। निवेशों के लिए, वास्तविक अवधि ली जाती है, जैसा कि डाटा संपूर्ण ब्योरों सहित उपलब्ध रहता है। निवेशों के संबंध में इस प्रयोग के लिए एएफएस एवं एचएफटी संविभागों को अलग रखा जाता है, जैसा कि बैंकिंग बही में आईआरआर पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।
- उक्त के उपयोग से, प्रत्येक बकेट के लिए देयताओं और आस्तियों की आशोधित अवधि परिकलित की जाती है और ब्याज दर में 1₹ से परिवर्तन के लिए उनके मूल्य पर प्रभाव माना जाता है। उसमें जोड़कर निवल स्थिति परिकलित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि है या अन्यथा।

धारणाएँ :

i. समस्त टाईम बकेट और समस्त आस्तियों के लिए ब्याज दर सभी समान रूप से चालित होता है।

ii. मांग जमा राशियों-बचत तथा चालू के संदर्भ में इसे भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसरण में स्ट्रेस परीक्षण पर विभाजित किया जाता है।

iii. आम तौर पर, बैंक आईआरआरबीबी की गणना करते समय कूपन दर/भुनाई दर का चयन/परिपक्वता तारीख के रूप में प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु, को लेना आदि सहित रिज़र्व बैंक के तनाव परीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करता है।

iv. बीपीएलआर लिंकड अग्रिमों/बेस रेट के पुनर्मूल्य निर्धारण को 3 से 6 माह के बकेट में लिया गया है।

बी: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) तथा बैंक ऑ. फ इंडिया (तंजानिया) लि., बीओआई (न्यूजिलैंड) लि. (अनुषंगियां) तथा बैंक ऑफ इंडिया युगांडा लि.

बैंक अपनी वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह पर बाजार ब्याज दरों के वर्तमान स्तरों में अस्थिरता के प्रभाव सहित शामिल विभिन्न जोखिमों से युक्त है। बाजार प्रवृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ बैंक को जमा राशियों, ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज दर में संशोधन करने का विवेकाधिकार है। इन उपायों के कारण बैंक के ब्याज दर जोखिम का क्षेत्र कम होता है।

II. मात्रात्मक प्रकटन

आईआरआरबीबी मापने के लिए प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार उर्ध्वमुखी और अधोमुखी रेट शॉक के लिए उपार्जन और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबद्ध उपाय) में वृद्धि (ह्रास), मुद्रा द्वारा खंडित (जहां कुल पण्यावर्त के 5₹ से अधिक पण्यावर्त होता है)

बैंकिंग वही में ब्याज दर जोखिम (बीओआई सोलो)

(रु. मिलियन में)

	कुल	जिसमें से, यूएसडी में (जहाँ कारोबार कुल कारोबार के 5% से अधिक है)
1. जोखिम पर अर्जन (एनएनआई)		
1 वर्ष के लिए 0.50% परिवर्तन	4624.39	1544.42
2. जोखिम पर ईक्विटी का आर्थिक मूल्य		
200 बेसिक पॉईंट शॉक	8682.75	4958.49
% ता के रूप में इक्विटी मूल्य में कमी	0.42	0.24

तालिका डीएफ - 10
प्रतिपक्षी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोज़र के लिए सामान्य प्रकटन

I. गुणात्मक प्रकटन

बैंक तुलन पत्र की मदों के साथ प्रतिपक्षी कारोबार के उद्देश्य से हैजिंग के लिए व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करता है। व्युत्पन्न परिचालन के जोखिम प्रबंधन के शीर्ष में वरिष्ठ कार्यपालक रहते हैं जो उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट करते है, यह लाइन कार्यों से स्वतंत्र है। ट्रेडिंग की स्थिति दैनंदिन आधार पर बाज़ार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है (मार्कड टू मार्केट)

जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा व्युत्पन्न नीति बनाई जाती है जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम को आंकना शामिल है।

तुलन पत्र प्रबंधन के लिए हैज़ संव्यवहार किया जाता है जोखिमों के सही रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए उचित प्रणाली है।

हैजिंग की नीति और उसकी निगरानी की प्रक्रिया भी उसी प्रकार से है।

हैज तथा गैर-हैज़ संवयवहारों को रिकार्ड करने के लिए लेखांकन नीति है जिसमें आय, प्रीमियम और छूट का निर्धारण शामिल है। बकाया संविदा, प्रावधानीकरण, संमार्श्विक और जोखिम न्यूनीकरण का मूल्यांकन किया जा रहा है।

कंरट एक्सपोज़र मेथोडोलज़ी (सीईएम) के अनुरूप क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी परिकलित की गई है। संभाव्य एक्सपोज़र का परिकलन क्रेडिट कनव. र्जन फैक्टर के साथ कल्पित मूलधन को गुणा करके किया जाता है। प्रतिस्थापन लागत सकारात्मक बाजार मूल्य है। चालू एक्सपोज़र प्रतिस्थापन लागत के समान है। क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी संभाव्य एक्सपोज़र और चालू एक्सपोज़र का जोड़ है।

II. गुणात्मक प्रकटन

1) संविदाओं का सकल सकारात्मक उचित मूल्य,लाभ की निवल राशि, चालू ऋण एक्सपोज़र की निवल राशि, धारित संपार्श्विक (यथा नकदी,सरकारी प्रतिभूतियां आदि प्रकार सहित) और निवल व्युत्पन्न ऋण एक्सपोज़र । इसमें चूक वाले एक्सपोज़र के लिए उपाय की रिपोर्ट अथवा सीईएम के तहत एक्सपोज़र राशि भी है। ऋण व्युत्पन्न हेज़ की कल्पित शून्य और ऋण एक्सपो. जर के प्रभार द्वारा चालू ऋण एक्सपोज़र का वितरण।

2) ऋण व्युत्पन्न संव्यवहार जो सीसीआर (कल्पित मूल्य) में एक्सपोज़र सृजित करती है, संस्था के अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो के साथ प्रयोग किए गए क्रेडिट व्युत्पन्न उत्पादों के वितरण सहित उसकी मध्यवर्ती गतिविधियों के बीच पृथक किया जाता है, जिसे आगे प्रत्येक उत्पाद समूह के मध्य खरीदे और बेचे गए संरक्षण में विखंडित किया जाता है।

(रु मिलियन में)

काउंटर पार्टी ऋण जोखिम (सीसीआर)	
कल्पित मूलधन रकम	7,91,323.48
संभाव्य एक्सपोज़र	14,874.39
प्रतिस्थापन लागत	17,025.49
चालू एक्सपोज़र	17,025.49
क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी	31,899.88
आरडब्ल्यूए	6,186.34
पूँजी प्रभार	494.91

(रु मिलियन में)

मदें	कल्पित रकम	चालू ऋण एक्सपोज़र	क्रेडिट समतुल्य
मुद्रा विकल्प	0	0	0
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	16,762.68	344.33	775.48
वायदा दर करार	1,78,369.24	4,366.26	7,964.48
ब्याज दर भविष्य	0	0	0
ऋण चूक स्वैप	0	0	0
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	2,009.43	122.79	142.88
कुल	1,97,141.35	4,833.38	8,882.84

तालिका डीएफ -11
पूंजी का विन्यास

बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्प्लेट जिनका प्रयोग विनियामक समायोजन में परिवर्तन के दौरान किया जाएगा (अर्थात 1 अपैल 2013 से 31 दिसम्बर 2017 तक)		मिलियन में
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत तथा आरक्षित	
1	प्रत्यक्ष जारी विशेषक सामान्य शेयर पूंजी के साथ संबंधित अतिरिक्त स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	125816.81
2	प्रतिधारित उपार्जन	-85852.89
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षितियां)	260,585.37
4	सीईटी 1 से फेस आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	
	सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी लगाना जिसकी देखरेख 1 जनवरी 2018 तक की जाएगी	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और थर्ड पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत रकम)	809.81
6	विनियामक समायोजन के पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	301359.10
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	
9	बंधक सर्विसिंग अधिकारों को छोड़कर अमूर्तें (संबंधित कर दे यता का निवल)	
10	आस्थगित कर आस्तियां	29625.89
11	नकदी प्रवाह हैज आरक्षित	
12	अपेक्षित हानि के प्रावधान में कमी	
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानियां	
15	परिनिश्चित- लाभ पेंशन फंड निवल आस्तियां	
16	अपने शेयरों में निवेश (रिपोर्ट की गई तुलन-पत्र में यदि पहले ही प्रदत्त पूंजी समायोजित न किया गया हो)	
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस-धारिता	1724.49
18	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी के अधिकतम 10ऽ का स्वामित्व बैंक का है (10ऽ थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	
19	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के कॉमन स्टाक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन (10ऽ थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10ऽ थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	
21	अस्थायी अंतरों से उभरे आस्थगित कर आस्तियां (10ऽ थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि, कर देयता से संबंधित का समायोजन)	
22	15ऽ थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि	
23	जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	
24	जिसमें से : बंधक सर्विसिंग अधिकार	
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरो से उभरे आस्थगित कर आस्तियां	
26	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (26 एं 26 बीं 26 सीं 26 डी)	
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	
26बी	जिजिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	0
26सी	जिजिसमें से: बहुलांश स्वामित्व वित्तीय संस्थाएं जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है के इक्विटी पूंजी में कमी	0

26डी	जिजिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय पूर्व बासेल छछ व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लगाएं गए विनियामक समायोजन।	
	जिसमें से : (समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.	
	उदाहरण के लिए: एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अप्राप्त हानियों को फिल्टर किया जाना (भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई संबंध नहीं)	
	जिसमें से: डसमायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.	
	जिसमें से : (समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.)	
27	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लगाए गए विनियामक समायोजन	
28	सामान्य इक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	31350.38
29	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)	270008.72
	अतिरिक्त इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखतें	
30	प्रत्यक्ष जारी सापेक्ष अतिरिक्त टियर 1 लिखतें के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष (31 ह 32)	50000.00
31	जिसमें से: लागू लेखांकन मानको के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)	
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानक के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण लिखत)	
33	अतिरिक्त टियर 1 से फेज़ आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	11159.29
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखतें (और सीईटी 1 लिखत जो रो 5 में शामिल नहीं) (ग्रुप एटी 1 में अनुमत रक्कम)	
35	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा जारी लखते जो फे	
36	विनियामक समायोजन के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	61159.29
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन	
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस धारिता	1075.00
39	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10३ का स्वामित्व बैंक का है (10३ थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	0.00
40	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय स्थिति को घटाकर)10	0.00
41	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (41 ए ह41 बी)	
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियो के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	
41बी	बैबैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी।	
	पूर्व-बासेल छछ व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 पर लगाए गए विनियामक समायोजन	
	जिसमें से: डसमायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें यथा डीटीए.	
	जिसमें से: ड समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें जैसे वर्तमान समायोजन जो टियर 1 से 50३ पर कटौती की जाती है)	
	जिसमें से: डसमायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.	
42	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 में लगाए गए विनियामक समायोजन	
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी पर कुल विनियामक समायोजन	1075.00
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)	60084.29
44ए	पूंजी पर्याप्तता 11 के लिए माना गया अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	60084.29
45	टियर 1 पूंजी (टी 1, सीईटी 1 ह एटी 1) (29 ह 44 ए)	330093.01
	टियर 2 पूंजी: लिखते एवं प्रावधान	

46	प्रत्यक्ष जारी पात्र टियर 2 लिखतों के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष	70000.00
47	टियर 2 से फेज़ आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखत	17500.00
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित (ग्रुप टियर 2 में अनुमत राशि) टियर 2 लिखते (और रो 5 अथवा 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 ओर एटी 1 लिखतें)	
49	जिसमें से: फेज़ आउट के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें	
50	प्रावधान	24,711.68
51	विनियामक समायोजन के पहले टियर 2 पूंजी	112211.68
	टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन	
52	अपने टियर 2 लिखतों में निवेश	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-धारिता	50.00
54	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10ङ का स्वामित्व बैंक का है(10ङ थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	
55	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाकर)	0.00
56	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (56एङ56बी)	
56ए	जिसमें से: असमेकित अनुषंगियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	
56बी	जिसमें से: बैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी।	
	पूर्व बासेल घ्घ्घ व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में टियर 2 पर लगाए गए विनियामक समायोजन	
	जिसमें से: डसमायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें यथा वर्तमान समायोजन जो 50ङ पर टियर 2 से कटौती की जा रही है.	
	जिसमें से: डसमायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.	
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	50.00
58	टियर 2 पूंजी (टी 2)	112161.68
58ए	पूंजी पर्याप्तता 14 के लिए माना गया टियर 2 पूंजी	112161.68
58बी	एएक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जिसे टियर 2 पूंजी माना जाता है।	0
58सी	पूंपूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58एङ 58बी)	112161.68
59	कुल पूंजी (टीसी॒ टी1 ﴾ टी2) (45 ﴾ 58सी)	442254.69
	पूर्व बासेल घ्घ्घ व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां	
	जिसमें से: डसमायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.	
	जिसमें से: %	
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए ﴾ 60बी﴾ 60सी)	
60ए	जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	3503550
60बी	जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	
60सी	जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	
	पूंजी अनुपात	
61	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.71%
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.62%
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.62%
64	संस्था निर्दिष्ट बफ़र आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता के साथ पूंजी संतुलन और प्रतिचक्रीय बफ़र आवश्यकता, जोखिम धारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	

65	जिसमें से: पूंजी संतुलन बफर आवश्यकता	
66	जिसमें से: बैंक निर्दिष्ट प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता	
67	जिसमें से: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता	
68	बफर को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम धारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)	
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल ष्ष्ष से भिन्न है)	
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल ष्ष्ष न्यूनतम से भिन्न है)	6.75%
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल ष्ष्ष न्यूनतम से भिन्न है)	8.25%
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल ष्ष्ष न्यूनतम से भिन्न है)	10.25%
	कटौती के लिए थ्रेसहोल्ड से कम रकम (जोखिम भारिता के पहले)	
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	
73	वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता से घटाकर)	
75	अस्थायी अंतरो से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता से घटाकर)	
	टियर 2 में प्रावधान को शामिल करने पर लागू सीमा	
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोज़र के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने के पहले)	24711.68
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधान शामिल करने की सीमा	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोज़र के संबंध में टियर-2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने के पहले)	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधान शामिल करने के लिए सीमा	
	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)	
80	फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान सीमा	
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	
82	फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर चालू सीमा	11159.29
83	सीमा के कारण एटी 1 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	0.00
84	फेज़ आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर चालू सीमा	17500.00
85	सीमा के कारण टी 2 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	0.00

तालिका डीएफ-12
पूंजी की संरचना- समाधान संबंधी आवश्यकताएं

(रु. मिलियन में)

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलनपत्र
		यथा रिपोर्टिंग तारीख	यथा रिपोर्टिंग तारीख
ए	पूंजी एवं देयताएं		
i.	प्रदत्त पूंजी	10,554.34	10,554.34
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	308,519.08	308,064.30
	अल्प संख्यक हित	809.81	809.81
	कुल पूंजी	319,883.24	319,428.45
ii.	जमाराशियां	5,423,521.15	5,423,617.64
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	573,914.82	573,914.82

	जिसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	4,849,606.32	4,849,702.82
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृ. उल्लेख करें)	-	-
iii.	उधार	394,914.17	394,914.17
	जिसमें से : आरबीआई से	0.00	0.00
	जिसमें से : बैंकों से	0.00	0.00
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से	52,523.48	52,523.48
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	165,072.10	165,072.10
	जिसमें से : पूंजी लिखत	177,318.59	177,318.59
iv.	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	181,940.96	164,010.13
	कुल	6,320,259.51	6,301,970.40
बी	आस्तियां		
i.	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	275444.35	275,324.25
	बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	689202.74	689,299.23
ii.	निवेश:	1307512.63	1,290,338.88
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	1146650.91	1,139,697.45
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	987.50	0.00
	जिसमें से : शेयर	20952.27	16,109.75
	जिसमेंसे : डिबेंचर एवं बॉंड	66093.98	62,684.51
	जिसमें से :अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां	14882.25	15,632.25
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक कागज़ात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	57945.71	56,214.92
iii.	ऋण एवं अग्रिम	3683287.65	3,683,260.28
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	457416.12	457,416.12
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	3225871.53	3225844.16
iv.	अचल आस्तियां	85457.78	85,430.37
v.	अन्य आस्तियां	279354.36	278,317.39
	जिसमें से : सद्भाव एवं अमूर्त आस्तियां	-	-
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	54172.14	54,172.14
vi.	समेकन पर सद्भाव	-	-
vii.	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	-	-
	कुल आस्तियां	6320259.51	6301970.40

चरण -2

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र
		यथा रिपोर्टिंग तारीख	यथा रिपोर्टिंग तारीख
ए	पूंजी एवं देयताएं		
i.	प्रदत्त पूंजी	10,554.34	10,554.34
	जिसमें से : सीईटी 1 हेतु पात्र राशि		
	जिसमें से : एटी 1 हेतु पात्र राशि		
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	308,519.08	308,064.30
	अल्प संख्यक हित	809.81	809.81
	कुल पूंजी	319,883.24	319,428.45
ii.	जमाराशियां	5,423,521.15	5,423,617.64
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	573,914.82	573,914.82
	जिसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	4,849,606.32	4,849,702.82

	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	-	-
iii.	उधार	394,914.17	394,914.17
	जिसमें से : आरबीआई से	0.00	0.00
	जिसमें से : बैंकों से	0.00	0.00
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से	52,523.48	52,523.48
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	165,072.10	165,072.10
	जिसमें से : पूंजी लिखत	177,318.59	177,318.59
iv.	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	181,940.96	164,010.13
	जिसमें से : सद्भाव से संबंधित डीटीएल		0.00
	जिसमें से : अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल		0.00
	कुल	6,320,259.51	6,301,970.40
बी	आस्तियां		
i.	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष	275444.35	275324.25
	बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	689202.74	689299.23
ii.	निवेश:	1307512.63	1290338.88
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	1146650.91	1139697.45
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	987.50	0.00
	जिसमें से : शेयर	20952.27	16109.75
	जिसमेंसे : डिबेंचर एवं बॉंड	66093.98	62684.51
	जिसमें से : अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां	14882.25	15632.25
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक कागज़ात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	57945.71	56214.92
iii.	ऋण एवं अग्रिम	3683287.65	3683260.28
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	457416.12	457416.12
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	3225871.53	3225844.16
iv.	अचल आस्तियां	85457.78	85430.37
v.	अन्य आस्तियां		
	जिसमें से:सद्भाव एवं अमूर्त आस्तियां	279354.36	278317.39
	जिसमें से :		
	सद्भाव		
	(अन्य अमूर्त (एमएसआरएस को छोड़कर)		
	आस्थिगित कर आस्तियां	54172.14	54172.14
vi	समेकन पर सद्भाव		
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	6320259.51	6301970.40

चरण -3

आम इक्विटी टियर १ पूंजी : लिखत एंव आरक्षितियां			
		बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया विनियामक पूंजी का अंश	चरण 2 से विनियामक के समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र के संदर्भ संख्या/पत्रों पर आधारित स्रोत
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी किए गए पात्र आम शेयर (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा साथ में संबंधित स्टॉक अधिशेष	125816.81	
2	प्रतिधारित अर्जन	-85852.89	
3	संचित अन्य समेकित आय (एवं अन्य आरक्षितियां)	260,585.37	

4	सीईटी 1 से फेस आउट की शर्त के अध्यधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी (केवल संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं थर्ड पार्टियों द्वारा धारित आम शेयर पूंजी(ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत राशि)	809.81	
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व आम इक्विटी टियर 1 पूंजी	301359.10	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	सद्भाव (संबंधित कर आस्तियां कम कर)		

तालिका डीएफ-13
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

1	जारीकर्ता	बैक ऑफ इंडिया
2	यूनीक आईडेन्टिफायर(जैसे – निजी प्लेस्मेंट के हेतु सी यू ए स आ ई पी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE084A01016
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय विधि
	विनियामक व्यवहार	
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	कॉमन इक्विटी टियर 1
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल ख्ख्ख नियम	कॉमन इक्विटी टियर 1
6	सोलो/ग्रुप /ग्रुप एवं सोलो में पात्र	सोलो एवं समूह
7	लिखत प्रभार	आम शेयर
8	विनियामक पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में , नवीनतम रिपोर्टिंग तारीख)	10554.34
9	लिखत का सममूल्य (रु.मिलियन) यथा नवीनतम रिपोर्टिंग तारीख	लागू नहीं
10	लेखांकन वर्गीकरण	इक्विटी शेयर
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	विभिन्न
12	दिनांकित या सर्वकालिक	स्थायी
13	मूल परिपक्वता तारीख	लागू नहीं
14	पर्यवेक्षी अनुमोदन के अध्यधीन पहले इश्यूअर कॉल	नहीं
15	मूल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन	लागू नहीं
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, यदि लागू हों	लागू नहीं
	कूपन /डिविडेंड	लाभांश
17	स्थिर या फलोटिंग लाभांश /कूपन	लागू नहीं
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	लागू नहीं
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	लागू नहीं
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	लागू नहीं
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	नहीं
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्ज़न ट्रिगर्स	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो, किसी प्रकार के लिखत में परिवर्तन किसर जाएगा उल्लेख करें।	लागू नहीं

29	यदि परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसके जारीकर्ता का उल्लेख करें।	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	नहीं
31	यदि राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर ।	लागू नहीं
32	यदि राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठता से स्पष्ट करें)	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	नहीं
37	यदि हाँ, तो कृपया गैर-कम्प्लायंट विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया	बैंक ऑफ़ इंडिया
2	यूनीक आईडेन्टिफायर (जैसे निजी प्लेस्मेंट हेतु CUSIP, ISIN या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE084A09126	INE084A09134	INE084A09142	INE084A09167	INE084A09191	INE084A09225	INE084A08052
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम
	विनियामक व्यवहार							
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल III नियम	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1	एटी 1
6	सोलो/ग्रुप/ग्रुप एवं सोलो में पात्र	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप
7	लिखत प्रकार	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्य की गई राशि (₹ मिलियन में, यथा नवीनतम रिपोर्टिंग तारीख)	2,000	500	775	2,000	1,625	1,500	25,000
9	लिखत का सममूल्य (₹ मिलियन)	4,000	1,000	1,550	4,000	3,250	3,000	25,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार

11	जारी किए जाने की मूल तारीख	27.07.2007	27.09.2007	11.10.2007	10.02.2009	09.12.2009	09.09.2010	08.08.2014
12	दिनांकित या सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक
13	मूल परिपक्वता तारीख	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक	सर्वकालिक
14	पहले इश्यूअर कॉल पर्यवेक्षीय अनुमोदन के अध्यधीन से	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
15	ऑप्शनल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन	कॉल ऑपशन की तारीख 27.7.17 सममूल्य पर मोचन	कॉल ऑपशन की तारीख 27.9.17 सममूल्य पर मोचन	कॉल ऑपशन की तारीख 11.10.17 सममूल्य पर मोचन	कॉल ऑपशन की तारीख 10.2.19 सममूल्य पर मोचन	कॉल ऑपशन की तारीख 09.12.19 सममूल्य पर मोचन	कॉल ऑपशन की तारीख 09.9.20 सममूल्य पर मोचन	कॉल ऑपशन की तारीख 08.08.24 सममूल्य पर मोचन
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, यदि लागू हों	वर्षगांठ पर 27.7.17 के बाद	वर्षगांठ पर 27.9.17 के बाद	वर्षगांठ पर 11.10.17 के बाद	वर्षगांठ पर 10.2.19 के बाद	09.12.2019 के बाद	27.7.2017 के बाद	08.08.2024 के बाद
	कूपन/डिविडेंड कूपन /डिविडेंड	कूपन लाभांश	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर या फ्लोटिंग	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	कॉलसेपहले 10.55% कॉल के प्रयोग न होने पर 11.05% 10.55% 10	कॉल से पहले 10.45% कॉल के प्रयोग न होने पर10.95%	कॉल से पहले 10.40% कॉल के प्रयोग न होने पर10.90%	कॉल से पहले 8.90% कॉल के प्रयोग न होने पर9.40%	कॉल से पहले9.00% कॉल के प्रयोग न होने पर 9.50%	कॉल से पहले 9.05% कॉल के प्रयोग न होने पर 9.55%	प्र.व.11%
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	हॉ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	आंशिक रूप से विवेकाधीन	आंशिक रूप से विवेकाधीन	आंशिक रूप से विवेकाधीन	आंशिक रूप से विवेकाधीन	आंशिक रूप से विवेकाधीन	आंशिक रूप से वेकाधीन	पूर्ण रूप से विवेकाधीन
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	हॉ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्ज़न ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो, किस प्रकार के लिखत में परिवर्तन होगा उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसका जारीकर्ता जारीकर्ता जारीकर्ता का उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ

31	यदि राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर्स।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पीओएनवी ट्रिगर
32	यदि राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कोई भी
33	यदि राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	स्थायी
34	यदि राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठता से स्पष्ट करें)	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत	सर्वकालिक ऋण लिखत
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
37	यदि हाँ, तो कृपया गैर-कम्प्लायंट विशेषताओं का उल्लेख करें	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	लागू नहीं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैं बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट अभिज्ञापक(उदा.निजी स्थापन के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग अभिज्ञापक)	INE084A08078	INE084A08086	INE084A08102
3	लिखत का शासी विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	नियामक प्रबंध्			
4	संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1
5	परिवर्ती संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्र	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप
7	लिखत प्रकार	स्थायी ऋण लिखत	स्थायी ऋण लिखत	स्थायी ऋण लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि(अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में रू. मिलीयन में)	10,000	5,000	10,000
9	सममूल्य के लिखत (रु. मिलीयन, अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि के)	10,000	5,000	10,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	22.06.2016	23.06.2016	15.03.2017
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी	बेमियादी	बेमियादी
13	परिपक्वता की मूल तिथि	स्थायी	स्थायी	स्थायी
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन जारीकर्ता बोली	हां	हां	हां
15	वैकल्पिक बोली तिथि, आकस्मिक बोली तिथि तथा प्रतिदान राशि	कॉल ऑपशन की तारीख 22.6.2021 सममूल्य पर मोचन	कॉल ऑपशन की तारीख 23.6.2026 सममूल्य पर मोचन	कॉल ऑपशन की तारीख 15.3.2022 सममूल्य पर मोचन
16	अनुवर्ती बोली तिथि, यादि लागू हो तो	वर्षगांठ की तारीख पर 22.6.2021 के बाद	वर्षगांठ की तारीख पर 23.6.2026 के बाद	वर्षगांठ की तारीख पर 15.3.2022 के बाद
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	11.50% p.a.	11.50% p.a.	9.95% p.a
19	लाभांश रोधक की स्थिति	हां	हां	हां
20	पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेक	पूर्ण विवेक	पूर्ण विवेक
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय

24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्त होगा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशिष्टताएं	हां	हां	हां
31	यदि राइट डाउन हैं तो, राइट डाउन ट्रिगर	पीओएनवी ट्रिगर	पीओएनवी ट्रिगर	पीओएनवी ट्रिगर
32	यदि राइट डाउन है तो पूर्ण या आंशिक	कोई भी	कोई भी	कोई भी
33	यदि राइट डाउन है तो स्थायी या अस्थाई	कोई भी, आरबीआई निदेशानुरूप	कोई भी, आरबीआई निदेशानुरूप	कोई भी, आरबीआई निदेशानुरूप
34	यदि अस्थायी राइट डाउन तो लेखन प्रणाली का वर्णन-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठता से स्पष्ट करें)	स्थायी ऋण लिखत	स्थायी ऋण लिखत	स्थायी ऋण लिखत
36	गैर-अनुवर्ती परिवर्तन विशिष्टताएं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हां तो गैर-अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट अभिज्ञापक(उदा.निजी स्थापन के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग अभिज्ञापक)	INE084A09159	INE084A09175	INE084A09183
3	लिखत का शासी विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	नियामक प्रबंध्			
4	संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	परिवर्ती संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्र	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप
7	लिखत प्रकार	अपर टियर 2 पूंजी लिखत	अपर टियर 2 पूंजी लिखत	अपर टियर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि(अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में रू. मिलीयन में)	2,500	2,500	2,500
9	सममूल्य के लिखत (रु. मिलीयन, अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि के)	5,000	5,000	5,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	16/10/2008	28/07/2009	28/08/2009
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	16/10/2023	28/07/2024	28/08/2024
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन जारीकर्ता बोली	हां	हां	हां
15	वैकल्पिक बोली तिथि, आकस्मिक बोली तिथि तथा प्रतिदान राशि	16/10/2018	28/07/2019	28/08/2019
16	अनुवर्ती बोली तिथि, यादि लागू हो तो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	11.15%	8.45%	8.50%
19	लाभांश रोधक की स्थिति	हां	हां	हां
20	पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	हां	हां	हां
22	असंचयी या संचयी	संचयी	संचयी	संचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्त होगा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशिष्टताएं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि राइट डाउन हैं तो, राइट डाउन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि राइट डाउन है तो पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि राइट डाउन है तो स्थायी या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी राइट डाउन तो लेखन प्रणाली का वर्णन-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठता से स्पष्ट करें)	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार
36	गैर-अनुवर्ती परिवर्तन विशिष्टताएं	हां	हां	हां
37	यदि हां तो गैर-अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैं बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट अभिज्ञापक(उदा.निजी स्थापन के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग अभिज्ञापक)	INE084A09209	INE084A09217
3	लिखत का शासी विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	नियामक प्रबंध्		
4	संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	टियर 2	टियर 2
5	परिवर्ती संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	अपात्र	अपात्र
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्र	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप
7	लिखत प्रकार	अपर टियर 2 पूंजी लिखत	अपर टियर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि(अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में ₹ मिलीयन में)	5,000	5,000
9	सममूल्य के लिखत (₹ मिलीयन, अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि के)	10,000	10,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	20/01/2010	11/06/2010
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	20/01/2025	11/06/2025
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन जारीकर्ता बोली	हां	हां
15	वैकल्पिक बोली तिथि, आकस्मिक बोली तिथि तथा प्रतिदान राशि	20/01/2020	11/06/2020
16	अनुवर्ती बोली तिथि, यादि लागू हो तो	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	8.54%	8.48%
19	लाभांश रोधक की स्थिति	हां	हां
20	पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	हां	हां
22	असंचयी या संचयी	संचयी	संचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्त होगा	लागू नहीं	लागू नहीं

30	राइट डाउन विशिष्टताएं	नहीं	नहीं
31	यदि राइट डाउन हैं तो, राइट डाउन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि राइट डाउन है तो पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि राइट डाउन है तो स्थायी या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी राइट डाउन तो लेखन प्रणाली का वर्णन-	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठता से स्पष्ट करें)	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार
36	गैर-अनुवर्ती परिवर्तन विशिष्टताएं	हां	हां
37	यदि हां तो गैर-अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं	हानि रहित अवशोषण विशिष्टताएं

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैं बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट अभिज्ञापक (उदा. निजी स्थापन के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग अभिज्ञापक)	INE 084A08094	INE 084A08110
3	लिखत का शासी विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	नियामक प्रबंध्		
4	संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	टियर 2	टियर 2
5	परिवर्ती संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	अपात्र	अपात्र
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्र	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप
7	लिखत प्रकार	लोअर टियर 2 लिखत	लोअर टियर 2 लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि(अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में ₹ मिलीयन में)	15,000	10,000
9	सममूल्य के लिखत (₹ मिलीयन, अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि के)	15,000	10,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	07/07/2016	27/03/2017
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	07/07/2026	27/03/2027
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन जारीकर्ता बोली	हां	हां
15	वैकल्पिक बोली तिथि, आकस्मिक बोली तिथि तथा प्रतिदान राशि	07/07/2026	27/03/2027
16	अनुवर्ती बोली तिथि, यादि लागू हो तो	मोचन तक, आरबीआई अनुमोदन की शर्त के अध्यधीन प्रत्येक वर्षगांठ तारीख पर (अर्थात 7 जुलाई)	मोचन तक, आरबीआई अनुमोदन की शर्त के अध्यधीन प्रत्येक वर्षगांठ तारीख पर (अर्थात 27 मार्च)
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	8.57%	8.00%
19	लाभांश रोधक की स्थिति	हां	हां
20	पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेक	पूर्ण विवेक
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्त होगा	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशिष्टताएं	नहीं	नहीं

31	यदि राइट डाउन हैं तो, राइट डाउन ट्रिगर	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित
32	यदि राइट डाउन है तो पूर्ण या आंशिक	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित
33	यदि राइट डाउन है तो स्थायी या अस्थाई	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित
34	यदि अस्थायी राइट डाउन तो लेखन प्रणाली का वर्णन-	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठता से स्पष्ट करें)	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार
36	गैर-अनुवर्ती परिवर्तन विशिष्टताएं	अनुपालन किया गया	अनुपालन किया गया
37	यदि हां तो गैर-अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	–	–

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बै बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट अभिज्ञापक(उदा.निजी स्थापन के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग अभिज्ञापक)	INE084A08037	INE084A08045	INE084A08060
3	लिखत का शासी विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	नियामक प्रबंध्			
4	संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	परिवर्ती संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	पात्र	पात्र	पात्र
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्र	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप	
7	लिखत प्रकार	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि(अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में रू. मिलीयन में)	10,000	5,000	30,000
9	सममूल्य के लिखत (रु. मिलीयन, अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि के)	10,000	5,000	30,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार	
11	जारी करने की मूल तिथि	25/09/2013	30/09/2013	31/12/2015
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	25/09/2013	30/09/2013	31/12/2015
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन जारीकर्ता बोली	नहीं	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक बोली तिथि, आकस्मिक बोली तिथि तथा प्रतिदान राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16	अनुवर्ती बोली तिथि, यादि लागू हो तो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	9.80%	9.80%	8.52%
19	लाभांश रोधक की स्थिति	हां	हां	हां
20	पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेक	पूर्ण विवेक	पूर्ण विवेक
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्त होगा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशिष्टताएं	हां	हां	हां
31	यदि राइट डाउन हैं तो, राइट डाउन ट्रिगर	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित
32	यदि राइट डाउन है तो पूर्ण या आंशिक	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित

33	यदि राइट डाउन है तो स्थायी या अस्थाई	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित
34	यदि अस्थायी राइट डाउन तो लेखन प्रणाली का वर्णन-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठता से स्पष्ट करें)	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार
36	गैर-अनुवर्ती परिवर्तन विशिष्टताएं	अनुपालन किया गया	अनुपालन किया गया	अनुपालन किया गया
37	यदि हां तो गैर-अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	–	–	–

विनियामक पूंजी लिखत की प्रमुख विशेषताओं के लिए प्रकटन टेंप्लेट		
1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ़ इंडिया, जर्सी शाखा
2	यूनीक आईडेन्टिफायर(जैसे निजी प्लेस्मेंट के हेतुसीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	XS0294208235
3	लिखत के शासी नियम	अंगरेजी
	विनियामक व्यवहार	
4	संक्रामणकालीन बासेल घ्घ नियम	एटी 1
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल घ्घ नियम	पात्र
6	सोलो/ग्रुप /ग्रुप एवं सोलो में पात्र	सोलो एवं ग्रुप
7	लिखत प्रभार	आईपीडीआई (हैब्रिड टियर 1)
8	विनियामक पूंजी में मान्य की गई राशि (₹ मिलियन में , यथा सबसे हाल की रिपोर्टिंग तारीख)	यूएसडी 76.50 मिलियन
9	लिखत का सममूल्य (₹ मिलियन)	यूएसडी 85 मिलियन
10	लेखांकन वर्गीकरण	ऋण
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	27 मार्च '07
12	दिनांकित या सर्वकालिक	सर्वकालिक
13	मूल परिपक्वता तारीख	लागू नहीं
14	के पहले इश्यूअर कॉल	हां
15	मूल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन	3 अप्रैल 2017
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, यदि लागू हों	3 अप्रैल 2017 के बाद प्रत्येक कूपन
	कूपन/डिविडेंड कूपन /डिविडेंड	
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	6.994%
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	लागू नहीं
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	आंशिकरूप से विवेकपूर्ण
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	स्टेप अप
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्ज़न ट्रिगर्स	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो, किसी प्रकार के लिखत में परिवर्तन किसर जाएगा उल्लेख करें।	लागू नहीं

29	यदि परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसके जारीकर्ता का उल्लेख करें।	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	लागू नहीं
31	यदि राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर।	लागू नहीं
32	यदि राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठता से स्पष्ट करें)	अधिमान एवं इक्विटी शेयरहोल्डर
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	हां
37	यदि हाँ, तो कृपया गैर-कम्प्लायंट विशेषताओं का उल्लेख करें	1. कॉल तारीख पर स्टेप अप शामिल 2. कूपन रदद करने हेतु बीओआई के पास पूर्ण विवेक नहीं है 3. पीओएनवी एवं सीईटी पर प्रमुख हानि खपाना शामिल नहीं है

तालिका डीएफ -14 : विनियामक पूंजी लिखतों के सम्पूर्ण निबंधन एवं शर्तें

➢ हमारे वेबसाइट पर विनियामक प्रकटन खंड के अंतर्गत पृथक प्रकटन ।

तालिका डीएफ : -15 : परिश्रमिक के लिए प्रकटन की आवश्यकता

निदेशक मण्डल और उच्चतम कार्यपालको के पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त पुर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है। यह योजना स्टेटमेन्ट ऑफ इन्टेन्ट (एसओआई) के आधार पर बनाई गई है जो भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित है।

तालिका डीएफ: -16 : बैंकिंग बहियों के लिए इक्विटी का प्रकटन

(रु. मिलियन में रकम)

	गुणात्मक प्रकटन	
1.	इक्विटी जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1 जिसमें शामिल है :)	
	धारित जिस पर अभिलाभ अपेक्षित है और वे जो अन्य उद्देश्यों के लिए गए है के बीच अंतर जिसमें संपर्क और कार्यनीतिक कारण शामिल हैं, और	बैंकिंग बही में सभी इक्विटी निवेश अनुषंगी/संयुक्त उद्यम और सहयोगियों में किए गए हैं।
	बैंकिंग बही में इक्विटी धारिता के मूल्यांकन और लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों पर विचार विमर्श। इसमें प्रयोग लेखांकन तकनीक और मूल्यांकन पद्धति शामिल है साथ ही मुख्य धारणाएं और मूल्यांकन प्रभावित करने वाली पद्धति के साथ इन पद्धतियों में परिवर्तन भी शामिल है।	'परिपक्वता पर धारित" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश मार्कड टू मार्केट होने की आवश्यकता नहीं है और अंकित मूल्य से अधिक न होने पर इसे अधिग्रहण लागत पर लिया जाएगा,जिसमें प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाना चाहिए। चूंकि बैंक लगातार लेखांकन के लिए भारित औसत लागत की पद्धति का प्रयोग कर रहा है, डब्ल्यूएसी सिफ्टिंग के प्रयोजन हेतु अधिग्रहण लागत और साथही परिशोधन के लिए प्रीमियम की गणना है। बैंक अस्थायी को छोड़कर परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत निवेश के मूल्य पर किसी भी ह्रास को मान्यता दे रहा है और उपलब्ध करवा रहा है। ऐसा ह्रास प्रत्येक निवेश के लिए एक-एक करके निर्धारित किया जाएगा।
	मात्रात्मक प्रकटन	
1.	निवेश के तुलन पत्र में प्रकट किए गए मूल्य के साथ-साथ उन निवेशों का उचित मूल्य, उद्धृत शेयर मूल्य से तुलना जहां शेयर मूल्य भौतिक रूप से उचित मूल्य से भिन्न है।	
	निवेश का बही मूल्य	11850.30
	तुलन पत्र के अनुसार बही मूल्य	11831.70
2.	निवेश के प्रकार और प्रकृति, जिसमें निम्नानुसार श्रेणीकृत की जाने वाली राशि शामिल है :	
	• सार्वजनिक रूप से व्यापार ;	
	• निजी रूप से धारित	11831.70

3.	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न संचयी प्राप्त लाभ (हानि).	
4.	कुल अप्राप्य लाभ (हानि) 13	
5.	कुल प्रकट पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि)14	
6.	उपरोक्त में से कोई राशि टियर 1 और/या टियर 2 पूंजी में शामिल	
7.	उचित इक्विटी ग्रूपिंग द्वारा विघटित पूंजी आवश्यकताएं, बैंक की पद्धति के साथ समनुरूप के साथ-साथ संकलित राशि और इक्विटी निवेशों का प्रकार बशर्ते कि पर्यवेक्षी ट्रैन्जिशन या विनियामक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधान की देखभाल.	लागू नहीं

तालिका डीएफ 17- लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपाय का सारांश

	मद	(रु. मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल समेकित आस्तियसां	63,20,259.51
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा और वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेशके लिए समायोजन जिसका लेखांकन उद्देश्य के लिए समेकन किया जाता है लेकिन विनियामक समेकन की सीमा के बाहर है।	(-)32,425.40
3	परिचालन लेखा फ्रेमवर्क के अनुसरण में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन लेकिन लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र उपाय में शामिल नहीं	
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	31,900.99
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण संव्यवहार के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और समान प्रतिभूत उधार)	
6	तुलन पत्र बाहय मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन-पत्र बाहय एक्सपोजर के क्रेडिट समतुल्य राशि में परिवर्तन)	5,81,916.79
7	अन्य समायोजन	
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र	69,01,651.89

तालिका डीएफ -18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन टेम्प्लैट

	मद	लीवरेज अनुपात फ्रेमवर्क (₹ मिलियन में)
	तुलन पत्र के एक्पोज़र	
1	तुलन पत्र के अंदर के मद (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर, लेकिन संपार्श्विक शामिल)	61,25,259.51
2	(बासेल III टियर 1 पूंजी निर्धारण में आस्ति रकम घटाया गया)	(-)32,425.40
3	तुलन-पत्र पर कुल एक्सपोज़र (डेरिवेटिव और एसएफटी छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का जोड़)	60,92,834.11
	डेरिवेटिव एक्सपोज़र	
4	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों के साथ सम्बद्ध प्रतिस्थापन लागत (अर्थात योग्य नकद अंतर मार्जिन का निवल)	17,025.49
5	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों के साथ सम्बद्ध पीएफई के लिए एड ऑन रकम	14,875.50
6	परिचालन लेखा फ्रेमवर्क के अनुसरण में तुलन-पत्र आस्ति से घटाये जाने पर दिए गए डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्रॉस अप	
7	(डेरिवेटिव संव्यवहार में दिए गए नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों में कमी)	
8	(ग्राहक का छूट प्राप्त सीसीपी लेग - स्पष्ट व्यापार एक्सपोज़र)	
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव से समायोजित प्रभावी अनुमानित रकम	
10	(लिखत क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित ऑफ सेट और एड ऑन घटाना)	
11	कुल डेरिवेटिव एक्सपोज़र (लाइन 4 से 10 का जोड़)	31,900.99
	संव्यवहार एक्सपोज़र वित्तपोषित प्रतिभूतियां	
12	सकल एसएफटी आस्ति (नेटिंग को मान्यता दिए बिना), बिक्री लेखा संव्यवहारो के लिए समायोजन के बाद	1,95,000.00
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के नकद देय और नकद प्राप्य का निवल रकम)	
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	
15	एजेंट संव्यवहार एक्सपोज़र	
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषित संव्यवहार (पंक्ति 12 से 15 का जोड़)	1,95,000.00
	अन्य तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोज़र	
17	सकल अनुमानित रकम पर तुलन पत्र बाह्य एक्सपोज़र	5,81,916.79
18	(क्रेडिट समतुल्य रकम के परिवर्तन के लिए समायोजन)	

19	तुलन पत्र बाह्य मदें (पंक्ति 17 और 18 का जोड़)	5,81,916.79
	पूंजी और कुल एक्सपोज़र	
20	टियर 1 पूंजी	3,30,093.00
21	कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का जोड़)	69,01,651.89
	लीवरेज अनुपात	
22	बासेल III लीवरेज अनुपात	4.78%

Basel III (Pillar 3) - Disclosures (Consolidated) March, 2017

Table DF 1
Scope of Application

Name of the top bank in the group to which the Framework applies- BANK OF INDIA

i. Qualitative Disclosures

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity/ Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the Method of consolidation	Whether the Entity is included under regulatory scope of consolidation yes / no)	Explain the Method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Bank of India New Zealand LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India(Uganda) LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India(Tanzania) LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India (Botswana) LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
PT Bank of India Swadeshi TBK Indonesia	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Shareholding LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Axa Investment Managers PVT LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Axa Trustee Services PVT LTD	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Merchant Bankers Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company LTD	Yes	Joint Venture	No	Joint Venture	NA	NA
STCI Finance LTD	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
ASREC (India) LTD	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
Indo Zambia Bank LTD	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Vidharbha Konkan Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB SH Aryavart Kshetriya Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB SH Jharkhand Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB SH Narmada Jhabua Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity & reserves (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) (Equity + Reserve) (₹ Mn)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) (₹ Mn)
Bank of India Newzealand LTD	Banking	2414.97	5479.25
Bank of India (Uganda) LTD	Banking	580.35	2987.77
Bank of India (Tanzania) LTD	Banking	961.27	5207.29
Bank of India (Botswana) LTD	Banking	242.53	1154.18
PT Bank of India Swadeshi TBK Indonesia	Banking	2840.45	20966.69
BOI Shareholding LTD	Clearing & Settlement of Stock Exchange	243.13	258.53
BOI Axa Investment Managers PVT LTD	Assets Management	560.56	658.12
BOI Axa Trustee Services PVT LTD	Trusteeship Services	0.70	0.94
BOI Merchant Bankers Ltd	Merchant Banking services	123.25	123.37
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company LTD	Life Insurance	5275.48	65262.68
STCI Finance LTD	NBFC- NDSI	14426.98	90526.67
ASREC (India) LTD	Assets Recovery Company	1418.65	1962.31
Indo Zambia Bank LTD.	Banking	4685.57	19727.78
RRB Vidharbha Konkan Gramin Bank	Banking	2287.62	42964.85
RRB SH Aryavart Kshetriya Gramin Bank	Banking	14568.80	18932.64
RRB SH Jharkhand Gramin Bank	Banking	1447.72	35832.31
RRB SH Narmada Jhabua Gramin Bank	Banking	5986.62	78492.12

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no deficiency in the subsidiaries.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total Balance Sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) ₹ Mn	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method (₹ Mn)
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company LTD	Life Insurance	65262.68	28.96	1875.00 (Risk weight 250%)

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group are as governed by RBI.

Table DF - 2
Capital Adequacy

i. Qualitative disclosures

a. A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.

1. Bank of India

The Bank carries out regular assessment of its Capital requirements from time to time to maintain a comfortable Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR). The capital plan is reviewed on an annual basis to take care of the future growth in business, capital requirements, policy guidelines, macro-economic scenarios, risk appetite etc. The Bank has also developed Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to comprehensively address all risks and maintain necessary additional capital.

2. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

In accordance with Regulation of Bank Indonesia, Bank's Tier-1 Capital should be minimum IDR 1 trillion in order to run foreign exchange business.

3. Bank of India (Tanzania) Ltd 2 (Subsidiary) and Bank of India (Uganda) Ltd (subsidiary)

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines developed by the Basel Committee, as implemented by the Bank of Tanzania (BOT) and Bank of Uganda (BOU), for supervision purposes. The required information is filed with the BOT and BOU, the local regulators on a quarterly basis.

The bank's regulatory capital as managed by its management is divided into two tiers:

Tier 1 capital: - Share capital, retained earnings and reserves created by appropriation of retained earnings. Prepaid expenses and deferred charges are deducted in arriving at Tier 1 Capital.

Tier 2 capital: - Qualifying subordinate loan capital, collective impairment allowances and unrealized gains arising on the fair valuation of equity instruments held as available for sale.

The risk-weighted assets are ensured by means of a hierarchy of four risk weights classified according to the nature and reflecting an estimate of credit, market and other risks associated with each asset and counterparty, taking into account any eligible collaterals or guarantees. A similar treatment is adopted for off- balance sheet exposure, with some adjustments to reflect the more contingent nature of the potential losses.

4. Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiary)

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines of the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), for supervision purposes. The required information is disclosed in General Disclosure Statement on quarterly basis. The bank's regulatory capital as managed by its management solely consists of Tier 1 Capital

Tier 1 capital: - Share capital, retained earnings and reserves created by appropriation of retained earnings

The risk-weighted assets are ensured by means of a hierarchy of five risk weights classified according to the nature and reflecting an estimate of credit, market and other risks associated with each asset and counterparty, taking into account any eligible collaterals or guarantees. A similar treatment is adopted for off-balance sheet exposure

5. Bank of India (Botswana) Ltd

The bank's regulatory capital as managed by its management is divided into two tiers:

Tier 1 Capital: - Share capital, retained earnings and reserves (now loss for the subsidiary) created by appropriation of retained earnings. Prepaid expenses and deferred charges are deducted in arriving at Tier 1 Capital.

Tier 2 Capital: -Qualifying subordinate loan capital, collective impairment allowances i.e, provision on standard assets and unrealized gains arising on the fair valuation of equity instruments held as available for sale.

ii. Quantitative disclosures:-

	Amount in ₹ Mn.
(b) Capital requirements for credit risk:	2,68,122.58
➢ Portfolios subject to standardized approach	
➢ Portfolios	
➢ Securitisation exposures	
(c) Capital requirements for market risk: Standardized duration approach;	21,668.09
➢ Interest rate risk	13241.09
➢ Foreign exchange risk (including gold)	334.87
➢ Equity risk	8092.13
(d) Capital requirements for operational risk: Basic Indicator Approach	
➢ The Standardized Approach (if applicable)	25,529.19
(e) Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios:	
For the top consolidated group; and	
For significant bank subsidiaries (stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)	
➢ Common Equity Tier 1 Capital (CET 1)	7.71%
➢ Tier 1 Capital (T 1)	9.42%
➢ Total Capital Ratio	12.62%

Table DF 3 - Credit risk
General disclosures for all banks

i. Qualitative Disclosures

a. The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk, including:

➢ Definition of past due and impaired (for accounting purposes)

1.0 Bank of India

The Bank follows Reserve Bank of India regulations, which are summed up below:

1.1 Non-performing Assets

An asset, including a leased asset, becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank.

A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- the account remains 'out of order' as indicated below, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.
- Bank should classify an account as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.
- A loan for infrastructure/non-infrastructure project will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per record of recovery (90 days overdue) unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"
- A loan for an infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within two years from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"
- A loan for a non-infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within twelve months from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"

1.2 'Out of Order' status

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

1.3 Overdue

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

1.4 Non Performing Investments

In respect of securities, where interest/ principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
- Any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
- The investments in debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are subjected to NPI norms as applicable to investments.

2.0 PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

The Credit Quality is assessed based on the factors such as business prospects, performance of the debtor and repayment capacity. It is undertaken depending upon the materiality and significance of each assessment factor and components and the relevance of the assessment factors and components to the characteristics of the debtor concerned. Accordingly, the assets are classified into current, special mention, sub-standard, doubtful and loss category.

"Assets" are classified into Earning Assets and Non-earning Assets. Earning Assets are provision of funds by a bank to earn revenues. "Non-Earning Assets" are assets of the Bank other than Earning Assets with potential for Loss.

An asset becomes non-performing when it ceases to generate revenue for the bank. A non-performing asset is a loan or an advance where the arrears in principal and / or interest exceed 90 days.

Past due: Any amount due to the bank under any credit facility is "past due" if it is not paid on the due date fixed by the bank.

On 1st January 2010, PT Bank of India Indonesia Tbk started implementation of the New Accounting Policy i.e. PSAK 50 & 55 which is similar to the International Accounting Standards IAS 32 & 39 according to which the financial asset must be presented at the fair value. During the implementation of PSAK 50 & 55, Bank Indonesia issued the guidelines that if the bank does not maintain historical loss data, during the transition period i.e. until the year 2011. It can compute financial asset impaired as described above. We are now in progress to integrate PSAK calculation into bank's core banking, which is in line with our business plan that is up-gradation technology.

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
90-120	Substandard	15%
120-180	Doubtful	50%
180 and More	Loss	100%

3.0 Bank of India (New Zealand) Ltd, Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India Uganda, and Bank of India (Botswana) Ltd (Subsidiaries)

Credit risk is a risk of financial loss to the bank, if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations and arises principally from the bank's loans and advances to customers and other banks, and investment debt securities.

The Board of Directors has delegated responsibility for the oversight of credit risk to its Credit committee. The credit department of the bank, reporting to the Credit committee is responsible for management of the bank's credit risk, including:-

- Formulating credit policies covering collateral requirements, credit assessment, risk grading and reporting, documentary and legal procedures, and compliance with regulatory and statutory requirements.
- Establishing the authorization structure for approval and renewal of credit facilities. The credit limits are governed by the Credit policy, as approved by the board.
- Reviewing and assessing credit risks.
- Limiting concentrations of exposure to counterparties, geographies and industries (for loans and advances).

3.1 Definitions of past due and impaired (for accounting purposes)

Overdrafts and other credit facilities without specific due dates shall be considered past due if:

- Exceeds the customer's borrowing limit.
- Customers borrowing limit is expired.
- Deposits are insufficient to cover the interest calculated and due for the period
- Bill has been dishonored
- Bill or account is not paid on due date
- Loans which are payable in installments are considered as past due in their entirety. If any of the installments have become due and unpaid for thirty days or more.

4.0 Bank of India (New Zealand) Ltd

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-180	Substandard	10%
181-270	Doubtful	50%
271 and More	Loss	100%

5.0 Bank of India (Tanzania) Ltd

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-180	Substandard	20%
181-360	Doubtful	50%
361 and More	Loss	100%

6.0 Bank of India Uganda

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-179	Substandard	20%
180-365	Doubtful	50%
365 and more	Loss	100%

7.0 Bank of India (Botswana) Ltd.

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach should be classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
1 year	Substandard	Secure - 20% Unsecure – 25%
1 year & above and < 2 years	Doubtful	25%+100% of shortfall
> 2 years to 4 years	Doubtful	40%+100% of shortfall
> 4 years	Doubtful	100%
271 and More	Loss	100%

b. Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy

A. Bank of India

- In a bank's portfolio, losses stem from outright default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions or from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality.
- Against this backdrop a robust risk management framework is necessary for the long-term financial health of a bank. Credit Risk Management encompasses identification, measurement, monitoring and control of the credit risk exposures.
- The Bank has identified various types of credit risk at a generic level in the Credit Risk Management policy. More granular identification is done at the product /process level. Various risks are looked into before introducing new products/processes, which are cleared from the risk angle.
- The Credit Risk Management framework outlined in the policy is built on three distinct building blocks namely Policy & Strategy, Organizational Set up and Operations/ Systems.

i) Policy and Strategy

The Bank has been following a conservative risk philosophy, which has steered the bank through difficult times. However the Bank has an open policy regarding new and unexplored areas and new opportunities are not lost sight of. The important aspects of this philosophy are embodied in the circulars and are periodically codified in the form of Manual of Instructions.

The business objectives and the strategy of the Bank is decided taking into account the profit considerations,

the level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. The Bank is always conscious of its asset quality and earnings and hence judiciously matches profit maximization with risk control.

The Credit Risk Management policy and significant credit risk related policies like Credit Policy, and Credit Monitoring Policy are approved and periodically reviewed by the Board of Directors. The Credit Policy covers various areas of credit like Clientele, Marketing, Segmented Approach to Lending, Credit Delivery, Credit Thrust, Tenure of Credit, Credit Acquisition, Risk Rating (including risk acceptance criteria), Pricing, Credit appraisal, Assessment of Limits, Exposure Norms, Industry Norms, Collateral and Margins, Review of Relationship, Scheme of Delegation, Statutory and other Restrictions and Documentation. Credit Policy for International Operations is in place and each center has its own credit policy dovetailed to the main policy. The delegation of powers for credit matters is covered by a separate policy. In addition Credit Risk is tracked and monitored as per the Credit Monitoring Policy. Restructuring Policy, Write Off and Recovery Policy, Asset Classification and Provisioning Policy, Bank Exposure Policy, Country Risk policy and Credit Audit Policy are also in place. Investments are contracted as per the policy guidelines laid down in the Investment Policy and after clearance by the Investment Committee.

ii) Organizational Set up

The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex levels that have the overall oversight of management of risks. The Risk Management Committee of the Board (R. Com) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director and whose members also include heads of Credit, Market & Operational Risk Management Committees, devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk. At is the operational level the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main functions includes implementation of credit risk management policy approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit matters including delegation of credit, prudential limits on large credit exposures, portfolio management, etc.

The Risk Management Department headed by the Chief Risk Officer of General Manager rank, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/R. Com/M.Com. The Credit Monitoring Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

iii) Operations/Systems/Processes

The Bank has proactive Credit Risk Management practices like consistent standards for the credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items, periodic individual obligor reviews, periodic inspections and collateral management systems.

Credit risk limits including obligor limits and concentration limits by industry, systems and procedures for monitoring financial performance of customers and for controlling outstanding within limits are followed. Checks and balances are in place for extension of credit viz. separation of credit risk management from credit sanction, vetting of new products and systems from risk angle by the CRMC, multiple credit approvers, system of assigning risk rating, vetting of ratings, mechanism to price facilities depending on the risk grading of the customer, Credit Risk Evaluation committee for vetting credit proposals from risk angle, credit process audit, post sanction pre disbursement review and post sanction review systems and an independent audit and risk review function. Proposals for investments are subjected to credit risk analysis, detailed appraisal and rating. As a matter of entry level, minimum ratings/quality standards, industry, maturity, duration, issue-wise limits are stipulated for investments to mitigate the adverse impact of concentration and risk of liquidity. Investment exposure is taken into consideration while computing exposure to a customer/group. A suitable framework is in place to provide a centralized overview on the aggregate exposure on other banks and half-yearly reviews are undertaken at a single point. The country exposures are monitored on half yearly basis.

A diversified portfolio of risk assets is maintained and a system to conduct regular analysis of the portfolio so as to ensure ongoing control of risk concentrations is in place. A conservative policy for provisioning in respect of non-performing advances is followed. Management Information System (MIS) is being upgraded with introduction of Credit Risk Management System, which would enhance the capabilities of the bank to manage and measure the credit risk inherent in all on- and off-balance sheet activities.

iv) The following tools are used for credit risk management/ mitigation –

- **Credit Approving Authority – Delegation of Powers**

The Bank has a well-defined scheme of risk based delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment. The delegation of powers is linked to the rating of the borrower with powers for sanction of higher limits to better-rated customers. At present, all credit proposals falling within the delegated authority of the General Manager and above are being routed through the "Credit Risk Evaluation Committee (CREC)" to bring in an element of independence and off-site evaluation of risks perceived in credit proposals. The General Manager, Risk Management Department, who has no volume or profit targets, is mandatory member of the CREC.

As per Ministry of Finance Guidelines, Credit Committees with sanctioning powers have been formed at various administrative levels to exercise delegation of powers. At Head Office level, three Credit Committees (GMLCC, EDLCC and CAC) are functioning to deal with proposals falling beyond the delegated powers of the field functionaries. Such Credit Committees (SZLCC/ZLCC/ NBGLCC) have also been set-up at Zonal Office/NBG office for considering the credit proposals falling within their powers.

➢ **Prudential Limits**

Prudential limits on various aspects of credit/investment like Single/Group borrower limits for various types of borrowers are in place.

➢ **Risk Rating/Pricing**

The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.

➢ **Credit Audit/Loan Review Mechanism (LRM)**

Credit Audit/LRM is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration

v) Portfolio Management through analysis

It is also important to have in place a system for monitoring the overall composition and quality of various credit portfolios and investments. With this objective, to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model. Rating Migration of accounts with ₹ 10 lacs and above is being done on half yearly and submitted to Board. Credit Risk Management Software (CRMS) is being implemented phase-wise. Bank is getting prepared for adopting Advanced Approaches.

vi) Risk Measurement

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights. The Bank has migrated to the Standardized approach under the New Capital Adequacy Framework (Basel II), effective 31st March 2008.

vii) Risk Reporting System

All credit related policies are cleared by the CRMC (which is the operational level committee for credit risk) before submission to the appropriate authorities for approval. Various Credit Related reporting's submitted to CRMC to enable proper monitoring.

viii) Risk Review

Audit –Credit Risk Management Systems procedures and Tools are also subjected to internal audit for ensuring effectiveness.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

PT Bank of India Indonesia Tbk has established a Risk Management Committee (RMC) and the Risk Management Unit (RMU) which is independent of the Operational Unit and the Internal Audit Unit ("Internal Audit") in the hope of overall risk management can be integrated, targeted, coordinated and sustainable. Furthermore, to monitor the effectiveness of implementation of tasks RMC and RMU, the Bank established a Risk Monitoring Committee which is directly responsible to the Board of Commissioners.

The Bank has managed 8 (eight) types of risk according to Bank of Indonesia which are credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk and strategic risk. Banks also create risk profiles which can broadly map the activity that has risks as well as potential risks that disrupt the Bank business continuity. Assessment of risk type is a combination of the risks inherent in any functional activity (inherent risk) and risk control systems.

The Bank is selective in approving new credits and maintains higher loan provisions than that required by the Regulator. In collateral based lending, hair cut is applied to the value of collateral. The Risk Manager of the bank reports to the Director Compliance. Risk Management Unit (RMU) supervises/ has oversight of the credit approval process.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd , Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries), Bank of India (Uganda) Ltd and Bank of India (Botswana) Ltd

Monthly interest application has become a useful tool to tackle potential delinquencies or defaults in standard accounts. To retain the asset quality, the Bank has adopted the following policy, Branches should promptly act and:-

i. Recover the overdues or at least the critical amount through active follow up with borrowers;

ii. Put the accounts under holding on operations in case of temporary cash flow mismatches;

iii. Reschedule the repayment terms as per expected cash flows;

iv. Restructure the dues in keeping with the expected cash flows and gaps in cash flows, if any as per guidelines given in the restructuring policy.

Any one or more of the above actions are taken by the Bank before the account becomes NPA.

➢ **Measures for follow up of Special Mention Accounts (SMA) / NPA Accounts**

The various means of monitoring / resolving NPAs generally available to the Banks are listed below:-

I. Before the account becoming NPA [Special Mention A/c (SMA)]

a. Close monitoring for compliance of sanction terms to maintain asset quality.

b. Reminders to be sent promptly whenever irregularities are observed.

c. To recover overdues quickly to ensure account does not slip to NPA category

d. Periodic inspection of the unit and charged assets along with analysis of financial data.

e. To restructure the dues before accounts become NPAs. Remedial action includes enhancement of moratorium period, funding of interest, and deferment of installments.

II. After the account becoming NPA – following measure to be initiated for recovering Bank's dues. The following means have to be effectively pursued for resolution of NPAs.

a. Appropriation of liquid securities (TDR, shares, margin money etc.) and pledged goods, to reduce outstanding

b. Disposal of other securities, with the co-operation of borrowers.

c. Compromise settlement of dues through negotiation

d. Re-calling the advance

e. Filing suit in Court– Execution of decree

f. Lastly, after all the chances of recovery of dues are exhausted, we may resort to writing off of the balance dues. All these means have to be effectively pursued for resolution of NPAs.

ii. Quantitative Disclosures:-

a. The total gross credit exposures is:

(₹ In Mn)

Category	Amount
Fund Based	41,17,189.52
Non Fund Based*	6,50,777.91

* Excluding Credit Equivalent of Derivatives

b. The geographic distribution of exposure is:

(₹ In Mn)

	Domestic	Overseas
Fund Based	30,11,770.88	11,05,418.64
Non Fund Based	6,00,957.20	49,820.71

c. Industry type distribution of exposure (Fund Based & Non Fund Based) is as under:

Industry Name	Fund Based (Outstanding) ₹ in Mn.	Non Fund Based (Outstanding) ₹ in Mn.
Coal	1,364.05	89,249.21
Mining	31,257.88	–
Iron & Steel	1,18,395.42	4,015.04
Other Metal & Metal Products	34,409.01	7,515.37
All Engineering	16,887.54	14,033.09
Of which Electronics	2,444.75	2,348.61
Electricity	2,94,526.42	
Cotton Textiles	45,124.90	6,222.80
Jute Textiles	1,189.61	335.14
Other Textiles	44,991.66	4,923.27
Sugar	17,319.98	700.93
Tea	16.39	38.41
Food Processing	20,964.76	7,161.25
Vegetable Oil & Vanaspati	8,317.73	9,619.22
Tobacco & Tobacco Products	8,319.61	785.25
Paper & Paper Products	13,111.30	949.61
Rubber & Rubber Products	21,287.41	8,933.75
Chemical, Dyes, Paints etc.	44,749.66	15,277.88
Of which Fertilisers	4,280.21	1,720.15
Of which Petro-chemicals	12,678.79	5,365.60
Of which Drugs & Pharmaceuticals	14,789.82	3,466.25
Cement	11,935.33	864.30
Leather & Leather Products	3,939.67	713.15
Gems & Jewellery	93,449.69	3,200.70
Construction	28,487.87	19,409.54
Petroleum	49,933.32	20,854.55
Automobiles including Trucks	27,903.51	3,404.24
Computer Software	–	–
Infrastructure*	4,47,186.70	96,124.45
Of which Power	2,94,766.81	46,971.49
Of which Telecommunications	5,192.74	184.15
Of which Roads & Ports	1,02,395.27	25,000.46
Other Industries	82,599.75	1,47,679.88
Residuary Other Advances (to balance with Gross Advances)	29,44,046.77	1,88,766.89
Total	**41,17,189.52**	**6,50,777.91**

- Exposure to Infrastructure Sector at 10.86% exceeds 5% of total fund based advances
- Exposure to Infrastructure Sector at 14.77% of total non-fund based outstanding.

d. The residual contractual maturity break down of assets is:

(₹ in Mn)

	Advances	Investments (gross)	Foreign Currency Assets
Next day	116,217.34	278,174.59	60,120.80
2 – 7 days	92,530.37	21,855.79	38,964.40
8 –14 days	119,266.04	33,087.78	53,408.63
15 – 28 days	139,531.06	24,985.75	193,045.33
29 days – 3 months	365,154.87	56,420.33	324,844.22
>3 months – 6 months	247,030.16	38,223.49	222,610.25
> 6months – 1 year	269,996.51	95,957.93	150,858.00
>1 year – 3 years	602,212.37	221,967.33	175,157.23
> 3 years – 5 years	595,425.49	182,057.34	105,962.14
> 5 years	1,285,256.57	349,236.93	105,056.64
Total	**3,832,620.78**	**1,301,967.26**	**1,430,027.64**

** Figures are shown on net basis*

e. The gross NPAs are:

Category	(₹ in Mn)
Sub Standard	1,08,626.74
Doubtful – 1	1,24,952.78
Doubtful – 2	2,36,146.35
Doubtful – 3	27,708.97
Loss	25,307.52
TOTAL	**5,22,742.36**

f. The amount of net NPAs is ₹ 253050.30Mn.

g. The NPA ratios are as under:

- Gross NPAs to Gross Advances :13.22%
- Net NPAs to Net Advances: 6.90%

h. The movement of gross NPA is as under:

(₹ in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	5,02,685.95
ii) Additions during the year	2,04,329.98
iii) Reductions during the year	1,84,273.53
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	5,22,742.40

i. The movement of provision for NPAs is as under:

(₹ in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	2,02,869.62
ii) Provisions made during the year	84,115.44
iii) Write-off/write-back of excess provisions	38,421.73
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	2,48,563.33

j. The amount of non-performing investment is ₹ 10669.76 Mn.

k. The amount of provision held for non-performing investment is ₹ 7672.04 Mn.

l. The movement of provisions for depreciation on investments is as under

(₹ in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	14,577.69
ii) Provisions made during the year	4,342.91
iii) Write-off/write-back of excess provisions	3,133.40
iv) Exchange Difference	(427.60)
v) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii+iv)	15,359.61

m. NPA and Provisions maintained by Major Industry or Counterparty type for Bank of India [Solo] :

Industry Name	NPA ₹ in Mn.	Provision ₹ in Mn.
Coal	367.30	141.20
Mining	4,679.90	3,072.20
Iron & Steel	81,619.60	32,302.70
Other Metal & Metal Products	13,965.70	6,478.20
All Engineering	3,511.80	1,295.90
Of which Electronics	783.60	403.70
Electricity	24,535.00	12,089.50
Cotton Textiles	11,796.30	4,470.80
Jute Textiles	697.80	483.90
Other Textiles	12,483.00	4,900.10
Sugar	845.50	199.60
Tea	–	–
Food Processing	9,280.70	2,325.40
Vegetable Oil & Vanaspati	5,789.00	2,441.60
Tobacco & Tobacco Products	3,448.10	1,041.80
Paper & Paper Products	3,876.10	1,341.70
Rubber & Rubber Products	2,531.90	847.00
Chemical, Dyes, Paints etc.	7,910.90	2,683.30
Of which Fertilisers	23.70	4.30
Of which Petro-chemicals	3,379.20	1,014.00
Of which Drugs & Pharmaceuticals	3,293.90	1,189.20
Cement	2,459.80	832.00
Leather & Leather Products	434.20	122.40
Gems & Jewellery	21,775.90	5,759.30
Construction	6,465.90	1,751.90
Petroleum	4,536.20	1,699.00
Automobiles including Trucks	15,817.70	7,736.70
Computer Software	–	–
Infrastructure*	54,816.00	28,529.50
Of which Power	24,535.00	12,089.50
Of which Telecommunications	1,069.30	532.30
Of which Roads & Ports	15,758.60	7,646.50
Other Industries	45,511.00	25,139.50
Residuary Other Advances (to balance with Gross Adv.)	205,824.56	86,175.90
Total	**520,444.86**	**221,771.60**

n. Geography wise NPA and Provision [for Bank of India Solo]:

(Amount in ₹ Mn)

	Domestic	Overseas	Total
Gross NPA	427,242.90	93,201.96	520,444.86
Provision for NPA	205,894.80	15,876.80	221,771.60

Table DF-4

Credit Risk: Disclosures For Portfolios Subject To The Standardised Approach

i. Qualitative Disclosure

a) For portfolios under the standardized approach:

- Names of Credit Rating agencies used, plus reasons for any changes
- Types of exposure for which each agency is used; and
- A description of the process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book;

A. BANK OF INDIA

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, INDIA RATINGS, BRICKWORK, SMERA, and

CARE for domestic claims and S&P FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns. SME ratings are not being used, as they are not approved by RBI.

2. The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II.

   The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.

   For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.

3. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it. Even while extending an issuer or an issue specific rating to any other exposure on the same counterparty it is extended to the entire amount of credit risk exposure i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.

4. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.

5. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except in cases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.

6. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardized Approach for long-term exposures. On the contrary, the unrated short-term claim on counter-party attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.

7. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.

8. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:

   i. The rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un- assessed claim only if this claim ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.

   ii. If either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

As per prevailing norms in the Country credit rating is not required to be done by any external credit rating agency.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (Uganda) Ltd) and Bank of India (Botswana) Ltd.

As per prevailing norms in the Country credit rating is not required to be done by any external credit rating agency. There is no credit rating agency operating/working in the Country.

D. Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary)

Credit risk is disclosed through General Disclosure Statement on quarterly basis as per the requirements.

ii. Quantitative Disclosures

(₹ in Mn)

For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted;	
The total credit exposure of BOI Solo of the bank (subject to standardized approach), are classified under major risk buckets are as under: -	
Below 100 % risk weight:	49,64,784.73
100 % risk weight:	14,99,987.87
More than 100 % risk weight:	4,71,774.08
Deducted	

Table DF-5 Credit Risk Mitigation Disclosures For Standardised Approaches

i. Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting;

- policies and processes for collateral valuation and management;

- a description of the main types of collateral taken by the bank;
- the main types of guarantor counterparty and their credit worthiness; and
- information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken

A. BANK OF INDIA

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to protect entity's earnings from loss both in good and bad times. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Such a process is termed as credit risk mitigation and some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. The Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:

   (1) Collateralized transactions

   (2) On-balance-sheet-netting

   (3) Guarantees

2. Eligible Financial Collateral:

All collaterals are not recognized as credit risk mitigants under the Standardized Approach. The following are the financial collaterals recognized.

i. Cash and Deposits including deposits in foreign currency.

ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.

iii. Securities issued by Central and State Governments

iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates

v. Life insurance policies

vi. Debt securities -Rated subject to conditions.

vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions

viii. Units of mutual funds subject to conditions

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors/ counter guarantors includes:

i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

ii. Other entities rated AA or better.

5. The Bank has a well-defined Collateral Management policy, which provides the controlling framework to ensure collateral is used optimally. This is a key component in mitigating the credit risks inherent in lending. The Bank accepts both tangible and intangible securities. Tangible Securities are either in physical form or such other material form like cash margin, Deposits with Banks, Gold or such other precious metals, Shares NSC/KVP/Life Insurance Policies. The intangible securities are –Bank Guarantees / Letters of Credit, book debts, Letter of Comfort, Letter of Negative Lien, Unregistered Charge etc. The common ways for obtaining security for moneys lent are Mortgage, Pledge, Hypothecation and lien The assets created out of the bank's credit exposure are as a general rule charged to the bank by way of first charge on pari-passu basis.

Guarantees are normally insisted upon whenever available/permissible. The main type guarantors are:

i. Central/State Government and Central Government sponsored agencies like DICGC, CGTMSE, and ECGC.

ii. Promoters/Major owners of corporates.

iii. Individual Guarantees of relatives in case of individuals

6. The various aspects of collateral management are:

Minimum conditions for the acceptance of collateral: For collateral to be valid and enforceable the bank ensures that the assets accepted as collateral are marketable, legally enforceable and can be taken control of if necessary .It is also ensured that the market value of the asset is readily determinable or can be reasonably established and verified. For internal control purposes, the bank has a list of types of assets acceptable as collateral and the maximum loan to value ratio for each of these assets taken as primary security. The bank also takes into account statutory restriction while taking collaterals.

a) Validity of collateral:

i) Enforceability

Bank ensures that credit documentation supporting the collateral, is legally enforceable in all relevant jurisdictions and empowers the Bank to apply the collateral freely to discharge the borrower's obligations.

ii) Title and ownership

Bank always verifies the existence and ownership of the assets being received as collateral before acceptance and ensures that there is no prior claim by any other party on the said collateral. Bank secures its control of the collateral prior to the drawdown of credit facilities. Information on collaterals is provided to Top Management periodically to facilitate management of credit risk. Charges on collaterals are promptly registered with the relevant authorities wherever applicable.

b) Loan-to-value ratios:

Bank has specified the maximum loan-to-value ratio (margin) for major types of asset to be accepted as primary security. Such ratios are commensurate with the relative risk of the assets and should be able to provide an adequate buffer against potential losses in realizing the collateral.

c) Valuation:

Bank has a Board approved policy in place for valuation of properties accepted for bank's exposures, where Basis of valuation, Qualification of Valuer and Frequency of revaluation are laid down for compliance across the bank.

d) Safe Keeping Of Collateral And Control To Their Access:

Authority and responsibility has been delegated to relevant individuals and departments for approving the acceptance, monitoring or safe custody of collaterals.

e) Additional / Replacement of Collateral:

Procedures for requesting additional collateral are clearly documented

f) Insurance:

All eligible collaterals except those specially exempted are covered by insurance for relevant risks and detailed guidelines for the same are in place.

g) Sale of Collateral:

The Bank has clear and robust procedure for the timely liquidation of collateral.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

PT Bank of India Indonesia Tbk has policy and processes for collateral valuation, based on Bank of Indonesia Regulation and national discretions for mortgage loan. Independent appraisal of the collateral is made if the sanction limit of the loan is above ₹ 2.79 Crores. Liquidation value is calculated based on type of collateral. Collateral value is reviewed every year. The main type of collateral taken is Land & Buildings. Generally personal or third party guarantee is not taken. Sectoral caps in lending are in place to take care of concentrations. The Bank has no major risk concentrations of collaterals or credit risk mitigants.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd and Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries)

The collaterals are obtained in the form of Bank's own Term Deposit receipts, Legal Mortgage over Immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, Pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/group are as detailed under

Collateral position	limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	25
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	10
c) Unsecured	5

D. Bank of India (Uganda) Ltd.

The collaterals are obtained in the form of Bank's own term deposit receipts, Legal mortgage over immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/ group as per detailed under.

Collateral position	limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	Single borrower exposure limit is 25% of the Capital and can be extended to 50% of core Capital.
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	
c) Unsecured	

E. Bank of India (Botswana) Ltd.

The collaterals are obtained in the form of Bank's own Term Deposit receipts, Legal Mortgage over Immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, Pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/group are as detailed under

Collateral position	limit (as % of unimpaired capital)
1) Secured by collateral, the value of which is at least	
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	30
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	30
c) Unsecured	30

ii. Quantitative Disclosures:-

(Amount in ₹ Mn)

(a) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral: after the application of haircuts. (BOI Solo)	2,53,773.20
(b) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI). (BOI Solo)	2,76,262.10

Table DF - 6
Securitisation Exposures :- Disclosure for Standarised Approach

i. Qualitative Disclosures:-

On consolidated level the Bank has no Securitization Exposure as on 31.03.2017

ii. Quantitative Disclosures :-

Not Applicable.

Table DF - 7
Market Risk in Trading Book

i. Qualitative Disclosures

a. The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

A. Bank Of India

In Trading book the Bank holds" Held for Trading"(HFT) and "Available for Sale" (AFS) portfolios of investments. The rest of the assets–i.e. Investments under Held to Maturity portfolio and advances-are treated as Banking Book. Given below is brief description of the Market Risk Management objectives and policies.

i. Strategies and Processes

Under Market Risk Management Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Foreign Exchange Risk, and Equity Price risk are monitored. Bank is not currently trading in commodities.

a. Liquidity Risk

Gap analysis is followed for monitoring Liquidity risk on a fortnightly basis. Prudential limit-for percentage of cumulative gap to cumulative outflow-based on Reserve Bank of India guidelines for the short-term buckets up-to 28 days is monitored. Besides, prudential limits are in place for market borrowing– Daily and average call borrowing–Inter Bank Liabilities, Purchased funds etc.

High value bulk deposits are monitored on a weekly basis. Short-term dynamic liquidity statement is prepared on a fortnightly basis to assess the liquidity position, which takes in to account the business growth. A contingency funding plan is in place to meet the emergencies. The plan is tested on a quarterly basis. Stress Testing is also done on a quarterly basis to assess possible loss to Bank if there is any liquidity crisis and if funds are to be raised from the market to meet the contingencies.

b. Interest Rate Risk

Gap analysis is used to assess the impact on the Net Interest Income of the bank for the next 12 months and till the next financial year. The Bank also uses duration gap analysis. Prudential limits have been fixed for duration of liabilities. Bank's investments portfolio is monitored on basis of duration analysis.

VaR methodology is followed for dated securities under SLR and Non-SLR(Domestic) Prudential limits for VaR have been fixed and daily monitoring is being done and reported to Top Management. Foreign investments in dated securities are normally hedged and the interest rate risk is minimal. VaR limits are also fixed for Foreign Exchange position.

Stress Testing is done to assess the impact on Economic Value of Equity by infusing a shock of change in market rate by 200 basis points.

c. Foreign Exchange Risk

The Bank has fixed Aggregate Gap Limit in USD as well as in other currencies, Maximum Aggregate daylight and overnight exposure limits for foreign exchange exposure in various currencies. We have also fixed period-wise Individual Currency-wise Gap Limits. Stop loss limits, take profit limit and single deal limits are in place for monitoring the forex operations of the dealers.

Derivative transactions are monitored by fixing prudential limit for net open position and a cap for PV01on the outstanding derivatives.

d. Equity Price Risk

The bank's domestic investment policy has fixed stop loss limits for equity dealers. Daily Limits to Treasury, Maximum Investment Limit, Holding Period for Equity Portfolio (Trading). Daily reporting is done to Top Management on the transactions.

ii. Structure and Organization of Market Risk Management function:

Risk Management is a Board driven function supported by three levels-.Risk Management Committee of the Board for overseeing and issuing directions, wherever necessary/approving Risk Management Policies etc. ,Asset Liability Management Committee(ALCO) who consider policy issues and with ALM Cell providing support at the ground level. Asset Liability Management Committees are operational at foreign centers also.

iii. Scope and nature of risk reporting and/ or measurement systems:

In respect of domestic business the guide lines stipulated by RBI for managing Market Risk is followed such as– Preparation of Interest Rate Sensitivity statement on a monthly basis–Duration analysis of investments in the Trading book on a daily basis–VaR calculation of trading book investments on a daily basis excepting the equity portfolio–conducting stress test for liquidity risk/market risk on a quarterly basis.–Duration analysis of global balance sheet and impact on the Economic Value of Equity on a monthly basis. Interest Rate sensitivity is reviewed on a monthly basis by ALCO.

Various prudential measures have been put in respect to market borrowing and lending in conformity with RBI guidelines for monitoring liquidity risk. Structural Liquidity statement is prepared on daily basis and Short Term Dynamic Liquidity statement on a fortnightly basis and reported to Top Management / ALCO. Structural liquidity of international operations is being done on a quarterly basis at the corporate level.

The results of the Quarterly study on Stress-Testing and Impact on Economic Value of Equity is reported to ALCO. Trading book position–Duration and VaR is reported daily to Top Management.

iv. Policies for Hedging and / or Mitigating Risk

Detailed policies are operational for Asset Liability Management and Market Risk Management, which deal in detail the various strategies and processes for monitoring Market Risk.

v. PT Bank of India IndonesiaTbk (Subsidiary)

In accordance with Regulation of Bank Indonesia regarding Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Bank, Bank is not included in the mandatory category for measuring the market risk in the calculation of the value of capital adequacy ratio (CAR). This is due to Bank is a foreign exchange Bank with financial instrument position in the form of securities and/or derivative transaction in the form of a Trading Book with amount below IDR 20 billion (USD 1.7 Million approximately).

B. Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (Uganda) Ltd. & Bank of India (Botswana) Ltd.

(a) The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

i. Market risk: Market risk arises from open positions in interest rate, currency and equity products. The board sets limits and reviews it at regular interval on the risk that may be accepted. Further the exposure is monitored on daily basis.

ii. Liquidity risk: The bank is exposed to daily calls on its available cash resources from overnight deposits, current accounts, maturing deposits, loans drawn and guarantees, from margin and other calls on cash settlement. The board has set limit based on their experience of the minimum proportion of maturing funds available to meet such calls and on the minimum level of inter-bank and other borrowing facility that should be in place to cover withdrawals at unexpected levels of demand.

iii. Interest rate risk: The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

iv. Currency risk: The bank is exposed to the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rate. The bank is involved in foreign currency market only to the extent of buying and selling to the extent of required currency. The bank is not involved in foreign currency forward contracts and thus the risk is limited.

ii. Quantitative Disclosure :-

(₹ in Mn)

The capital requirements for	
Interest rate risk	13,241.09
Foreign exchange risk (including gold)	334.87
Equity risk	8,092.13

Table DF – 8
Operational Risk

i. Qualitative Disclosures

In addition to the general qualitative disclosure requirement, the approach(es) for operational risk capital assessment for which the bank qualifies.

A. BANK OF INDIA

The Bank adopts best practices in Risk Management. The Bank assesses and identifies operational risks inherent in all the material products, processes and systems under different Business Lines on an ongoing basis. All new products, activities and systems are being first routed through the New Product Group Committee and then through Committee on Operational Risk Management (CORM). All policies related to Risk Management are approved by the Board only after clearance by the Risk Management Committee of the Board (R Com). The Chief Risk Officer implements the directives of R.Com and overseas day-to-day Operational Risk Management functions.

Risk Management function works in close coordination with the committee of Business Operational Risk Managers (BORM) and Operational Risk Management Specialists (ORMS). The committee of BORM and ORMS assists the Operational Risk Management Division in undertaking the Risk and Control Self-Assessments (RCSA), reporting Operational Risk Losses and tracking Key Risk Indicators (KRIs) on a periodical basis.

Risk reporting in the form of Loss Data Analysis is done on half yearly basis to assess the high-risk prone product and business lines and mitigation measures are adopted. Branch levels KRIs and Bank Level KRIs are tracked on a quarterly basis. RCSA exercise is undertaken for all the Bank's products and processes on an annual basis.

Operational Risk Capital Charge is calculated through Basic Indicator Approach. At present, the Bank is in the process of moving towards Advanced Measurement Approaches for computation of Operational Risk Capital Charge. The Bank has already got parallel run approval for migration to The Standardised Approach (TSA) for calculation of Operational Risk Capital Charge. Recently BCBS has released a consultative document on Standardised Measurement Approach. The same is in the discussion stage presently.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

Bank adopts best practices in operational risk management, like segregation of duties, trainings, clear laid down procedures etc.

In managing operational risk, each unit is responsible for the risks in its daily operations by referring to policies and procedures, control and routine supervision. Managing operational risks also include areas related to product development, system, human resources and "know your customer" principles to prevent unavoidable circumstances.

To minimize the operational risk, the bank has increased the control function in the transaction processing which

conducted among others by implementing the procedures to ensure timely completion of the transaction, adjustment the accounting method to the applied standards, maintain records in orderly, secure access to the asset and data. Function of the Internal Audit Unit who conducts regular checks to the operational activities is also adding value to the improvement needed. Bank use Basic Indicator Approach in Risk Weighted Assets (ATMR) calculation for Operational Risk.

Bank also has Internal Control unit which has job to ensure all business unit comply to bank procedure and local government regulation as well.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (Uganda) Ltd.& Bank of India (Botswana) Ltd.

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a variety of causes associated with the bank's processes, personnel, technology and infrastructure, and from external factors other than credit, market, liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of corporate behavior. Operational risk arises from all the bank's activities.

The bank's objective is to manage the operational risk so as to balance the avoidance of financial losses and damage to the bank's reputation with overall cost effectiveness and to avoid control procedures that restrict initiate and creativity.

The primary responsibility for the development and implementation of controls to address operational risk is assigned to the senior management at each branch level. The responsibility is supported by the development of overall standards for management of operational risks in the following areas:-

- Requirements for appropriate segregation of duties, including the independent authorization of transactions;
- Requirements for the reconciliation and monitoring of transactions;
- Compliance with regulatory and other legal requirements;
- Documentation of controls and procedures;
- Requirements for the periodic assessment of operational risks faced, and the adequacy of controls and procedures to address the risks identified;
- Requirements for the reporting of operational losses and proposed remedial action;
- Development of contingency plans;
- Training and professional development;
- Ethical and business standards;
- Risk mitigation, including insurance where this is effectives

Table DF-9
Interest Rate Risk In The Banking Book (IRRBB)

i. Qualitative Disclosures

a. The general qualitative disclosure requirement, including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behavior of non-maturity deposits, and frequency of IRRBB measurement.

A. Bank Of India

Interest Rate Risk in banking book is calculated generally on a quarterly basis. Banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio.

The strategies & processes /structure & organization / scope and nature of risk reporting/ policies etc. are the same as reported under Table DF –7.

The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as follows:-

- Based on monthly information from data centre on the residual maturity of the advances and the deposits covering around 100% of bank's business, Interest Rate Sensitivity statement is prepared with various time buckets, having regard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.
- The duration for each asset and liability is arrived at taking the midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is taken, as data is available with full particulars. In respect of investments, the AFS and HFT portfolios are excluded for this exercise as the focus is on IRR in the Banking Book.
- Using the above, Modified duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 1% is reckoned By adding up, the net position is arrived at to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

Assumptions:

i. The interest rate moves uniformly across all time buckets and for all assets.

ii. In respect of demand deposits – savings and current – the same are distributed as per their behavioral analysis as suggested by RBI.

iii. Generally the bank follows RBI guidelines on stress testing while calculating the IRRBB including selection of coupon rate / discount rate / taking midpoint of each time bucket as the maturity date etc.

iv. Re-pricing of Base Rate/BPLR linked advances has been taken in the 3 to 6 months bucket.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary),Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries) and Bank of India Uganda Ltd

The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market

interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

II. Quantitative Disclosures

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 per cent of the total turnover)

Interest Rate Risk In Banking Book (BOI Solo)

(₹ in Mn)

	Total	Of which in USD (where turnover is more than 5% of total turnover)
1. Earnings At Risk (NII)		
At 0.50% change for 1 year	4624.39	1544.42
2. Economic Value of Equity at Risk		
200 basis point shock	8682.75	4958.49
Drop in equity value in %age terms	0.42	0.24

Table – DF 10
General Disclosure For Exposures Related To Counterparty Credit Risk

i. Qualitative Disclosure

The bank uses derivatives products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes. The risk management of derivative operation is headed by a senior executive, who reports to top management, independent of the line functions. Trading positions are marked to market on daily basis.

The derivative policy is framed by the Risk Management Department, which includes measurement of credit risk and market risk.

The hedge transactions are undertaken for balance sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks is in place.

Policy for hedging and processes for monitoring the same is in place.

Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions are in place, which includes recognition of income, premiums and discounts. Valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and risk mitigation are being done.

Credit equivalent or EAD has been computed in accordance with the Current exposure methodology (CEM). Potential exposure is computed by multiplying Credit conversion factor to Notional principal. Replacement cost is the positive market value. Current exposure is the same as the replacement cost. Credit equivalent or EAD is the sum of potential exposure and current exposure.

ii. Quantitative Disclosure

a. Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposure, collateral held (including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit derivative hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure

b. Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group

(₹ in Mn)

Counter Party Credit Risk (CCR)	
Notional Principal Amount	7,91,323.48
Potential Exposure	14,874.39
Replacement Cost	17,025.49
Current Exposure	17,025.49
Credit Equivalent or EAD	31,899.88
RWA	6,186.34
Capital Charge	494.91

(₹ in Mn)

Item	Notional Amount	Current Credit Exposure	Credit equivalent
Currency Option	0	0	0
Cross CCY Interest Rate Swaps	16,762.68	344.33	775.48
Forward rate agreements	1,78,369.24	4,366.26	7,964.48
Interest rate future	0	0	0
Credit default swaps	0	0	0
Single CCY interest Rate Swaps	2,009.43	122.79	142.88
Total	**1,97,141.35**	**4,833.38**	**8,882.84**

Table DF -11
Composition of Capital

	Basel III common disclosure template to be used during the transaction of regulatory adjustments (i.e. from April 1,2013 to December 31,2017)	Amount in Mn
	Common Equity Tier 1 Capital : Instruments and Reserves)	
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	125816.81
2	Retained earnings	-85852.89
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	260,585.37
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	
	Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	809.81
6	**Common Equity Tier1 capital before regulatory adjustments**	**301359.10**
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments	
7	Prudential valuation adjustments	
8	Goodwill (net of related tax liability)	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	
10	Deferred tax assets	29625.89
11	Cash-flow hedge reserve	
12	Shortfall of provisions to expected losses	
13	Securitisation gain on sale	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	
15	Defined-benefit pension fund net assets	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	1724.49
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)3	
20	Mortgage servicing rights4 (amount above 10% threshold)	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences5	
22	(amount above 10% threshold, net of related tax liability)	
23	Amount exceeding the 15% threshold6	
24	of which: significant investments in the common stock of financial entities	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	
26	National specific regulatory adjustments 7	
	(26a+26b+26c+26d)	
26a	*of which:Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries*	
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries8	0
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank9	0
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
	For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**31350.38**
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**270008.72**
	Additional Tier 1 capital: instruments	
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	50000.00

	Basel III common disclosure template to be used during the transaction of regulatory adjustments (i.e. from April 1,2013 to December 31,2017)	Amount in Mn
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	11159.29
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**61159.29**
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments	
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	1075.00
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)10	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	**1075.00**
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**60084.29**
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy11**	**60084.29**
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**330093.01**
	Tier 2 capital: instruments and provisions	
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	70000.00
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	17500.00
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	
49	*of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out*	
50	Provisions12	24,711.68
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**112211.68**
	Tier 2 capital: regulatory adjustments	
52	Investments in own Tier 2 instruments	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	50.00
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	
56a	*of which:* Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	
56b	*of which:* Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT	

	Basel III common disclosure template to be used during the transaction of regulatory adjustments (i.e. from April 1,2013 to December 31,2017)	Amount in Mn
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	50.00
58	**Tier 2 capital (T2)**	**112161.68**
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy14	112161.68
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	**0**
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a+58b)**	**112161.68**
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	**442254.69**
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre **Basel III Treatment**	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
	of which: …	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**3503550**
60a	*of which: total credit risk weighted assets*	
60b	*of which: total market risk weighted assets*	
60c	*of which: total operational risk weighted assets*	
	Capital ratios	
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.71%
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	9.42%
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	12.62%
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	
65	*of which: capital conservation buffer requirement*	
66	*of which: bank specific countercyclical buffer requirement*	
67	*of which: G-SIB buffer requirement*	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	
	National minima (if different from Basel III)	
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.75%
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.25%
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.25%
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)	
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2	
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	24711.68
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)	
80	*Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements*	
81	*Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	
82	*Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements*	11159.29
83	*Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	0.00
84	*Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements*	17500.00
85	*Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	0.00

Table DF-12
Composition of Capital- Reconciliation Requirements

(₹ in Million)

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
A	**Capital and Liabilities**		
i	Paid-up Capital	10,554.34	10,554.34
	Reserves & Surplus	308,519.08	308,064.30
	Minority Interest	809.81	809.81
	Total Capital	**319,883.24**	**319,428.45**
ii	Deposits	**5,423,521.15**	**5,423,617.64**
	of which: Deposits from banks	573,914.82	573,914.82
	of which: Customer deposits	4,849,606.32	4,849,702.82
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	Borrowings	**394,914.17**	**394,914.17**
	of which: From RBI	0.00	0.00
	of which: From banks	0.00	0.00
	of which: From other institutions & agencies	52,523.48	52,523.48
	of which: Others (pl. specify)	165,072.10	165,072.10
	of which: Capital instruments	177,318.59	177,318.59
iv	Other liabilities & provisions	**181,940.96**	**164,010.13**
	Total	**6,320,259.51**	**6,301,970.40**
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	275444.35	275,324.25
	Balance with banks and money at call and short notice	689202.74	689,299.23
ii	Investments:	**1307512.63**	**1,290,338.88**
	of which: Government securities	1146650.91	1,139,697.45
	of which: Other approved securities	987.50	0.00
	of which: Shares	20952.27	16,109.75
	of which: Debentures & Bonds	66093.98	62,684.51
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	14882.25	15,632.25
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	57945.71	56,214.92
iii	Loans and advances	**3683287.65**	**3,683,260.28**
	of which: Loans and advances to banks	457416.12	457,416.12
	of which: Loans and advances to customers	3225871.53	3225844.16
iv	Fixed assets	**85457.78**	**85,430.37**
v	Other assets	**279354.36**	**278,317.39**
	of which: Goodwill and intangible assets	-	-
	of which: Deferred tax assets	54172.14	54,172.14
vi	Goodwill on consolidation	-	-
vii	Debit balance in Profit & Loss account	-	-
	Total Assets	**6320259.51**	**6301970.40**

Step -2

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
A.	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	10,554.34	10,554.34
	of which: Amount eligible for CET1		
	of which: Amount eligible for AT1		
	Reserves & Surplus	308,519.08	308,064.30
	Minority Interest	809.81	809.81
	Total Capital	319,883.24	319,428.45
ii	Deposits	5,423,521.15	5,423,617.64
	of which: Deposits from banks	573,914.82	573,914.82
	of which: Customer deposits	4,849,606.32	4,849,702.82
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	Borrowings	394,914.17	394,914.17
	of which: From RBI	0.00	0.00
	of which: From banks	0.00	0.00
	of which: From other institutions & agencies	52,523.48	52,523.48
	of which: Others (pl. specify)	165,072.10	165,072.10
	of which: Capital instruments	177,318.59	177,318.59
iv	*Other liabilities & provisions*	181,940.96	164,010.13
	of which: DTLs related to goodwill		0.00
	of which: DTLs related to intangible assets		0.00
	Total	**6,320,259.51**	**6,301,970.40**
B.	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	275444.35	275324.25
	Balance with banks and money at call and short notice	689202.74	689299.23
ii	Investments	1307512.63	1290338.88
	of which: Government securities	1146650.91	1139697.45
	of which: Other approved securities	987.50	0.00
	of which: Shares	20952.27	16109.75
	of which: Debentures & Bonds	66093.98	62684.51
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	14882.25	15632.25
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	57945.71	56214.92
iii	Loans and advances	3683287.65	3683260.28
	of which: Loans and advances to banks	457416.12	457416.12
	of which: Loans and advances to customers	3225871.53	3225844.16
iv	Fixed assets	85457.78	85430.37

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
v	Other assets	279354.36	278317.39
	of which:Goodwill and intangible assets		
	Out of which:		
	Goodwill		
	(Other intangibles (excluding MSRs)		
	Deferred tax assets	54172.14	54172.14
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	6320259.51	6301970.40

Step -3

	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
		Component of regulatory capital reported by bank	**Source based on reference numbers/letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	125816.81	
2	Retained earnings	-85852.89	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	260,585.37	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non- joint stock companies)	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	809.81	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	301359.10	
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		

Table DF-13
Main Features of Regulatory Capital Instruments

1	Issuer	Bank of India
2	(₹ In Thousand) 2 Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A01016
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
7	Instrument type	Common Shares
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	10554.34
9	Par value of instrument (₹ in million, as of most recent reporting date)	NA
10	Accounting classification	Equity Share Capital
11	Original date of issuance	Various
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	NA
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA
	Coupons / dividends	Dividend
17	Fixed or floating dividend/coupon	NA
18	Coupon rate and any related index	NA
19	Existence of a dividend stopper	NA
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	NA
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	NA
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA
25	If convertible, fully or partially	NA
26	If convertible, conversion rate	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA
30	Write-down feature	NO
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA
32	If write-down, full or partial	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A09126	INE084A09134	INE084A09142	INE084A09167	INE084A09191	INE084A09225	INE084A08052
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment							
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	2,000	500	775	2,000	1,625	1,500	25,000
9	Par value of instrument (₹ in million, as of most recent reporting date)	4,000	1,000	1,550	4,000	3,250	3,000	25,000
10	Accounting classification	Borrowing	Borrowing	Borrowing	Borrowing	Borrowing	Borrowing	Borrowing
11	Original date of issuance	27.07.2007	27.09.2007	11.10.2007	10.02.2009	09.12.2009	09.09.2010	08.08.2014
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Call Option Date 27.07.2017 Redemption at Par	Call Option Date 27.09.2017 Redemption at Par	Call Option Date 11.10.2017 Redemption at Par	Call Option Date 10.02.2019 Redemption at Par	Call Option Date 09.12.2019 Redemption at Par	Call Option Date 09.09.2020 Redemption at Par	Call Option Date 08.08.2024 Redemption at Par
16	Subsequent call dates, if applicable	On Anniversary Date after 27.07.2017	On Anniversary Date after 27.09.2017	On Anniversary Date after 11.10.2017	On Anniversary Date after 10.02.2019	after 09.12.2019	after 27.07.2017	after 08.08.2024
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Before Call 10.55% if call not exercised 11.05%	Before Call 10.45% if call not exercised 10.95%	Before Call 10.40% if call not exercised 10.90%	Before Call 8.90% if call not exercised 9.40%	Before Call 9.00% if call not exercised 9.50%	Before Call 9.05% if call not exercised 9.55%	11% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Partially Discretionary	Full Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No	No	No	No	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PONV Trigger
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Any
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	NA

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A08078	INE084A08086	INE084A08102
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Additional Tier 1	Additional Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	10,000	5,000	10,000
9	Par value of instrument (₹ in million, as of most recent reporting date)	10,000	5,000	10,000
10	Accounting classification	Borrowing	Borrowing	Borrowing
11	Original date of issuance	22.06.2016	23.06.2016	15.03.2017
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual	Perpetual	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Call Option Date 22.06.2021 Redemption at Par	Call Option Date 23.06.2026 Redemption at Par	Call Option Date 15.03.2022 Redemption at Par
16	Subsequent call dates, if applicable	On Anniversary Date after 22.06.2021	On Anniversary Date after 23.06.2026	On Anniversary Date after 15.03.2022
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed

18	Coupon rate and any related index	11.50% p.a.	11.50% p.a.	9.95% p.a.
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Full Discretionary	Full Discretionary	Full Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	Yes	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	PONV Trigger	PONV Trigger	PONV Trigger
32	If write-down, full or partial	Any	Any	Any
33	If write-down, permanent or temporary	Either, as directed by RBI	Either, as directed by RBI	Either, as directed by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA	NA	NA

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A09159	INE084A09175	INE084A09183
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	2,500	2,500	2,500
9	Par value of instrument (₹ Mn)	5,000	5,000	5,000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	16/10/2008	28/07/2009	28/08/2009
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	16/10/2023	28/07/2024	28/08/2024
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes

15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	16/10/2018	28/07/2019	28/08/2019
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	11.15%	8.45%	8.50%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A08037	INE084A08045	INE084A08060
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	10,000	5,000	30,000
9	Par value of instrument (₹ Mn)	10,000	5,000	30,000

10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	25/09/2013	30/09/2013	31/12/2015
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	25/09/2023	30/09/2023	31/12/2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.80%	9.80%	8.52%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Convertible
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Non-Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA
30	Write-down feature	Yes	Yes	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
32	If write-down, full or partial	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Compiled	Compiled	Compiled
37	If yes, specify non-compliant features	–	–	–

1	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A09209	INE084A09217	INE 084A08094	INE 084A08110
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Lower Tier 2 Instruments	Lower Tier 2 Instruments

8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5,000	5,000	15,000	10,000
9	Par value of instrument (₹ Mn)	10,000	10,000	15,000	10,000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	20/01/2010	11/06/2010	07/07/2016	27/03/2017
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	20/01/2025	11/06/2025	07/07/2026	27/03/2027
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	20/01/2020	11/06/2020	07/07/2021	27/03/2022
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	On every anniversary date (i.e. 7th July) till redemption, subject to RBI approval	On every anniversary date (i.e. 27th March) till redemption, subject to RBI approval
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.54%	8.48%	8.57%	8.00%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	No	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Fully Discretionary	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Cumulative	Cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	Decided by RBI	Decided by RBI
32	If write-down, full or partial	NA	NA	Decided by RBI	Decided by RBI
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	Decided by RBI	Decided by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Compiled	Compiled
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorption Feature	Loss Absorption Feature	–	–

		Disclosure template for main features of regulatory capital instruments
1	Issuer	Bank of India, Jersey Branch
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	XS0294208235
3	Governing law(s) of the instrument	English
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	[AT 1]
5	Post-transitional Basel III rules	[Eligible]
6	Eligible at solo/group/ group & solo	[Solo & Group]
7	Instrument type	IPDI (Hybrid Tier 1)
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	[USD 76.50 million]
9	Par value of instrument	USD 85 million
10	*Accounting classification*	*[Debt]*
11	*Original date of issuance*	*27 March '07*
12	*Perpetual or dated*	*Perpetual*
13	*Original maturity date*	*NA*
14	*Issuer call subject to prior supervisory approval*	*Yes*
15	*Optional call date, contingent call dates and redemption amount*	*3 April 2017*
16	*Subsequent call dates, if applicable*	*Every coupon date after 3 April 2017*
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	6.994%
19	Existence of a dividend stopper	NA
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step up
22	Noncumulative or cumulative	Non cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA
25	If convertible, fully or partially	NA
26	If convertible, conversion rate	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA
30	Write-down feature	NA
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA
32	If write-down, full or partial	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Preference and equity shareholders
36	Non-compliant transitioned features	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	1. Includes step up on call date. 2. BoI does not have full discretion to cancel coupon. 3. Principal loss absorption at PONV and CET1 trigger not included

Table DF 14 : - Full terms and Condition of Regulatory Capital Instrument

➢ Disclosed separately under Regulatory Disclosure Section on our website.

Table DF : -15 : Disclosure Requirement for Remuneration

The remuneration of Board of Directors and Top executives are decided by the Government of India. In addition to that there is one performance linked Incentive Scheme for whole time directors. The scheme is formulated on the basis of Statement of Intent (SOI) which is signed by the Government of India.

Table DF : -16 : Equities Disclosure for Banking Books

(Amount in ₹ Mn)

	Qualitative Disclosure	
1.	The general qualitative disclosure requirement (Para 2.1 of this annex) with respect to equity risk, including:	
	Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons; and	All equity investment in Banking Books is in Subsidiaries /Joint venture and Associates. These are strategic in nature.
	Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.	Investments classified under Held to Maturity category need not be marked to market and will be carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium should be amortized over the period remaining to maturity. Since the Bank has consistently been following the Weighted Average Cost (WAC) method of accounting, the WAC will be the acquisition cost for the purpose of shifting and also for the calculation of premium for amortization. Bank is recognizing any diminution, other than temporary, in the value of their investments in subsidiaries/ joint ventures, which are included under Held to Maturity category and provide there for. Such diminution is determined and provided for each investment individually.
1.	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value	
	Book value of investment	11850.30
	Value as per Balance sheet	11831.70
2.	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as:	
	• Publicly traded;	
	• Privately held	11831.70
3.	The cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	
4.	Total unrealized gains (losses)13	
5.	Total latent revaluation gains (losses)14	
6.	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	
7.	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements	N.A.

Table DF 17- Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure

	Item	(₹ in Million)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	63,20,259.51
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	(-)32,425.40
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	
4	Adjustments for derivative financial instruments	31,900.99
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	5,81,916.79
7	Other adjustments	
8	**Leverage ratio exposure**	**69,01,651.89**

Table DF-18: Leverage Ratio Common Disclosure Template

	Item	Leverage ratio framework (₹ in million)
On-balance sheet exposures		
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	61,25,259.51
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(-)32,425.40
3	**Total on-balance sheet exposures** (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	**60,92,834.11**
Derivative exposures		
4	Replacement cost associated with all *derivatives* transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	17,025.49
5	Add-on amounts for PFE associated with *all* derivatives transactions	14,875.50
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	
11	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**31,900.99**
Securities financing transaction exposures		
12	Gross SFT *assets* (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	1,95,000.00
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	
14	CCR exposure for SFT assets	
15	Agent transaction exposures	
16	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	**1,95,000.00**

	Item	Leverage ratio framework (₹ in million)
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	5,81,916.79
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	
19	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**5,81,916.79**
Capital and total exposures		
20	**Tier 1 capital**	**3,30,093.00**
21	**Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)**	**69,01,651.89**
Leverage ratio		
22	**Basel III leverage ratio**	**4.78%**

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रधान कार्यालय : प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई -400 051

Head Office : Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051

सूचना

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की इक्विसवी वार्षिक आम बैठक मंगलवार 11 जुलाई, 2017 को सुबह 10.30 बजे निम्नलिखित कारोबार करने के लिए, बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी -5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 में आयोजित की जाएगी:

मद सं. 1 -

''31 मार्च 2017 के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र, दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ एवं हानि खाते, लेखा द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के कार्य तथा गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र तथा लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उन्हें अनुमोदित करना तथा अंगीकार करना''

निदेशक मण्डल के आदेश से

स्थान : मुंबई
दिनांक : 09.06.2017

(दीनबंधु मोहापात्रा)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

टिप्पणियां:

1. **परोक्षी की नियुक्ति**

   वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार शेयरधारक स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान के लिए नियुक्त कर सकता है तथा ऐसे परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। वैध एवं प्रभावी होने के लिए परोक्षी फार्म वार्षिक आम बैठक की तारीख से 4 (चार) दिन पहले, अर्थात 07 जुलाई 2017 को बैंक के कार्य की समाप्ति पर या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में अवश्य ही प्राप्त हो जाने चाहिए।

2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

   किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति, उस बैठक जिसमें वह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति को बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक आम बैठक की तारीख से 4 (चार) दिन पहले, अर्थात 07 जुलाई 2017 को बैंक के कार्य की समाप्ति पर या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न करा दिया गया हो।

3. **लेखा बंदी**

   बैंक के शेयर धारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण रजिस्टर वार्षिक आम बैठक एवं लाभांश के भुगतान के लिए पात्रता अभिनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार, 08 जुलाई 2017 से मंगलवार, 11 जुलाई 2017 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Twenty First Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of India will be held on **Tuesday, July 11, 2017** at **10.30 A.M.** at Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400 051 to transact the following business:

Item No. 1

"To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2017, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2017, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts"

By order of the Board

Place : Mumbai
Date : 09.06.2017

(Dinabandhu Mohapatra)
Managing Director & CEO

Notes.

1. **APPOINTMENT OF PROXY**

   A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON HIS/HER BEHALF. The Proxy form, in order to be effective, must be received at the place specified in the Proxy form not later than 4(four) days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the close of banking hours of July 07, 2017.

2. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE**

   No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than 4 (four) days before the Annual General Meeting on or before the close of banking hours of July 07, 2017.

3. **BOOK CLOSURE**

   The Register of the Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Saturday, July 08, 2017 to Tuesday July 11, 2017 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting,

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची में हस्ताक्षर हेतु दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास सौंप दें। शेयरधारक के परोक्षी/प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास पर यह उल्लेख करना चाहिए कि वह परोक्षी है या प्रतिनिधि।

5. लाभांश, यदि कोई जिसका दावा न किया गया हो

जिन शेयरधारकों ने विगत अवधियों के लिए प्राप्त लाभांश वारंट का नकदीकरण न करवाया हो उनसे अनुरोध है कि वे डूप्लिकेट वारंट जारी करवाने हेतु बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, सात वर्षों की अवधि के लिए दावा न की गई या अदत्त रही लाभांश की राशि को केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 205सी/125 के तहत स्थापित इन्वेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फण्ड (आईईपीएफ) को अंतरित किया जाना चाहिए।

6. ई वोटिंग

बैंक सहर्ष, नोटिस में उल्लेख किए गए मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। बैंक ने मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, प्रैक्टीस करने वाले कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/स्वामित्व हितधारकों का ई-वोटिंग अधिकार उनके द्वारा यथा मंगलवार, 04 जुलाई 2017 को धारित इक्विटी शेयरों पर माना जाएगा जो इस हेतु कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख पर भौतिक अथवा डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखनेवाले शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप से डाल सकते हैं।

7. ई-वोटिंग अनुदेश

i. शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार इस उद्देश्य से नियत यथा 4 जुलाई, 2017 (कट-ऑफ तारीख) को बैंक के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के अनुपात में उनके द्वारा धारित शेयर के आधार पर होगा।

ii. वोटिंग अवधि शनिवार 8 जुलाई 2017 को सुबह 10.00 बजे आरंभ होगी और सोमवार 10 जुलाई, 2017 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। सीडीएसएल द्वारा उसी दिन शाम 5.00 बजे ई-वोटिंग मोड्यूल को डिसेबल कर दिया जाएगा।

iii. शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा।

iv. ***shareholders*** पर क्लिक करें।

v. अब अपने यूज़र आईडी की प्रविष्टि करें।

(ए) सीडीएसएल के लिए : 16 डिजिट की बेनिफिशिएरी आईडी

(बी) एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लायंट आईडी

(सी) जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों उन्हें बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करनी होगी।

vi. डिस्प्ले किए गए वेरिफिकेशन इमेज की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

vii. यदि आपके पास डीमैट स्वरूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन किया हो और किसी कंपनी/निकाय

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry pass is annexed to this Report. Shareholders/ Proxy holders/ representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the Attendance slip- cum-Entry pass at the venue. Proxy/Representative of a shareholder should state on the Attendance slip-cum-Entry pass "Proxy" or "Representative" as the case may be.

5. UNCLAIMED DIVIDEND IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received for previous periods if any are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate. As per the Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C/125 of the Companies Act, 2013.

6. E-Voting

The Bank is pleased to provide e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank has appointed M/s S N Ananthasubramanian & Co., practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on July 04, 2017 being the Cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

7. E-Voting Instructions

(i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on 04th July 2017 (Cut-off Date) fixed for the purpose.

(ii) The voting period will commence at 10.00 a.m. on Saturday July 08, 2017 and will end at 5.00 p.m. on Monday July 10, 2017. The e-voting module shall also be disabled by CDSL at 5.00 p.m. on the same day.

(iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iv) Click on shareholders

(v) Now enter your User ID

(a) For CDSL: 16 digit beneficiary ID

(b) For NSDL: 8 Character DPID followed by 8 Digit Client ID

(c) Members holding shares in physical form should enter Folio number registered with the Bank.

(vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vii) If you are holding shares in demat form and had

पर वोट किया हो, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।

viii. यदि आप पहली बार ई वोटिंग कर रहे हों तो निम्नलिखित का पालन करें :-

डीमैट और भौतिक स्वरूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए	
पीएएन (ईं)	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 जिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक पीएएन की प्रविष्टि करें (डीमैट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू) ● जिन सदस्यों ने बैंक/डिपॉजिटरी प्रतिभागी में अपना पीएएन अपडेट न किया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले के दो अक्षर और अपने पीएएन के 8 अंकों का सीक्वेन्स नंबर सूचित करें। ● यदि सीक्वेन्स नंबर, 8 अंकों से कम अंकों का हो तो नाम के पहले दो अक्षरों(बड़े अक्षरों में) के बाद उस नंबर से पहले आवश्यक संख्या में '0" जोड़ें। अर्थात यदि आपका नाम Ramesh Kumar है और सीक्वेन्स नंबर 1 है तो पीएएन फील्ड में RA0000001 लिखें।
जन्म तिथि (DOB)	कथित डीमैट खाते या फोलियो के लिए dd/mm/yyyy प्रारूप में आपके डीमैट या बैंक अभिलेख में उल्लिखितानुसार जन्म तिथि की प्रविष्टि करें।
लाभांश बैंक विवरण	आपके डीमैट खाते में या बैंक अभिलेख में कथित डीमैट खाते या फोलियो हेतु रिकॉर्ड किए गए लाभांश बैंक ब्यौरों की प्रविष्टि करें। ● लॉगिन करने के लिए कृपया डीओबी या लाभांश बैंक ब्यौरों की प्रविष्टि करें। यदि ब्यौरे डिपॉजिटरी या बैंक में ब्यौरे रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो, कृपया अनुदेशों (v) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक ब्यौरों के फील्ड़ में मेम्बर आईडी/फोलियो नंबर का उल्लेख करें।

ix. इन ब्यौरों की उचित प्रविष्टि के पश्चात *`SUBMIT'* पर क्लिक करें।

x. जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों वे सीधे *`Bank selection'* स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तथापि, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब *`password creation'* मेन्यू में पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों को किसी अन्य कंपनी/निकाय के संकल्प हेतु वोटिंग करने के लिए भी इसी पासवर्ड का प्रयोग करना होगा बशर्ते वह कंपनी/निकाय सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से – ई-वोटिंग का विकल्प चुने। विशेष रूप से यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी और को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।

xi. जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों, उन ब्यौरे का उपयोग केवल इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग हेतु किया

logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/ entity, then your existing password is to be used.

(viii) If you are a first time user follow the steps given below:

For Members holding shares in Demat and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha numeric `PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/ Depository Participant are requested to us the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN Held. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two character of the name in CAPITAL letters. Eg, if your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA0000001 in the PAN field.
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio. • Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id/ folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v)

(ix) After entering these details appropriately, click on `SUBMIT' tab.

(x) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach `password creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company / entity on which they are eligible to vote, provided that company / entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(xi) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolution

जा सकता है।

xii. संगत <*Company Name*> जिस पर आप वोट करना चाहें, हेतु EVSN पर क्लिक करें।

xiii. वोटिंग पृष्ठ पर आपको *`Resolution Description'* दिखेगा और उसी विकल्प के सामने वोटिंग हेतु *`Yes/No'* दिखेगा। इच्छानुसार *'Yes'* या *`No'* विकल्प चुनें। *'Yes'* विकल्प चुनने से तात्पर्य है कि आप इस संकल्प से सहमत हैं और *`No'* विकल्प मतलब आप इस संकल्प से सहमत नहीं हैं।

xiv. यदि आप संकल्प के पूर्ण ब्यौरे देखना चाहें तो *`RESOLUTION FILE LINK'* पर क्लिक करें।

xv. आप ने जिस संकल्प पर वोट करने का निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात *`SUBMIT'* पर क्लिक करें। एक *`confirmation box'* प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने नोट की पुष्टि करना चाहें तो *`OK'* पर क्लिक करें अन्यथा आपका वोट बदलने के लिए *`CANCEL'* पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।

xvi. संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने पर आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

xvii. आपके द्वारा की गई वोटिंग का प्रिंट आउट निकालने हेतु आप वोटिंग पेज पर *`click here to print'* विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।

xviii. यदि डीमैट खाता धारक पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज नोटिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करें और *`Forget Password'* पर क्लिक करें और सिस्टम जो ब्यौरे मांगे उनकी प्रविष्टि करें।

xix. गैर-एकल शेयरधारक और अभिरक्षक हेतु नोट

- गैर एकल शेयर धारक (अर्थात एकल व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा और कॉरपोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia-com को ई मेल की जानी चाहिए जिसकी प्रतिलिपि scrutinizer@snaco.netको भेजी जाए।
- लॉग इन ब्योरा प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित करना होगा। अनुपालन यूज़र उन खातों को लिंक कर सकेगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- खाते की सूची helpdesk.evoting@cdslindia-com को मेल की जाए और खातों के अनुमोदन होने पर वे अपना वोट दे सकेंगे।
- उनको अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सिस्टम में लोड करना होगा ताकि स्क्रूटिनाइजर इसकी जांच कर सके।

xx. ई-वोटिंग के संबंध में यदि कोई प्रश्न या समस्या है तो आप अक्सर पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू) और www.evotingindia.com पर उपलब्ध हेल्प खण्ड के तहत ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk@deslindia.com को ई मेल कर सकते हैं।

xxi. बहु फोलियो/डीमैट खाता धारित शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए पृथक रूप से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे। **तथापि,**

contained in this notice.

(xii) Click on the EVSN for the relevant < Company Name> on which you choose to vote.

(xiii) On the voting page, you will see ` Resolution Description' and against the same the option ` Yes/No' for voting. Select the option Yes or No as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiv) Click on the "RESOLUTION FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on `SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on `CANCEL' and accordingly modify your vote.

(xvi) Once you `CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvii) You can also take out print out of the voting done by you by clicking on the `Click here to print' option on the Voting page.

(xviii) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xix) Note for Non- Individual Shareholders and Custodians

- Non Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and CC to scrutinizer@snaco.net
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the accounts(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

(xx) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk@deslindia.com.

(xxi) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each

शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार भारत सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के वोटिंग अधिकार का प्रयोग नही कर सकता है।

xxii. ई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

xxiii. कृपया नोट करें कि एक बार वोट देने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते या असाधारण आम बैठक में वोट नहीं दे सकते। तथापि आप बैठक में उपस्थित रह सकते हैं और विचार-विर्मश, यदि कोई हो, में सहभागिता कर सकते हैं।

xxiv. आप फोलियो में यूज़र प्रोफाइल ब्योरे में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन कर सकते हैं जिसका उपयोग भविष्य में संसूचनाएं भेजने के लिए किया जाएगा।

8. बैठक में मतदान

कार्यसूची मद पर चर्चा के पश्चात अध्यक्ष महोदय कार्यसूची के मद के संबंध में मतदान का आदेश देंगे। बैठक में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए उनका वोट नहीं दिया है वे बैठक में मतदान के जरिए अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस प्रयोजन हेतु नियुक्त स्क्रूटिनाइज़र के तहत मतदान का आयोजन और पर्यवेक्षण किया जाएगा। मतदान पूरा होने के बाद अध्यक्ष महोदय बैठक की समाप्ति की घोषणा करेंगे।

9. मतदान के परिणाम के साथ ई-वोटिंग के परिणाम जोड़कर उसकी घोषणा बैंक अपनी वेबसाइट पर करेगा और स्टॉक एक्सचेजों को भी सूचित किया जाएगा।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(दीनबंधु मोहापात्रा)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 09.06.2017

folios / demat account. **However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.**

(xxii) The results of remote e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

(xxiii) Kindly note that once you have cast your vote you cannot modify or vote on voting at the Extraordinary General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

(xxiv) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

8. Voting at the Meeting

After the agenda item has been discussed, the Chairman will order Poll in respect the item on the agenda. Members attending the meeting and who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their voting right at the meeting through Poll. Poll will be conducted and supervised under Scrutinizer appointed for the purpose. After conclusion of the Poll, the Chairman may declare the meeting as closed.

9. The Results of the Poll aggregated with the results of e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges.

By order of the Board

(Dinabandhu Mohapatra)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 09.06.2017

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, "जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

फोलियो नं. _____ डी. पी. आईडी नं _____

(यदि डीमेट न किया गया हो) ग्राहक आईडी नं _____ (यदि डीमेट किया गया हो)

मैं/हम _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयरधारक हूं/हैं और मैं/हम एतदद्वारा

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____

को या उनके उपस्थित न होने पर श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से दिनांक 11 जुलाई, 2017 को आयोजित की जाने वाली बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में और संबंधित बैठक के स्थगन की स्थिति में मतदान के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूं/करते हैं।

माह _____ की _____ 2017 को हस्ताक्षरित।

परोक्षी के हस्ताक्षर _____

नाम: _____

पता: _____

_____

राजस्व स्टांप

_____

प्रथम /एकमात्र शेयर धारक के हस्ताक्षर

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

1. कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वह,
   - क. एकमात्र शेयरधारक व्यक्ति के मामले में शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।
   - ख) संयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटॅर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।
   - ग) निगमित निकाय के मामले में लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिकारी या अटॅर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।
2. परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उनके अंगूठे का निशान वहां लगा है तो वह निशान न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
3. कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत रसीदी टिकट न लगा हो और उसे निम्नलिखित पते पर वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले जमा नहीं कराया गया हो। उसके साथ उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी की प्रति या अन्य प्राधिकार जिसे नोटरी अथवा न्यायधीश ने सत्य प्रति के रुप में प्रमाणित किया हो, को बैंक में निम्न पते पर पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो-

   बैंक ऑफ़ इंडिया, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, 8 वीं मंजिल, स्टार हाउस, सी-5, ''जी'' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
4. बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी का लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा।
5. विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी के लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
6. परोक्षी लिखत को निष्पादित करने वाले शेयरधारक वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
7. किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

Head Office : Star House, C-5, 'G' Block, BandraKurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Folio No._____
(if not dematerialised)

DP ID No._____

Client ID _____
(if dematerialised)

I/We, _____ resident of in the district of _____ in the disctric of state of_____ in the state of _____being a shareholder/ shareholders of Bank of India, hereby appoint Shri/Smt_____,resident of _____ in the district of _____in the state of _____ or failing him/ her Shri/Smt. _____resident of_____in the district of_____ in the state of _____as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Meeting of the shareholders of Bank of India to be held on Tuesday, July 11, 2017 and at any adjournment thereof.

Signed this _____day of _____2017.

Signature of Proxy _____

Name _____

Address _____

_____

_____

Revenue Stamp

_____
Signature of first named/sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by his/her attorney, duly authorised in writing.
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than FOUR DAY before the date of the Annual General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank at

   Bank of India, Share Department Head Office, 8th Floor Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East Mumbai - 400 051.
4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting.
7. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank.

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India

आम बैठक हेतु उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र
ATTENDANCE SLIP – CUM - ENTRY PASS
ANNUAL GENERAL MEETING

दिनांक: 11 जुलाई, 2017, समय: प्रात: 10.30 बजे

Date: July 11, 2017, Time 10.30 AM

बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, ''जी'' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Bank of India Auditorium, Star House, 'C' 5 G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry)

नाम (स्पष्ट शब्दों मे)(सदस्य/ प्रोक्सी / एआर) Name in Block Letters (Member/ Proxy/ AR)	फोलियो क्र./ग्राहक आईडी नं. Folio No./ DPID No./ Client ID No.	शेयरों की संख्या No. of Shares

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर -
Signature of the shareholder / proxy / Representative present

---

प्रवेश पत्र

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

वार्षिक आम बैठक दिनांक: 11 जुलाई, 2017, समय: प्रात: 10.30 बजे

Annual General Meeting: Date Tuesday 11th July, 2017 at 10.30 A.M.

नाम (स्पष्ट शब्दों मे) (सदस्य/ प्रोक्सी / एआर) Name in Block Letters (Member/ Proxy/ AR)	फोलियो क्र./ग्राहक आईडी नं. Folio No./ DPID No./ Client ID No.	शेयरों की संख्या No. of Shares

पश्चलेख : बैठक के दौरान कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएँगे।
P.S. No gifts / gift coupons will be distributed at the meeting.

बैंक ऑफ़ इंड़िया
Bank of India

हमारा दृष्टिकोण

''कंपनियों, मध्यम श्रेणी व्यापारियों और दूरदाराज के छोटे आम ग्राहकों का मनपसंद बैंक बनना, छोटे व्यापारियों, ग्रामीण बाजारों और सामान्य बाजार को लागत प्रभावी विकासमान बैंकिंग प्रदान''।

Our Vision

"To become the bank of choice for corporates, medium businesses and upmarket retail customers and to provide cost effective developmental banking for small business, mass market and rural markets".

हमारा लक्ष्य

''सर्वश्रेष्ठ और व्यावहारिक बैंकिंग भूमंडलीय बाजारों में प्रदान करने के लिए एक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुए लागत प्रभावी और दायित्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना और ऐसा करते हुए हमारे पूंजी निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करना''।

Our Mission

"To provide superior, proactive banking services to niche markets globally, while providing cost-effective, responsive services to others in our role as a development bank, and in so doing, meet the requirements of our stakeholders".

हमारी गुणवत्ता नीति

हम, बैंक ऑफ़ इंडिया को पसंदीदा बैंक बनाने हेतु अपने ग्राहकों और सरंक्षकों को, **उत्कृष्ट, व्यवहार्य, नवोन्मेषी, अत्याधुनिक** बैंकिंग सेवाएं तत्परता और शालीनता से प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

Our Quality Policy

We, at Bank of India, are committed to become the Bank of Choice by providing SUPERIOR, PROACTIVE, INNOVATIVE STATE OF THE ART Banking Services with an attitude of Care and Concern for the Customers and Patrons.

महत्वपूर्ण सूचना

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के सॉफ्ट कॉपी को प्राप्त करने हेतु बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट **www.bankofindia.co.in** का अवलोकन करें।

बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले शेयरधारक **investor@bigshareonline.com** पर ई-मेल कर ऑर्डर कर सकते हैं।

शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि ई मेल के जरिए जल्द नोटिस, सूचना आदि प्राप्त करने के लिए अपना ई मेल आई डी **headoffice.share@bankofindia.co.in,** पर सूचित करें

IMPORTANT NOTICE

Shareholders are requested to visit Bank of India website **www.bankofindia.co.in** to get the soft copy of Annual Report 2016-17.

Shareholders desirous of having a copy of Bank's Annual Report may order for it by sending email to **investor@bigshareonline.com**

Shareholders are requested to register their E-mail ID, with the Bank at headoffice.share@bankofindia.co.in, for quick/early receipt of Notice, information, communication through E-mail.

You have devoted your life to serve others.

It's our turn to serve you.

Hospital/Premises Loan

Equipment Loan

Ambulance Loan

and many more...

Very attractive Rate of Interest

No collateral security for credit facilities up to ₹10 Crores

BOI STAR DOCTORS' *PLUS*

Finance scheme specially designed for MSME Borrowers

Exclusive Scheme for Medical/Healthcare Professionals (MBBS/BHMS/BDS/BAMS/BUMS/BPT/BOT):

a. Acquiring/Constructing/Expanding premises for Clinic/Nursing Home/Hospitals etc.

b. Purchasing Medical Equipment/Ambulance/Utility Vehicle

c. Meeting Working Capital requirement for recurring expenses

d. Flexible Repayment Period upto 10 years

e. Further concession in ROI up to 0.50% to Women beneficiaries/ Collateral Security Offered/CGTMSE Covered

f. Special Scheme for Vehicle and Personal Loan

50% Concession in Proposal Processing Charges

Bank of India

Relationship beyond banking

T&C apply | Follow us on:

For details, log on to www.bankofindia.com or visit your nearest branch

बीओआई

कैश भूल जाइए डिजिटल अपनाइए

BOI STAR TOKEN

- अत्याधुनिक, संपूर्ण इन्टरनेट बैंकिंग
- रेल टिकट बुकिंग, कर भुगतान, हवाई टिकट बुकिंग, यूटिलिटि बिल भुगतान और भी बहुत कुछ
- सभी बैंकों के बीच निधि अंतरण
- आप स्टार टोकन एनजी मोबाइल एप्प डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल पर ये सभी सुविधाएं पा सकते हैं

BOI *99#

(USSD BANKING)

- अपने फोन से *99# डायल करें और BOI चुनें और निधि अंतरण, मर्चन्ट भुगतान आदि जैसी अनेक सेवाओं का लाभ उठाएं
- आप अपने स्मार्ट फोन पर गूगल प्ले स्टोर से BOI *99# एप्प भी डाउनलोड कर सकते हैं

BOI chillr

- तत्काल निधि अंतरण, डीटीएच और मोबाइल रीचार्ज करें
- यूटिलिटि बिल भुगतान करें
- QR कोड आधारित संव्यवहार
- बिल राशि बांटें और भुगतान करें

BOI BTiM

(MOBILE BANKING)

- निधि अंतरण मोबाइल एप्प
- आईएमपीएस द्वारा 24x7 निधि अंतरण
- एटीएम/शाखा का पता लगाएं और भी बहुत कुछ सुविधाएं

BOI DEBIT/CREDIT CARDS

- 24x7x365 अपने धन से संबंधित लेन-देन करें
- हवाई/रेल टिकट बुकिंग
- बीमा एवं बिल भुगतान
- रिवार्ड पॉइन्ट पाएं
- ई-शॉपिंग करें

BOI PREPAID CARDS

- धनराशि से प्री-लोड कार्ड, जिसमें बार-बार धनराशि लोड कर सकते हैं
- पीओएस/ई-कॉमर्स के लिए आसानी से उपयोग किया जा सकता है
- ₹ 50,000/- तक किसी भी राशि के लिए उपलब्ध

BOI EazyPay

A Payment Solution

- धन भेजें
- रकम के लिए अनुरोध करें
- क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान करें

BOI CARDS at POS

- अपने डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें
- मर्चन्ट आउटलेट्स पर स्वाइप करें

बैंक ऑफ़ इंडिया

रिश्तों की जमापूँजी

www.bankofindia.co.in देखें । पर हमें फॉलो करें